अष्टम माला, खंड 39, अंक 50

21st March, 1988

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

LIBRARY
No. 60
Date 17/11/88

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 39 में अंक 41 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 21 मार्च, 1988/1 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 12, पंक्ति 1, प्रश्न संख्या "3731" के स्थान पर "373" पढ़िये।

पृष्ठ 48, नीचे से पंक्ति 5 में से "राज्य में" शब्द निकाल दीजिये।

पृष्ठ 113, पंक्ति 7, "(श्री गिरिधर गोगांगो)" के स्थान पर "(श्री गिरिधर गोमांगो)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 36, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 19, सोमवार, 21 मार्च, 1988/ 1 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 364, 366, 368 और 372 से 374	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—225
*तारांकित प्रश्न संख्या : 367, 369, से 371, 375 से 377 और 379 से 385 ...	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3885 से 3983, 3985, से 4013, 4015 से 4024, 4026 से 4055 और 4057 से 4099 ...	30—224
संसद भवन परिसर में एक घुसपैठिए के गोली से मारे जाने के बारे में घोषणा ...	225—229
सभा पटल पर रखे गये पत्र	230
पंजाब बजट, 1988-89—विवरण	231
श्री नारायण दत्त तिवारी	231—232
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)—1987-88	232
विवरण प्रस्तुत	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	232—233
सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार में गेहूं के बिक्री मूल्यों के बारे में वक्तव्य	233—234
श्री सुख राम	234—234

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय				पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	...	234—238
(एक) आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए गोवा राज्य को विशेष अनुदान प्रदान करना				
श्री शांताराम नायक	...	...	...	234
(दो) गोरखपुर और वाराणसी में हथकरघा बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना				
श्री मदन पांडे	...	...	...	234—235
(तीन) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, में अधिक संख्या में चीनी मिलें खोलना				
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	...	...	...	235
(चार) कानपुर देहात में "नवोदय विद्यालय" खोलना				
श्री जगदीश अवस्थी···	...	...	...	235—236
(पांच) फसल बीमा योजना को जारी रखना				
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	...	236
(छः) पहलेजा घाट और दीघा के बीच तथा छितौनी घाट पर रेल पुल का निर्माण करना				
श्री राम बहादुर सिंह	...	...	...	337
(सात) पूर्णिया जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना				
श्रीमती माधुरी सिंह	...	...	...	237
(आठ) काजू विकास बोर्ड की स्थापना करना				
श्री आई० रामा राय	...	...	...	238
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88	...		...	238—256
श्री आनन्द गजपति राजू ···			...	242 - 244
डा० गौरी शंकर राजहंस	...		...	244—248
डा० सुधीर राय	...	...	...	348—250
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर		...	...	250—252
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	252—256
विनियोग विधेयक, 1987-88	...	...	...	256—257
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री बी० के० गढ़वी		...	...	256

विषय				पृष्ठ
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	256
खंडवार चर्चा	...	...	...	257
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	257
रेल अभिसमय समिति, 1985 **के दसवें प्रतिवेदन के बारे में संकल्प**				
अनुदानों की मांगें (**रेलवे**), 1988-89				
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (**रेलवे**), 1987-88 और				
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (**रेलवे**), 1985-86	...	...	...	257—305
श्री माधवराव सिन्धिया	...	...	...	258—262
श्री सी० सम्बु	...	...	...	263—265
श्रीमती किशोरी सिंह	...	...	...	268—270
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	...	270—273
श्री अजय विश्वास	...	...	...	273—274
श्री वी० एस० विजयराघवन	...	...	...	274—277
श्री जैनुल बशर	...	...	...	277—279
श्री तम्पन थामस	...	...	...	279—282
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	...	...	...	282—285
श्री नारायण चौबे	...	...	...	285—289
श्री मदन पांडे	...	...	...	289—292
डा० दत्ता सामंत	...	...	...	311—295
श्री तरुण कान्ति घोष	...	...	...	295—297
श्री मानिक रेड्डी	...	...	...	297—298
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	...	...	...	298—299
श्री सलाउद्दीन	...	...	...	305—306
विनियोग (**रेल**) **विधेयक**), 1988	...	...	...	305—306
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिन्धिया	...	...	...	305
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिन्धिया	...	...	...	306

विषय				पृष्ठ
खंडवार चर्चा	...	...	...	306—306
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिन्धिया	...	...	...	306
विनियोग (रेल) संख्यांक-2 विधेयक, 1988	...	...	...	306--308
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिंधिया	...	...	...	307
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिंधिया	...	...	...	308
खंडवार चर्चा	...	...	...	308
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिंधिया	...	...	...	308
विनियोग (रेल) संख्यांक-3 विधेयक 1988	...	...	...	308—309
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिंधिया	...	...	...	308
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधवराव सिंधिया	...	...	...	309
खंडवार चर्चा	...	...	...	
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री माधव राव सिंधिया	...	...	...	309
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक	...	...	...	310—328
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री एच० आर० भारद्वाज	...	...	...	310—311
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	...	311—318
श्री सोमनाथ रथ	...	...	...	318—319
श्री वी० तुलसीराम	...	...	...	320
श्री तम्पन थामस	...	...	...	321—323
डा० दत्ता सामन्त	...	...	...	323—324
खंडवार चर्चा	...	...	...	327
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री एच० आर० भारद्वाज	...	...	...	328

लोक सभा

सोमवार, 21 मार्च, 1988/1 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़-भाड़

[हिन्दी]

*364. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से किन-किन राज्यों के लिए बसें चलती हैं;

(ख) क्या सरकार अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पूर्व में एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि बसों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए एक अन्य बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव किस स्थिति में है और इसमें कितनी लागत लगेगी और इस नये प्रस्तावित बस अड्डे से कितने राज्यों में बसें जाएंगी।

श्री दलबीर सिंह : भीड़-भाड़ को कम करने के लिए जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा जो वर्तमान आई० एस० बी० टी० है, इसकी इतनी कैपेसिटी थी कि केवल 500 बसें यहां आ और जा सकें लेकिन वर्तमान समय में 4,600 बसें यहां पर आती हैं, जो वास्तव में बहुत असुविधाजनक है। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुए अभी यह प्रोपोजल प्लानिंग कमीशन में गया था और 1988-89 में निजामुद्दीन के पास नया बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव है

ौर 2 करोड़ 50 लाख रुपये इसकी लागत होगी और 1988-89 में उसको आवंटित करने का न्होंने मंजूर किया है।

श्री जगदीश अवस्थी : वर्तमान समय में जो यात्री बस द्वारा यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा ुरक्षित हो और सुविधाजनक हो, इसके लिए कोई व्यवस्था की है ?

श्री दलबीर सिंह : शासन हमेशा सजग रहता है कि यात्रा सुरक्षित हो और लोग सुरक्षित आ ा सकें और इस चीज को देखते हुए अभी जो दिल्ली का 2001 का प्रोस्पेक्टिव प्लान है, उसमें लग- ग यहां पर 14,000 बसें अनुमानितः और राज्यों से आएंगी और यहां से भी चलेंगीं और ऐसा नुमान है कि लगभग 7 लाख 25 हजार यात्री यहां पहुंचने की संभावना है। इस तरह से इसमें बरा- र शासन सुरक्षा भी देता है और जो बसें चलती हैं, उसमें कोई असुविधा की बात नहीं है।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं। कि नार्थ और ाऊथ की एकता के लिए यह जरूरी है कि यहां के आदमी वहां जाएं और वहां के आदमी यहां आएं। अध्यक्ष महोदय, आप भी अभी किसान सम्मेलन में गए थे वहां पर किसान आपको कितना ाद कर रहे हैं और कितनी आपको बधाई दे रहे हैं। इस तरह से साउथ-नार्थ एकता के लिए क्या आप दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक कोई बस चलाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हैदराबाद के लिए एक एयर बस है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक से दो करवा देते हैं।

[अनुवाद]

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : आंध्र प्रदेश के लिए ही क्यों, कन्याकुमारी के लिए क्यों नहीं ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : बस भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बीच में यात्रियों को कष्ट न हो। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए इसी तरह से जो निजामुद्दीन में नया बस अड्डा बनाने जा रहे हैं, दिल्ली की आवश्यकताओं को देखते हुए वह काफी नहीं होगा, आपको और भी अड्डे बनाने होंगे।

श्री दलबीर सिंह : नये अड्डे बनाने के हमारे पास और भी प्रपोजल हैं, सन 2001 तक ऐसे 4-5 बस अड्डे बनाने की योजना है। भीड़ एक ही जगह इकट्ठी न हो, इसके लिए जैसे-जैसे हमें संसाधन उपलब्ध होंगे, वैसे-वैसे हम और अड्डे भी बनाएंगे।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : अध्यक्ष महोदय, जैसे स्टेट्स की बसेस में एम०पीज०, एम०एल० एज०, एम० एल० सीज को सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह से डी० टी० सी० की बसेस में ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं, जबकि डी० टी० सी० की बसेस भी दिल्ली से बाहर जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इनसे संबंधित नहीं है।

केरल में मत्स्य उद्योग के लिए विकास योजना

[**अनुवाद**]

*366. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा केरल में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कौन सी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) केरल में मत्स्य फेडरेशन को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) केरल सरकार द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण मात्स्यकी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

क्र० सं०	परियोजना	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	विजिंगम में समेकित मात्स्यकी बन्दरगाह का विकास	फरवरी, 1987 में स्वीकृत
2.	पुथियप्पा मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण	जनवरी, 1988 में स्वीकृत
3.	मुनाम्बम मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण	केरल सरकार से संशोधित क्रियान्वयन सूची अभी तक प्राप्त होनी है ।
4.	थंगासेरी मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण	—तदैव—
5.	समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना चरण-I और चरण-II	अप्रैल, 1985 और मार्च, 1987 में, स्वीकृत ।
6.	डोरी मत्स्यन के लिए तट से दूर मात्स्यकी विकास परियोजना	मार्च, 1987 में स्वीकृत
7.	सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन	1986-87 और 1987-88 में करीब 3,20,000 मछुआरों का बीमा किया गया ।

1	2	3
8.	परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण	300 परम्परागत जलयानों के मोटरीकरण के लिए 1987-88 में स्वीकृत योजना।
9.	कुवैत निधि सहायता से झींगा पालन के लिए केरल मात्स्यकी विकास परियोजना	अरब आर्थिक विकास की कुवैत निधि परियोजना को धन देने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है।
10.	जापानी सहायता से मत्स्याफेड नेट कम्पलैक्स का विस्तार	यह परियोजना जापान की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई, जबाब अभी आना है।
11.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खारे जल की मछुआ विकास एजेंसी की स्थापना करना	मई, 1987 में स्वीकृत
12.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कन्नानौर और एलेप्पी जिलों में मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना करना।	कन्नानौर मछुआ विकास एजेंसी 1986-87 में और एलेप्पी 1987-88 के दौरान स्वीकृत की गई।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में मत्स्यफेड (केरल राज्य सहकारी मात्स्यकी विकास संघ लि०) को अभी तक करीब 402 लाख रुपये की सहायता दी है।

प्रो० के० वी० थामस : लगभग दो वर्ष पूर्व जब करुणाकरण मुख्य मंत्री थे केरल में परम्परागत मछुआरों का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया था तथा एक सूची प्रकाशित व अनुमोदित की गई थी। इस अनुमोदित सूची के आधार पर 220 मछुआरा कल्याण समितियां बनाई गई थी तथा "**मत्स्य फेड**" जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है इन 220 मछुआरा कल्याण समितियों की शीर्ष संस्था है। इन मछुआरा कल्याण समितियों ने मछुआरों के विकास के लिए बहुत कार्य किया। लेकिन जब नयनार की सरकार सत्ता में आई तो इन 220 समितियों को समाप्त कर दिया गया। (**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : श्रीमन, यह क्या है ? (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : श्रीमन, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार सहायता दे रही है।

इन 220 समितियां को समाप्त कर दिया गया तथा अलग से 80 मछुआरा समितियाँ बनाई गई तथा इन सभी 80 मछुआरा समितियों में अनुमोदित सूची से मछुआरे लेने की बजाय सी० आई० टी० यू० सूची से लिए जा रहे हैं तथा उन्हें सहायता दी जा रही है। यद्यपि ये 80 समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं तथापि भारत सरकार (**मत्स्यफेड**) के जरिए सौ प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है तथा इन 80 समितियों द्वारा (**मत्स्य फेड**) का दुरुपयोग किया जा रहा है जबकि वास्तविक मछुआरों को नजरंदाज किया जा रहा है। अतएव माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि क्या इस विषय की

जांच की जायेगी (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : कैसी जांच ?

श्री श्याम लाल यादव : यह सत्य है कि भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन० सी० डी०सी०) के जरिये '**मत्स्यफेड**' को काफी सहायता प्रदान करती है तथा अब तक कुल 402.03 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। राज्य को मत्स्य पालन के लिए दी गई यह एक बड़ी सहायता है । इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पहले 220 समितियां बनाई गई थीं । हमें नहीं मालूम उन समितियां को क्यों समाप्त कर दिया गया तथा नई समितियां बनाई गईं । अब माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वे हमें उसका विस्तृत ब्यौरा दें तो हम इस विषय की जांच करेंगे तथा मेरे विचार में देश के इस भाग के अनेक मछुआरों की बेहतरी के लिए इन विषयों में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : क्या आप राज्य सरकारों को प्रशासनिक निर्णय लेने की अनुमति दे रहे हैं ? आप क्या जांच कराने जा रहे हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : श्रीमन् मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, जनवरी, 1987 में जब प्रधान मंत्री जी ने केरल का दौरा किया था (**व्यवधान**)···

श्री सुरेश कुरूप : किस लिए ? चुनावी भाषण के लिए ? (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : उन्होंने आश्वासन दिया था कि चार मत्स्य उद्योग बन्दरगाहों, विंजिगम मात्स्यकी बन्दरगाह, पुथियप्पा मत्स्यन बन्दरगाह, मुनाम्बम मत्स्यन बन्दरगाह तथा थंगासेरी मत्स्यन बन्दरगाह का विकास किया जायेगा तथा राज्य सरकार से कहा गया था कि वह इसकी विस्तृत रिपोर्ट दे कि वह स्वयं कितने संसाधन जुटा सकती है तथा अन्य चीजें केन्द्र पर छोड़ दे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इन मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है तथा राज्य सरकारों द्वारा इन बन्दरगाहों के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ।

श्री श्याम लाल यादव : श्रीमन, यह सच है कि जनवरी, 1987 में प्रधान मंत्री महोदय ने केरल में अपने 'इकोनोमिक पैकेज, के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग के विकास कार्यक्रमों की घोषणा की थी तथा इसके लिए कुल 93.57 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी । वास्तव में, छः मुख्य परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। जहां तक समन्वित विंजिगम समेकित मात्स्यकी बन्दरगाह का सम्बन्ध है, इसके एक तथा दो चरण का काम पूरा हो चुका है तथा तृतीय चरण निर्माणाधीन है। जहां तक पुथियप्पा मत्स्यन बन्दरगाह का सम्बन्ध है इसकी स्वीकृति फरवरी, 1988 में दी गई थी। जहां तक मुनाम्बम् और थंगासेरी मत्स्यन बन्दरगाहों का संबंध है, राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। तीन मत्स्य उद्योग घाटों का अनुमोदन फरवरी, 1987 में किया गया था तथा मई, 1987 में ब्रैकिशवाटर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की भी स्वीकृति दी गई थी ।

श्रीमन, पहले सरकार की नीति थी कि इन बन्दरगाहों पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों आधा-आधा अर्थात 50-50 प्रतिशत धन लगाएगी, अब राज्य सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है तथा अब विषय को सुलझाना होगा। मुझे आशा है, सरकार राज्य सहायता के सम्बन्ध में उस फार्मूले का पूरी तरह पालन करेगी ।

श्री तम्पन थामस : श्रीमन, माननीय मंत्री महोदय ने सहकारी समितियों तथा उनके कार्यों

के विषय में कहा तथा 'मत्स्यफेड़' शीर्ष संस्था के बनाए जाने के विषय में कहा, राज्य सरकार को कुछ धनराशि दी गई थी तथा इस विषय की जांच की जायेगी आदि-आदि। मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक मामलों की, जो कि केरल सरकार द्वारा किए गए हैं, केन्द्र सरकार कैसे जांच कर सकती है ? इसके साथ ही क्या मंत्री महोदय एक वर्ष से अधिक की सहकारी समितियों के कार्यकलापों का ब्यौरा हमें देंगे ?

श्री श्याम लाल यादव : केन्द्र सरकार राज्य स्तर की समिति 'मत्स्यफेड' को अग्रिम धन-राशि तथा शत-प्रतिशत सहायता, अन्य आर्थिक सहायता व ऋण प्रदान करती है। राज्य सरकार को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने यह धन कैसे खर्च किया ताकि हम मामले की छानबीन कर सकें। जहां तक अन्य समितियों के कार्यकलापों का सम्बन्ध है, जब हमें शिकायतें मिलती हैं तो हम उन्हें राज्य सरकार के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेज देते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो हम मामले की आगे जांच करते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : त्रिवेन्द्रम में विजिगम मात्स्यकी बन्दरगाह पर लगभग दस वर्ष पूर्व कार्य आरम्भ हुआ था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस परियोजना पर कार्य बड़ी धीमी गति से कार्य चल रहा हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने में क्या बाधाएं हैं ? क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि यह परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पूरी हो जाए ?

श्री श्याम लाल यादव : इस परियोजना के प्रथम दो चरणों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। तृतीय चरण निर्माणाधीन है। यह 62.73 करोड़ रुपये की लागत का सबसे बड़ी मात्स्यकी बन्दरगाह है। मेरे विचार में यह परियोजना अपने नियत समय में ही पूरी हो रही है।

पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

*368. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों से प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) उन पांच देशों के नाम क्या हैं जिनसे सर्वाधिक पर्यटक भारत आते हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से होने वाली अनुमानित विदेशी मुद्रा आय इस प्रकार थी

वर्ष	करोड़ रुपये में
1984-85	1300
1985-86	1460
1986-87	1780

(ख) वर्ष 1987 के दौरान जिन पांच देशों से सर्वाधिक पर्यटक भारत आए वे इस प्रकार हैं :—

(I) बंगलादेश

(II) यू०के०

(III) पाकिस्तान

(IV) संयुक्त राज्य अमरीका, और

(V) श्रीलंका

श्री एस० जी० घोलप : विभिन्न देशों से कितने पर्यटक आए तथा कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तथा पर्यटकों के आने से किस देश से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

श्री गिरिधर गोमांगो : विवरण में मैंने पांच देशों के नाम दिए हैं अर्थात बांग्लादेश, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमरीका और श्रीलंका। 1986-87 में विभिन्न देशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का प्रतिशत इस प्रकार है। ब्रिटेन 14.9 प्रतिशत, अमरीका 11.6 प्रतिशत आदि। पर्यटक में तदनुसार वृद्धि हुई है।

श्री एस० जी० घोलप : सोवियत संघ से कितने पर्यटक भारत आए तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : सोवियत संघ के साथ पर्यटकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई स्तरों पर कदम उठाए गए हैं। मेरे पर सही सही आंकड़े नहीं हैं। किन्तु पिछले वर्ष हमने सोवियत संघ तथा अन्य स्थानों के साथ विभिन्न स्थानों पर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ किया। हम सोवियत संघ से अधिक पर्यटक आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आदान प्रदान संबर्धन कार्यक्रमों के देश-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पर्यटन मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि भारत की पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता कितनी है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितनी क्षमता का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : विश्व में भारत के पास काफी पर्यटक आकर्षित करने की क्षमता है क्योंकि हमारे यहां काफी बड़ी संख्या में पुरातत्व स्मारक हैं। 1985 में इस मंत्रालय के सृजन के पश्चात बहुत सी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विदेशों में हमारे 18 कार्यालय हैं जो पर्यटकों को भारत आने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। यदि हम पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से करें तो हम सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात से 100 रुपए कमाने के लिए 25 रुपए खर्च कर रहे हैं जबकि हम पर्यटन से 100 रुपए प्राप्त करने के लिए 7 रुपए खर्च कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पर्यटन से हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं, जो हमने वर्षों में तैयार की हैं, काफी पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने के लिए हमने कई सर्वेक्षण और अध्ययन करवाए हैं। 1986 में हमारे देश में 10 लाख से अधिक पर्यटक आए। इससे यह पता चलता है कि भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं।

दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतें

*372. श्री बी० तुलसी राम†
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने हाल ही में राजधानी में गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण के लिए विनियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित विनियमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस समय राजधानी में, विशेष रूप से कनाट प्लेस तथा बाराखम्बा रोड कम्प्लैक्स में, अनेक गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो किसी नई इमारत का नक्शा मंजूर करने से पूर्व पर्यावरण, आग लगने की स्थिति में सुरक्षापायों के साथ-साथ पानी, बिजली की सप्लाई, पार्किंग स्थान की सुविधाओं के लिए व्यवस्था जैसी अपेक्षाएं सुनिश्चित की जाती हैं; और

(ङ) क्या इन गगनचुम्बी व्यापारिक एवं आवासीय कम्प्लैक्सों के निर्माण पर केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा कोई नियंत्रण रखा जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने संशोधित मार्ग-निर्देशन जारी कर दिए हैं।

(ख) संशोधित मार्गनिर्देशनों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि विस्तृत नगर संकल्पना अनुमोदन, अग्निशम अपेक्षाओं और वृहत योजना, क्षेत्रीय (जोनिंग) विनियमनों, भवन उप-नियमों आदि जैसे अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर दिल्ली में ऊंचे भवनों के निर्माण को बिनियमित किया जाना जारी रहेगा। तथापि, निर्मित किया जाने वाला क्षेत्र केवल फर्श आच्छादन (फ्लोर कवरेज) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात के मापदण्डों से मार्गनिर्देशित किया जाएगा। ये साधारणतया भवनों की ऊंचाई को प्रभावित करेंगे।

(ग) कनाट प्लेस तथा बाराखम्बा रोड परिसर में 9 बहुमंजिले भवन निर्माणाधीन हैं।

(घ) भवन उप-नियमों तथा बृहत/क्षेत्रीय योजनाओं में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार ऐसे सभी सम्बन्धित पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशनों के अनुसार दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य अभिकरणों द्वारा ऊंचे भवनों, रिहायशी तथा वाणिज्यिक दोनों ही के निर्माण पर नियंत्रण रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में संशोधित मार्ग-निर्देशन जारी कर दिए हैं, पुराने नियमों में कुछ संशोधन किया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि किन नियमों में क्या संशोधन किया गया है, पुराने नियम क्या थे और नये नियम क्या बनाये गये हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण होता जा रहा है। क्या ये संशोधित नियम दिल्ली तक ही सीमित हैं या उनको पूरे भारतवर्ष में प्रभावित किया

जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में नित नई-नई गगनचुम्बी इमारतें बनती जा रही हैं और पिछले दिनों बाराखम्बा रोड़, कनाट प्लेस और राजेन्द्र प्लेस में कई बहु-मंजिली इमारतों में अग्निकाण्ड हुआ था। जो व्यक्ति इन इमारतों की 12वीं, 14वीं या 15वीं मंजिल पर काम करता है, अग्निकाण्ड की स्थिति में वह नीचे तक आ ही नहीं सकता, वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। उसे आसानी से सुरक्षित नीचे लाया जा सके, इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं। आग की रोक-थाम के लिए, मेरी जानकारी के अनुसार, हर इमारत में एक छोटा-सा डिब्बा रख दिया जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आग लगने पर वह छोटा-सा डिब्बा क्या कर पाएगा। मंत्री जी स्पष्ट करें कि आग लगने की स्थिति में लोगों की सुरक्षा और इमारतों को अग्निकाण्ड से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री बलबीर सिंह : गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण हेतु सम्बन्धित गाइड लाइनें बनाने के लिए हमने अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से भी इस मामले पर राय ली गई और सरकार ने दिसम्बर, 1987 में सिफारिशें प्रस्तुत कीं। माननीय सदस्य का जहां तक कहना है कि इनमें आपात रास्ते वगैरह नहीं होते हैं, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जो हाई-राइज बिल्डिंग होंगी, उनमें आपात रास्ते भी होंगे और फायर वगैरह के प्रोविजन्स भी पूरे होंगे। शासन इस बारे में बराबर सजग है। जो गगनचुम्बी इमारत होंगी उनमें 25 परसेंट एरिया में ही बिल्डिंग बनेंगी और 75% एरिया खाली छोड़ा जाएगा। ताकि बाकी अमेनिटीज उसमें दी जा सकें।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि पहले क्या नियम था, अभी क्या नियम है और जो संशोधन किया है वह क्या किया है और उस पर अमल हो रहा है या नहीं, यदि नहीं हो रहा है, तो उस पर अमल कराने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जो दिल्ली में बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता है कि दिल्ली में भूकम्प के झटके भी लगते रहते हैं। आज के पेपर में भी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन भवनों को मजबूती से बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कोई निदेश दिया है, कोई आदेश दिया है और पहले जो इमारतें बनी हैं, उनके लिए कार पार्किंग की जो दिक्कत हैं, उसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप बताइये। ये गोल-मोल उत्तर मत दीजिये, सीधा बताइये। मैंने हैदराबाद के लिए पूछा था, तो भी आपने गोल-मोल उत्तर दे दिया। यदि करना है, तो हां, यदि नहीं करना है, तो न, साफ-साफ बताइए ?

श्री बलबीर सिंह : माननीय सदस्य, हैदराबाद से दिल्ली तक बस से आना चाहते हैं, तो मैं आपकी सरकार को इस बारे में लिखूंगा। जहां तक गाइड लाइन्स का सवाल है कि वे क्या हैं और क्या संशोधन किए हैं, मैं आपको सैपरेटली भिजवा दूंगा। जो संशोधन हुए हैं, उनके अनुसार टोटल एरिया का 25 परसेंट बिल्ड-अप एरिया होगा और 75% खाली छोड़ा जाएगा। आपने यह भी कहा कि पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। हमने इसमें जो 75% एरिया खुला छोड़ा है, वह पर्टीकुलरली इसीलिए छोड़ा है कि उसमें सारी अमैनिटीज हों, पार्किंग की सुविधा, फायर, इत्यादि की व्यवस्था की सारी बातें उसमें देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह : महोदय, मन्त्री जी कहते हैं कि ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए कई संशोधन किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या लिटन के नगर,

नई दिल्ली में कनाटप्लेस में बाराखम्बा रोड तथा कुछ अन्य स्थानों पर ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। क्या कोई ऐसी भविष्य की योजना है जिसमें आप इस बात पर सहमत हुए हो कि सरकार इन ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए सहमत हुई हो। महोदय, शुरू-शुरू में इनका निर्माण कनाट प्लेस, कर्जन रोड तथा आस-पास के कुछ क्षेत्रों में हुआ। किन्तु अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रोड पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं। यदर्थ अनुमति प्रभाव का इस्तेमाल करके तथा अन्य तरीकों से दी गई है। क्या सरकार इस बारे में कोई निश्चित योजना बनाएगी कि नई दिल्ली में इन ऊंचे भवनों का निर्माण कहां पर किया जाएगा तथा कहां पर नहीं किया जाएगा। क्या पर्यावर्णीय प्रमाद के मूल्यांकन के बारे में कोई अध्ययन किया जाएगा ताकि प्रभावशाली लोगों और भवन निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले इन तदर्थ भवनों को बनने से रोका जा सके और किसी के साथ पक्षपात करने की अनुमति न दी जाए।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, दिल्ली को सुन्दर बनाये रखा जाये, शासन भी चाहता है कि दिल्ली अच्छा शहर हो और उसका एनवायरमेंट अच्छा हो और सभी लोगों को सुविधाएं मिलें। पुरानी बिल्डिगें, पर्टिकुलरली बाराखम्बा रोड की, पहले की अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और जो हमारा मास्टर प्लान 2001 तक का है, उसमें सारी चीजों को हम देख रहे हैं। दिल्ली की जो योजनाएं हैं, चाहे गगनचुम्बी इमारतों की हों, चाहे रोड्ज की हों, इन सारी चीजों की व्यवस्था है और इनको देखते हुए ही यह किया गया है। भविष्य में भी जो बहुमंजिले मकान बनाये जाएंगें वह बिना रूल्स और रेगुलेशन्स के नहीं बनेंगे और ये अर्बन आर्ट्स कमीशन से सलाह लेकर काम करते हैं और बिना उनकी सलाह के हम परमीशन देते नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह : मैं नियमों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैंने पूछा है कि क्या यह बताया जाएगा कि भविष्य में इन ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति कहां दी जाएगी और कहां नहीं दी जायेगी।

[हिन्दी]

जैसे आज पृथ्वीराज रोड में बन गये हैं और कल कर्जन रोड पर बन गये।

[अनुवाद]

क्या आपकी भावी योजनाओं में इन स्थानों के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर बताया जाएगा।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य, यदि इसको सेपरेट करें तो इसको बताएंगे, मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं, मैं बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत गुप्त : महोदय, दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में इन ऊंची इमारतों में भयानक आग लगी है। मंत्री महोदय अब इस सदन में भविष्य में बरती जाने वाली सावधानियों, मार्ग-निर्देशों, सुरक्षापायों के सम्बन्ध में आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए मुझे याद है कि जब यह आगें लगी

थीं और इस सभा में यह मामला उठाया गया था तो इसी प्रकार के आश्वासन दिये गये थे। किन्तु किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण का धन्धा, जिसके लिए दिल्ली स्वर्ग बन चुका है, काले धन से चलता है और चाहे इन भवनों के ठेकेदार हों या मालिक अपना काम बिना किसी कठिनाई के करवा लेते हैं। मैं भविष्य के बारे में नहीं बल्कि विगत के बारे में भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में अतीत में की गई थी जैसे उदाहरण-स्वरूप बाराखम्बा रोड पर असंल भवन में लगी आग, तथा पहले सिद्धार्थ, इन्टर कांटिनेन्टल होटल में लगी आग, जिसमें कई लोगों की जानें गईं, के सम्बन्ध में की गई जांच तथा इसी प्रकार की अन्य जांचों से यह तथ्य सामने नहीं आता कि सुरक्षा की दृष्टि से इन इमारतों का डिजाइन दोषपूर्ण था, आग से बचने का कोई प्रभावी इन्तजाम नहीं था तथा आग का समय से पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि हां, तो इन विशेष मामलों में इस प्रकार की आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी को सजा दी गई है, क्या किसी को निवारक सजा दी गई है ताकि इन ठेकेदारों, डिजाइनरों और भवन निर्माताओं में डर हो कि यदि वह सुरक्षापायों की परवाह नहीं करते तो उन्हें सजा मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय इंजीनियर भी।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और वह बराबर इसमें जांच भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या-क्या खास प्रावीजन हैं, तो फायर फाइटिंग, जोनल प्लानिंग रैगुलेशन्स और बिल्डिंग बाई-लाज हैं और दूसरी और भी चीजें हैं, जैसा मैंने कहा कि हम बराबर देख रहे हैं। आपने स्पैसेफिक प्रश्न पूछा है कि क्या कार्यवाही हुई, तो यह होम मिनिस्ट्री देखेगी और वह जांच भी कर रही है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आपको इंक्वायरी का रिजल्ट भी मालूम है ?

श्री दलबीर सिंह : हमको इस बारे में अभी मालूम नहीं है, होम मिनिस्ट्री इसको देख रही है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : रिजल्ट भी इनको मालूम नहीं है ? होम मिनिस्ट्री एक्शन ले सकती है या नहीं ? लेकिन इंक्वायरी के क्या रिजल्ट निकले और क्यों यह फायर लगी, क्यों कैजुएल्टी हुई, यह मालूम नहीं है ? ये दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट करने वाले हैं, इनको यह भी मालूम नहीं है।

श्री दलबीर सिंह : होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी कर रही है, जैसे ही कुछ पता लगेगा, हम बताएंगे।

श्री श्रीपति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह जानकारी हासिल करेंगे कि जिन होटलों में आग लगी थी या जहां परेशानी हुई थी, अब वहां एक बोर्ड टांग दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि अपने खतरे पर, अपने रिस्क पर इसमें रहिए ? क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री दलबीर सिंह : अगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर होटल के बारे में बताएंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे।

भूख के कारण मौतें

[अनुवाद]

*373। श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में गत छः महीनों के दौरान भूख के कारण हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों द्वारा भूख से किसी के मरने की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : इस प्रश्न के उत्तर से प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार के पास जानकारी का एक ही साधन है और वह है राज्य सरकार। इनके पास यह पता लगाने का कोई साधन नहीं है कि इन क्षेत्रों में जोकि सूखे और लगभग अकाल जैसी स्थिति से गम्भीर रूप से प्रभावित थे। वास्तव में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। उनके पास यह पता लगाने का भी और कोई साधन नहीं है कि क्या राज्य सरकार उन्हें मामलों की जानकारी देती है अथवा नहीं। यह किसी ने नहीं कहा कि हाल के सूखे में, भुखमरी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रश्न का यह आशय बिल्कुल नहीं है।

किंतु मुद्दा यह है कि भूख के कारण हुई मौतों की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत सी रिपोर्टें आई हैं। भले ही वे सरकारी न हों। जैसा आप जानते हैं, हमारे देश के अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही एक आम स्थिति है। कुपोषण की इस देश की जनता के गरीब वर्गों में सामूहिक कुपोषण व्याप्त है। हर कोई यह जानता है। अतः जब कभी इस प्रकार की विपत्ति आती है, तो यह स्पष्ट है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो सदा कुपोषण की स्थिति में रहते हैं वे उस स्थिति से भी नीचे चले जाते हैं और भुखमरी के कारण वास्तव में मर जाते हैं। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आइं, क्या सरकार ने उनकी जांच की, चाहे राज्य सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं कहा।

उदाहरण के लिए मैंने अभी डेजर्ट मेडिकल रिसर्च काउंसिल की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख किया जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की एक सम्बद्ध संस्था है। 28 जनवरी को जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाडमेर और जोधपुर के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लोगों की मृत्यु हुई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ उस महानिदेशक, श्री एस० पी० आप्टे ने रिपोर्ट में कहा है : कोंडरा ग्राम सहित बहुत से ग्रामों में लोगों की मृत्यु हो रही है जिसका कारण कुपोषण है। निस्संदेह आप कह सकते हैं कि यह मौतें कुपोषण के कारण हुई और भुखमरी के कारण नहीं। मैं जानता हूं कि इस प्रकार से बाल की खाल निकालने का काम तो सदा चलता ही रहता है। किंतु कम से कम इन रिपोर्टों के आधार पर यह जरूरी है कि सरकार अपनी ओर से जांच पड़ताल करे।

कालाहांडी के सम्बन्ध में बहुत मत-भेद रहा है। मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं। कालाहांडी

के बारे में एक जांच बैठाई गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकहित के मुकदमे की सुनवाई के पश्चात् और जिला तथा सेशंस न्यायाधीश द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिये जाने के पश्चात् मामले की जांच के लिए कालाहांडी के जिला तथा सेशंस न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। जिला तथा सेशंस न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। जिला तथा सेशंस न्यायाधीश की इस रिपोर्ट के पृष्ठ 117 और 178 पर कहा गया है कि ∙9 वर्ष से अधिक आयु के बहुत से लोगों की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है। यह उनकी रिपोर्ट में लिखा है। किंतु उड़ीसा विधान सभा की एक समिति ने सभा को समिति—मेरे विचार में इस में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं—उड़ीसा विधान सभा की समिति ने 11-7-1987 के अपने प्रतिवेदन में कहा है कि प्रोफोर्मा इंक्वायरी···

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप पूछना क्या चाहते हैं? इन्होंने तो लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं वह कोटेशन दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : आपने यह नहीं कहा है। हम यह उन से ले रहे हैं। यह अत्यन्त संगत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें कहा गया है कि भुखमरी के कथित मामलों की समय पर उचित ढंग से जांच नहीं की गई है जैसे कि उड़ीसा राहत संहिता की धारा 39(1) के अन्तर्गत अपेक्षित थी। समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि समाचार पत्रों में, भुखमरी से हुई मौतों के सभी आरोपों की जानकारी के पश्चात् 48 घंटों के अन्दर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। किंतु ऐसा नहीं किया गया। इसी प्रकार और भी रिपोर्ट है। श्री राजीव गांधी ने दूसरे सदन के एक सदस्य को हिन्दी में एक पत्र लिखा जो इस प्रश्न के बारे में पूछताछ कर रहा था और उस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में यह कहा है :

[हिन्दी]

"मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में आपका विवरण मिला, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा जा रहा है।"

[अनुवाद]

मुख्य मंत्री श्री मोती लाल वोरा ने 1 जून को इस संवाददाता से कहा था कि प्रधान मन्त्री की ओर से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। हम क्या करें? हर कोई इन बातों से चिन्तित है। विदेशी समाचार पत्र भी कभी-कभी यह दिखाने के लिए जान बुझ कर इस बात को उछालते हैं कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। सरकार को इस से कतराना नहीं चाहिए। यदि इतने लाखों लोगों में से कहीं-कहीं कुछ लोग भुखमरी के कारण मर गये हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे गरीबी की रेखा के स्तर से नीचे का जीवन जी रहे हैं और वे कुपोषण की स्थिति में रहते हैं। यह कहना क्या मजाक है कि "जी नहीं। कुछ नहीं हुआ है। हम कुछ भी नही मानते हैं।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत पुराने और लायक हैं। इसमें जितनी भी इन्होंने लम्बी चौड़ी बात पूछी है, इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने इस बात को सियासी रंग देने की

कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, इस देश को आजाद हुए 40 साल हो गये और 40 साल के इतिहास में इस देश में एक आदमी भी भूख से नहीं मरा है। एक आदमी भी यानी सिंगल आदमी भी भूख से नहीं मरा।···(व्यवधान)···मैंने भाषण तो दिया ही नहीं, मेरी बात तो सुनेंगे आप । आप सुनने की कृपा करिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : उन्हें जांच करने दीजिए। तंजौर में हजारों लोग भुखमरी से मर गये। केरल में भी लोग मरे।

डा० दत्ता सामन्त : उन्हें जांच करने दीजिए।

श्री तम्पन थामस : यदि आप संसदीय समिति में कुछ जिम्मेदार लोगों को नियुक्त करेंगे तो यह सिद्ध होगा ।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : कालाहांडी जिले में 400 मरे हैं, आपको पता नहीं।

श्री भजन लाल : मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है। आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बता रहे हैं ।

श्री भजन लाल : इस मामले को कमेटी को भेज देना। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह पूछा था कि जब यह पत्र··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं नहीं पूछना चाहते तो मैं आगे बढ़ जाता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने दें तो न। क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : आप मेरी बात तो सुनेंगे न ।···(व्यवधान)···आप जीरो आवर में कहिये।···(व्यवधान)···आपने 20 मिनट बात की है, 10-12 मिनट में सवाल पूछा है उसका 10 मिनट में जवाब तो दूंगा, उससे आधे टाइम बोलने का अधिकार तो मुझे भी होगा, इस हाउस में। आप मेहरबानी करके मेरी बात सुनिएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह शोर करने से क्या फायदा है, वह बता रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते रहिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष जी, मैं अर्ज कर रहा था और यह बताना चाह रहा था, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ अखबारों में यह खबर छपी, यह बात ठीक है, एक दो अखबारों में यह खबर छपी है कि भूख की वजह से कुछ लोग राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में मरे और एक दो हवाले भी उन्होंने दिए। अखबार में बात छपी तो हमने फौरन स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन्क्वायरी की और भारत ने तो अण्डर सैक्रेटरी लेविल का एक अधिकारी मौके पर भेजा जोकि

राजस्थान और गुजरात की सीमा पर गांव पड़ता था, उस गांव की आबादी 1100 के करीब है और वहां पर एक सुसाइड का केस हुआ···जो हकीकत है वह मैं आपको बता रहा हूं कि सूसाइड का केस हुआ। अब अगर सूसाइड का केस हुआ हो और उसके लिए कोई कह दे कि भूख की वजह से मरा तो ··(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सूसाइड इनडाइजेस्चन की वजह से किया या स्टार्वेशन की वजह से किया ···(व्यवधान)

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा कीजिए। मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं। बाकायदा वहां पर जाकर गांव के मुखियाओं से हमारे अण्डर सेक्रेटरी ने पूछा। श्री केशवभाई शाह, गांव के मुखिया··· व्यवधान) श्री मीना भाई शाह, रहीम भाई, जमील भाई से उस गांव में जहां घटना घटी तथा आस-पास के गांवों में जाकर पूछा और वाकायदा उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जहां भूख से कोई मरा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सूखा पड़ने की वजह से भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को पिछले दो सालों में छह लाख टन गेहूं दिया गया है। इसी तरह से 3 लाख टन गेहूं गुजरात को भी दिया गया है। इस तरह से जहां भी बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया वहां पर सरकार पूरी-पूरी मदद करती है ताकि लोगों को तकलीफ न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं···(व्यवधान) आप सुनने की कृपा करें तभी काम चलेगा। क्या कभी आपने अपनी प्रदेश गवर्नमेन्ट से भी पूछा है क्या ? आपको प्रदेश की गवर्नमेन्ट से भी पूछना चाहिए। हमारी एन०आर०ई०पी०, आर० एल०ई०जी०पी०, आई० आर० डी०पी०—इन तीनों स्कीमों के तहत तकरीबन 3800 करोड़ रुपया पिछले दो सालों में लोगों को दिया है ताकि लोगों को काम और रोजगार मिल सके। जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी आबादी इस देश में करीब साढ़े 22 करोड़ है। हमारी तरफ से 9 करोड़ लोगों को रोजगार के साधन मुहैया किए गए हैं ताकि उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। भारत सरकार यथासम्भव पूरी सुविधा देती है। उसके बाद भी सियासी आदमी अगर सरकार को बदनाम करने के लिए गलत प्रचार करने की कोशिश करें तो यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

मैं बंगाल के बारे में भी बताना चाहता हूं, जहां से कि माननीय सदस्य आते हैं। (व्यवधान) बंगाल के लिए जो पैसा हमने दिया उसके टोटल का 60 परसेंट ही वहां पर खर्च किया गया, 40 पर-सैन्ट खर्च भी नहीं हुआ और आजतक एकाउन्ट भी नहीं दिए हमको। (व्यवधान) आप मेरे पास आयेंगे तो आपको बताऊंगा कि रिकार्ड क्या है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस देश में सरकार किसी को भी भूख से मरने नहीं देगी और न ही कोई भूख से मरा है। एक मिथ्या प्रचार सरकार को बदनाम करने के लिए ही किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की पूरी गहराई में जाएं, मौके पर जाकर देखें और इंक्वायरी करें और उसके बाद अगर यह साबित कर सकें कि एक आदमी भी भूख से मरा है तभी वे कह सकते हैं कि सरकार सही नहीं बोलती है। आजतक एक आदमी को भी सरकार ने भूख से नहीं मरने दिया है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भजन लाल, भजन लाल नहीं रहेंगे यदि वह इस प्रकार उत्तर नहीं देंगे। वह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं···

[हिन्दी]

हमने सियासी रंग लगा दिया, यह उन्होंने कह दिया लेकिन वे खुद क्या बोले हैं? यह नेक्स्ट एलेक्शन के लिए भाषण हो रहा है क्या? मैंने जो पूछा था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। जो इंडेपेन्डेन्ट साइंटिफिक प्रोफेशनल बाडीज़ हैं जैसे कि आई०सी०एम०आर० है जोकि आपकी बाडी है, मेरी बाडी नहीं है, उसका आदमी जब इस किस्म की रिपोर्ट देता है तो क्या आप उसकी नौकरी खत्म कर देंगे कि वह क्यों ऐसा बोला? या आप उसकी कोई इंडेपेन्डेन्ट इंक्वायरी करने की बात करेंगे? जो सीनियरमोस्ट आदमी आई०सी०एम०आर० का है वह अपनी इंक्वायरी करके यह रिपोर्ट दे रहा है तो आप अपना कर्त्तव्य नहीं समझते कि उस रिपोर्ट के बारे में पूरी जांच करवायें? अगर जांच करवाई है तो उसके रिजल्ट के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। आप तो इलेक्शन का भाषण देने लग गये। इसलिए आप उसके बारे में जवाब दीजिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय मैंने पूरी तफसील के साथ बताया है कि किसी एक आदमी की भी मौत भूख की वजह से नहीं हुई है इस देश में। मौत के अनेक कारण हो सकते हैं। देश में रोज बहुत से लोग मरते है क्या आप कहेंगे कि वे भूख से मर गये? लोग आपस के झगड़े में मर सकते हैं, आपस में लड़कर खुदकशी भी कर सकते हैं। आपस में किसी और विरोध के कारण हादसा कर सकते हैं और उसका क्लेम सरकार पर लगा दिया कि भूख से मर गया, तो यह मुनासिब बात नहीं है। जो कुछ भी आपने कहा है, उसको भी दिखवा लेंगे कि उसमें क्या सच्चाई है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को जो रंग दिया गया है, यह मेरे क्षेत्र बाड़मेर जिले की ही है। मैं खुद गांव में गया था, कुपोषण की स्थिति की वजह से भयंकर स्थिति है, इसमें दो राय नहीं हैं। कुपोषण के कारण बीमार पड़ कर उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन भूख से मृत्यु नहीं हुई है···(**व्यवधान**)···मैं आपको सही बता रहा हूं।···(**व्यवधान**)···कोई गलत बात नहीं बताऊंगा···(**व्यवधान**)···कुपोषण से मृत्यु हुई है, भूख से मृत्यु नहीं हुई है। जो खाना उनको मिलता है, मैं वह भी देखकर आया हूं। गेहूं की रोटी मिलती है और गेहूं की रोटी के साथ खाना खाते हैं। लेकिन गरीब आदमी की स्थिति यह है कि मिर्च के साथ वे उसका सेवन करते हैं। आवश्यकता यह है कि उन लोगों को दाल कुछ-न-कुछ मिलनी चाहिए, उनको हरी सब्जी मिलनी चाहिये। उनको छाछ मिलती थी, उसके मिलने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। डैजर्ट-सैन्टर की जो रिपोर्ट है, वह बहुत अलार्मिंग है। वास्तव में स्थिति एलार्मिंग है। राजस्थान सरकार की कोशिशों से उनको ग्रेटिचुअस रिलीफ दी जा रही है, व्हीट-डिस्ट्रिब्यूट किया जा रहा है। यह कुछ थोड़े से क्षेत्रों में स्थिति है, दूसरे क्षेत्रों में यह स्थिति नहीं है। इसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए, ताकि सरकार, राजस्थान सरकार, इस स्थिति का मुकाबला कर सके?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि खुराक में प्रोटीन की कमी होने की वजह से, इंसान को जितना चाहिए उतना नहीं था, उनमें कमजोरी आ गई, वीकनैस आई और उनकी डैथ हो गई। इस चीज़ से क्या अन्दाजा लगाया जा सकता है। बहुत सी जगहों पर मिर्च और प्याज के साथ रोटी खाते हैं। सब्जी कई जगहों पर नहीं मिलती है। देहातों में कई जगहों पर सब्जी नहीं मिलती है तो चटनी से खाना खाते हैं। हमने जाकर देखा है। यह बात भी ठीक है कि सूखा पड़ने की वजह से राजस्थान में पशुओं की बड़ी दिक्कत आ गई है। दुधारू पशु नहीं रहे तो छाछ की दिक्कत है। आम तौर पर गरीब आदमी छाछ के साथ रोटी खाकर गुजारा करता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, आप देहात में रहे हैं। छाछ के साथ चने का आटा मिलाकर कड़ी बनाते हैं, छाछ के साथ बाजरे का आटा मिलाकर राबड़ी बनाते हैं···(**व्यवधान**)···हां, हां—आपको क्या पता कि छाछ से

कड़ी बनती है। आप तो हवाई जहाज में चढ़ने वाले आदमी हैं, आपको क्या पता है, यह तो देहात वालों को पता है कि कड़ी कैसे बनती है···(व्यवधान)···राव साहब आपके पड़ोस में बैठें हैं, वे बताएंगे कि कैसे बनती है···(व्यवधान)···आपको क्या मालूम, आप हलवा खाने वाले आदमी हैं ···व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय आप इनकी तसल्ली करें कि छाछ से क्या-क्या चीजें बनती हैं। सरकार की तरफ से बाकायदा सस्ते अनाज की दुकानें खोल रखी हैं। ऐसे अन्दरूनी क्षेत्रों में जहां चीजें मिलने में दिक्कत आती है ताकि उनको सस्ते भावों पर आटा, दाल, नमक, मिर्च और रोजाना जरूरियात की चीजें मिल सकें। इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिये बाकायदा रिटेल दुकानें खोल रखी हैं। सरकारी सैक्टर में भी और सरकार की तरफ से भी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके और लोगों को तकलीफ न हो। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि कहीं से भी भूख से मरने की कोई शिकायत नहीं है। हां, बीमारी से मर सकता है, कोई और बात हो सकती है और कई और कारण हो सकते हैं। लेकिन आजतक सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया और न आगे सरकार भूख से किसी को मरने देगी।

कृषि-जलवायु क्षेत्र

[अनुवाद]

*374. प्रो० नारायण चन्द पराशर†
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
: क्या कृषि मन्त्री देश की विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बांटने के बारे में 16 नवम्बर, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-जलवायु क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कृषि-जलवायु क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इनके अन्तर्गत किस-किस क्षेत्र को शामिल किया गया है; और इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताबित योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये क्षेत्र कब तक निर्धारित कर लिये जाएंगे और इस बारे में विस्तृत योजनाएं कब तक तैयार कर ली जाएंगी ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। योजना आयोग ने देश में कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि विकास की योजना बनाने के लिए कारंवाई की है।

(ख) और (ग) 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों तथा उनके अंतर्गत आने वाले इलाकों का ब्योरा (परिशिष्ट-1) सभा पटल पर रख दिया गया है।

योजना आयोग ने प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल स्वरूप, वानिकी, पशुपालन और कृषि वस्तुओं के परिसंस्करण कार्यों के बारे में सुझाव देने के लिए एक उप-दल का गठन किया है, जिसमें कृषि विभाग, योजना आयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों

के प्रतिनिधि शामिल हैं।

परिशिष्ट-1

कृषि जलवायु क्षेत्र

योजना आयोग ने कृषि सम्बन्धी योजना के प्रयोजन के लिए देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान के प्रयोजन के लिए देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इन 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश का हिमालय क्षेत्र पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।
2. पूर्वी हिमालय क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र, असम तथा सम्बद्ध पहाड़ियां, असम की पहाड़ियां, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा।
3. गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल के मैदान का क्षेत्र।
4. गंगा का मध्यवर्ती मैदामी क्षेत्र	उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी बिहार के मैदानी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश।
5. गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र	केन्द्रीय उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
6. गंगा पार के मैदानी क्षेत्र	दिल्ली, पंजाब के मैदानी क्षेत्र (उत्तर) दक्षिणी तथा केन्द्रीय पंजाब, राजस्थान।
7. पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र	बिहार छोटा नागपुर, पठार, पश्चिम बंगाल पठार, उड़ीसा इन्लैंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुख्य गंगा तथा पहाड़ी प्रभाग।
8. केन्द्रीय पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र	बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश), उत्तरी मैदानी क्षेत्र तथा पठार (मध्य प्रदेश) केन्द्रीय पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र (मध्य प्रदेश), विन्ध्या पहाड़ी क्षेत्र तथा पठार (मध्य प्रदेश), राजस्थान के मैदानी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र, राजस्थान पठार।
9. पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र	खान देश, मेरोठवाड़ा एवं महाराष्ट्र के वेरार, मध्य प्रदेश के मानवा पठार।
10. दक्षिणी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश के तेलगंना, रॉयल सीमा तथा चित्तूर मद्रास इन्लैण्ड, मैसूर पठार, कर्नाटक पठार

11. पूर्वी तटीय मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्र	तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र, मद्रास, पूर्वी तटीय तमिलनाडु का डेल्टा तमिलनाडु का दक्षिणी भाग और पांडिचेरी।
12. पश्चिमी तटीय मैदानी तथा घाट क्षेत्र	तमिलनाडु के पश्चिमी तटीय तथा नीलगिरी मण्डल, केरल, मैसूर के तटीय एवं पहाड़ी मण्डल, महाराष्ट्र के कोकन तथा गोवा
13. गुजरात के मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्र	गुजरात के मैदानी तथा पहाड़
14. पश्चिमी सूखा क्षेत्र	पश्चिमी सूखा क्षेत्र
15. प्रायद्वीप क्षेत्र	प्रायद्वीप

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : प्रश्न देश को विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटने के बारे में था। संभवत: पूरे देश को ही बांटना था। किन्तु लगता है कि दुर्भाग्य से बांटने वालों का भूगोल का ज्ञान बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हैं। किन्तु दूसरे भाग के बारे में आप क्या कहते हैं ? मिजोरम के बारे में क्या स्थिति है मेघालय के बारे में आप क्या कहते हैं ? क्या वह किसी भी कृषि जलवायु क्षेत्र के हिस्से में नहीं हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सारे मुल्क को 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है ताकि देश में वहां की आबोहवा के मुताबिक वहां की मिट्टी के मुताबिक उस एरिया में फसल लगाई जा सके। कौन से एरिया में कौन सी फसल अच्छी कामयाब हो सकती है, इस बात को लेकर 15 जोन में बांटा गया है सारे मुल्क को। अभी यह कम्पलीट नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदा सर्वे करके अंदाजें से ये जोन बनाये गये हैं और इस प्रकार यह चालू करेंगे। स्टेटें जो हैं, उनका नुमायन्दा भी इसमें होगा, योजना आयोग का एक नुमायन्दा होगा, कृषि विभाग का एक नुमायन्दा उसमें होगा, आई० सी० ए० आर० का एक नुमायन्दा होगा और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का एक नुमायन्दा उसमें होगा और पूरी तह में जाकर आने वाले पांच, छ: महीने में इसको कम्पलीट करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई तकलीफ होगी, तो कोशिश करके उसका समाधान किया जायेगा। सारे मुल्क में वायुमंडल के हिसाब से, आबोहवा के हिसाब से अच्छी पैदावार लेने के लिए यह सारी कार्यवाही की गई है। प्रधान मन्त्री जी ने एक शानदार फैसला लिया है ताकि उत्पादन किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मेरा प्रश्न सरल था; किन्तु अब मन्त्री महोदय ने कहा है कि क्षेत्रों के बांटने का काम पूरा नहीं किया गया है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि बांटने का काम किस तारीख को आरम्भ किया गया था, इस अधूरे बांटने में कितना समय लगा है, और बांटने का काम पूरा होने में सम्भवत: किया समय लग जाएगा और उसके सही विशिष्ट विवरण क्या हैं क्योंकि कुछ क्षेत्र छोड़ दिये गये हैं ?

दूसरा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन क्षेत्रों का निर्धारण करने वालों को और इनका विकास करने वालों को वास्तव में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गये हैं; और क्या इन कृषि—जलवायु क्षेत्रों की ओर

विशेष ध्यान देने के लिए इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय-केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश को छोड़ने का सवाल नहीं है। सारे प्रदेश इसमें कवर होंगे और यह जो जोन बनाने की बात है, अभी 1987 में बाकायदा काम स्टार्ट किया है और जैसा कि मैंने पहले कहा, 6 महीने में इसको कम्पलीट कर देंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, ये जो जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं क्योंकि जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पश्चिमी सूखा क्षेत्र जो नं० 14 पर है, उसको भी शामिल किया है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी सूखा क्षेत्र में कौन-कौन से जिले लिये गये हैं। दूसरे यह मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जो मैम्बर, लोक सभा है, उसको क्यों निगलैक्ट किया गया है।

श्री भजन लाल : इसमें मेम्बर, लोक सभा की बात इन्होंने कही। इसमें टेक्निकल और विशेषज्ञों को इस बात को देखना है। किस क्लाइमेट में, किस जोन में कौन से इलाके शामिल होने चाहिए, सूखे इलाके सूखी जोन में, वर्षा वाले इलाके वर्षा वाली जोन में शामिल किये जाएंगे। यह सब देखकर और एक-एक बात की तह में जाकर फाइनल किया जाएगा, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जो इलाका बाकी रह गया होगा तो उसे भी शामिल करने की कोशिश करेंगे।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में मिलावटी खरपतवारनाशी दवाइयों की कथित बिक्री

[अनुवाद]

*367. **श्री सीताराम जे० गावली**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1988 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के विभिन्न भागों में मिलावटी खरपतवारनाशी दवाइयों की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे राज्य में, रबी की फसल पर कितना प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस संबंध में इस बीच कोई जांच की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब में मिलावटी खरपतवार नाशी दवाइयों की व्यापक पैमाने पर बिक्री होने/उपयोग किये जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) पंजाब सरकार ने राज्य में सप्लाई किये गये गेहूं की खरपतवारनाशी दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गुणवत्ता जांच का एक गहन अभियान चलाया है। विश्लेषित 162

नमूनों में से 23 नमूनों में गलत ब्राण्ड लगे पाये गये। राज्य प्राधिकारियों ने तीन मामलों में लाइसेंस रद्द कर दिये हैं और सभी अपराधियों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही की है।

खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

*369. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
डा० कृपा सिंधु भोई } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार कम से कम और अधिकतम कितना रहा;

(ख) 1 जनवरी, 1988 को विभिन्न खाद्यान्नों के भंडार की स्थिति क्या थी;

(ग) प्रत्येक राज्य में 1 जनवरी, 1988 को खाद्यान्नों के भंडार कहां-कहां स्थित थे; और

(घ) चालू वर्ष में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राज्यवार खाद्यान्नों का कितना-कितना विशेष आवंटन किया गया ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1985 से 1987 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों के पास स्टाक की उच्चतम और निम्नतम मात्रा क्रमश: 286.7 लाख मीटरी टन और 149.6 लाख मीटरी टन थी। वर्तमान वर्ष 1988 के दौरान 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 141.4 लाख मीटरी टन का स्टाक होने का अनुमान था।

(ग) विवरण-I सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें पहली जनवरी, 1988 को स्थिति के अनुसार स्टाक की राज्यवार स्थिति दी गई है।

(घ) विवरण-II भी सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें 1987-88 के दौरान बाढ़ों/भारी वर्षा और ओलों से प्रभावित राज्यों को गेहूं और चावल के किये गये विशेष आवंटनों की स्थिति दी गई है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 1-1-1988 को स्थिति के अनुसार
खाद्यान्नों के कुल अनुमानित स्टाक

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	242.1@	68.5		310.6

1	2	3	4	5
असम	106.7	9.5		116.2
बिहार	123.8	220.0		343.8
गुजरात	75.4	557.4	6.5	639.3
हरियाणा	401.2	966.1	—	1367.3
हिमाचल प्रदेश	7.8	10.8	—	18.6
जम्मू तथा कश्मीर	65.6	31.7	—	97.3
कर्नाटक	115.9	62 2	8.4	186.5
केरल	237.4	47.9	—	285.3
मध्य प्रदेश	478.2	546.2	10.4	1034.8
महाराष्ट्र	239.4	621.7	66.0	927.1
मणिपुर	12.4	1.7	—	14.1
मेघालय	5.3	0.6	—	5.9
नागालैंड	2.9	1.1	—	4.0
उड़ीसा	112.9	36.2	—	149.1
पंजाब	2819.5	2121.3	0.1	4940.9
राजस्थान	35.2	1179.8	—	1215.0
सिक्किम	3.6	—	—	3.6
त्रिपुरा	16.4	1.6	—	18.0
तमिलनाडु	379.5	88.5	—	468.0
उत्तर प्रदेश	588.2	847.7	0.2	1436.1
पश्चिम बंगाल	340.5	103.6	—	444.1
अ० तथा नि० द्वीप समूह	1.9	2.1	—	4.0
अरुणाचल प्रदेश	5.0	0.4	—	5.4
चण्डीगढ़	6.0	नग०	—	6.0
दादर तथा नगर हवेली	0.3	0.1	—	0.4
गोआ, दमन और दीव	2.0	1.4	—	3.4
लक्षद्वीप	—	—	—	—
मिजोरम	1.5	नग०	—	1.5

1	2	3	4	5
पांडिचेरी	1.0	0.1	—	1.1
दिल्ली	55.6	40.2	—	95.8
जोड़	6483.2	7568.4	91.6	14143.2

(अ०)—अनन्तिम

नग०—50 मीटरी टन से कम

@इसमें आंध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीदी गई चावल की 1.71 लाख मीटरी टन मात्रा शामिल नहीं है।

विवरण-II

1987-88 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा और ओलों से प्रभावित राज्यों को गेहूं और चावल के किये गये विशेष आवंटन

(मीटरी टन में)

राज्य का नाम	किये गये विशेष आवंटन		
	गेहूं	चावल	जोड़
पंजाब	2,00,000	—	2,00,000
हिमाचल प्रदेश	27,000	—	27,000
जम्मू तथा कश्मीर	25,000	15,000	40,000
जोड़	2,52,000	15,000	2,67,000

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां नियमित करना

[हिन्दी]

*370. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में तैयार की गई 612 अनधिकृत कालोनियों की सूची में से 49 कालोनियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या वर्ष 1981 तक बनी अनधिकृत कालोनियों में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है;

(घ) क्या इन कालोनियों में मुख्य सड़कें भी पक्की कर दी जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अनधिकृत कालोनियों के वास्तविक सर्वेक्षण के बाद, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1977 में 607 कालोनियों की एक सूची तैयार की थी। इनमें से 56 कालोनियां तकनीकी समिति के निर्णय के अनुसार नियमितिकरण के योग्य नहीं हैं।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 1 जनवरी, 1981 तक बनी इन अनधिकृत कालोनियों की पात्रता के लिए दिल्ली नगर निगम के नगर नियोजक के प्रमाणन की शर्त पर बिजली मुहैया करने के अनुरोधों पर विचार कर रहा है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सहकारी समितियां

* 371. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितने सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जो एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी समितियों ने पिछले पांच वर्षों से अपने खातों की लेखा परीक्षा नहीं कराई है;

(ग) कितनी समितियों ने पंजीकरण के नवीकरण के सम्बन्ध में कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार पंजीकरण का नवीकरण नहीं कराया है; और

(घ) उनमें से कितनी समितियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) छब्बीस बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में हैं।

(ख) चार बहु-राज्य सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा बकाया है।

(ग) दिल्ली में लागू सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत, पंजीकृत माना जाता है। पंजीकरण के नवीकरण के लिए कानून के अंतर्गत न तो पंजीकरण का नवीकरण कराए जाने की आवश्यकता है और न ही बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 में ऐसा कोई प्रावधान है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल के तेल का आयात

[अनुवाद]

*375. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987 के दौरान नारियल के तेल का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किन देशों से इसका आयात किया गया था;

(ग) नारियल के तेल का आयात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नारियल के तेल के आयात के कारण इसके मूल्य में अचानक गिरावट आने से देश में नारियल उत्पादकों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों में संशोधन

*376. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत बने नियमों में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उस अवधि में जिसके भीतर घोषणा की जाए, वृद्धि करने की दृष्टि से नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन), नियमावली, 1976 के नियम 11 में संशोधन का प्रस्ताव किया था। इस मामले की जांच करने पर, यह पता चला कि प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति न दी जाए, जिससे पूर्व प्रभावी रूप से कतिपय निहित अधिकार प्रभावित हों, महाराष्ट्र सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

उचित दर की दुकानों की सुविधा केवल निर्धन लोगों तक सीमित करना

*377. **श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों से खरीददारी की सुविधा केवल निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) देश की समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाणी के तहत आती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लक्षित समूह अभिमुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। यह एक नीति सम्बन्धी मामला है, जिसके साथ व्यापक वित्तीय, प्रशासकीय और अन्य अनेक बातें जुड़ी हुई हैं। तथापि, समाज के गरीब तथा दुर्बल वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों से कहा गया है कि वे अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें, मोबाइल वेनों को कार्य पर लगाएं, जहां आवश्यक हो वहां नये राशन कार्ड जारी करें। इस दिशा में, एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में तथा आदिवासी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने की एक योजना नवम्बर, 1985 में आरम्भ की गई थी। इस योजना का लाभ अधिकांशत: इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को प्राप्त होता है।

पश्चिम बंगाल को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि

*379. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल को वर्ष 19 7-88 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के लिए पश्चिम बंगाल हेतु कार्यक्रमवार केन्द्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीजें निम्नलिखित हैं

(लाख रुपये में)

	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज (20-2-88 तक)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)	2362.548	2271.332
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)		
नकद निधियां	27 4.00	2587.18*
खाद्यान्नों का मूल्य	864.04	864.04

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)		
नकद निधियां	3609.00	3070.00**
खाद्यान्नों का मूल्य	1329.28	1154.16

*राज्य सरकार द्वारा 1986-87 के दौरान दी गई 150.68 लाख रुपये की अग्रिम सबसिडी और कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को पहले किये गये 46.14 लाख रुपये के अधिक भुगतान के समायोजन दावों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण कटौती की गई शेष राशि।

**नकदी आबंटनों की शेष धनराशि रिलीज नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य के पास पिछले वर्ष की रिलीजों में से 1-4-1987 को अगले वर्ष में ले जाई गई बकाया राशि, अनुमेय राशि से अधिक थी।

केरल में काजू का उत्पादन

*380. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में काजू का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और यह राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत था;

(ख) केरल में हरे काजू की प्रति वर्ष कितनी मात्रा बेकार चली जाती है;

(ग) क्या हरे काजू के लाभकारी उपयोग से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव है ताकि काजू उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) भारत में विभिन्न राज्यों के लिए काजू उत्पादन से सम्बन्धित कोई सरकारी अनुमान नहीं है, क्योंकि यह पूर्वानुमान को जानने वाली फसल नहीं है। तथापि, 1985-86 में केरल में मोटे तौर पर काजू का उत्पादन लगभग 1,28,900 मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत बनता है। 1986-87 और 1987-88 वर्षों के लिए काजू के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राज्य में उपयोग नहीं किये गये हरे काजू के सम्बन्ध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के सम्बन्ध में उत्पादकों को शिक्षित करके, हरे काजू का उपयोग लोकप्रिय बनाने के लिए 1987-88 में एक योजना मंजूर की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2400 उत्पादकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य व्यवस्था

*381. **श्री हरीश रावत** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र अर्थात पश्चिम बंगाल और असम में निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का संस्थागत ढांचा क्या है;

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र में सर्वेक्षण, भारी टी० एण्ड पी० तथा मशीनों इत्यादि की सप्लाई सहित सभी निर्माण-कार्य विभाग द्वारा अथवा ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं;

(ग) यदि ये निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से ही किये जाते हैं तो इन्हें विभाग द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पूर्वी क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए कलकत्ता में अथवा किसी अन्य स्थान पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कोई डिवीजन है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख निर्माण कार्यों जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कस्टम्ज से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को हाथ में लेने से इन्कार करता रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पूर्वी क्षेत्र मे निर्माण कार्यों की देखभाल मुख्य इंजीनियर की प्राधानता एक पूर्ण विकसित अंचल (पूर्वी अंचल) द्वारा की जाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में चार सिविल और दो विद्युत परिमण्डल हैं। असम में एक सिविल और एक विद्युत परिमण्डल है।

(ख) और (ग) व्यवहार्यता और मितव्ययता पर निर्भर करते हुए यह कार्य ठेकेदारों द्वारा या विभागीय तौर पर निष्पादित किये जाते हैं। अधिकांश निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये जाते हैं क्योंकि यह अधिक मितव्ययी पाया जाता है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रतियोगिता दरें प्राप्त की जाती हैं।

(घ) पूर्वी क्षेत्र में निर्माण कार्यों की देखभाल के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 21 सिविल और 9 विद्युत मण्डल हैं। इनमें से 7 सिविल और 5 विद्युत मण्डल कलकत्ता में स्थित हैं, अन्य मण्डल भुवनेश्वर, सम्बलपुर, पटना, रांची, धनबाद, गंगतोक, शिलांग, अगरतल्ला, गुवाहाटी, बरासत, बेलूरघाट और कृष्णनगर में स्थित हैं।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पूर्वी क्षेत्र में किसी प्रमुख निर्माण कार्य को आरम्भ करने से इन्कार नहीं किया है। सीमा शुल्क विभाग के किसी कार्य या विक्टोरिया मैमोरियल काम्प्लैक्स, कलकत्ता में किसी कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन्कार नहीं किया है।

कृषि सम्बन्धी भारत-अमरीका उप-आयोग

*382. **श्री बीरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका कृषि सम्बन्धी उप-आयोग के तत्वावधान में गठित अर्थशास्त्रियों के दल ने वर्ष 1987 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रमुख सिफारिशें की गई और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां। अर्थशास्त्रियों के और बारानी खेती के दलों ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भेजी थी ?

(ख) दो अमरीकी दल भारत आये थे :—

1. बारानी खेती के विशेषज्ञों का दल; और

2. अर्थशास्त्रियों का दल। पहले ने अप्रैल, 1987 में और दूसरे ने जून, 1987 में भारत के संस्थानों का दौरा किया और उनके सदस्य भारतीय वैज्ञानिकों से मिले। दोनों दलों ने मिलकर बारानी खेती के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अनुसंधान में सहयोग करने ने सुझाव दिये हैं। इन सुझावों में मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

—किसानों को दी जा रही सरकारी रियायतों का असर देखना;

—छोटे वाटरशेड के प्रबन्ध की तकनीक अपनाने से लाभ और हानि के मुद्दे;

—जमीन का पानी इस्तेमाल करने;

—सरकारी जमीनों पर जरूरत से ज्यादा चराई;

—निजी जमीनों पर पेड़ लगाने के कृषि-वानिकी कार्यक्रम; और

—भारत में तिलहनी फसलों की खेती में विस्तार करने और पैदावार बढ़ाने और/या बाहर से मंगाने की सम्भावनाएं।

इन सुझावों पर दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच बातचीत हुई है, और आपसी मशविरे से प्रायोजनाएं बनाने पर कार्रवाई की जा रही है।

पारादीप में मत्स्य पत्तन

*383. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में पारादीप में एक आधुनिक मत्स्य पत्तन का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) प्रारम्भिक चरण में कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(ङ) प्रस्तावित मत्स्य पत्तन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राउरकेला में धातुमल (स्लैग) पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना

*384. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के धातुमल (स्लैग) पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु उसका शिलान्यास 1987 में किया गया था;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को आशय पत्र भी जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड राउरकेला में शीघ्र ही इस संयंत्र को स्थापित करेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० (फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) धातु मल (स्लैग) पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना का निर्णय, पूर्वी क्षेत्र में मांग-सप्लाई के सम्भावित अन्तराल, राउरकेला में धातु मल (स्लैग) की अतिरिक्त उपलब्धता और इस प्रकार की परियोजना के लिए योजना में धन की व्यवस्था पर निर्भर करेगा ।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में क्वार्टरों में अलग रसोई घर की व्यवस्था

*385. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में टाइप-एक के क्वार्टरों के आवंटितियों से उनके क्वार्टरों में अलग रसोईघर की व्यवस्था करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों और प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों में इस श्रेणी के क्वार्टरों में यह सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो पंचकुइयां रोड स्थित क्वार्टरों में भी यह सुविधा कब उपलब्ध कराई जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे क्वार्टरों और प्रभावित हुए परिवारों की संख्या 720 है।

(ग) और (घ) सन 1985 से टाइप-i के क्वार्टरों में अलग से रसोई की व्यवस्था की जा रही है। जबकि पंचकुइयां रोड के क्वार्टरों में रसोई के रूप में दूसरे कमरे में चूल्हा, शेल्फ, नल तथा मोरी की सुविधाएं हैं, फिर भी इन क्वार्टरों में अलग से रसोई की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है ।

न्यूनतम मजदूरी में संशोधन

3885. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजदूरी में अन्तिम बार कब संशोधन किया गया था ;

(ख) क्या निकट भविष्य से इसमें संशोधन किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की स्वीकृति के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ङ) खानों और निर्माण रोजगारों में जहां केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, न्यूनतम मजदूरी दरों का अक्तूबर, 1986 में पिछलीबार संशोधन किया गया। श्रम मंत्री का सम्मेलन जुलाई, 1980 में आयोजित हुआ जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 पाइन्टों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, मजदूरी दरों का संशोधन होना चाहिए। मई, 1987 में हुए श्रम मंत्री के सम्मेलन में इसकी पुनराबृति की गई। इन रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों का चयन

3886. **श्रीमती लाल हुंसदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिऐ व्यक्तियों के चयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग की टिप्पणियां/राय क्या हैं; और

(ख) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एक फील्ड अध्ययन किया था और उस पर रिपोर्ट अगस्त 1984 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में लोगों के चयन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने छठी योजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया था और 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अध्ययन में 33 जिलों को कवर किया गया था जिनमें से एक पश्चिम बंगाल में था। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल में लाभार्थियों का चयन ग्राम सेवकों की सहायता से ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया था तथापि, लाभार्थियों के चयन के समय ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई थी और लाभार्थियों के चयन में बैंकों को भी शामिल नहीं किया गया था।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने वाले विभिन्न निकायों की टिप्पणियों को नोट किया जाता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों से उचित कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है। केन्द्र में भी विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों द्वारा की गई टिप्पणियों और दिए गये सुझावों के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देशिकाओं में उपयुक्त संशोधन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययनों सहित छठी योजना के दौरान किए गए मूल्यांकन अध्ययनों की टिप्पणियों के आधार पर सातवीं योजना के दौरान गरीबी की रेखा को ऊपर उठाया गया है, प्रति परिवार अधिक निवेश की परिकल्पना की गई है, छठी योजना के दौरान सहायता किए गए जरूरतमन्द परिवारों को पूरक सहायता दी जा रही है। साथ ही, समानता की पद्धति के बजाय चयनात्मकता की नीति को अपनाने, लाभार्थियों की समितियां बनाने, सम्पर्कों को सुधारने, गतिविधियों का विविधीकरण करने, कार्य-योजनाओं के अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, ऋण वितरण तथा बीमे की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु परिवर्तन किए गये हैं।

भारतीय इस्पात संयंत्रों को इस्पात की मदें सप्लाई करने हेतु उत्पादक-संघ बनाना

3887. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच जापानी इस्पात मिलों और उनके भारतीय एजेंटों ने भारतीय इस्पात संयंत्रों को इस्पात की मदें सप्लाई करने के लिए एक उत्पादक संघ बना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) "सेल" के इस्पात संयंत्रों को गोले सप्लाई करने के सम्बन्ध में जारी किये गये विश्वव्यापी टेंडरों के उत्तर में जापानी व्यापारिक घरानों द्वारा कोट किये गये मूल्य एक समान रहे हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस विषय पर पांचों जापानी कम्पनियों और भारत में उनके स्थानीय एजेंटों को जांच का एक नोटिस जारी किया है।

उड़ीसा में कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ बनाना

3888. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रसायन और अन्य खतरनाक उद्योगों में खतरों से निपटने के लिए कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुरोध तथा मन्जूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक मन्जूर किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) कारखाना अधिनियम, 1948 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ अधिनियम उन्हें शक्तियां प्रदान करता है कि वे कारखानों के पंजीकरण तथा उन्हें लाइसेंस देने के लिए शुल्क लगाएं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें उड़ीसा शामिल है, के निरीक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी औद्योगिक प्रयोगशालाओं के लिए सहायता दे रही है। इसके अलावा, उड़ीसा सरकार ने अपने कारखाना निरीक्षणालय के गठन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता मांगी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सहायता देना व्यवहार्य नहीं है।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी मिलों की स्थापना

3889. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ चीनी मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं। सातवीं योजनावधि के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए इस समय आशय पत्र/लाइसेंस पहले सहकारी क्षेत्र को उनके बाद सरकारी क्षेत्र और अन्त में जो निजी क्षेत्र को दिये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईस्टर्न/वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दुर्घटनाएं

3890. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान, 31 जनवरी, 1988 तक वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बालनी और सीवरा कोयला खानों में और इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की रंगा और गोरंडी कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं का स्वरूप और कारण क्या थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए/कितने गम्भीर रूप से घायल हुए/कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय और आई० एस० ओ० के द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की "रंगा" और "गौरंडी" कोयला खानों तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की "सीवरा" खान के नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय के रिकार्ड में नहीं हैं। सम्भाव्यतः माननीय सदस्य ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० गौरंडीह कोयला खान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सिलवारा खानों का उल्लेख किया है। जनवरी 1987 से जनवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं तथा मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

खान/कम्पनी	दुर्घटनाओं की संख्या		मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
	घातक	गम्भीर		
वाल्नी (डब्ल्यू० सी० एल०)	1	—	1	—
सिलवारा (डब्ल्यू०सी०एल०)	2	6	2	6
गौरंडीह (ई० सी० एल०)	2	5	2	5

खान सुरक्षा महानिदेशालय ने केवल घातक दुर्घटनाओं की जांच की जैसा कि कानून के अधीन अपेक्षित था। तथापि, प्रबंध तंत्र ने सभी दुर्घटनाओं की जांच की है।

दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण परिवहन मशीनरी, सोलिड ब्लास्टिंग, साईड का गिरना व्यक्ति का ऊंचाई से गिरना था। जिन मामलों में व्यक्तियों को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाया गया, खान सुरक्षा महानिदेशक या प्रबंधतंत्र से सेवा से बर्खास्त या निलम्बित करके या चेतावनी देकर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की थी।

राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन

3891. **श्री गदाधर साहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का प्रति मास कितना आबंटन किया गया और उन्होंने कितनी मात्रा मांगी थी; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा वास्तव में ली गई ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) तेल वर्ष 1986-87 के लिए आयातित खाद्य तेलों की मांग तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से दिसम्बर, 1987 के दौरान किया गया माहवार आबंटन और उनके द्वारा उठाई गई इकट्ठी मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेल वर्ष नवम्बर, 1986 से अक्तूबर, 1987 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयातित खाद्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तेल वर्ष 1986-87 के लिए मांग	आवंटन, 1987 जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2,01,000	6000	6000	6000	6000	6000
2.	असम	7,200	200	100	200	200	200
3.	बिहार	17,280	600	700	700	700	700
4.	गुजरात	2,08,000	6000	8500	8500	8500	8770
5.	हरियाणा	30,000	800	800	800	800	800
6.	हिमाचल प्रदेश	12,000	700	700	700	700	800
7.	जम्मू व काश्मीर	6,000	300	300	300	300	400
8.	कर्नाटक	1,12,500	3500	3500	3500	3500	3500
9.	केरल	57,000	1500	2000	2000	2000	2500
10.	मध्य प्रदेश	62,000	2020	2020	2020	2000	2000
11.	महाराष्ट्र	2,30,000	11000	11000	11000	11000	11000
12.	मणिपुर	5,960	500	500	800	800	800
13.	मेघालय	8,400	300	300	300	300	300
14.	नागालैंड	12,000	500	500	500	500	500
15.	उड़ीसा	72,000	1550	1050	1050	1050	1250
16.	पंजाब	21,600	1250	1250	1050	1050	1050
17.	राजस्थान	14,500	450	450	600	600	600
18.	सिक्किम	1,800	100	100	100	120	120
19.	तमिलनाडु	1,32,000	5000	5000	5000	5000	5000
20.	त्रिपुरा	1,736	300	300	300	300	300
21.	उत्तर प्रदेश	19,200	1600	1600	1600	1600	1600
22.	पश्चिम बंगाल	1,86,000	8700	8700	8700	8700	8700
23.	अंड० व नि० द्वीप समूह	1,200	90	90	90	90	90
24.	अरुणाचल प्रदेश	450	50	50	50	50	50
25.	चण्डीगढ़	1,200	80	80	80	80	80
26.	दादर व नगर हवेली	1,080	50	50	50	50	50
27.	दिल्ली	35,000	1700	1700	1700	1700	1700
28.	गोवा द० व दीव	5,640	400	400	400	400	400
29.	लक्षद्वीप	200	40	40	40	40	40
30.	मिजोरम	3,000	200	200	200	200	200
31.	पाण्डिचेरी	7,200	500	500	500	500	500

तेलों की मांग तथा उन्हें माहवार आबंटित की गई मात्रा और उनके द्वारा उठाई गई इकट्ठी मात्रा

(मात्रा मी० टनों में)

जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसंबर	1987 में उठाई गई इकट्ठी मात्रा
9	10	11	12	13	14	15	16
6800	7000	15000	18000	21000	21000	21000	1,22,606
300	300	500	600	800	800	800	2,396
600	600	1400	2000	3000	3600	3100	10,414
9570	10000	21000	22000	24000	24000	24000	1,48,688
1000	900	1500	1900	2500	2500	2500	8,657
700	800	2000	2100	2600	2600	2600	10,611
400	600	1100	1300	2100	2100	2100	6,185
3900	4000	7000	9000	11000	11000	11000	69,270
2500	3000	8500	8500	11000	11000	11000	53,835
2300	2500	4500	8000	10000	10000	10000	34,575
11800	13200	20500	24500	27000	27000	27000	1,92,649
800	800	800	1000	1200	1200	1200	8,819
400	400	500	700	900	900	900	4,390
500	500	800	1000	1000	1000	1000	8,224
1400	1600	3500	3800	4800	4800	4800	22,252
1250	1150	2000	2000	2400	2400	2400	12,886
900	700	1500	5000	5000	5000	5000	22,709
170	150	250	350	450	450	450	1,264
5000	6000	8700	11000	13000	16000	16000	93,343
300	300	500	500	600	600	600	1,291
1000	1600	2500	8000	10000	10000	10000	17,089
9700	10500	17000	19500	22000	22000	22000	1,41,969
90	90	100	100	140	140	140	1,120
50	60	80	100	140	140	140	158
100	100	200	200	250	250	250	699
50	50	100	100	100	100	100	643
1850	2730	4650	5100	6000	6000	6000	30,115
500	500	970	1100	1450	1450	1450	7,578
120	—	—	50	70	70	70	286
250	200	400	400	500	500	500	1,980
600	600	700	800	800	800	800	4,444

केन्द्रीय सरकार के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ी केरल की पर्यटन परियोजनाए

3892. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई कितनी पर्यटन विकास परियोजनाएं निर्णय के लिए अभी लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रत्येक लम्बित परियोजना के बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को केरल सरकार से राज्य में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बारह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से चार प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपये में)

	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि
1.	मामलपुझा में जल क्रीड़ाएं	7.82
2.	पथिरामनाल में स्पीड बोट	36.72
3.	वेली में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट	13.44
4.	कोचीन में यात्री निवास	35.00
5.	वाइनाद वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें	5.53
6.	परम्बिकुलम और नेय्यार बांध वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए मिनी बसें	9.28
7.	त्रिवेन्द्रम संग्रहालय और कनाकाकन्नू महल पर प्रकाशपुंज व्यवस्था	14.82
8.	कोवलम और कोचीन के लिए लग्जरी क्रूजर्स	190.00
9.	वर्कला में समुद्रतट विहार-स्थल	नई स्कीमों पर मौजूदा पाबन्दी के कारण वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की जा सकी।
10.	5 स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	
11.	कन्नानौर में यात्री निवास	
12.	त्रिचूर में यात्री निवास	

(ग) नई स्कीमों पर मौजूदा पाबन्दी के कारण, पर्यटन मंत्रालय द्वारा लम्बित परियोजनों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कर पाना सम्भव नहीं हो सका है। इस पाबन्दी में जब कभी भी ढील दी जाएगी तब इन परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई

3893. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को लेकर कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) इस समय स्वैच्छिक मूल्य अनुशासन का पालन करने वाले वनस्पति विनिर्माताओं को उनकी मांग की 50 प्रतिशत मात्रा आयातित खाद्य तेल के रूप में 15000/- रुपये प्रति मी० टन की दर से तथा 30 प्रतिशत मात्रा 19000/- रुपये प्रति मी० टन की दर से दी जा रही है। स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

निलेश्वरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का विस्तार

3894. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निलेश्वरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के विस्तार का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम का नीलेश्वरम में अपनी मौजूदा भण्डारण क्षमता में 10,000 मीटरी टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य को 1988-89 के दौरान शुरू करने की सम्भावना है। चालू वर्ष के दौरान नये निर्माण कार्य को शुरू करने का प्रतिबन्ध होने के कारण निगम द्वारा निर्माण कार्य को पहले नहीं शुरू किया जा सका था। सरकार ने अब इस केन्द्र पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए प्रतिबन्ध में ढील दे दी है और निगम इस समय अनुमान तैयार कर रहा है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में वस्तुओं का उपलब्ध न होना

3895. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन कार्ड पर उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं तथा ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए राशन कार्डों पर गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा कंट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

3896. **श्री ग्राशकरण संखवार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य अंश सहित कुल आबंटन निम्न प्रकार है :

	(लाख रुपये में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	11651.576
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	
नकद निधियां	13024.00
खाद्यान्नों का मूल्य	4189.32
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	
नकद निधियां	8437.00
खाद्यान्नों का मूल्य	3197.20
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1305.00

नारियल के तेल के मूल्य में वृद्धि और इसका आयात

[अनुवाद]

3897. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल तेल के मूल्य में, विशेष कर तमिलनाडु में, वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में नारियल तेल का आयात किया गया और इसका आयात किस देश से किया गया ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) नारियल के तेल के मूल्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में, हुई वृद्धि का कारण सूखे की वजह से नारियल के उत्पादन में कमी आना है।

(ख) सरकार द्वारा नारियल के तेल के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

1. राज्यों को, यहां तक कि मुख्य मंत्रियों के स्तर पर भी, बार-बार सलाह दी गई है कि वे सटोरियों, जमाखोरों तथा अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

2. नारियल का उत्पादन तथा इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त परियोजनाओं को धन देना।

3. सम्बन्धित राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का अधिक आबंटन करना।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 (अद्यतन) के दौरान नारियल के तेल का आयात नहीं किया गया है।

ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

3898. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रम संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग की पिछले वर्ष नियुक्ति की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा अब तक किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक आयोग की चार बैठकें हो चुकी हैं तथा आयोग ने शुरू में खेतिहर मजदूरों की दशा, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध करने समेत अनेक क्षेत्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है।

राज्यों को चीनी के कोटे के आवंटन का मानदंड

3899. **श्री अजय विश्वास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को लेवी चीनी के मासिक कोटा के आवंटन का प्रति व्यक्ति मानदण्ड एक ही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी के मासिक कोटे 1-10-1986 को परियोजित जनसंख्या के लिए कम से कम प्रति व्यक्ति 425 ग्राम को एक-समान मासिक उपलब्धता के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

बेरोजगारों को रोजगार

[हिन्दी]

3900. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया तथा कितने व्यक्तियों के नाम रोजगार के लिये भेजे गये तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया; और

(ग) इस समय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उनकी निर्धारित आयु-सीमा पार करने से पहले रोजगार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिसम्बर, 1987 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या, इनमें से सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं, **संलग्न विवरण** में दी गई हैं।

(ख) 1986 और 1987 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरणों, अधिसूचित रिक्तियों के प्रति किये गये सम्प्रेषणों और की गई नियुक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	1986	1987
		(हजारों में)
पंजीकरण	5535.4	6011.7
सम्प्रेषण	5312.6	5412.8
नियुक्तियां	351.3	334.4

(ग) अनेक एजेंसियों में से रोजगार कार्यालय ही केवल एक ऐसी एजेंसी है जिनके द्वारा भर्ती की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, रेलवे सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगों आदि के माध्यम से भी नौकरियों के लिए भर्ती की जाती है। 1985-86 से रोजगार कार्यालयों ने नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देकर स्व:रोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी शुरू किया गया है।

विवरण

31-12-1987 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2722.0
2.	अरुणाचल प्रदेश**	

1	2	3
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	16.0
4.	असम	843.6
5.	बिहार	2708.1
6.	चण्डीगढ़	137.2
7.	दादर व नागर हवेली**	
8.	दमन व दीव*	
9.	दिल्ली	706.3
10.	गुजरात	781.4
11.	गोवा	78.2
12.	हरियाणा	579.8
13.	हिमाचल प्रदेश	349.7
14.	जम्मू व कश्मीर	127.4
15.	कर्नाटक	1012.6
16.	केरल	2990 1
17.	मध्य प्रदेश	1740.3
18.	महाराष्ट्र	2615.4
19.	मणिपुर	286.9
20.	मिजोरम	37.4
21.	मेघालय	19 1
22.	नागालैंड	23.2
23.	उड़ीसा	791.9
24.	पंजाब	619.0
25.	पाण्डिचेरी	91.6
26.	राजस्थान	831.2
27.	सिक्किम*	
28.	तमिलनाडु	2486.2
29.	त्रिपुरा	117.5
30.	उत्तर प्रदेश	2963.4

1	2	3
31.	पश्चिम बंगाल	4564.7
32.	लक्षद्वीप	7.2
	अखिल भारत योग :	30247.3

नोट : 1. *राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **इस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, लेकिन आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. चालू रजिस्टर पर सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यत: बेरोज़गार नहीं हैं।

4. पूर्णांक के कारण, आंकड़े मेल नहीं खाते।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

390 1. श्री आनन्द पाठक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कितना व्यय किया गया; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा किन-किन चालू योजनाओं और प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए 76.72 लाख रुपये की राशि रिलीज की है।

(ख) पहले से चली आ रही जिन स्कीमों और नई स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, वे इस प्रकार हैं :—

पहले से चली आ रही स्कीमें

1. मिरिक झील और रवीन्द्र सरोवर के लिए नौकाएं
2. सुन्दरवन में तैरता आवास
3. शांतिनिकेतन में पर्यटक आवास का विस्तार
4. मिदनापुर, बांकुरा ग्रामीण क्षेत्र के पश्चिमी भागों में ट्रैकिंग सुविधाएं
5. गदियारा में पर्यटक आवास
6. दुर्गापुर में मार्गस्थ सुविधाएं

नई स्कीमें

1. सुन्दरवन में तैरता आवास
2. तीस्ता और रंगीत नदियों में रिवर रेफ्टिंग
3. हुगली नदी हेतु लांच
4. मुकुतमणीपुर में पर्यटक परिसर
5. कलकत्ता में नदी तट पर एक जैटी-व-पोन्टून ब्रिज और विभिन्न तटीय सुविधाओं का निर्माण
6. मचेडा में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण
7. सागर द्वीप समूह में पर्यटक गृह का निर्माण

वनस्पति के उत्पादन की क्षमता

3902. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा वर्ष 1987 के दौरान वनस्पति का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1987 के दौरान वनस्पति की कुल कितनी मांग थी और वर्ष 1988 में कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(ग) तिलहन उत्पादकों की सहकारी समितियों को स्वदेशी तेलों के उपयोग से नये वनस्पति संयंत्र स्थापित करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1987 के दौरान वनस्पति उद्योग की कुल संस्थापित क्षमता तथा वनस्पति का उत्पादन क्रमशः 14.67 लाख मी० टन तथा 9.47 लाख मी० टन रहा है।

(ख) 1987 के दौरान खपत के रूप में आकलित की गई वनस्पति की कुल मांग 9.5 लाख मी० टन के आस-पास रही है। 5 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान के आधार पर 1988 के दौरान मांग के 10 लाख मी० टन के आस-पास होने का अनुमान है।

(ग) जहां गुंजाइश हो वहां नये वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए तिलहनों की सहकारी समितियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों और चीनी में मिलावट

3903. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों में मिलावट की जांच करने के लिए कोई तंत्र तैयार किया गया है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली में राशन की दुकानों द्वारा सप्लाई की जाने वाली चीनी में कंकड़ और पत्थर मिश्रित होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा० एल० बैठा) : (क) दिल्ली प्रशासन का खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने वाला संगठन है। जनता को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए दिल्ली में प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को उचित दर की दुकानों का निरीक्षण करने तथा दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल्स (रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट वस्तुओं के नमूने लेने की सांविधिक शक्तियां दी गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप उर्वरक संयंत्र द्वारा अधिग्रहीत भूमि

3904. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किये गये पारादीप फोस्फेटिक उर्वरक संयंत्र द्वारा कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) अब तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है किन्तु अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन सभी किसानों को, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है, मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) 2351.07 एकड़।

(ख) से (ङ) मैसर्स पारादीप फास्फैट्स लि० के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की थी और मुआवजे की सारी राशि का भुगतान भूमि अधिग्रहण पद्धति के अनुसार भूमि मालिकों में वितरण के लिए राज्य सरकार को किया गया था। अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में श्रम-घंटों की हानि

3905. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान 29 फरवरी, 1988 तक महाराष्ट्र को बिजली बन्द हो जाने से कितने श्रम घंटों की हानि हुई,

(ख) क्या उक्त अवधि में बिजली में कटौती किये जाने और कच्चे माल की कमी के कारण

लघु उद्योग और बड़े उद्योग बन्द रहे; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कितनी सहायता दी है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) बिजली की कमी के परिणाम-स्वरूप जबरी छुट्टी के कारण हानि हुए श्रम दिवसों की सूचना कलैन्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है। श्रम ब्यूरो में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1986 और 1987 के दौरान बिजली की कमी के कारण जबरी छुट्टियों से महाराष्ट्र में श्रम दिवसों की हानि क्रमशः 4732 और 15,802 थी।

(ख) हालांकि बिजली की कमी के कारण महाराष्ट्र में कोई उद्योग बन्द नहीं हुआ है लेकिन राज्य में कच्चे माल की कमी के कारण 1986 में एक और 1987 में दो प्रतिष्ठान बन्द रहे। प्रतिष्ठानों के आकार संबंधी इस सूचना के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राज्य में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को बिजली की आपूर्ति राज्य प्राधिकारियों द्वारा राज्य में कुल मांग और बिजली की उपलब्धता का ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। महाराष्ट्र को कोरबा एस० टी० पी० एस० की केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना से बिजली मिलती है। महाराष्ट्र को पड़ोसी प्रणालियों से यथा सम्भव हद तक जब कभी प्रणाली दशाएं अनुमति दें, भी सहायता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश में डाकू-विरोधी योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण

[हिन्दी]

3906. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकू-विरोधी योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिलों में कितनी सड़कों का निर्माण करवाने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी, और

(ग) उपर्युक्त सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति कब तक दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)

(क)

जिले	सड़कों की संख्या
छत्तरपुर	8
टीकमगढ़	2
पन्ना	3

(ख) जी हां।

(ग) छत्तरपुर जिले में एक सड़क स्वीकृत की गई है। अन्य सड़क-कार्यों के लिए स्वीकृति पहले से स्वीकृत कार्यों के निर्माण की प्रगति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

श्रम न्यायालयों में लम्बित मामले

[अनुवाद]

3907. **डा० टी० कल्पना देवी**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने श्रम न्यायालय हैं; और

(ख) वर्ष 1987-88 में उनमें कितने मामले दर्ज किये गये और 29 फरवरी, 1988 को श्रम-न्यायालय, में राज्यवार कितने मामले लम्बित थे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र में आने वाले मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किये जाते हैं। वे समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करते हैं और जब कभी आवश्यक होता है, और श्रम न्यायालय व औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए जाते हैं। श्रम न्यायालयों और अधिकरणों की संख्या और उनके समक्ष लम्बित पड़े विवादों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शाहदरा में केन्द्रीय व्यापार केन्द्र

3908. **श्री राम धन** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय व्यापार केन्द्र के लिए शाहदरा, दिल्ली में 60 हैक्टेयर भूमि पर योजना बनाई गई है;

(ख) यह भूमि कब और किस दर से प्राप्त की गई थी;

(ग) क्या इस केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ है; और

(घ) इस समय प्रगति की स्थिति क्या है और केन्द्र इस सम्बन्ध में कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह भूमि 30-3-70 को घोषित अवार्ड संख्या 54/69-70 द्वारा 1,100/-रुपये प्रति बीघा की दर पर अर्जित की गई थी।

(ग) जी, हां। यह कार्य लगभग चार वर्ष पहले कुछ प्राईवेट परामर्शदाताओं को सौंपा गया था परन्तु उन्होंने इस परियोजना पर कोई कार्य नहीं किया।

(घ) नये परामर्शदाताओं के साथ करार करने के बाद जिस पर आगामी कुछ ही सप्ताहों में हस्ताक्षर किए जाने हैं, संकल्पना का कार्य इसके तत्काल बाद ही आरम्भ हो जाएगा। दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा इस परियोजना को अनुमोदित करने के बाद, इस स्थान का विकास कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूमि पट्टे पर देना

3909. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बागान फसलें पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भूमि पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र के जिन संगठनों को पट्टे पर भूमि दी जानी है, उस भूमि क्षेत्र सहित उन संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को भूमि पट्टे पर आवंटित करने के मानदण्ड क्या होंगे?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बागान फसलें पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भूमि पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब के लिए कृषि अनुसंधान संस्थान

3910. **श्री कमल चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कोई नया कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का विचार है;

(ख) (यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कब से कार्य करना शुरू कर देंगे?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विधवाओं को फ्लैटों का आवंटन

3911. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण विधवाओं को फ्लैट आवंटित करता है;

(ख) यदि हां, तो 29 फरवरी, 1988 के अन्त तक गत तीन महीनो के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फरवरी, 1988 के अन्त तक गत तीन-तीन महीनों में 247 आवेदन-पत्र प्राप्त किए थे।

(ग) की गई कार्यवाही का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

प्राप्त आवेदन पत्र	किए गए आवंटन	प्रक्रियाधीन मामले	अस्वीकृत किए गये मामले
247	7	75	165

सीमेंट मजदूरों की सेवा शर्तें

3912. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मजदूर बेहतर सेवा शर्तों की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा इंडियन नेशनल एंड एलाइड वर्कर्स फैडरेशन ने सीमेंट मजदूरों की मांगों पर, जिनमें बेहतर सेवा शर्तों की मांग शामिल है, विचार करने के लिए 9.9.1986 को एक माध्यस्थम करार किया। उक्त फैडरेशन ने आन्तरिम राहत की मांग के बारे में सीमेंट उद्योग में मजदूरों द्वारा 22 जनवरी, 1988 की अर्धरात्रि से देश व्यापी हड़ताल का नोटिस दिया। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने इस मामले में संराधन कार्रवाई की। दिनांक 9.9.1986 के उपरोक्त करार के अनुसार नियुक्त किए गए विवाचकों-कर्मकारों तथा प्रबन्धतन्त्र की ओर से एक-एक ने इस मामले में मध्यस्थता की। उन्होंने तीन किस्तों में प्रत्येक कर्मकारों को 2500/रु० की एक मुश्त अग्रिम राशि देने का पंचाट दिया जिसे अन्तिम करार में समायोजित किया जाएगा तथा यह भी बताया कि अन्तिम पंचाट 31.7.1988 तक घोषित हो जाएगा। तत्पश्चात् हड़ताल के आह्वान को वापस ले लिया।

आयातित मक्खन सम्बन्धी समिति

3913. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद यूरोपीय देशों में आयात किये गये मक्खन की गुणवत्ता की जांच करने और यह जानने के लिए कि क्या यह मानव उपभोग के योग्य है, एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) कितनी मात्रा में मक्खन आयात किया गया;

(घ) देश में यह किस वर्ष के किस महीने में प्राप्त हुआ था; और

(ङ) क्या समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित किये जाने से पहले ही इस मक्खन की कुछ मात्रा जनता के उपभोग के लिए वितरित कर दी गई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) डा० एस० एस० बागले और अन्यों द्वारा भारत सरकार और अन्यों के विरुद्ध दायर की गई विशेष स्थगन याचिका सं० 15408 (सिविल) के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने 20.1.88 के आदेश में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, जो अगले पृष्ठ पर लिखित प्रश्न पर अपना मत देगी :—

"क्या ऐसे दूध और डेयरी उत्पादन तथा अन्य खाद्य पदार्थ, जिनमें परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड द्वारा 27.8.87 को अनुमत स्तरों नक कृत्रिम रेडियो न्यूक्लाइड्स हो, वे सुरक्षित हैं और/या मनुष्योंको द्वारा सेवन के लिए हानि रहित हैं।"

(ख) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय को दे दी है। इस समिति द्वारा अन्य बातों के साथ साथ पाये गये निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

"परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तरों तक कृत्रिम रेडियो न्यूक्लाइड्स वाले दुग्ध, डेयरी और अन्य खाद्य पदार्थों की जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा और वर्ष भर खपत सुरक्षित और हानिरहित हैं।"

(ग) और (घ) चेर्नोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना के बाद जहाज द्वारा प्राप्त हुए आयातित और आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपीय देशों से भारत को मिले मक्खन की दिसम्बर, 1987 तक की मात्रा इस प्रकार है :—

मास	मात्रा (मीटरी टनों में)
दिसम्बर, 1986	600
जनवरी, 1987	200
अप्रैल, 1987	500
मई, 1987	600
जून, 1987	900
अगस्त, '987	400
नवम्बर 1987	1626
दिसम्बर, 1987	792

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3914. **श्री नारायण चौबे : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की स्नैम प्रोगेती कम्पनी को गैस पर आधारित अनेक उर्वरक संयंत्रों के निर्माण करने के लिये अथवा परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या एक सार्वजनिक उपक्रम प्रोजेक्ट्स डेवलेपमेंट इण्डिया लिमिटेड उच्च स्तर के संयंत्रों का निर्माण करने की स्थिति में है और इस उपक्रम ने वस्तुतः नामरूप में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र का निर्माण किया है जोकि बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों का निर्माण कार्य इटली की फर्म को सौंपने के क्या विशेष कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) ने नामरूप III परियोजना को सफलता पूर्वक निष्पादित किया है परन्तु उन्होंने अभी तक थाल और हजीरा में स्थित पहले से ही कार्यान्वित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों तथा एच० बी० जे० पाइपलाइन के साथ-साथ कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के आकार के बराबर की उर्वरक परियोजना का स्वतन्त्र रूप से कार्यान्वयन नहीं किया है तथापि पी० डी० आई० एल०/फैल्ट इन्जिनियरिंग एण्ड डिजाइन आरगेनाइजेशन (फीडो) को इन संयंत्रों की स्थापना के लिये विदेशी ठेकेदारों के साथ सम्बद्ध किया गया है।

कुपोषण के कारण मृत्यु

[हिन्दी]

3915. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**
श्रीमती बसवराजेश्वरी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सहित देश विभिन्न भागों में कुपोषण से अनेक मोतें हुई हैं, जैसाकि 11 फरवरी, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कोई जांच की गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उड़ीसा सहित किसी राज्य सरकार ने कुपोषण के कारण मौतें होने की सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत गोल्ड माइन्स को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

3916. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स ने सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1419 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड अपनी शेयर पूंजी को 45 करोड़ रुपये तक बढाने के लिये सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लि० ने वर्ष 1987-88 के दौरान 1914 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का संशोधित पुनः अनुरोध किया है।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० ने सरकार से फ़रवरी, 1986 में अपनी शेयर पंजी 33 करोड़ रु० से बढ़ाकर 45 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव किया था लेकिन उन्हें विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। यह अभी प्राप्त होना है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी उद्योग को रियायतें देने के बारे में सम्पत समिति की सिफारिश

3917. **श्री के० राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त विस्तार परियोजनाओं को सम्पत समिति की सिफारिश के अनुसार अनुज्ञेय प्रोत्साहनों की पात्रता के बारे में औद्योगिक लाइसेंसों पर अनुमोदन द्वारा किये गये विस्तार के सम्बन्ध में संदेह विद्यमान है;

(ख) क्या इन अनिश्चितताओं के कारण चीनी मिलें चीनी उद्योग को उपलब्ध रियायतों का लाभ नहीं उठा पा रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारीगण 1 जनवरी, 1986 और 27 मई, 1986 को उनके मंत्रालय की घोषणा के अनुसरण में चीनी उद्योग के अधिक क्षमता का अनुमोदन करने के आवेदनों पर सामान्यतः अनुकूल रवैया नहीं अपनाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं। 26-4-1978 को घोषित की गई और 18-8-1981 को वापस ली गई उदार लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा विस्तारों और स्वीकृति प्राप्त विस्तारों के लिए वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अधीन निर्धारित किये गये पैरामीटरों के अनुसार प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दिनांक 1-1-1986 के प्रेस नोट संख्या 1 और 2 तथा दिनांक 27-5-1986 के प्रेस नोट संख्या 15 के अन्तर्गत अब तक 35 मामलों में अधिक क्षमताओं की स्वीकृति दी गई है।

बिनौला तेल का उत्पादन

3918. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान और अब तक बिनौले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उससे कितना तेल प्राप्त हो सकता है;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान और इस वर्ष आज तक बिनौला-तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(घ) उपयोग न किये जाने के कारण इसमें से कितना प्रतिशत तेल खराब हो गया; और

(ङ) खाद्य तेलों के आयात पर विदेशी मुद्रा के व्यय को कम करने हेतु बिनौला तेल का पूरा

उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान बिनौले का क्रमश: लगभग 23.85 लाख मी० टन तथा 22.00 लाख मी० टन (अनुमानित) उत्पादन हुआ।

(ख) बिनौले के तेल की संभावनाएं 3.5 लाख मी० टन के लगभग है।

(ग) 1986-87 में बिनौले का तेल का उत्पादन लगभग 2.5 लाख मी० टन हुआ था। चालू तेल वर्ष के दौरान होने वाले उत्पादन के अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) लगभग 30 प्रतिशत।

(ङ) सरकार ने तेल रहित खली (एक्सट्रेक्शन) के निर्यात के लिए पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्यों पर 10 प्रतिशत का नकद प्रतिपूरक-समर्थन देने की अनुमति दी है। वनस्पति विनिर्माताओं को विलायक निष्कर्षण बिनौले के तेल के प्रयोग पर उत्पादन शुल्क में 4000/- रु० प्रति मी० टन की रियायत दी जाती है।

कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन हेतु ज्ञापन

3919. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गत नवम्बर में कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के फोरम द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त सेवा के वैज्ञानिकों का एम० वी० राव समिति द्वारा सिफारिश तथा कृषि और कार्मिक मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमान दिये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगें की गई हैं और राव समिति ने क्या सिफारिश की हैं तथा उनमें से प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा राव समिति की सिफारिशें स्वीकार किये जाने तथा उन्हें कार्यान्वित किये जाने में होने वाले विलम्ब के कारण वैज्ञानिकों में भारी असंतोष है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 23-11-1987 को कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के फोरम से एक ज्ञापन सरकार को मिला है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ढांचे में वैज्ञानिकों के वेतनमानों में सशोधन के बारे में है। वैज्ञानिक फोरम ने डा० एम० वी० राव समिति द्वारा सिफारिश किए गये संशोधित वेतनमानों को तुरंत दिये जाने की मांग की है।

समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का मामला सरकार के विचाराधीन है। वैज्ञानिकों को परेशानी से बचाने के लिए मूल वेतन का 20% और बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अंतिम राहत के रूप में दिया गया है।

गुजरात में सहकारी चीनी यूनिटें स्थापित करना

3920. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के वेच देने योग्य मशीनों और संयंत्रों से और संशोधित चीनी नीति की घोषणा से कहीं पहले बहुतायत से उपलब्ध गन्ने से सहकारी क्षेत्र में चार चीनी यूनिटें स्थापित करने के लिए आशय पत्र की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र दिया था; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में चीनी की फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र देने में देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) 2 जनवरी, 1987 को घोषित किए गए नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से विहित प्रोफार्मा में गुजरात राज्य में सहकारी क्षेत्र में 4 चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए आशय पत्र प्रदान करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सौराष्ट्र के 3 परिसमापनीय चीनी यूनिटों में से राज्य में प्रत्येक 1250 टी०सी०डी० की 4 सहकारी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने सितम्बर, 1987 में अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु 2 जनवरी, 1987 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ता नियम

3921. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान दो तरह के नियमों के अन्तर्गत किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो समयोपरि भत्ते के नियमों में विषमता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विसंगति को इस बीच दूर कर दिया गया है और यदि हां, तो कब से दूर किया गया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में, जहां निगम के स्थापनों को स्थानीय दुकान और स्थापना अधिनियमों के उपबंधों से छूट दी गई है, अपने नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

(2) ऐसे राज्यों और संघ शांसित प्रदेशों के बारे में जहां निगम को उक्त छूट नहीं प्राप्त हो सकी थी, वहां कर्मचारियों को स्थानीय दुकान और स्थापना अधिनियमों के उपबंधों के अधीन समयोपरि भत्ता अदा किया जा रहा है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में, जिन्होंने छूट प्रदान की थी, संबंधित उच्च न्यायालयों ने इन छूटों पर रोक लगा दी थी और इसलिए इन तीन राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को दुकान और स्थापना अधिनियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता अदा किया जा रहा है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली, जिन्होंने स्थानीय दुकान और स्थापना अधिनियमों के उपबंधों से भारतीय खाद्य निगम के स्थापनों को अभी तक छूट नहीं दी है, से पत्र व्यवहार कर रहा है ताकि अन्य राज्यों की तरह वे भी छूट प्रदान कर दें और इस तरह देश भर में एकरूपता हो सके।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटकों के आगमन को आकर्षित करने के उपाय

3922. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अप्रैल से दिसम्बर, 1987 तक पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पर्यटकों के आगमन को आकर्षित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और कितनी व्यय की गई; और

(ग) सरकार का आंध्र प्रदेश के पाषाणों में उत्कीर्ण अति सुन्दर कलाकृतियों युक्त लीपाक्षी, तिम्मामा मारिमानु, कादिरी लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मन्दिर और पेन्नहोबुलम जैसे स्थानों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान करता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को छठी योजनावधि तक पर्यटन परियोजनाओं के लिए सहायता के रूप में 72,84,338 रु० दिए गये थे। सातवीं योजनावधि के पहले तीन वर्षों के दौरान अभी तक क्रमशः 166.83 लाख रु० और 55.50 लाख रु० स्वीकृत तथा रिलीज किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री में आन्ध्र प्रदेश के कई स्थानों को शामिल किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित सामान्य तथा विषयक ब्रोशरों एवं फिल्मों में भी आन्ध्र प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों को शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार ने सातवीं योजनावधि में अभी तक आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए स्वीकृत की हैं :

(I) लिपाक्षी में आवास सहित मार्गस्थ-सुविधाएं।

(II) नागार्जुनसागर में आवास सहित अल्पाहार-गृह का निर्माण।

(III) रामप्पा में अतिरिक्त आवास का निर्माण।

(IV) पाखल में अतिरिक्त आवास का निर्माण।

(V) ऋषिकोंडा में कुटीरों का निर्माण।

(VI) हुसैनसागर, रामप्पा और पाखल झीलों के लिए नौकाओं की व्यवस्था।

(VII) गोलकुंडा की मास्टर प्लान।

(VIII) हैदराबाद में यात्री निवास।

और (IX) गोलकुंडा में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन।

पंजाब में धान उत्पादकों को राजसहायता/क्षतिपूर्ति

3923. **श्री मेवासिंह गिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में धान उत्पादकों को मुआवजा/राजसहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन किसानों को भी मुआवजा/सहायता दी गई है जिनकी धान की फसल सूखे से नष्ट हो गई;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उन किसानों को भी मुआवजा देने का विचार है जो सूखे के कारण पंजाब में धान नहीं बो सके; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हा ।

(ख) पंजाब राज्य ने मंडियों में धान लाने पर 17 रुपए प्रति क्विटल का बोनस दिया है। 10 लाख से अधिक लाभानुभोगियों को 118.50 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उन छोटे तथा सीमांत किसानों को उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो सूखे के कारण बोगा नहीं गया, 350 रुपए प्रति एकड़ की दर पर राज-सहायता मंजूर की गई है। 15-3-1988 तक 33,636 लाभानुभोगियों को 1.55 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

केरल में नारियल के पेड़ों में रोग

3924. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, कि नारियल के पेड़ तथा जड़ सूखने के खतरनाक रोग (रूट बिल्ट) का केरल के अधिकांश भागों में नारियल की खेती पर तेजी से प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अब तक इस बारे में क्या कदम उठाये हैं अथवा भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जड़ मुर्झान रोग धीरे-धीरे लगातार फैल रहा है। केरल के 8 दक्षिणी जिलों में लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इस रोग से प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से, भारत सरकार ने रोगग्रस्त नारियल बागानों के पुनरस्थापन के लिए कई योजनाएं मंजूर की हैं। अब तक, नवीनीकरण करने की योजनाओं के तहत 66,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और 2.70 लाख रोगग्रस्त नारियल के वृक्षों को हटाया गया है। त्रिचूर के उत्तरी क्षेत्रों के परे के क्षेत्रों में रोग के फैलाव पर केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। छोटी जोतों के लिए

समेकित कृषि हेतु एक परियोजना 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। रोग का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार अब तक 225 लाख रुपये की मंजूरी दे चुकी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में भी छोटी जोतों के लिए समेकित कृषि हेतु परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

पर्यटकों के लिए होटलों में ठहरने की व्यवस्था

3925. **श्री राम भगत पासवान** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में और अधिक होटल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम भोपाल, मध्य प्रदेश में एक 33 कमरों वाले होटल का और रांची, बिहार में एक 30-कमरों वाले होटल का संबंधित राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में निर्माण कर रहा है। इसके अलावा, यह बोधगया, बिहार में अपने मौजूदा 12 कमरों वाले ट्रैवलर्स लॉज में 18 कमरे और बढ़ाकर इसे एक होटल के रूप में परिवर्तित कर रहा है।

फिलहाल, उत्तर प्रदेश में कोई होटल के परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

काश्तकारी आधार पर भूमि का वितरण

3926. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के कृषि समितियों के सदस्यों को काश्तकारी आधार पर किये गये भूमि के वितरण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या वर्ष 1987 के दौरान किसी राज्य अथवा किसी समुदाय से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शिकायतों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों और संस्थाओं आदि के लिए भूमि के आबंटन/बन्दोबस्त/वितरण को नियंत्रित करने हेतु मानदण्ड तथा शर्तें निर्धारित करने वाली मार्ग निर्देशिकायें जारी की हैं तथा कानूनी प्रावधान और नियम बनाए हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की निगरानी विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि के वितरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। जबकि वर्ष 1987 के दौरान लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग वितरित किए गए क्षेत्र और लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों ने अलग से सूचना नहीं दी है। वर्ष 1987-88 के

दौरान अप्रैल, 1987 से जनवरी, 1988 तक विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के कुल 68, 322 एकड़ क्षेत्र के वितरित किए जाने की सूचना मिली है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त हुई संचित रिपोर्टों के आधार पर, भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की प्रगति निम्नलिखित है :—

लाभार्थी	संख्या	क्षेत्र (एकड़)
1. अनुसूचित जाति	14,31,384	15,17,287
2. अनुसूचित जनजाति	5,64,977	5,81,054
3. अन्य	21,04,843	23,33,231
4. समितियां	4,407*	35,315**

* इसमें गुजरात में 4168 समितियां, मध्य प्रदेश में 83 संस्थायें और पश्चिम बंगाल में 156 समितियां तथा सस्थायें शामिल हैं।

** इसमें गुजरात में 32,393 एकड़ भूमि और मध्य प्रदेश में 2922 एकड़ भूमि शामिल है। पश्चिम बंगाल में 156 समितियों और संस्थाओं को आबंटित क्षेत्र की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (घ) भूमि के वितरण के बारे में प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदनों को मामले में आवश्यक, उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। राज्यों को ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और शिकायतों की जांच करने के लिए आवश्यक प्रभावी कानूनी तथा प्रशासनिक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास निर्माण कार्यक्रम

3927. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री मानिक रेड्डी
} : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के आवास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम धन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण की व्यवस्था करता है। यह योजना 1985-86 में आरम्भ की गई थी। 1985-86 और 1986-87 के दौरान योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियों के राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला **एक विवरण संलग्न है**।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को निधियों का आबंटन प्रत्येक राज्य में कृषि श्रमिकों, सीमान्त मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या को 50 प्रतिशत बल और ग्रामीण गरीबी की स्थिति को 50 प्रतिशत बल देते हुए एक निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया

जाता है। आंध्र प्रदेश को हमेशा उसका देय भाग दिया जाता है।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना (आर० एल० ई० जी० पी०) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु रिलीज की गई निधियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	रिलीज की गई निधियां (लाख रुपये में) 1985-86	1986-87
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	982.00	1190.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	5.00
3.	असम	215.00	251.00
4.	बिहार	1417.00	1750.00
5.	गुजरात	320.00	410.00
6.	हरियाणा	85.00	115.00
7.	हिमाचल प्रदेश	60.00	78.00
8.	जम्मू व कश्मीर	74.00	94.00
9.	कर्नाटक	467.00	525.00
10.	केरल	459.00	470.00
11.	मध्य प्रदेश	725.00	1033.00
12.	महाराष्ट्र	791 00	991.00
13.	मणिपुर	—	14.00
14.	मेघालय	15.00	9.50
15.	मिजोरम	—	10.00
16.	नागालैण्ड	10.00	15.00
17.	उड़ीसा	448.00	548.00
18.	पंजाब	137.00	123.00
19.	राजस्थान	238.00	487.00
20.	सिक्किम	8.00	10.00

1	2	3	4
21.	तमिलनाडु	887.00	979.00
22.	त्रिपुरा	33.00	42.00
23.	उत्तर प्रदेश	1697.00	2192.00
24.	पश्चिम बंगाल	768.00	939.00
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.80	—
26.	चण्डीगढ़	—	—
27.	दादरा व नगर हवेली	4.00	2.50
28.	दिल्ली	—	—
29.	गोवा, दमन व दीव	9.00	16.00
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	पाण्डिचेरी	8.00	10.00
	अखिल भारत	9864.00	12309.00

हीरा उद्योग में बाल श्रम

3928. **श्री आनन्द सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा उद्योग में हाल ही में बाल श्रम में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) हीरा काटने वाले उद्योग में बालक नियोजन बालक श्रम (प्रतिषिद्ध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रतिषिद्ध नियोजन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव है कि सूरत में हीरा काटने वाले उद्योग में लगे बाल कर्मकारों को कतिपय लाभ और कल्याण सुविधाएं देने के लिए एक परियोजना शुरू की जाय।

मध्य प्रदेश में उद्योगों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न कराया जाना

[हिन्दी]

3929. **श्री सत्यनारायण पवार** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेषकर उज्जैन की कपड़ा मिलों के ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्होंने भविष्य निधि की धनराशि जमा नहीं कराई है;

(ख) उज्जैन की कपड़ा मिलों द्वारा भविष्य निधि की धनराशि जमा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह धनराशि जमा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसे कब तक जमा कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 35 प्रतिष्ठानों ने 31-12-1987 को 50,000/-रुपये या अधिक की राशि जमा नहीं कराई थी, जिसमें से चार प्रतिष्ठान उज्जैन में सूती कपड़ा उद्योग में लगे थे।

(ख) नियोजक, सामान्यत: भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी न करने के लिए औद्योगिक रुग्णता या वित्तीय कठिनाइयों को मुख्य कारण बताते हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कार्यवाही कर रहे हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले दायर करना।

(iii) कर्मचारियों के वेतन से काटे गए अंशदान की अदायगी न करने के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर करना।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन हर्जाने लगाना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकान आवंटन योजना के अन्तर्गत धनराशि की वापसी

3930. **श्री मदन पाण्डे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दुकान आवंटन योजना के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि को बिना किसी ब्याज के लौटा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण को पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी जमा राशि पर ब्याज देने के लिए अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें यह कब तक दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण लाटरी निकालने के तत्काल बाद असफल आवेदकों को धरोहर राशि वापस कर देता है। आवेदन पत्रों के साथ जमा की गई धरोहर राशि के रूप में 2000/-रुपये की राशि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाते में कभी नहीं लिया जाता है। यह धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाती है और वही बैंक ड्राफ्ट असफल आवेदकों को वापस कर दिए जाते हैं। ब्याज तभी दिया जा सकता है जब दिल्ली विकास प्राधिकरण इन जमा राशियों पर कोई ब्याज प्राप्त करता हो।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ब्याज के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता विशेषकर क्योंकि आवेदकों द्वारा जमा किए गये बैंक ड्राफ्ट लाटरी के तत्काल बाद ही उसी रूप में वापस कर दिए जाते हैं।

वर्कला में समुद्र तटीय पर्यटक स्थल

[अनुवाद]

3931. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित वर्कला में एक समुद्र तटीय पर्यटक स्थल के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई स्कीमों पर लगे वर्तमान प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान नहीं कर सका है। जब कभी इस प्रतिबंध में ढील दी जाएगी तब इस प्रस्ताव पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

वनस्पति का मूल्य-निर्धारण

3932. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वनस्पति मूल्यों के निर्धारण के मामले में वनस्पति निर्माताओं के साथ कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो जिन मसलों पर विचार-विमर्श किया गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग) वनस्पति उद्योग के साथ स्वैच्छिक मूल्य प्रबन्ध, जो 26 अगस्त, 1987 से चल रहा है, को जारी रखने के बारे में बातचीत की गई थी। पहली फरवरी, 1988 से 15 कि०ग्रा० के प्रति टीन के स्वैच्छिक मूल्य की अधिकतम सीमा को 335/-रु० बरकरार रखा गया है, जबकि वनस्पति यूनिटों को उनकी आवश्यकता का 50% आयातित खाद्य तेल 15000/-रु० प्रति मी० टन तथा 30 प्रतिशत 19,000 रु० प्रति मी० टन की दर से आबंटित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बीज निगम को घाटा

3933. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम भारी घाटे में चल रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना घाटा हुआ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त करने की क्या सम्भावनाएं हैं; और

(घ) क्या सरकार का निगम के कार्यकरण में सुधार लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां। राष्ट्रीय बीज निगम को 1985-86 के दौरान अपने काम-काज में 317.45 लाख रुपये की निवल हानि हुई, जबकि इसकी तुलना में 1984-85 में 42.26 लाख रुपये का लाभ हुआ था। 1985-86 में हानि के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) बीजों के किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया गया।

(2) बीजों के बिक्री मूल्य में समतुल्य वृद्धि किए बिना आदानों के मूल्यों में वृद्धि।

(3) सामान्य मूल्य वृद्धि तथा निगम के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण रख-रखाव के निश्चित खर्चों में वृद्धि।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा अर्जित लाभ या हानि इस प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये लाखों में) (+) लाभ (—) हानि	
1983-84	(—)	24.15
1984-85	(+)	42.26
1985-86	(—)	317.45

(ग) वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस निगम को 1987-88 के दौरान थोड़ा-सा लाभ होने की आशा है।

(घ) निगम के काम-काज को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा "क्वालिटी सर्किल" नामक एक योजना शुरू की गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों की मांग

[हिन्दी]

3934. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से पिछले एक वर्ष के दौरान सूखे की स्थिति के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को सप्लाई किये गये खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) सूखे के कारण केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के स्वामित्व वाले डेरी फार्म

[अनुवाद]

3935. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार राज्यों के स्वामित्व वाले कितने डेरी फार्म हैं;

(ख) इन फार्मों में गत तीन वर्षों के दौरान दूध, मक्खन, पनीर और घी का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन फार्मों को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में झुग्गियां हटाना

3936. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गियां हटाने और झुग्गीवासियों के पुनर्वासियों के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में क्रमशः 1986 और 1987 के दौरान कितनी झुग्गियां गिराई गईं; और

(ग) दिल्ली में इस समय एक वर्ष से अधिक पुरानी बड़ी-बड़ी ऐसी कितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें एक सौ से अधिक झुग्गियां हैं और वे कहाँ-कहां हैं तथा उन्हें अब तक न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भविष्य में अतिक्रमणों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण के चलते-फिरते मकान गिराऊ दस्ते के माध्यम से नये अतिक्रमणों का हटाना।

(ii) दिल्ली विकास अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोजन की कार्रवाई करना।

(iii) उप राज्यपाल द्वारा थाना प्रभारी (स्टेशन हाउस अधिकारियों) को नये अतिक्रमणों की जांच के निर्देश जारी किये गये हैं।

(iv) विभिन्न स्तरों पर संबंधित फील्ड स्टाफ को व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी ठहराने के आदेश जारी किये गये हैं।

जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, केवल पात्र अनधिवासियों को वैकल्पिक स्थल/ट्रांजिट कैम्प मुहैया किये जाते हैं।

(ख) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान क्रमश, 12931 और 3642 झुग्गियां हटाई गई थीं।

(ग) झुग्गी झोंपड़ी समूहों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, निम्नलिखित कालोनियों में 100 से अधिक झुग्गियों वाले कुछ समूह विद्यमान हैं :—

गोविन्दपुरी, ओखला, भीकाजी कामा प्लेस, कमल सिनेमा के नजदीक, कालका जी, बसन्त

विहार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नेहरू नगर, गौतम नगर, नेहरू प्लेस, लोक नायक जय प्रकाश नारायण हस्पताल के नजदीक, मोतिया खान, फैज रोड, ई-ब्लाक झण्डेवालान, करौलबाग बस टर्मिनल के पीछे, लाल बाग (जी० टी० के० रोड) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, प्रीतमपुरा, विकास-पुरी, जनकपुरी, ज्वाला हेड़ी, पश्चिम विहार, मीराबाग, राजौरी गार्डन, नारायणा, कीर्ति नगर, पांडव नगर, रघुबीर नगर, मायापुरी, इन्द्रपुरी, सुन्दर गार्डन (पटपड़गंज), कल्याणपुरी, शशि गार्डन, विश्वास नगर, राधू प्लेस, कल्याण बास, स्वास्थ्य विहार, नन्द नगरी, सीलमपुर, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, अराधक नगर, कलन्धर कालोनी, (दिलशाद गार्डन), यमुना बांध, गीता कालोनी, बापू धाम के पीछे तक एम० ई० एस० होस्टल/मौर्य होटल के पीछे, चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन के दोनों ओर, कोरियन दूतावास नजदीक सिंगापुर उच्चायोग के साथ-साथ, दूरभाष एक्सचेंज के पीछे, चाणक्यपुरी, वीरांवाली अन्तर्राष्ट्रीय हस्पताल, चन्द्रगुप्त रोड, "क्यू" प्वाइन्ट पृथ्वीराज लेन, एन० बी० सी० सी० लेबर कैम्प, हुमायूं रोड तथा डी० आई० जैड० क्षेत्र में ब्लाक 8, 14, 12 और 13 के सामने इन झुग्गी समूहों को हटाया जा सकता है, बशर्ते कि वैकल्पिक स्थल उपलब्ध हों।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा भंडारण सीमा की सिफारिश

3937. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने यह सिफारिश की है कि उपभोक्ताओं तथा व्यापार के हित में उपभोक्ता वस्तुओं के थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा रखे जा सकने वाले स्टाक की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय फुटकर विक्रेताओं तथा थोक विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के रखे जा सकने वाले स्टाक की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का फुटकर विक्रेताओं तथा थोक विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के रखे जा सकने वाले स्टाक की अधिकतम सीमा में परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (घ) सभी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इस रूप में स्टाक सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती हैं। तथापि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत घोषित आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों आदि के लिए स्टाक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सम्बन्धित वस्तुओं की मांग, मूल्य स्थिति, उपलभ्यता आदि पर निर्भर करते हुए स्टाक सीमाओं में परिवर्तन करने के बारे में समय-समय पर विचार किया जाता है।

मध्य प्रदेश में प्लाटों की बिक्री

[हिन्दी]

3938. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है;

(ख) क्या विकास और क्षहरी आबादी में वृद्धि के कारण कृषि भूमि शहरी सीमाओं के अन्तगंत आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में रिहायशी भूखण्ड बहुत अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार को मध्य प्रदेश से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कारखाना मजदूरों की सुरक्षा

[अनुवाद]

3939. **श्री शरद दिघे** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना संशोधन अधिनियम, 1987 जिसमें कारखाना मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नये उपबन्ध की व्यवस्था है; लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या उक्त संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक नियम और विनियमन बना दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के सभी उपबन्ध (नई धारा 7-ख और 41-च में निर्दिष्ट उपबन्धों को छोड़कर) पहली दिसम्बर, 1987 से लागू किये गये हैं। नई धारा 7-ख और 41-च में निर्दिष्ट उपबन्ध पहली जून, 1988 से लागू होंगे।

(ख) और (ग) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नियम सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए जाते हैं। कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत आदर्श नियम श्रम मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें जनवरी, 1988 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य नियमों में शामिल करने के लिए भेजा गया है।

बिहार में रुग्ण चीनी मिलों को सहायता

3940. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में रुग्ण चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू योजना अवधि के दौरान बिहार सरकार को अब तक कितनी सहायता दी गई; और

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बिहार में संयुक्त स्टाक क्षेत्र की 3 चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्वासन के लिए 122.02 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

(ग) चीनी विकास निधि से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण सहायता के लिए राज्य में चीनी मिलों से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र जब कभी प्राप्त होंगे, तब उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

बीजों की कालाबाजारी

[हिन्दी]

3941. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा वितरित किये गये बीजों की दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में भारी पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष खीरे के बीज काला बाजार में वेचे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

3942. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का सुझाव दिया था और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) क्या चम्बल प्रभाग में सिहोंनियां कंकणमठ, और शनिदेव मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन आधार संरचना का विकास के करने लिए मध्य प्रदेश ने निम्नलिखित स्थानों का सुझाव दिया—सांचीं, केस्कल, खजुराहो, दिवरी, जगदलपुर, बांधवगढ़, ग्वालियर, कान्हा, शिवपुरी, बिलासपुर, कावर्धा, राजनन्दगांव, कुतुमसर, चित्रकूट, दांतेवाडा, बिओरा, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, रायपुर, गुना, मांडु, और दतिया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अभी तक मंत्रालय ने विभिन्न पहले से चली आ रही और नई परियोजनाओं के लिए 78.98 लाख रुपये रिलीज किये हैं।

(ख) जी, नहीं।

आवास सलाहकार परिषद

[अनुवाद]

3943. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास सलाहकार परिषद का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यह सरकार के विचाराधीन है।

बाक्साइट तापसह मिट्टी आदि की खानों में मजदूरों का वेतन

3944. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण बाक्साइट, चीनी, मिट्टी, तापसह मिट्टी और लेटराइट खानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम मजूरी में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। बाक्साइट, ताप-सह मिट्टी तथा लेटराइट खानों समेत अनुसूचित नियोजनों में वेतन की न्यूनतम दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

असम को नाइट्रोजनी उर्वरक का आबंटन

3945. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 से अब तक असम राज्य को नाइट्रोजनी उर्वरक का कोई आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में उर्वरक का आवंटन किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि में किसी अन्य किस्म के उर्वरक का आवंटन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 (अप्रैल 1987 से मार्च 1988 तक) के दौरान असम को पौद पोषक तत्व के रूप में :4420 मीटरी टन नत्रजनयुक्त उर्वरकों का आवंटन किया गया था।

(ग) और (घ) नत्रजनयुक्त उर्वरकों के अलावा, 1987-88 के दौरान, असम को 6,420 मीटरी टन फास्फेटयुक्त और 6,320 मीटरी टन पोटाशयुक्त उर्वरक का आवंटन किया गया।

परिष्कृत सोयाबीन तेल के मूल्य में कमी करने का प्रस्ताव

3946. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिष्कृत सोयाबीन तेल के निर्माताओं तथा सरसों के तेल के पैकरों तथा उत्पादकों ने दिसम्बर, 1987 से मूल्यों में कमी करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार, इन खाद्य तेलों के मूल्यों में कितनी कमी की गयी है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1987 के दौरान तत्कालीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेलों के मूल्यों की उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनरीक्षा की थी। उनकी अपील पर विनिर्माताओं द्वारा परिष्कृत सोयाबीन के तेल के मूल्य में प्रति कि०ग्रा० 3 रु० तथा सरसों के तेल के मूल्य में प्रति कि०ग्रा० 2.50 रु० की कमी की गई है ।

राज्यों को खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु/वित्तीय सहायता

3947. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1987-88 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987-87 के दौरान कुछ राज्य सरकारों, अर्थात, आन्ध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश ने छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता के लिए इस योजना के अन्तर्गत अधिक धनराशि के लिए अनुरोध किया है, पंजाब सरकार ने भी इस योजना के तहत क्षारीय मिट्टी का सुधार करने के लिए अधिक धनराशि की मांग की है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, इन योजनाओं के अन्तर्गत समग्र बजट के प्रावधानों के भीतर अतिरिक्त धनराशियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मांगें पूरी कर रही है ।

धान की बारानी खेती

3948. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि अनुसंधान विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार धान की बारानी खेती अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान धान की बारानी खेती के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया जाएगा; और

(ग) बारानी खेती के लिए धान की कितनी नई किस्मों का पता लगाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं, फिर भी, भा० कृ० अ० प० उपयुक्त चावल की किस्मों की जांच कर रही है जो सूखे की स्थिति में उगाने पर बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है । ऐसी स्थितियों के लिए कुछ और किस्मों की सिफारिश की गई है ।

(ख) उपरोक्त "क" को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूखे की स्थिति में उगाये जाने के लिए निम्नलिखित किस्में उपयुक्त पाई गई हैं। सत्तकारी, कलिंग-3, प्रसन्न, सी० आर०एम०डब्ल्यू०-10, तुलजापुर-1, +टी० के० एम०-9, पल्लवी, रूद्रा, सुभद्रा, पोरनामकुडी-1, केशरी, आनन्द, नीला, नरेन्द्र, कावेरी, सरयू-50, सुधा, पूसा-2-21, जलगांव-5, खोनोरूलू, तृप्ति, आभा और पूर्व।

उड़ीसा में केन्द्रीय कृषि यन्त्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान

3949. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए पट्टे पर भूमि देने को सहमत हो गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा में यह संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में संस्थान की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित एक दल ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि यंत्र प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए उड़ीसा तथा असम राज्यों द्वारा प्रदान किये गये स्थलों का दौरा किया। विश्वनाथ चेरियल्ली जिला सोनितपुर में असम राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये स्थान में संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश को खाद्य तेल का आबंटन

3950. **श्री कमल नाथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अक्तूबर, 1987 से मध्य प्रदेश को 10 हजार मीटरी टन खाद्य तेल का कोटा आवंटन किया था और भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1987 के दौरान इस राज्य को उक्त कोटे की सप्लाई नहीं की गई थी;

(ख) इन महीनों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल की सप्लाई की गई तथा कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी, 1988 से कोटे को और घटाकर 7500 मीटरी टन करने के, जो एक राशन कार्डधारी को प्रतिमाह एक लीटर की भी सप्लाई करने के लिए भी पर्याप्त नहीं, क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकार को कम सप्लाई के कारण हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु कोटे में वृद्धि करने और बढ़ाए गए कोटे की शीघ्रातिशीघ्र सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा 10,000 मी० टन प्रति मास के आवंटन के प्रति अक्तूबर, नवम्बर तथा

दिसम्बर, 1987 के दौरान सप्लाई की गई मात्रा इस प्रकार है :—

महीना	मात्रा (मी० टन में)
अक्तूबर, 1987	6691
नवम्बर, 1987	3548
दिसम्बर, 1987	8572

सरकार द्वारा राज्यों को किये जाने वाले आवंटनों में वृद्धि कर दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम को अपने डिब्बाबन्दी के कार्यों में तेजी लाने में कुछ समय लग गया। ढुलाई की कठिनाइयों के कारण उक्त राज्य भी, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक को नहीं उठा सका। मध्य प्रदेश को आयातित तेल की सप्लाई में सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) आयातित खाद्य तेलों का आवंटन केवल अनुपूरकस्वरूप का होता है और इससे प्रति व्यक्ति आधार पर आबादी की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट के रुख को देखते हुए सभी राज्यों के जनवरी, 1988 के महीने के लिए आवंटन में कमी कर दी गई थी।

पर्यटन मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों में प्रतिनियुक्त अधिकारी

3951. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पर्यटन मंत्रालय तथा इससे संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) वर्ष 1985 से प्रत्येक अधिकारी सेवाकाल की तीन वर्ष से अधिक कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो अधिकांश समय प्रतिनियुक्ति पर ही रहे हैं तथा जिनका अपने मूल कार्यालयों में, जहां उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बहुत कम समय बीता है; और

(घ) क्या मन्त्रालय ऐसे अधिकारियों को वापस भेजने की योजना बना रहा है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम में तीन वर्ष से अधिक अवधि से निम्नलिखित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं :—

पर्यटन विभाग

क्र० सं०	नाम और पद नाम	प्रतिनियुक्ति शुरू होने की तारीख	तीन वर्ष से अधिक कितनी अवधि बढ़ाई गई है
1	2	3	4
1.	श्री सुदामा नन्द शर्मा (हिन्दी अनुवादक ग्रेड II)	3-7-1982	यह निर्णय लिया गया है कि चालू बजट सत्र के बाद इन्हें इनके मूल

1	2	3	4
			कार्यालय वापिस भेज दिया जाए। तीन वर्ष से अधिक अवधि—2 वर्ष 10 महीने और 12 दिन
2.	श्रीमती एस० कपूर (गोपनीय सहायक)	9-7-1984	8-1-1989 तीन वर्ष से अधिक अवधि—एक वर्ष और छः महीने
भारतीय पर्यटन विकास निगम			
1.	श्री एस० सी० द्विवेदी (कार्यपालक निदेशक सतर्कता)	14-9-1983	शुरू में इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष थी। सरकार ने इनका कार्यकाल 30 जून, 1988 तक बढ़ा दिया है। तीन वर्ष से अधिक अवधि —एक वर्ष नौ महीने और सतरह दिन
2.	श्री बी० एन० दास गुप्ता सहायक प्रबन्धक (सिविल)	22-5-1984	इन अभियन्ताओं को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम इन अधिकारियों को निर्माण के महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जिनके साथ मामले को उठाया गया है, से इनकी तनाती सम्बन्धी आदेश मिलने के बाद कार्यमुक्त कर देगा। तीन वर्ष से अधिक अवधि—नौ महीने और बीस दिन लगभग।
3.	श्री एस० के० हजारा सहायक प्रबंधक (सिविल)	25-5-1984	
4.	श्री पी० चक्रवर्ती सहायक प्रबंधक (सिविल)	11-4-1984	भारत पर्यटन विकास निगम ने इनकी सेवाएं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की थीं। इन्होंने भारत पर्यटन विकास निगम में विलय का अपना विकल्प दिया। तदनुसार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से इनका 11-4-1985 से भारत पर्यटन विकास निगम में स्थायी विलय करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है।

(घ) हां, श्री पी० चक्रवर्ती को छोड़कर जिनका भारत पर्यटन विकास निगम में विलय किया जाना प्रस्तावित है। श्रीमती कपूर पर्यटन विभाग की ही कर्मचारी हैं।

चीनी का उत्पादन और खपत

[हिन्दी]

3952. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ और इस समय देश में चीनी की राज्यवार अनुमानित खपत क्या है;

(ख) चीनी की खपत और उपलब्धता में कितनी कमी है; और

(ग) इस अन्तर को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) देश में चीनी वर्ष 1987-88 के दौरान 22-2-1988 तक 49.51 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि पिछले वर्ष तदनरूपी तारीख तक 48.62 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए लगभग 90 लाख मीटरी टन चीनी की आंतरिक खपत का अनुमान लगाया गया है। अनुमानित खपत के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस मौसम के प्रारम्भ में पिछला बचा पर्याप्त स्टाक होने, चालू मौसम के उत्पादन और यदि चीनी का कोई आयात किया जाता है तो उस दशा में आयातित चीनी की योजनाबद्ध आमद से घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी।

विवरण

22 फरवरी तक चीनी का राज्यवार उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

(अनन्तिम)

राज्य	1987-88	1986-87
1	2	3
उत्तर प्रदेश	13.47	13.35
बिहार	1.94	1.92
पश्चिम बंगाल	0.03	0.04
असम	0.04	0.02
हरियाणा	1.52	1.54
पंजाब	1.46	1.40
राजस्थान	0.05	0.14

1	2	3
मध्य प्रदेश	0.43	0.43
उड़ीसा	0.15	0.12
महाराष्ट्र	16.31	15.31
गुजरात	3.07	3.75
कर्नाटक	4.46	3.00
केरल	0.03	0.04
आन्ध्र प्रदेश	2.80	2.92
तमिलनाडु	3.42	3.40
पांडिचेरी	0.24	0.25
नागालैंड	0.03	0.02
गोवा	0.06	0.07
अखिल भारत	49.51	48.62

दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बिचौलियों की भूमिका

[अनुवाद]

3953. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का बिचौलिये भारी कारोबार चला रहे हैं और धन कमा रहे हैं जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को इस बात की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में केवल बिचौलियों के मार्जिनों के कारण तेजी से वृद्धि हुई है।

(ख) बिचौलियों की भूमिका को कम करने की दृष्टि से, सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, विभिन्न वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार करने, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर दिया जा रहा है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में उपभोक्ता सहकारी समितियों की भूमिका का विस्तार किया जाए। राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा जा रहा है कि वे जमाखोरी विरोधी कार्यों में तेजी लाएं और जमाखोरों तथा चोरबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार कड़ी कार्यवाही करें। व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं, जिनमें उनसे मूल्यों को बढ़ने

से रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

"हुडको" द्वारा आवासीय योजनाओं को मंजूरी

3954. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की विभिन्न आवासीय विकास एजेंसियों ने "हुडको" को अनेक योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवार्य फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

3955. **श्री अजय मुशरान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या फसल बीमा योजना उन किसानों के लिए भी अनिवार्य की जाएगी जो फसल के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को इस प्रकार प्रारम्भ करने का है कि प्रत्येक किसान अपनी फसल का बीमा करा सके और उसे हुई वास्तविक हानि के बराबर मुआवजा प्राप्त हो सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक उपाय

[अनुवाद]

3956. **श्रीमती डी० के० भन्डारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्रों में सूखे से निपटने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(घ) उन केन्द्रों के नाम क्या हैं, जहां ये उपाय किये जायेंगे और उनके चयन के मानदंड क्या हैं; और

(ङ) सूखा प्रवण क्षेत्रों की प्राथमिकता किस प्रकार निर्धारित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मृदा और जल संरक्षण और विकास, वन-रोपण और चरागाह × घास भूमि का विकास और अधिक उत्पादी बारानी खेती के सम्वर्धन के जरिए सूखा रोधी और परिस्थितिकी संतुलन को फिर से बनाए रखने का है।

(ग) यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इसका परिव्यय केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 237 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम के लिए औसत वार्षिक वर्षा प्रतिशतता के आधार पर 13 राज्यों के 91 जिलों में 615 प्रखण्डों को चुना गया है। कार्यक्रम क्षेत्र का निर्धारण करने सम्बन्धी मानदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिलों प्रखण्डों की संख्या और क्षेत्र के बारे में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न बिवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कार्यक्रम क्षेत्रों का निर्धारण करने के मानदण्ड

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखण्डों को फिर से शामिल करने/शामिल करने के लिए अन्तर-विभागीय दल—1984 द्वारा स्वीकार किए गए मानदण्ड :

(1) कृतक बल द्वारा कार्यक्रम से निकाले गये प्रखण्डों को फिर से शामिल करने के लिए :

1. जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से नीचे होती है निवल सिंचित क्षेत्र बोये गये निवल क्षेत्र के 40 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

2. जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से अधिक होती है तो निवल सिंचित क्षेत्र बोये गये निवल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

(2) अभी तक कार्यक्रम में कवर न किए गए प्रखण्डों को शामिल करने के लिए :

1. जब वार्षिक वर्षा 750 किलोमीटर से कम होती है और निवल सिंचित क्षेत्र बोए गए निबल क्षेत्र के 20 प्रतिशत से कम होता है।

2. जब वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर और 1125 मिलीमीटर के बीच होती है और निवल सिंचित क्षेत्र बोए गए निवल क्षेत्र के 15 प्रतिशत से कम होता है।

3. जब वार्षिक वर्षा 1125 मिलीमीटर से अधिक होता है और निवल सिंचित क्षेत्र बोए गए निबल क्षेत्र के 10 प्रतिशत से कम होता है।

(3) ऐसे किसी क्षेत्र को, जहां बार्षिक वर्षा 1650 मिलीमीटर से अधिक होती है, सिंचित क्षेत्र की मात्रा का ध्यान किए बिना शामिल किया जाना चाहिए।

(4) ऐसे प्रखण्ड जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो शामिल किये जाने के लिए अन्यथा पात्र हैं, यदि उनकी संख्या जिले के कुल प्रखण्डों के 20 प्रतिशत से कम है तो उन्हें शामिल न किया जाए।

(5) ऐसे प्रखण्ड जिन्हें पहले शामिल किया गया है और जो अब शामिल किये जाने के पात्र हैं, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए चाहे उनकी संख्या जिले के कुल प्रखण्डों के 20 प्रतिशत से कम हो।

राज्य सरकारों द्वारा प्रखण्डों संबंधी भेजे गये और अन्य अलग-अलग स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर उपर्युक्त बातें लागू होती हैं।

विवरण-II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए राज्य-वार जिलों, प्रखण्डों की संख्या और उनके अन्तर्गत क्षेत्र

क्रम सं०	राज्य	जिलों की सं०	प्रखण्डों की सं०	कवर किया गया क्षेत्र (000 वर्ग किलोमीटर)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	69	77.15
2.	बिहार	5	54	22.25
3.	गुजरात	8	43	52.99
4.	हरियाणा	1	9	3.01
5.	जम्मू व कश्मीर	2	13	8.57
6.	कर्नाटक	11	71	85.05
7.	मध्य प्रदेश	6	49	40.78
8.	महाराष्ट्र	12	74	116.48
9.	उड़ीसा	4	39	22.10
10.	राजस्थान	8	30	30.05
11.	तमिलनाडु	7	43	17.78
12.	उत्तर प्रदेश	16	87	49.23
13.	पश्चिम बंगाल	3	34	11.20
		91	615	536.64

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ का विकास

3957. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोगों के आगमन को कम करने के उद्देश्य से मेरठ (उत्तर प्रदेश) जिला मुख्या-

लय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के "प्राथमिक नगर" के रूप में विकसित करने सम्बन्धी निर्णय सरकार द्वारा कब लिया गया;

(ख) इस परियोजना के लिए केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और अब तक केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा वास्तविक रूप से कितनी राशि की वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(ग) धनराशि के आवंटन में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है और योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अन्तरिम विकास योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक प्राथमिकता नगर के रूप में मेरठ का विकास करने का निर्णय अगस्त, 1986 में लिया गया था।

(ख) चूंकि यह बोर्ड सन् 1985 में अस्तित्व में आया था, इसलिए 1985-86 तथा 1986 87 के दौरान मेरठ की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 3.5 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। अनुकूल धन राशि, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई थी, वह राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मेरठ के लिए नियतन किये गये थे।

(घ) चल रही परियोजनाओं को सातवीं योजना के अन्त तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है।

चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग में बाल-श्रम

3958. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले खतरनाक उद्योग में कार्यरत 14 वर्ष से कम आयु के कम वेतन पर काम पर लगाए गये हजारों बच्चों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुर्जा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग में नियोजित बालकों के बारे में निजी व्यक्ति द्वारा अध्ययन किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना

3959. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा कहां-कहां तथा किस प्रकार की विशेष अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के लोहा और इस्पात के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का मुख्यालय रांची में है। इस केन्द्र ने विगत 3 वर्षों में लगभग 250 परियोजनाएं हाथ में ली हैं। इस अवधि के दौरान आरम्भ किए गए मुख्य कार्यक्रमों का उल्लेख और प्रत्येक की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र० सं०	गत तीन वर्षों में शुरू की गई मुख्य परियोजनाएं	स्थिति
1	2	3
1.	लोह-मिश्र धातु की खपत कम करने उत्पादन बढ़ाने; इस्पात उत्पादक परिवर्तकों (स्टील मेकिंग कन्वर्टर्स) की आस्तर की मियाद बढ़ाने के लिए इस्पात उत्पादक परिवर्तकों में संयुक्त धमन प्रौद्योगिकी।	बोकारो में लागू की गई और अन्य इस्पात संयंत्रों में क्षैतिज अन्तरण की योजना बनाई जा रही है।
2.	चूना-पत्थर की मांग कम करने, धमन भट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन-लागत कम करने के लिए धमन भट्टियों में चूना धूलि का इंजेक्शन।	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में शुरू की गई है।
3	खुले मुंह की भट्टियों में तापन समय कम करने और विशिष्ट ईंधन की खपत कम करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाना।	राउरकेला इस्पात संयंत्र में लागू की गई और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में लागू की जा रही है।

1	2	3
4.	उन्नत ऊर्जा प्राप्ति के लिये खुले मुंह की भट्टियों में संशोधित जांच पद्धति।	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर में लागू की गई।
5.	कोक की शक्ति में वृद्धि करने के लिए कोयले की ग्रुप-वार पिसाई।	बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में लागू की गई।
6.	इस्पात के लेडलों की समग्र मियाद बढ़ाने के लिए कायनाइट फ्री स्टील मोर्टर लागू करना।	पूरी करके लागू कर दी गई है।
7.	ब्लूमन मिल में इस्पात पिंड का फिसलना समाप्त करने के लिए रोल नलिंग मशीन चालू करना।	भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यान्वित की गई।
8.	स्लैब के उत्पादन के लिए इस्पात पिंडों में सुधार के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र में 16-6 टी सांचे के लिए रिसेस्ड बाटम प्लेटों का डिजाइन तथा विकास	राउरकेला इस्पात संयंत्र में कार्यान्वित किया गया।
9.	2% कार्बन युक्त अधिक कार्बन युक्त स्पंज लोहे का उत्पादन	यह प्रौद्योगिकी लोहा और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, रांची में पायलट रोटरी किल्न में विकसित की गई है।
10.	एच०बी०जे० पाइप लाइन के लिए ए०पी०आई०-एक्स० 60 लाइन पाइप स्टील का उत्पादन	राउरकेला इस्पात संयंत्र में सफलतापूर्बक उत्पादन किया गया।
11.	आटोमोबाइल प्रयोग के लिए एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी एल्युमिनियम किल्ड स्टील का उत्पादन।	राउरकेला इस्पात संयंत्र में सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया।
12.	रेलों के लिए अधिक शक्ति के घिसावट रोधी रेल इस्पात का उत्पादन।	भिलाई इस्पात संयंत्र में सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया।
13.	आटोमोबाइल उद्योग के लिए दोहरे चरण का इस्पात।	राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों में सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया।

महाराष्ट्र को गेहूं की सप्लाई

3960. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना के लिए 80,000 मीट्रिक टन गेहूं की सप्लाई हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में राहत रोजगार कार्यों पर नियोजित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के आबंटनों से 80,000 मीट्रिक टन गेहूं के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

प्रमुख मत्स्य पत्तनों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास

3961. **श्री मतिलाल हंसदा**
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में रैचक सहित प्रमुख मत्स्य पत्तनों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1987 में रायचौक के मत्स्यन पत्तन पर 9·45 लाख रुपये की लागत पर बेतार संचार तथा तलघर (बंकरिंग) सम्बन्धी सुविधाएं मंजूर की गई हैं।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम से उत्पन्न समस्याएं

3962. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम से उत्पन्न समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न व्यापार एसोसियेशनों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं :—

(1) अपराधों को जमानतीय बनाया जाना चाहिए;

(2) माल पकड़े जाने/जब्त किए जाने के मामले में अपीलीय अधिकार क्षेत्र न्यायिक प्राधिकारियों को दिया जाना चाहिए;

(3) अधिनियम के उपबंधों का इस्तेमाल छोटे तथा तकनीकी अपराधों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) राज्य प्रवर्तन एजेन्सियों को जारी किए गए दिशा निर्देश गोपनीय स्वरूप के हैं; अतः उनका ब्यौरा बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

3963. **श्री गदाधर साहा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) राज्य क्षेत्र में है और इसके लिए निधियां राज्य के वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं में प्रदान की जाती हैं। पिछले चार वर्षों अर्थात् 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए गए राज्यवार और वर्षवार परिव्ययों को दर्शाने वाला **एक विवरण संलग्न** है।

विवरण

वर्ष 1983-84 से 1986-87 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए गए परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
		के दौरान अनुमोदित परिव्यय			
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17.34	156.38	97.91	112.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.12	14.32	13.47	21.85
3.	असम	44.88	48.79	62.42	94.41
4.	बिहार	62.81	101.76	105.33	132.65

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	46.16	56.26	159.10	57.18
6.	हरियाणा	30.51	42.38	41.60	41.96
7.	हिमाचल प्रदेश	26.41	30.19	28.63	10.57
8.	जम्मू और काश्मीर	24.38	26.95	33.91	32.02
9.	कर्नाटक	58 95	86.40	84.65	120.62
10.	केरल	23.94	34.18	37.48	40.62
11.	मध्य प्रदेश	77.97	84.30	100.50	106.75
12.	महाराष्ट्र	110 27	114.26	149.04	174.42
13.	मणिपुर	10.45	11.19	12.00	14.18
14.	मेघालय	8.46	8.58	11.02	13.05
15.	मिजोरम	7.45	8.22	9.52	11.32
16.	नागालैण्ड	5.96	6.77	6.46	7·32
17.	उड़ीसा	30·14	32.64	53.43	52.73
18.	पंजाब	22.94	22.73	23.17	20.83
19.	राजस्थान	44.12	51.41	46.17	50.65
20.	सिक्किम	7.22	10.76	9.41	10.06
21.	तमिलनाडु	83.82	101.02	166.23	203.08
22.	त्रिपुरा	12.73	12.47	16.79	22.66
23.	उत्तर प्रदेश	136.04	159.60	229.47	206.49
24.	पश्चिम बंगाल	55.49	44.75	67.83	69.01
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.32	4 19	5 87	3.96
26.	चंडीगढ़	1.32	1.61	2.02	1.69
27.	दादर और नगर हवेली	0.48	0.75	1.05	1.28
28.	दिल्ली	25.69	32.90	33.90	35.52
29.	गोआ, दमन और दीव	3.31	4.06	2.81	3.97

1	2	3	4	5	6
30.	लक्षद्वीप	0.31	0.37	0.73	0.68
31.	पांडिचेरी	2.36	2.80	2.97	3.15
	कुल राज्य क्षेत्र	1154.33	1312.99	16[illegible]5.30	1756.53
	कुल केन्द्रीय अंश	370.10	428.54	448.92*	484.80*
	कुल जोड़	1525.43	1741.53	2064.22	2241.33

*अनन्तिम

देश में तांबे के मूल्य को लन्दन मेटल एक्सचेंज से सम्बद्ध न करने के लिए अध्ययन

3964. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से देश में तांबे के मूल्य को लन्दन मेटल एक्सचेंज से संबद्ध न करने के लिए अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था जिससे तांबा उत्पादन करने वाले उद्योग को मदद मिलेगी;

(ख) क्या सरकार ने ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वे देश में तांबा उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के एक मात्र उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा उत्पादित तांबे के उत्पादन की लागत का अध्ययन करें। ब्यूरो के विचारार्थ विषयों में हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा उत्पादित अशोधित तांबे के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों (एल० एम० ई० मूल्यों) से जोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा करना शामिल है। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

केरल में पर्यटन संवर्धन के लिए केन्द्रीय सहायता

3965. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा किन-किन चालू योजनाओं और प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय

पर्यटन मन्त्रालय ने केरल में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए 218.82 लाख रुपये रिलीज किये हैं।

(ख) पहले से चली आ रही और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई स्कीमों के जिनके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी गई है, ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

1. मालमपुझा में जल-क्रीड़ाएं
2. पथीरामनाल में स्पीड बोट
3. वेली में तैरता रेस्तरां
4. वर्कला में समुद्र-तट-विहार-स्थल
5. पांच स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
6. वाईनाद वन्यजीव अभ्यारण्य हेतु मिनी बसें
7. परम्बिकुलम और नैय्यर वन्यजीव अभ्यारण्यों हेतु मिनी बसें
8. कोचीन और कोवलम के लिए लग्जरी क्रूजर्स
9. त्रिवेन्द्रम संग्रहालय और कनाकाकन्नू महल की प्रकाश पुंज व्यवस्था
10. कोचीन में यात्री निवास
11. कन्नौर में यात्री निवास
12. त्रिचूर में यात्री निवास
13. पोनमुडी में ट्रैकर्स हट्स
14. नैलियनपैथी में ट्रैकर्स हट्स
15. नैय्यर बांध में वनगृह
16. मस्कट होटल, त्रिवेन्द्रम का नवीकरण
17. कोचीन में पर्यटन आवास
18. कुमरकोम पर्यटक परिसर में पर्यटक आवास
19. देवीकुलम में पर्यटक आवास
20. पीरमडी में पर्यटक आवास
21. पोनमुडी में रज्जुमार्ग

पश्चिम बंगाल में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनाएं

3966. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। पर्यटन विभाग पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में पर्यटन का संवर्धन तथा विकास करता है और देश की ओर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की इसकी अनेक स्कीमें हैं। पश्चिम बंगाल की ओर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करना, प्रचार सामग्री का निर्माण करना और प्रिंट मीडिया अभियान शामिल हैं। हाल ही में पर्यटन विभाग ने पश्चिम बंगाल पर जो प्रचार सामग्री तैयार कराई है उसमें ये शामिल हैं :

(1) दार्जिलिंग-कलिम्पोंग-मिरिक-सिलिगुड़ी निर्देशिका

(2) कलकत्ता फोल्डर

(3) कलकत्ता निर्देशिका

(4) शांतिनिकेतन-विष्णुपुर-दुर्गापुर फोल्डर

(5) शांतिनिकेतन-विष्णुपुर-दुर्गापुर निर्देशिका

(6) इस समय पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटक आकर्षणों को शामिल करते हुए राज्य पर एक ब्रोशर प्रकाशनाधीन है।

पश्चिम बंगाल के पर्यटक आकर्षणों को अन्य कई विषयक ब्रोशरों तथा फिल्मों में भी शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित विदेशी टीमों द्वारा निर्मित किए गए अनेक दूरदर्शन वृत्त-चित्रों द्वारा भी पश्चिम बंगाल का प्रचार किया गया है।

(ख) राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अनेक विकासात्मक स्कीमें भी शुरू की गई हैं, 1987-88 के दौरान भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्कीमों के लिए 42.99 लाख रुपये रिलीज किए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
1.	मिरिक झील और रविन्द्र सरोवर के लिए नौकाएं	पहले से चली आ रही स्कीम	0.17
2.	सुन्दरबन में फ्लोटिंग आवास	— वही —	0.50
3.	मायापुर में यात्रिकाएं	11.56	8.00
4.	तीसता और रंगीता नदी का सर्वेक्षण	0.32	0.23
5.	गंगासागर में यात्रिका	17.57	5.00
6.	गदियारा में कुटीर ब्लाक	16.93	5.00
7.	कंकरझोरे और झिम्मिली में पर्यटक गृह-व-रेस्तरां और सियारबोंदा तथा अंदरझोरे में डे सेंटर्स	44.68	10.00

1	2	3	4
8.	शांतिनिकेतन में पर्यटक आवास का विस्तार	38.75	10 00
9.	दुर्गापुर में मार्गस्थ सुविधाएं	26.38	4.00
		156.19	42.99

जीतपुर कोयला खान, धनबाद के श्रमिकों की छंटनी

3967. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का अपनी जीतपुर कोयला खान, धनबाद के श्रमिकों की छंटनी का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में कार्य करने वाले श्रमिकों में से श्रेणीवार कितने श्रमिकों की छंटनी की जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी ने अपनी जीतपुर कोयला खानों में कार्यरत 294 श्रमिकों की छंटनी का एक प्रस्ताव भेजा था। कम्पनी द्वारा दिया गया मुख्य कारण, कोयला खानों की 16 ए सीम के चालू वर्ष के अन्त तक खाली हो जाने की संभावना है जहां श्रमिक काम पर लगे हैं और इस प्रस्तावित छंटनी से प्रतिवर्ष इसके कारण होने वाली 4 करोड़ रुपये की वर्तमान वित्तीय हानि का एक हिस्सा कम हो जाएगा। तथापि केन्द्रीय सरकार ने इस कम्पनी के प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं दी है।

त्रिपुरा में पर्यटन के विकास की योजनायें तथा व्यय

3968. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा में पर्यटन के विकास पर कितनी धन-राशि व्यय की है; और

(ख) इस समय चल रही और त्रिपुरा सरकार की नई प्रस्तावित योजनायें कौन सी हैं जिनके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने त्रिपुरा में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए 19.00 लाख रु० रिलीज किये हैं।

(ख) त्रिपुरा राज्य सरकार ने निम्नलिखित पहले से चली आ रही नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांगी है :—

पहले से चली आ रही स्कीमें :

1. पानीसागर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं

2. पाबीअचेरा में मार्गस्थ मुख सुविधाएं

3. अम्बासा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं

4. अगरतला में यात्री निवास

नई स्कीमें :

1. सेपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें

2. उज्जयन्ता महल, अगरतला की प्रकाश-पुंज व्यवस्था

3. रुद्रसागर झील पर पर्यटक गृह

उड़ीसा में भंडारण क्षमता

3969. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में कितनी भंडारण परियोजनायें आरम्भ की गई है;

(ग) कितनी राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजनाओं को विश्व बैंक से धन प्राप्त हुआ है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा में सहकारी समितियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले 321 गोदामों के लिए स्वीकृति दी है।

(ग) और (घ) इन सभी 321 गोदामों (239 ग्रामीण और 82 विपणन संबंधी) के लिए निधि संबंधी प्रबंध विश्व बैंक (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ) को सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3 परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। 96,200 मोटरीटन की भण्डारण क्षमता वाले ये गोदाम 933.92 लाख रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत किए गए हैं और ये गोदाम सहकारी समितियों द्वारा कृषि तथा लघु वन उत्पाद के परिसंस्करण और विपणन संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने, उनका विस्तार करने, उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों के वितरण और ग्रामींण इलाकों में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के लिए इस्तेमाल करनें के वास्ते हैं। स्वीकृत किए गए कुल गोदामों में से 119 (89 ग्रामीण और 30 विपणन संबंधी) गोदाम पूरे किये जा चुके हैं जिनकी कुल क्षमता 35000 मोटरी टन है और अन्य विनिर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

पेयजल की समस्या वाले गांवों में पेयजल पहुंचाना

3970. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न राज्यों में पेयजल की समस्या वाले जिन गांवों को पेयजल सप्लाई

किया जा चुका है, उनकी संख्या कितनी है तथा वे ऐसे गांवों का कितने प्रतिशत है;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के इन सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल कब तक पहुंचा दिया जायेगा;

(ग) इन गांवों की जनसंख्या बढ़ जाने अथवा इनमें बाहर से लोगों के आ बसने के कारण जहां कहीं आवश्यक है, वहां पेयजल सप्लाई योजनाओं में वृद्धि कर दी गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक **विवरण संलग्न** है ।

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक देश में सभी शेष समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं देने के लिए कवर करने का उद्देश्य है ।

(ग) और (घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार के आधार पर 15 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की जाती हैं ।

विवरण

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों का कवरेज

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर किए जाने वाले कुल समस्या-ग्रस्त गांव	कवर किए गए कुल समस्याग्रस्त गांव*	प्रतिशत कवरेज
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	23928	12237	51
अरुणाचल प्रदेश	1858	1858	100
असम	18224	12782	70
बिहार	23371	20469	88
गोवा	102	88	86
गुजरात	9403	7003	74
हरियाणा	4436	3532	80
हिमाचल प्रदेश	8536	6542	77
जम्मू और काश्मीर	4987	3194	64
कर्नाटक	20853	16503	79
केरल	1230	1142	93

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	38559	33739	87
महाराष्ट्र	17190	14728	86
मणिपुर	1681	1218	72
मेघालय	4348	1450	33
मिजोरम	722	274	38
नागालैंड	1047	614	59
उड़ीसा	36800	31577	86
पंजाब	2791	1145	41
राजस्थान	23353	20117	86
सिक्किम	333	283	85
तमिलनाडु	11531	10481	91
त्रिपुरा	5379	3824	71
उत्तर प्रदेश	71049	52634	74
पश्चिम बंगाल	21558	17565	81
दादरा और नगर हवेली	—	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	213	213	100
लक्षद्वीप	11	11	100
पांडिचेरी	164	130	79
दिल्ली	89	89	100
दमन और दीव	—	—	—
योग :	353746	275442**	78

* राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से फरवरी, 19·8 के अन्त तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार।

** इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में समस्याग्रस्त गांवों को आंशिक रूप से कवर किया गया था।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान हेतु विशेष सेल

3971. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु विशेष सैल स्थापित करने के बारे में 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काउंसिल फार एडवांसमेंट फार रूरल टेक्नालाजी ने क्या कार्यक्रम नीतियां और प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं; और

(ख) सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध में प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए इन प्राथमिकताओं के अनुसार क्रियान्वित की गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद और भारतीय विकास लोक कार्यक्रम को मिला दिया गया है और 1-9-1986 को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद (कापार्ट) नामक एक नई सोसाइटी गठित की गई है । इसके उद्देश्यों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. ग्रामीण सम्पन्नता में वृद्धि करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन व बढ़ावा देना और स्वैच्छिक प्रयासों में सहायता करना;

2. इस बारे में नये प्रौद्योगिकी निवेशों को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण विकास के स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ बनाना और बढ़ावा देना;

3. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप में सृजित करने और उनका प्रचार व प्रसार करने हेतु सभी प्रयासों को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय नोडीय बिन्दु के रूप में कार्य करना ।

4. परियोजनाओं/योजनाओं को बढ़ावा देने, सहायता देने, मार्गदर्शन करने, गठित करने, आयोजना बनाने, इन्हें शुरू करने, विकसित करने, उनका रख-रखाव करने तथा समन्वय करने का उद्देश्य चहुंमुखी विकास करना, रोजगार के अवसरों को सृजित करना, लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उनमें जागरूकता पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतया लोगों के जीवन स्तर तथा विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से विकलांग लोगों के स्तर को सुधारना;

5. अनुसंधान और विकास की संस्थाओं को मजबूत बनाना या संस्था स्थापित करना ताकि पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से ग्रामीण हितों के मामलों पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं स्थापित हो सकें; और

6. ग्रामीण विकास के कार्यों विशेषरूप से महिलाओं के हितों के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास में तनकी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त विकसित प्रौद्योगिकियों पर महत्व देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मेलन, भाषण तथा विचार गोष्ठियां आयोजित अथवा प्रायोजित करना ।

नई और उन्नत किस्म की संगत टेक्नालोजी को विकसित करने और उसका हस्तांतरण करने में गरीबी निवारण कार्यक्रमों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण और पिछड़े क्षेत्रों के उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन और हस्तान्तरण में प्राथमिकता दी गई है । यह भी निर्णय लिया गया है कि फिलहाल प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण के लिए अलग से कोई वितरण प्रणाली स्थापित न की जाए और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला उद्योग केन्द्रों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राज्य परिषदों, अन्य अनुसंधान संस्थाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों जैसे काफी पहले से स्थापित विद्यमान आधारभूत ढांचों का उपयोग किया जाए ।

नई और उन्नत किस्म की ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना का प्रचार व प्रसार करने के भाग के रूप में ग्रामीण प्रौद्योगिकी गाइडें तथा अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं की संगत कतरनों को शामिल करके द्विमासिक प्रकाशन भी किये गये हैं।

दस वाल्यूमों में ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की एक राष्ट्रीय डायरेक्टरी भी प्रकाशित की गई है।

काफी समय से चुने क्षेत्रों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कम लागत वाले आवास मकान और हथकरघा शुरू किये जा चुके हैं। अन्य हाथ में लिये गये कार्य ये हैं—स्वच्छता, जल प्रबंध, ग्रामीण सड़कें और सामाजिक वानिकी।

(ख) परिषद द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्द्ध में प्रौद्योगिकी परीक्षण और हस्तान्तरण के लिए 9.62 करोड़ रुपये के औसत परिव्यय से अब तक 205 परियोजनाओं को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है।

विदेशी विमान कम्पनियों की चार्टर्ड उड़ानें

3972. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988 के दौरान विदेशी विमान कम्पनियों को अनेक पर्यटन चार्टर उड़ानों की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चार्टर उड़ानों से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने का अनुमान है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1988 के दौरान सरकार ने पर्यटक चार्टर उड़ानों का परिचालन करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किये हैं :—

(i) केरको चार्टर्स, टोरांटो, कनाडा द्वारा चार्टर उड़ानों का टोरांटो/फ्रैंकफर्ट/काठमांडू/कलकत्ता/फ्रैंकफर्ट/टोरांटो के बीच 15 मई, 1988 से एक वर्ष के लिए साप्ताहिक आधार पर परिचालन करने हेतु।

(ii) इंप्रेशन्स ईस्ट लिमिटेड, यू० के० द्वारा चार्टर उड़ानों का यूरोप/यू० के० से गोआ के बीच 30 अक्तूबर, 1988 से 16 अप्रैल, 1989 के दौरान सप्ताह में दो बार (बाई-वीकली) आधार पर परिचालन करने हेतु।

(ग) इन चार्टर उड़ानों से लगभग 12.38 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान लगाया गया है।

बीड़ी श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा देना

3973. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बीड़ी श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ कितने बीड़ी श्रमिकों को मिलता है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 28-2-1988 को 21,331 बीड़ी श्रमिक।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	28-2-1987 को बीड़ी श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.50
2.	बिहार	3.50
3.	गुजरात	0.80
4.	कर्नाटक	4.85
5.	केरल	2.00
6.	मध्य प्रदेश	5.80
7.	महाराष्ट्र तथा गोवा	2.50
8.	उड़ीसा	1.60
9.	राजस्थान	1.16
10.	तमिलनाडु	2.25
11.	उत्तर प्रदेश	4.50
12.	पश्चिम बंगाल	4·50
13.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (असम तथा त्रिपुरा)	0.35
		36.31

मृत आवंटितियों के फ्लैटों का अन्तरण

3973. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या शहरी विकास मंत्री मृत आवंटितियों के फ्लैटों के अन्तरण के बारे में 16 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में तब से कोई निर्णय लिया गया है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो असाधारण विलम्ब का क्या कारण है और आवश्यक कार्यवाही करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि रक्त सम्बन्धी वैधानिक उत्तराधिकारी के अलावा उन व्यक्तियों को मनोनीत का नामांकन

करने की सुविधा केवल किराये खरीद आधार पर उसको आवंटित फ्लैट के मामले में भी दी जाय और जिस मामले में खरीददार ने नामांकन प्रस्तुत किया है, उसमें 50% की अर्जित उप-कर की वसूली के बिना खरीददार की मृत्यु के बाद फ्लैट मनोनीत के नाम पर अन्तरित किया जाय क्योंकि मनोनीत को सम्पत्ति खरीददार या लाभभोगी के रूप में वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती है और जिस मामले में खरीददार ने नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है, उस मामले में उत्तराधिकारी के कानून के अनुसार अन्तरण किया जाय।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध की उत्पादन लागत में कमी

3975. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में विकसित "बाई-पास" प्रोटिन "फूड" तकनीक से दूध की उत्पादन लागत में कितनी कमी हो सकेगी;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयोग किया गया है कि उपयोग किये जाने वाले पशु आहार में पोषकता की दृष्टि से कोई कमी न रह जाये;

(ग) यदि हां, तो कहां और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) क्या इस नई तकनीक का प्रयोग दूध उत्पादक केन्द्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के केन्द्रों में शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके प्रयोग के अधिकाधिक प्रचार के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गन्धमार्दन में प्रस्तावित खनन परियोजना

3976. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धमार्दन स्थित बाल्को बाक्साइट खनन परियोजना के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल्को ने अमरकंटक में वनीकरण का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है; और

(घ) क्या "बाल्को" द्वारा गन्धमार्दन में प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पहले से ही उठाये गये प्रारम्भिक कदमों के प्रभावों को निश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री परमानन्द यादव) : (क) और (ख) गन्धमार्दन बाक्साइट परियोजना के बारे में डा० बी० डी० नागचौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सरकार ने जांच कर ली है और परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति इस शर्त पर दी है कि परियोजना पर काम तब तक आरम्भ नहीं होगा, जब तक

संशोधित पर्यावरण प्रबन्ध योजना प्रस्तुत नहीं की जाती और वह प्रस्तावित पर्यावरण प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं कर ली जाती तथा उसे पर्यावरण और वन मंत्री तथा इस्पात और खान द्वारा नहीं देख लिया जाता। सरकार ने संशोधित पर्यावरण प्रबन्ध योजना पर विचार हेतु पर्यावरण प्रबन्ध प्राधिकरण गठित कर लिया है और गन्धमार्दन बाक्साइट प्रोजेक्ट पर विचार हेतु उसकी तीन बैठकें 17-11-1987, 15-1-1988 तथा 29-2-1978 को हो चुकी हैं।

(ग) बाल्को ने अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में अपनी खान पर संतोषजनक वृक्षारोपण किया है, जिसकी राज्य सरकार व अन्य विभिन्न एजेंसियों ने प्रशंसा की है।

(घ) गंधमार्दन प्रोजेक्ट कार्यान्वियन हेतु बाल्को द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रारम्भिक कदमों के प्रभावों का बाल्को के अलावा निम्नलिखित द्वारा भी मूल्यांकन/सर्वेक्षण किया गया है :—

(1) बाल्को गंधमार्दन प्रोजेक्ट के सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों के आकलन हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा की अध्यक्षता में जून, 1985 में गठित कमेटी द्वारा उसके बाद ही उड़ीसा सरकार ने बाल्को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिया था।

(2) बाल्को द्वारा शुरू किये जाने वाले विस्फोटन कार्यों से नृसिहनाथ मंदिर को होने वाले सम्भावित नुकसान की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1985 में गठित कमेटी ने पाया कि कम्पन मापी (वाइब्रोमीटर) से किये गये परीक्षणों से यह निर्णायक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि खनन कार्यों का मंदिर भवन पर रंचमात्र भी असर नहीं पड़ेगा।

सवाई माधोपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना

3977. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
श्री बसुदेव आचार्य
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता का वचन दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1.	प्रवर्तक	—	मैसर्स अरावली फर्टिलाइजर्स लि०
2.	क्षमता	—	अमोनिया—1350 टन प्रति दिन यूरिया—2250 टन प्रति दिन (2 स्ट्रीम्स में)
3.	अनुमानित लागत	—	764.00 करोड़ रुपये
4.	आशयपत्र की वर्तमान वैधता		16-4-88

5. वर्तमान स्थिति — तकनीकी सहयोग समझौते को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

(ख) परियोजना के लिए किसी विदेशी सहायता का बचन नहीं दिया गया है।

गोपालपुर में एक मत्स्य पत्तन की स्थापना

3978. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से गोपालपुर में एक मत्स्य पत्तन की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को इस बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है;

(ग) क्या केन्द्र से किसी समिति ने इस स्थान का दौरा किया है, यदि हां, तो समिति की क्या रिपोर्ट है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उड़ीसा सरकार केन्द्र से ऐसे कितने पत्तनों की स्थापना के लिए अनुरोध कर चुकी है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी हां, राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश ध्यान में रखी गई है।

(घ) गोपालपुर के अतिरिक्त, अरतरंग में मत्स्यन बन्दरगाह का प्रस्ताव किया गया है। इन परियोजनाओं को निधियों के अभाव के कारण आस्थगित करना पड़ा है।

गुजरात में किसानों को हानि

3979. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक**
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सीताराम जे० गावली
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1988 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय सामान्य बीमा निगम और गुजरात सरकार ने किसानों को 267 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित कर दिया है जिसके वे फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वैध रूप से हकदार हैं;

(ख) क्या पिछले वर्ष फसलों का बीमा 53 करोड़ रुपये का था और किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 16 करोड़ रुपए प्राप्त हुए;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिनकी फसलें

प्राकृतिक विपदाओं के कारण नष्ट हो गई थीं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार को बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात के क्षतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में 13 फरवरी, 1988 को "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। तथापि, यह कहना सही नहीं है कि भारतीय साधारण बीमा निगम और गुजरात सरकार की लापरवाही के कारण किसानों को लगभग 267 करोड़ रुपए के राजस्व से वंचित रहना पड़ा है। राज्य में खरीफ 1987 मौसम के लिए अनुमानित दावे लगभग 214 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। भारत सरकार को उपज संबंधी सम्पूर्ण आंकड़े और इन दावों का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। खरीफ, 1986 मौसम में गुजरात में कुल बीमाकृत राशि लगभग 152 करोड़ रुपये थी। इनमें से, 51.18 करोड़ रुपये के दावे क्षतिपूर्ति दावों के रूप में देय हैं। 9.29 करोड़ रुपये की राशि पहले ही अदा कर दी गई है। शेष दावों को अदा करने के लिए साधारण बीमा निगम को निधि जारी कर दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे किसी निर्धारित मौसम के समाप्त होने के 4 महीनों की अवधि के भीतर उपज संबंधी सम्पूर्ण आंकड़े साधारण बीमा निगम को भेज दें, ताकि बीमाकृत किसानों को अदा किए जाने वाले क्षतिपूर्ति दावे शीघ्रता से निपटाए जा सकें।

दिल्ली में दूसरा अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल

3980. **श्री पी० एम० सईद :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक दूसरा अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) तो क्या इस बीच योजना को मंजूरी दी जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो टर्मिनल का निर्माण किस स्थान पर किया जायेगा, इसकी क्षमता कितनी होगी तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) प्रस्तावित टर्मिनल की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मात्स्यिकी विश्वविद्यालय

3981. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक मात्स्यिकी विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा; और

(ग) क्या इसके स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, बम्बई को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

50 किलोग्राम के बोरों में खाद्यान्न

3982. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरों में अनाज भरने की अधिकतम सीमा 50 किलोग्राम निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन त्रिपक्षीय समिति ने मजदूरों द्वारा ऐसी बोरियों को उठाने की सिफारिश की है जिनका वजन 50 किलोग्राम से अधिक न हो। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों को हैंडल करने में 50 किलोग्राम की पैकिंग को अपनाने की तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों को सुलझाने के लिए प्रयोग कर रहा है।

केरल में चावल की आधुनिक मिल की स्थापना

3983. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चावल की आधुनिक मिल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और इन्हें कहां-कहां स्थापित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखा में भी उपज देने वाली खाद्य फसलें

3985. **श्री सीताराम जे० गावली**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखा पड़ने पर भी उपज देने वाली विभिन्न खाद्य फसलों के विकास और अधिक कृषि उत्पादन के लिए उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) सूखा प्रतिरोधी किस्में और सुधरी उत्पादन तकनीकों का ब्यौरा क्रमश: सभा पटल पर रखे गये विवरण-I तथा II में दिया गया है।
[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०**—5758/88]

केन्द्रीय दल का सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा

3986. **श्री सीताराम जे० गावली**
श्री मानिक राव होडल्य गावित
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले प्रत्येक केन्द्रीय दल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय दल ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) राज्य-वार भूमि और पशुओं की कितनी क्षति हुई तथा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या किसी राज्य ने उपलब्ध कराई गई सहायता के अतिरिक्त और अधिक सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987 के सूखे से प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल के सदस्यों के नाम सभा पटल पर रखे गये अनुबंध-I में दिए गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—**5759/88]

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है। 1987 के सूखे के सम्बन्ध में अब तक सूखा राहत के लिए मंजूर की गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये अनुबंध-2 में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**—5759/88]

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापनों में दी गई सूचना के अनुसार 87 के सूखे के कारण हानियों को सीमा के राज्य-वार ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये अनुबंध-3 में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—5759/88]

(घ) और (ङ) सूखा राहत के लिये पहले ही मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमाओं के अतिरिक्त और अधिक मांगें, मार्च, 1988 तक की अवधि के लिए उड़ीसा से और जून/जुलाई, 1988 तक की अवधि के लिए हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों से प्राप्त हुई है। उड़ीसा के मामलों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है, जब कि राजस्थान तथा हरियाणा के अनुरोधों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।

तिलहनों का उत्पादन

3987. **श्री एस० जी० घोलप :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मूंगफली, बिनौले और सोयाबीन और खोपड़ा की प्रति हैक्टेयर उपज कितनी है; और

(ख) अन्य देशों में इनकी प्रति हैक्टेयर अधिकतम उपज कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भारत में मूंगफली, बिनौला तथा सोयाबीन की प्रति हैक्टेयर उपज (वर्ष 1985-86 से संबंधित) के साथ-साथ इसका उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में प्राप्त की गई अधिकतम उपज (वर्ष 1986 के लिए) नीचे दी गई है :—

प्रति हैक्टेयर उपज (किलो ग्राम)

फसल	भारत	अत्यधिक	(में उपलब्ध की गई)
मूंगफली	719	2701	(संयुक्त राज्य अमरीका)
बिनौला	394	2208	आस्ट्रेलिया
सोयाबीन	764	3454	(इटली)

नारियल (खोपरा के रूप में) के लिए भारत में उपलब्ध की गई उपज प्रति हैक्टेयर 5524 गिरियां हैं। अन्य देशों के लिए इसी प्रकार के आंकड़े खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन इयर बुक में प्रकाशित नहीं हैं।

खाद्य तेल का उत्पादन, आयात तथा खपत

3988. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
श्री जायनल अबेदिन } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश के आन्तरिक स्रोतों से कितनी मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) वर्ष के दौरान लगभग कितनी मात्रा में खपत हुई;

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए लगभग कितनी मांग की गई;

(ड़) चालू वर्ष के लिए कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(च) लगभग कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) तेल वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन, उनके आयात तथा खपत की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा लाख मी० टन में

उत्पादन	आयात	खपत
34.00 (लगभग) (संशोधित)	14.97	47.80

(घ) और (ड़) तेल वर्ष 1987-88 के लिए अनुमानित मांग 52 लाख मी० टन के आस-पास है। उत्पादन के अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय सरकार द्वारा विभिन्न घटकों, जैसे मांग व आपूर्ति के बीच अंतर, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर किया जाता है।

(छ) सूखे के कारण देशीय तेलों के मूल्यों पर दबाव था इन मूल्यों में हाल में कमी का रुख दिखाई दिया है।

पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निमम को अन्तरण

3989. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मंत्री पुनर्वास कालोनियों की सेवाओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरण के बारे में 28 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 44 पुनर्वास कालोनियों के नाम क्या हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरित की गई हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान सेवाओं में कमियां दूर करने के लिए अपेक्षित व्यय की जांच करने हेतु नियुक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) कमियां दूर करने में कुल कितना व्यय किया जायेगा और प्रत्येक कालोनी पर कितना व्यय होगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस समय राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास संलग्न विवरण के अनुसार 44 पुनर्वास कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग) समिति को इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

विवरण

पुनर्वास कालोनियों की सूची

1. ख्याला चरण-I
2. चौकाखंडी
3. पाण्डव नगर
4. शकरपुर-चरण I
5. शकरपुर-चरण-II
6. ख्याला चरण-II
7. ख्याला चरण-III

8. नारायणा
9. मंगोलपुरी
.0. मादीपुर
11. खानपुर
12. ज्वालापुरी चरण-I
13. ज्वालापुरी चरण-II
14. नन्दनगरी ब्लाक, ए से ई
15. नन्दनगरी ब्लाक एफ से
16. न्यू सीमापुरी
17. मोची बाग
18. वजीरपुर
19. पुरानी सीमापुरी
20. सीलमपुर चरण-I
21. सीलमपुर चरण-III
22. त्रिलोकपुरी चरण-I तथा II
23. सीलमपुर चरण-II
24. खिचड़ीपुर
25. कल्याणपुरी
26. हिम्मतपुरी
27. सीलमपुर चरण-4
28. नांगलोई चरण-I
29. नांगलोई चरण-II
30. नांगलोई चरण-III
31. मंगोलपुरी
32. सुल्तानपुरी
33. जहांगीरपुरी
34. पंखा रोड और होस्टल
35. रघुबीर नगर
36. दक्षिणी पुरी एक्स०

37. तिगरी

38. मदनगीर चरण-II

39. मदनगीर चरण-I

40. सनलाईट कालोनी

41. श्रीनिवासपुरी

42. गोकलपुरी

43. दक्षिणपुरी

44. हैदरपुर (अब कोई पुनर्वास कालोनी शेष नहीं है)

ब्लैक काटन सायल रिसर्च स्टेशन, धारवाड़ को अन्यत्र ले जाना

3990. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्लैक काटन सायल रिसर्च स्टेशन, धारवाड़ (कर्नाटक) को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली भूमि का लाखों एकड़ भाग इस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) से (ग) वर्ष 1976 में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में काली कपास वाली मिट्टी के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक एडवान्स केन्द्र स्वीकृत किया था। केन्द्र द्वारा किये गये कार्य का एक पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा मूल्यांकन किया गया था। समीक्षा दल की सिफारिशों तथा वर्ष 1988 में भोपाल में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, की स्थापना को ध्यान में रखते हुए भी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ से कहा गया है कि वह 1988-89 के अपने बजट से इस केन्द्र को चलाये।

कोलार क्षेत्र में भारत-सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अध्ययन

3991. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ द्वारा किये गये संयुक्त भूवैज्ञानिक अध्ययन से उस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में और अधिक सोना मिलने की संभावना का पता चला है; जैसा कि 23 फरवरी, 1988 के "हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

3992. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री सनत कुमार मंडल : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" के बर्नपुर वर्क्स का आधुनिकीकरण करने और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है; और

(ग) इस पर कुल कितनी पूंजीगत लागत आने का अनुमान है और इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। सरकार ने "इस्को" के बर्नपुर कारखाने का आधुनिकीकरण करने की बात सिद्धान्त रूप में मान ली है।

(ख) जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जाइका) द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट में 21.5 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात की आधारभूत वार्षिक क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कारखाने का दो चरणों में विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 2930 करोड़ रुपये है और सरकार से अनुमति प्राप्त होने की तारीख से इसके $6\frac{1}{2}$ वर्षों में पूरा जाने की सम्भावना है।

राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन

3993. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने 13 फरवरी, 1988 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता की पुनरीक्षा करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्धों को मॉनीटर करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक को वित्त मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री ने संयुक्त रूप से सम्बोधित किया था। बैठक में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता सुनिश्चित करने, आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता की पुनरीक्षा हेतु व्यवस्था करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, आदि के लिए उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा की गई।

"कृभको" से उर्वरक परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव

3994. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री बी० एस० बसवराजू : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कृभको" ने वित्तीय व्यवस्था सहित नई उर्वरक परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "कृभको" के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की सम्भावना है और उसमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो कृभको की सहायता से उर्वरक संयंत्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यद्यपि विभिन्न सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है लेकिन अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन

3995. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन की विकास हेतु कोई अध्ययन सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इनमें से प्रत्येक द्वीप में पर्यटन के विकास हेतु कुल कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) पर्यटन का विकास करते हुए इन क्षेत्रों में पर्यटकों का आवश्यकता से अधिक संख्या में आने को रोकने तथा इन द्वीपों की परिस्थिति की और पर्यावरण के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप-समूहों में पर्यटन का विकास करने के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण की संचालन समिति ने हाल ही में एक अध्ययन पूरा किया है। इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि इन द्वीप-समूहों पर पर्यटन के भावी विकास को एक नई दिशा प्रदान की जाए जिससे समुद्रीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ी तथा उस पर निर्भर मनोरंजन, सुविधाओं का सृजन हो सकेगा।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप का विकास करने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 30.00 लाख रुपये प्रदान किये हैं।

(घ) इन द्वीप समूहों में आने वाले पर्यटकों की अधिक संख्या को रोकने के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं—पर्यटक यातायात को विनियमित करना और पर्यटन आधार संरचना तथा सुविधाओं का विकास करने के लिए दिशा निर्देश बनाना।

पर्यटकों के आगमन के दुष्प्रभावों को रोकने सम्बन्धी उपाय

3996. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लद्दाख में पर्यटकों को अनयंत्रित आगमन के किसी दुष्प्रभाव की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) पर्यटन विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में ऐसे प्रभावों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय करने का सुझाव दिया गया है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार को लद्दाख के ट्रेकिंग मार्गों पर प्रदूषण सम्बन्धी समस्या की जानकारी है।

(ख) ट्रेकिंग एजेंटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कैम्प स्थलों को साफ-सुथरा रखें और प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।

(ग) पर्यटन सहित किसी भी औद्योगिक कार्यकलाप के दुष्प्रभावों को केवल उचित आयोजना तथा आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करके कम अथवा रोका जा सकता है। अत: पर्यटक केन्द्रों पर ऐसी सुविधाओं को सृजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का बंद किया जाना

[हिन्दी]

3997. **श्री हरीश रावत :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित कुछ गोदाम बंद कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गोदामों के नाम क्या हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है और उन्हें कब से बंद किया गया है और उन्हें किस आधार पर बंद किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) **एक विवरण संलग्न** है जिसमें जनवरी, 1987 से जनवरी, 1988 तक पश्चिम बंगाल में बंद कर दिए गए गोदामों का ब्यौरा दिया गया है। इन गोदामों को बन्द करने के कारण इस प्रकार थे : (1) बांकुरा और बीरभूम जिलों में राज्य सरकार द्वारा खुदरा वितरण को अपने अधिकार में ले लेना; अथवा (2) कुछ गोदामों का अलाभकारी हो जाना/भंडारण के लायक न रह जाना अथवा भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता से फालतू हो जाना।

विवरण

जनवरी, 1987 से जनवरी, 1988 तक पश्चिमी बंगाल में बंद किये गये गोदाम

जिला	केन्द्र	क्षमता (मीटरी टन)	मास जिसमें बंद किये गए
1	2	3	4
बांकुरा	ओंडा	600	जून, 1987
	छतरा	800	सितम्बर, 1987
	गंगाजोल घाटी	500	सितम्बर, 1987
	झांटी पहाड़ी	600	सितम्बर, 1987
	छत्र मोरे	420	सितम्बर, 1987
	पात्र सयेर	400	सितम्बर, 1987
	साशपुर	250	सितम्बर, 1987
	तिलडंगरा	150	सितम्बर, 1987
	खात्रा	980	दिसम्बर, 1987
	नलहाटी	500	मार्च, 1987
बीरभूम	सूरी	600	मार्च, 1987
	छतरा	500	दिसम्बर, 1987
	किरनहार	270	दिसम्बर, 1987
	मुरारै	800	दिसम्बर, 1987
	लोहापुर	800	दिसम्बर, 19 7
बुर्दवान	दानीहाट	510	जनवरी, 1987
	दोमोहानी	960	मार्च, 1987
	पानागढ़	800	मार्च, 987
	सुमन्दरगढ़	510	मार्च, 1987
कलकत्ता	अगरपाड़ा	5000	जनवरी, 1987
हुगली	जिरात	400	मार्च, 1987

1	2	3	4
मिदनापुर	बड़ाजलचक	160	मार्च, 1987
मुर्शिदाबाद	गौरा	600	मार्च, 1987
24-परगना	डोहरिया	6730	दिसम्बर, 1987

"हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन" में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

3998. **श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन, में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) कुछ शिकायतों की हिन्दुस्तान वेजिटेवल आयल्स कारपोरेशन की सतर्कता विंग द्वारा जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। कुछ मामलों में, जहां जांच पूरी हो चुकी है, उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

विन्ध्याचल में पर्यटन स्थलों का विकास

3999. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्याचल क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का संवर्धन और उनका विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन क्षेत्रवार अथवा राज्यवार आधार पर नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है। मंत्रालय को विन्ध्याचल क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. अमरकंटक में पर्यटक विश्राम गृह

2. खजुराहो में पर्यटक विश्राम गृह

3. खजुराहो में ओपन एयर थियेटर

ये प्रस्ताव वर्ष 1988-89 के लिए हैं जिन पर प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

किसान परिवारों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाना

[अनुवाद]

4000. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश में अब तक कितने किसान परिवारों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया है और शेष किसान परिवारों को इनका सदस्य बनाने के लिए राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) कुल सदस्यों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के किसान परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकारी समितियों द्वारा वर्ष 1986-87 और 1987-88 (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार) के लिए कितनी धनराशि के कृषि-ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 30 जून, 1988 को प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी की कुल सदस्यता 721.17 लाख थी, जिसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सदस्यता 164.65 लाख थी। राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए सहकारी समितियों द्वारा दिये गये कृषि ऋण से सम्बन्धित राज्यवार और संघ राज्य-क्षेत्रवार, लक्ष्य तथा उपलब्धि की मात्रा संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत की गई है।

विवरण-I

30.6.1986 को प्राथमिक कृषि समितियों की सदस्यता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यता हजारों में		
		योग	जिसमें अनुसूचित जाति	जिसमें अनुसूचित जन जातियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75,22	8,83	3,43
2.	असम	22,18	1,40	3,03
3.	बिहार	58,24	6,98	3,62
4.	गुजरात	19,72	1,43	2,52
5.	हरियाणा	13,84	2,65	—
6.	हिमाचल प्रदेश	7,09	1,72	22

1	2	3	4	5
7.	जम्मू व कश्मीर	2,71	—	—
8.	कर्नाटक	44,12	5,65	1,48
9.	केरल	57,67	6,98	71
10.	मध्य प्रदेश	50,23	8,92	9,90
11.	महाराष्ट्र	64,50	5,50	7,50
12.	मणिपुर	1,81	—	77
13.	मेघालय	74	5	69
14.	नागालैंड	4	—	4
15.	उड़ीसा	31,49	5,19	7,21
16.	पंजाब	17.72	2,52	1,23
17.	राजस्थान	42,89	9,39	7,28
18.	सिक्किम	14	—	—
19.	तमिलनाडु	70,52	12,62	2,99
20.	त्रिपुरा	2,24	36	1,00
21.	उत्तर प्रदेश	1,09,53	20,49	2,05
22.	पश्चिम बंगाल	27,20	5,29	2,74
23.	अंदमान और निकोबार	5	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	7	—	7
25.	चंडीगढ़	5	1	—
26.	दादर और नगर हवेली	7	—	6
27.	दिल्ली	—	—	—
28.	गोवा दमन और दीव	68	1	1
29.	लक्षद्वीप	5	—	4
30.	मिजोरम	—	—	—
31.	पांडिचेरी	36	7	—
		7,21,17	1,06,06	38,59

विवरण-II

1986-87 के दौरान (लक्ष्यों की तुलना में) तथा 1987-88 के लक्ष्यों के लिए अल्पावधि मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1986-87 अल्पावधि लक्ष्य	1986-87 अल्पावधि उपलब्धि	1986-87 मध्यावधि लक्ष्य	1986-87 मध्यावधि उपलब्धि	1986-87 दीर्घावधि लक्ष्य	1986-87 दीर्घावधि उपलब्धि	1987-88 (लक्ष्य) अल्पावधि	1987-88 (लक्ष्य) मध्यावधि	1987-88 (लक्ष्य) दीर्घावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00	178.00	10.00	3.75	75.00	73.85	225.00	10.00	90.00
2.	असम	7.50	4.26	5.00	1.11	5.00	0.67	8.30	6.15	6.00
3.	बिहार	75.00	86.00	10.00	7.50	40.00	43.44	125.00	15.00	75.00
4.	गुजरात	240.00	221.29	40.00	8.48	37.00	22.86	310.00	50.00	43.00
5.	हरियाणा	220.00	174.57	6.00	13.06	60.00	38.64	230.00	9.00	70.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5.50	4.98	10.00	11.15	2.00	1.80	6.00	12.00	2.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू और कश्मीर	8.00	6.17	2.00	0.25	2.75	2.00	8.50	2.25	3.25
8.	कर्नाटक	130.00	112.23	10.00	9.25	45.00	39.38	140.00	10.00	50.00
9.	केरल	320.00	273.14	57.00	64.18	38.00	35.25	330.00	60.00	45.00
10.	मध्य प्रदेश	220.00	274.22	10.00	16.50	45.00	31.78	260.00	12.00	40.00
11.	महाराष्ट्र	350.00	407.95	40.00	84.86	66.00	60.42	385.00	50.00	74.00
12.	मणिपुर	1.00	2.41	0.30	—	0.10	—	3.00	0.50	0.25
13.	मेघालय	1.75	1.27	0.60	0.02	0.60	0.12	2.00	0.60	0.60
14.	नागालैंड	4.00	0.54	1.00	0.60	0.15	—	4.40	1.00	0.20
15.	उड़ीसा	95.00	46.68	15.00	5.16	15.00	7.62	60.00	10.00	15.00
16.	राजस्थान	125.00	64.89	12.00	4.35	25.00	21.61	125.00	8.00	25.00
17.	तमिलनाडु	160.00	160.34	20.00	26.53	20.00	16.26	185.00	22.00	20.00
18.	त्रिपुरा	5.00	0.98	2.00	1.07	6.00	0.24	5.00	1.50	1.00
19.	उत्तर प्रदेश	400.00	247.19	55.00	25.18	90.00	86.86	400.00	40.00	90.00
20.	पश्चिम बंगाल	85.00	51.91	2.00	—	15.00	10.53	70.00	2.00	16.00
21.	पंजाब	380.00	348.70	4.00	0.97	62.00	57.18	400.00	3.00	61.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	सिक्किम	0.30	0.08	—	—	—	—	0.20	—	0.05
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.20	0.03	0.30	0 08	—	—	0.25	0.35	—
24.	गोआ	1·00	0.51	0.30	0.02	0.15	0.04	1.25	0.30	0.15
25.	मिजोरम	0.10	—	0.10	—	—	—	0.25	0.15	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.20	0.11	0.10	0.04	—	0.45	0.25	0.65	0.07
27.	चंडीगढ़	0 02	0.05	0.01	0.003	—	—	0.15	0.10	—
28.	दादर और नगर हवेली	0.02	0.03	—	0.004	—	—	0.04	—	—
29.	दिल्ली	0.70	0.81	0.05	0.007	0.10	0.07	1.00	0.05	0.10
30.	लक्षद्वीप	0.03	0.06	0.15	0.18	—	—	0.10	0.15	—
31.	पांडिचेरी	1.75	3.13	0.20	0.15	0.40	0.53	3.00	0.10	0.50
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल :	3037.07	2672.53	313.11	283.86	650.25	551.68	3288.69	326.85	728.92

कण्णनौर और त्रिचूर में यात्री निवास

4001. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने कण्णनौर और त्रिचूर में यात्री निवासों का निर्माण करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कुल कितना परिव्यय होगा तथा उनमें कितनी जगह होगी आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कन्नानौर में यात्री निवास के निर्माण में 60 बैड्स के आवास और अन्य सुविधाओं के लिए 23.22 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता शामिल है, जबकि त्रिचूर में यात्री निवास के लिए 60 बैड्स के आवास और अन्य सुविधाओं के लिए 31.60 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता शामिल है। दोनों प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए हैं।

खाद्यान्नों के स्टाक में कमी के कारण बचत

4002. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का स्टाक, जो पिछले वर्ष 23.5 मिलियन टन था, इस वर्ष घटकर 14 मिलियन टन रह गया है;

(ख) क्या खाद्यान्नों के स्टाक में कमी के कारण इसके रख-रखाव और भण्डारण पर व्यय में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी राशि की बचत हुई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 141 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जबकि 1-1-1987 की स्थिति के अनुसार 236 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ख) और (ग) बफर स्टाक रखने की लागत पर खर्च 1987-88 (बजट अनुमान) के 415.78 करोड़ रुपये से घटकर 1987-88 (संशोधित अनुमान) में 315.62 करोड़ रुपये हो गया है।

आयातित पाम आयल का खरीद तथा फुटकर मूल्य

4003. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश से पाम आयल (पामोलीन) किस मूल्य पर खरीदा जाता है;

(ख) राज्यों को इसका वितरण किस मूल्य पर किया जा रहा है; और

(ग) उपभोक्ताओं के लिए कितना फुटकर मूल्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रय किये गये आर० बी० डी० ताड़ के तेल तथा आर० बी० डी० पामोलीन के औसत लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य क्रमश: 5125 रुपये प्रति मीटरी टन तक 4931 रु० प्रति मी० टन है। इसके अलावा, अन्य प्रभार हैं, जैसे सीमा शुल्क, भण्डारण, सप्लाई आदि।

(ख) राज्यों को सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य इस प्रकार है :—

थोक (बल्क) में—11000 रु० प्रति मी० टन

15 कि० ग्रा० के टीनों में—12,500 रु० प्रति मी० टन

(ग) खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा नियत किये जाते हैं। खुदरा मूल्यों को अधिकतम सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई, जो इस प्रकार है :—

(1) थोक (बल्क) में सप्लाई किये जाने वाले आयातित तेलों के लिये मैदानी क्षेत्रों हेतु 13.05 रुपये प्रति कि० ग्रा०।

(2) टीनों में सप्लाई किये जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के लिये मैदानी क्षेत्रों हेतु 14.40 रुपये प्रति कि० ग्रा०।

(3) टीनों में सप्लाई किये जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के लिये पहाड़ी क्षेत्रों हेतु 14.90 रुपये प्रति कि० ग्रा० (स्थानीय कर अतिरिक्त)।

केरल में धान बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

4004. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की धान बीमा योजना के अन्तर्गत केरल में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को केरल के कृषकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि योजना फसल हानि का मूल्यांकन करने के आधार पर तालूका के साथ बनाई गई थी जो राज्य में धान कृषकों के लिये बहुत अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केरल में धान की खेती करने वालों को अदा किये गये क्षति पूर्ति दावों की राशि, बीमाकृत राशि और स्कीम में शामिल किये गये किसानों की संख्या अगले पृष्ठ पर दी गई है :—

वर्ष	किसानों की सं०	बीमाकृत राशि	अदा किए गए दावे
			(लाख रुपये में)
1985-86	47,839	1101.00	39.19
1986-87	49,300	1552.27	132.71
1987-88	26,637	959.15	10.43
(15-1-1988 की स्थिति)			

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में केरल के कृषकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ समय पहले बृहत फसल बीमा योजना को वैयक्तिक आधार पर कार्यान्वित करने का सुझाव प्राप्त हुआ था। इस पर सहमति नहीं हुई क्योंकि बृहत फसल बीमा एक क्षेत्र आधारित स्कीम योजना है। यह किसी राज्य के केवल उन्हीं अधिसूचित इलाकों में कार्यान्वित की जा सकती है, जहां किसी निर्धारित फसल के पिछले 3/5 वर्षों के पर्याप्त उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और राज्य सरकार मौसम के समाप्त होने पर प्रत्येक ऐसे क्षेत्रों में किसी निर्धारित फसल के लिए फसल कटाई के कम से कम 16 प्रयोग करेगी।

भूमि विकास बैंक कानूनों में संशोधन

4005. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्य सरकारों के भूमि विकास बैंक कानून में संशोधन किये गये हैं जिससे भूमि विकास बैंक उन क्रियाकलापों के लिए भी ऋण दे सकें जो ऋण सूची में नहीं हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्य सरकारों द्वारा कानून में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भूमि विकास बैंकों के कार्यकलापों के बारे में कानून बनाने से संबंधित मामला राज्य का विषय है। अभी तक कर्नाटक, केरल और हरियाणा राज्य सरकारों ने अपने कानूनों में संशोधन किया है, ताकि ये बैंक गैर-भूमि पर आधारित कार्यकलापों के लिए ऋण दे सकें। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस संबंध में अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अन्य राज्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ राज्य यह महसूस करते हैं कि इन कानूनों में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान कानून के तहत उनके पास ये अधिकार हैं कि वे भूमि पर आधारित कार्यकलापों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंकों को अनुमति देने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं। वह समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, जब तक कि सभी राज्य सरकारें इन कानूनों में संशोधन कर देंगी।

राज्यों में ट्रेवलिंग एजेंसियां

4006. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी पंजीकृत तथा कितनी गैर- पंजीकृत ट्रेवलिंग एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) भारतीय श्रमिकों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों में कितनी ट्रेवलिंग एजेंसियां पंजीकृत हैं; और

(ग) उनमें से कितनी एजेंसियां लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी कार्य कर रही हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों के साथ पासपोर्ट विषयों संबंधी कार्य करने के लिए विदेश मंत्रालय के पास 451 ट्रेवल एजेंसियां पंजीकृत हैं। गैर-पंजीकृत एजेंसियों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों के पास पंजीकृत एजेंसियों को भारतीय श्रमिकों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का अधिकार नहीं है। तथावि श्रम मंत्रालय के पास 1265 भर्ती एजेंसियां पंजीकृत हैं जो विदेशों में नियोजन हेतु भारतीय श्रमिकों की भर्ती के लिए प्राधिकृत हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि/परिवार पेंशन को राशि का भुगतान

4007. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मृत कर्मचारियों के नामितों को भविष्य निधि/परिवार पेंशन की राशि का शीघ्र भुगतान करने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नियुक्त नेपालियों के मामले में भविष्य निधि और परिवार पेंशन के भुगतान के लिए पृथक नियम/विनियम हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में रोजगार के रहते हुए मर गये इन प्रवासियों की भविष्य निधि/परिवार पेंशन के भुगतान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों में दावों के निपटान के लिए 20 दिनों की समय सीमा निर्दिष्ट है, बशर्ते कि प्राप्त हुए दावे सभी तरह से पूरे हों।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन हेतु कोई पृथक नियम या विनियम नहीं हैं। तथापि, यदि नेपालियों के सदस्य/दावा करने वाले व्यक्ति चाहें, तो भविष्य निधि संचयन राशि की अदायगी भारतीय सीमा पर स्थित डाकघर के माध्यम से मनीआर्डर द्वारा की जा सकती है। जहां तक परिवार पेंशन प्राप्त कर्ताओं को मासिक पेंशन की अदायगी का संबंध है, काठमांडू में भारतीय दूतावास के जरिये पेंशन देने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं।

भूमि उपयोग के तरीके में अंतर

4008. **श्री अजय विश्वास**
श्री जायनल अबेदिन
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमि उपयोग के तरीके में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इसे पूरी तरह उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भूमि उपयोग के तरीके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो सिंचाई, मृदा की किस्म, वर्षा संबंधी प्रतिमान, किसानों की आर्थिक परिस्थितियों आदि जैसे स्वाभाविक वृत्ति-दानों पर निर्भर होते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, स्थलाकृतिक परिस्थितियों के कारण, कुल क्षेत्र में से बोए गए निबल क्षेत्र की प्रतिशतता अखिल-भारत प्रतिशतता की तुलना में कम है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को झूम-खेती के नियंत्रण के लिए विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए मकान

4009. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्म-चारियों को मकान दिलाने के लिए एक योजना तैयार करली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाने हैं और मकान किन शर्तों पर दिए जाएंगे; और

(घ) इस योजना को कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य हाउसिंग बोर्डों को यह सुझाव दिया गया कि भविष्य निधि अंशदाताओं को मकान देने के बारे में विचार किया जाए बशर्ते कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अंशदाताओं के भविष्य निधि खातों से कुछ आरंभिक अदायगी की जाए तथा यदि कोई राशि शेष हो, तो वह अंशदाताओं से सीधे वसूल की जाए।

(घ) हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में पहले से ही छोटी शुरूआत की गई है।

राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किसानों को बीजों की सप्लाई

4010. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में धान और गेहूं के बीजों की कुल मांग कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किसानों को कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध कराए गए; और

(ग) क्या सरकार का किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई में वृद्धि करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान देश में धान और गेहूं के प्रमाणीकृत/बढ़िया किस्म के बीज की कुल मांग क्रमश: 12.49 लाख क्विंटल और 18.92 लाख क्विंटल है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए गए बीज़ की मात्रा नीचे दी गई हैं :

(लाख क्विंटल में)

	धान	**गेहूं**
राष्ट्रीय बीज निगम	1.02	1.99*
भारतीय राज्य फार्म निगम	0.39	0.48

*इसके अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम ने 1987-88 के दौरान बिहार और जम्मू एवं कश्मीर को गेहूं के करीब 3.9 लाख क्विंटल अप्रमाणित बीज की सप्लाई की।

(ग) जी हां। 1988-89 के दौरान धान और गेहूं के प्रमाणित बढ़िया किस्म के बीज का वितरण सामान्य वर्ष अर्थात् 1986-87 के 15.12 लाख क्विंटल और 13.24 लाख क्विंटल की तुलना में क्रमश: 15.40 लाख क्विंटल और 15.93 लाख क्विंटल है।

क्षेत्रीय पाइप जल प्रदाय योजना

4011. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्रीमती ऊषा चौधरी } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अनुरोध किया है कि क्षेत्रीय पाइप जल प्रदाय की कुछ योजनाएं द्विपक्षीय आधार पर सहायता के लिए उपयुक्त धनदाताओं के सामने रखी जाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने द्विपक्षीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को परियोजना रिपोर्टें भेजी थीं।

(ख) योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	योजना का नाम	योजना की लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	भुसाबल और आदिलाबाद तालुकाओं में 81 गांवों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	10.99

1	2	3
2.	जलगांव तथा धोले जिलों में अमालनेर तथा धूले तालुकाओं में 51 गांवों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	3.78
3.	रायगढ़ जिले के कन्जाट तथा अलीबाग तालुकाओं में 89 गांवों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	8.37
4.	सांगली जिले में बेलुंकी और 11 अन्य गांवों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	3.94
5.	सांगली जिले में मानेराजुरी में क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	6.71
6.	थाने जिले में वसई तालुका में 21 गांवों में और पालधन तालुक में 14 गांवों में क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना।	6.65

(ग) क्रम संख्या 1 पर दी गई परियोजना को ब्रिटेन से सहायता प्राप्त करने के लिए और क्रम सं०-5 पर दी गई परियोजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस बीच उपरोक्त पहली पांच योजनाओं के लिए राज्य सरकार को परियोजना लागत को संशोधित करने और क्षेत्र के गरीब लोगों पर परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव डालने की सलाह दो गई है। क्रमांक 6 पर दी गई योजना को राज्य को लौटा दिया गया है क्योंकि यह अनुमोदित मापदण्डों के अनुरूप नहीं थी।

महाराष्ट्र को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं की सप्लाई

4012. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की सप्लाई की थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गेहूं की सप्लाई रियायती दरों पर करने का अनुरोध किया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए सस्ती दरों पर गेहूं की सप्लाई संबंधी योजना बन्द कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) चूंकि, अधिकांश राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत दी गई सुविधा का स्वयं लाभ नहीं उठाया था, इसलिए 30 जून, 1987 से योजना को बन्द कर दिया गया था।

मुख्य फसलों की उपज-लागत

4013. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री वी० वेंकटेश } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में मुख्य फसलों की उपज उत्पादन सम्बन्धी लागत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : नवीनतम उपलब्ध तीन वर्षों के लिए मुख्य फसलों की कृषि/उत्पादन सम्बन्धी लागत के राज्य-वार ब्यौरे **संलग्न विवरण** में दिए गये हैं।

विवरण

1982-83, 1983-84 तथा 1934-85 के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों की खेती/उत्पादन की लागत

राज्य	फसल	खेती की लागत (रुपए/हैक्टेयर)			उत्पादन की लागत (रुपए/क्विंटल)		
		1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	धान	4421 30	5291.22	—	121.27	141.53	—
	मूंगफली	2598.05	2613.85	—	349.67	393.55	—
	गन्ना	10068.36	11802.29	—	[illegible]	18.27	—
	ज्वार	—	—	1482.90	[illegible]	—	180.66
2. असम	धान	1757.61	2129.87	2263 12	89.17	105.41	115.77
	तोरिया तथा सरसों	1488.84	1964.39	—	249.74	308.42	—

1		2	3	4	5	6	7	8
		पटसन	2425.73	3049.37	3020.34	192.15	195.46	222.65
3.	बिहार	धान	2447.73	2830.80	—	144.64	133.76	—
		गेहूं	3332.42	3119.03	—	134.77	140 07	—
		मक्का	3105.22	2751.64	—	125.89	126.27	—
		पटसन	1941.82	1981.24	—	135.91	183.80	—
		गन्ना	5248.06	4842.04	—	11.77	13.25	—
4.	गुजरात	ज्वार	1530.42	1762.68	—	122.24	122.60	—
		बाजरा	2297.70	2365.01	—	,42.23	120.28	—
		मूंगफली	3198.41	3584.31	—	444.80	411.04	—
		कपास	5906.89	4656.68	—	457.17	527.01	—
5.	हरियाणा	धान	—	—	4977.12	—	—	138.93
		गेहूं	3788.17	4056.73	4262.63	135.00	140.93	141.31
		बाजरा	1444.00	1332.25	1509.93	128.40	135.53	144.88
		चना	1498.26	1516.93	1781.51	268.64	319.27	302.12
		तोरिया तथा सरसों	—	—	2373.69	—	—	220.68

1	2	3	4	5	6	7	8
	गन्ना	4306.01	4745.20	4875.77	12.87	13.16	12.69
6. हिमाचल प्रदेश	गन्ना	2136.84	2171.05	—	158.01	160.55	—
	मक्का	1984.91	2144.58	—	110.80	121.17	—
	आलू	5311.97	6333.41	—	85.70	81.70	—
7. कर्नाटक	धान	3640.84	4030.19	—	111.00	108.94	—
	ज्वार	1245.41	1353.16	—	150.75	117.14	—
	अरहर	1142.91	1513.95	—	269.54	262.46	—
	मूंगफली	2094.63	2429.:8	—	295.40	282.94	—
	कपास	4369.24	5581.29	—	366.77	357.02	—
	गन्ना	6312.71	7807.40	11722.95	8.32	9.07	12.20
8. मध्य प्रदेश	धान	1541 70	1746.76	1924.80	116.86	102.93	142.52
	गेहूं	2126.84	2106.94	2352.16	132.00	140.18	142.70
	ज्वार	1179.06	1146.33	1291.32	117.86	104.71	113.38
	चना	1574.53	1545.35	2074.71	166.18	217.19	278.07
	उड़द	1058.71	1164.95	—	275.80	228.39	—

1		2	3	4	5	6	7	8
		मूंग	1081.83	923.97	1049 50	266.85	265.20	319.26
		सोयाबीन	1593.26	1788.28	2108.23	158.71	228.65	214.73
		कपास	1718.60	1589.11	2747.10	354.53	508.89	361.52
9.	महाराष्ट्र	ज्वार	1651.25	1586 65	—	133.51	124 98	—
		कपास	2129.79	1915 28	—	573.88	445.32	—
		गन्ना	12251 04	13335.39	—	14.71	15.91	—
10.	उड़ीसा	धान	2257.77	2793.68	2811.46	135.31	104.85	114.29
		मूंग	948 20	1198.33	1274.47	319.50	356.51	393.60
		पटसन	2456.01	3252.64	—	141.31	145.32	—
11.	पंजाब	धान	5805.82	6482.42	7016.31	103.87	122.32	137.00
		गेहूं	4227.28	4452.57	5154.72	125 19	137.47	136 33
		कपास	3281.21	3443 70	4527 43	398 08	593.47	357.28
11.	राजस्थान	बाजरा	644 12	732.57	—	107.22	116.50	—
		मक्का	1673.67	2005.64	2504.14	131.04	119.88	120.62
		जौ	2800 40	2294.12	3084 32	113 59	123.21	123.87

1	2	3	4	5	6	7	8
	चना	1184.26	1218.93	1440.46	180.99	211.93	275.05
	मूंग	809.83	730.42	—	284.42	296.73	—
	तोरिया तथा सरसों	1267.76	2065.53	2557.29	265.04	267.31	287-59
13. तमिलनाडु	रागी	2593.02	—	—	156.04	—	—
	उड़द	1840.77	—	—	311.75	—	—
	मूंगफली	3400.87	3713.89	—	326.70	294 49	—
	गन्ना	10124.94	10733.46	—	11.32	10.63	—
14. उत्तर प्रदेश	धान	2744.35	3054.64	—	124.74	118.95	—
	गेहूं	3793.18	3679.69	—	129.69	135.53	—
	चना	2391.36	2450.17	—	201.03	209.00	—
	अरहर	—	—	3109.19	—	—	199 55
	तोरिया तथा सरसों	2293.99	2750.56	—	283.47	325.13	—
	सोयाबीन	2177.43	2043.50	1876.30	155.06	160.04	306.70
	आलू	7839.94	8934.32	7369.27	50.09	47.64	50.57

1	2	3	4	5	6	7	8
	गन्ना	4347.02	—	5443.31	10.07	—	13.99
15. पश्चिम बंगाल	धान	3287.57	4141.52	—	171.29	123 84	—
	उड़द	—	—	2122.01	—	—	286.25
	पटसन	3350.75	4218.96	5240.78	183.15	198.45	417.28
16. आंध्र प्रदेश में वर्जिनिया फ्ल्यू क्यूर्ड	तम्बाकू	7249.15	8313.36	—	820.10	874.78	—

पुरानी भारतीय सभ्यता को चित्रित करने वाली प्रदर्शनी

4015. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम का पुरानी भारतीय सभ्यता को चित्रित करने के लिए प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रदर्शनी में किन मुख्य वस्तुओं को प्रदर्शित करने का विचार है;

(ग) क्या यह प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई जायेगी अथवा इसे भारत के अन्य स्थानों में भी लगाने की सम्भावना है; और

(घ) प्रदर्शनी की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक लगाए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के बजाय खाद्यान्नों की सप्लाई

4016. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा अन्य राज्यों के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां प्रमाणित बीजों के स्थान पर खाद्यान्न सप्लाई किये गये और बीजों की बहुत बड़ी मात्रा खाद्यान्नों के रूप में बेच दी गई;

(ख) यदि हां, तो बीजों की कितनी मात्रा खाद्यान्न के रूप में बेची गई और खाद्यान्नों की कितनी मात्रा बीजों के रूप में बेची गई; और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकलापों में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987-88 के दौरान गेहूं के अप्रमाणित बीजों की सप्लाई के बारे में राष्ट्रीय बीज निगम को बिहार और जम्मू व कश्मीर के किसानों से कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1987-88 में अभी तक गेहूं के बीज खाद्यान्न के रूप में नहीं बेचे गए हैं।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1987-88 के दौरान गेहूं के बीज खाद्यान्न के रूप में नहीं बेचे गये हैं। जहां तक गेहूं के अप्रमाणित बीजों की सप्लाई के लिए बिहार और जम्मू व कश्मीर की सरकारों के विशेष अनुरोध पर गेहूं के अप्रमाणित बीजों के रूप में सप्लाई किए गये खाद्यान्न का सम्बन्ध है, इन दोनों राज्यों को बाकायदा परीक्षण और परिसंस्करण के बाद 3.90 लाख क्विंटल की सप्लाई की गई है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अच्छी क्वालिटी के गेहूं की सप्लाई का काम बिहार और जम्मू कश्मीर राज्यों के विशेष अनुरोध पर किया गया। यह एक बार किया जाने वाला काम था।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

4017. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर 1600 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के "सरवाइवल पैकेज में 470 करोड़ रुपये व्यय करने का भी प्रस्ताव किया है और इन्हें आधुनिकीकरण प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) इन दो प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) "सरवाइवल पैकेज" के कार्यान्वयन के लिए क्या समय सूची है और इस्पात के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संयंत्र और उपस्कर की परिवर्धन, रूपान्तरण और प्रतिस्थापन की सामान्य प्रक्रिया के भाग के रूप में जो सभी इस्पात संयंत्रों द्वारा सतत् आधार पर की जाती है, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने ऐसी स्कीमों का पता लगाया है जिनकी लागत लगभग 480 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। ये स्कीमें आधुनिकीकरण पैकेज का भाग नहीं हैं बल्कि इस संयंत्र और उपस्कर के पुनर्नवीकरण के लिए आवश्यक हैं। इन स्कीमों में से कुछ स्कीमों को "सेल" में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी तक पता लगाई गई स्कीमों के वर्ष 1991-92 तक पूरा होने की सम्भावना है। इन योजनाओं को लागू करने पर, आशा है कि यह संयंत्र प्रतिवर्ष 14 लाख टन का उत्पादन कर सकेगा।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्टैम्पचार्जिंग टैक्नालाजी की खरीद

4018. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने सारबर्गवेर्क ए० जी० से पश्चिमी जर्मनी की संघीय सरकार और सारलैंड स्टेट की संयुक्त स्वामित्व वाली स्टैम्प चार्जिंग टैक्नालाजी की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो स्टैम्प चार्जिंग टैक्नालाजी से क्या मुख्य लाभ प्राप्त होंगे;

(ग) इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कोयले के मामले में इसकी सम्पूर्ण गुणवत्ता इस्पात के प्रति टन उत्पादन के लिए इसकी खपत के मामले में क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे;

(घ) क्या इस नई प्रौद्योगिकी से इस्पात की उत्पादन लागत में भी कमी आयेगी और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) क्या सरकार उत्पादन-लागत को कम करने तथा स्वदेशी कोयले की जिसमें राख के अधिक तत्व होते हैं अधिकतम मात्रा का उपयोग करने के लिए भी कोयला विद्युत ऊर्जा तथा अन्य आदानों की खपत को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र में समेकित इस्पात संयंत्रों में इस प्रौद्योगिकी अथवा किसी अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मैसर्स टिस्को ने सारबर्ग वेर्क, ए० जी० के साथ कोई संविदा नहीं की है। तथापि उसकी सहायक कम्पनी मैसर्स सारबर्ग इन्टरप्लान, पश्चिम जर्मनी के साथ स्टाम्प चार्जिंग टेक्नालाजी के प्रयोग के लिए एक संविदा की गई है।

(ख) और (ग) इस टेक्नालाजी के कुछ मुख्य लाभ ये हैं :—

(1) कोक भट्ठियों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता,

(2) धमन भट्ठी में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन,

(3) धमन भट्ठी में कोक की खपत की अपेक्षाकृत कम दर,

(4) कोक के उत्पादन में वृद्धि,

(5) कोक की शक्ति और गुणवत्ता में सुधार,

(घ) इस टेक्नालाजी के लागू करने से तप्त धातु का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने और उसके परिणामतः उत्पादन की लागत में कमी आने की सम्भावना है। उत्पादन-लागत में कमी की यह राशि कार्यचालन सम्बन्धी कारणों पर निर्भर करेगी।

(ङ) 2000 ईस्वी की अवधि के लिए "सेल" की निगमित योजना में स्टैम्प चार्जिंग, आंशिक इष्टिकाकरण, चयनात्मक पिसाई, ग्रुप-वार पिसाई आदि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को चरणबद्ध रूप से लागू करने की परिकल्पना की गई है, जिनका उद्देश्य कोक की गुणवत्ता में सुधार लाना है जिसके द्वारा कोक दर में कमी लाना तथा धमन भट्ठी की उत्पादकता में वृद्धि करना है, इससे देशी तथा आयातित दोनों प्रकार के कोयले की खपत में तथा उत्पादन की लागत में कमी आएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र में कोल चार्ज की आंशिक इष्टिकाकरण टेक्नालाजी लागू करने के लिए एक निर्णय लिया जा चुका है।

जोजोबा बीज का आयात

4019. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वेजिटेबल वैक्स तथा तेल, जो अशोधित तेल तथा डीजल के जैसा है, प्राप्त करने के लिये जोजोबा (सिमन्डसिया सिनेन्सिस) की अमरीका, मेक्सिको, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, मिश्र, जोर्डन, घाना इत्यादि देशों में व्यापक रूप से खेती की जाती है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के विशाल बन्जर रेगिस्तान क्षेत्रों में पौध-रोपण के लिए जोजोबा (सिमन्डसिया सिनेन्सिस) के बीज का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इन वृक्षों के पौध-रोपण का कोई क्षेत्र परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका, मेक्सिको, इजरायल और ब्रिटेन से भारत में डाइवर्स जोजोबा जर्मप्लाजम को पहले ही लाया गया है और उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है। बड़े पैमाने पर बागान लगाने

के लिए आशाजनक सामग्रियों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस सम्बन्ध में और आगे मूल्यांकन के लिए तीन आशाजनक किस्मों की पहले ही पहचान की गई है।

(ग) हिसार (हरियाणा), जोधपुर (राजस्थान), भाव नगर (गुजरात) में अनुकूली परीक्षण किये जा रहे हैं। तब तक प्राप्त परिणामों से जोजोबा प्लान्टेशन के सन्तोषजनक परिणामों का पता चला है।

छठी और सातवीं योजना में आवश्यक जिंसों की तुलनात्मक मूल्य-वृद्धि

4020. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आवश्यक जिंसों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) गत ढाई वर्ष के दौरान मूल्यों का रुख कैसा रहा है; और

(ग) सितम्बर, 1987 की अवधि की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक जिंसों के मूल्य क्या थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 27-2-1988 को समाप्त पिछले 11 सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं, कुछ के कम हुए हैं और अन्यों के कमोबेश स्थिर रहे हैं।

(ख) सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

अगस्त, 1985 और फरवरी, 1988 के महीनों के दौरान चुनी वस्तुओं
के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1970-71=100)

वस्तु	अगस्त, 1985	फरवरी, 1988
1	2	3
चावल	298.1	337.1
गेहूं	224.6	286.9
ज्वार	236.9	268.3
बाजरा	249.8	331.4
चना	562.5	520.0

1	2	3
अरहर	296.5	564.6
मूंग	458.2	544.3
मसूर	447.5	548.0
उड़द	404.9	428.1
आलू	218.7	153.6
प्याज	282.7	601.3
दूध	281.3	333.1
मछली	545.7	592.8
गोश्त	492.9	626.5
लाल मिर्च	315.4	260.2
चाय	409.4	408.7
कोयला	575.2	606.3
मिट्टी का तेल	382.7	410.4
आटा	182.5	296.5
चीनी	294.5	320.2
गुड़	500.8	404.6
वनस्पति	284.7	428.6
मूंगफली का तेल	311.5	483.8
सरसों का तेल	221.3	432.8
नारियल का तेल	263.0	475.3
जिजंली का तेल	272.4	456.7
नमक	241.5	235.6
दियासलाई	129.0	129.0
साबुन	321.3	460.7
सूती कपड़ा (मिल का)	270.5	280.7
हैंडलूम तथा पावरलूम का कपड़ा	248.0	282.9

विवरण-II

मार्च, 1980, मार्च, 1985 और सितम्बर, 1987 के महीनों के दौरान चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

आधार : 1970-71 = 100

वस्तु	मार्च, 1980	मार्च, 1985	सितम्बर, 1987
1	2	3	4
चावल	193.5	267.4	335.4
गेहूं	167.1	212.6	254.0
ज्वार	168.7	230.6	277.9
बाजरा	196.5	221.8	314.8
चना	242.8	521.1	493.3
अरहर	229.3	283.4	575.7
मूंग	313.4	493.1	438.9
मसूर	231.7	354.6	546.4
उड़द	223.8	402.4	443.2
आलू	127.3	88.2	308.6
प्याज	218.4	282.5	984.0
दूध	176.0	265.9	325.0
मछली	279.7	490.8	480.5
गोश्त	311.0	469.5	591.6
लाल मिर्च	101.2	267.0	230.3
चाय	248.2	462.2	433.2
कोयला	278.7	575.2	606.3
मिट्टी का तेल	272.8	363.7	410.4
आटा	167.2	216.2	265.3
चीनी	218.2	245.6	310.7
गुड़	320.6	361.7	488.2
वनस्पति	206.2	280.2	435.0

1	2	3	4
मूंगफली का तेल	205.2	311.0	512.8
सरसों का तेल	226.9	240.5	485.4
नारियल का तेल	191.3	393.5	489.9
जिंजली का तेल	231.0	285.9	445.6
नमक	251.9	238.9	240.4
दियासलाई	134.9	129.0	129.0
साबुन	218.5	328.7	487.1
सूती कपड़ा (मिल का)	201.7	263.9	279.8
हैंडलूम और पावरलूम का कपड़ा	201.2	244.6	282.3

वनस्पति का अधिक उत्पादन

4021. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति निर्माताओं के राज्य-वार नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उत्पादन का कितना कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) अपने निर्धारित कोटे से अधिक वनस्पति का उत्पादन करने वाले वनस्पति निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिक उत्पादन की अनुमति दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) उक्त अधिनियम में अधिक उत्पादन पर यदि इस प्रकार कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है तो क्या इसके कारण देश में वनस्पति की कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबन्धों को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक **विवरण संलग्न** है ।

ये एकक लाइसेंसशुदा क्षमता के 125% तक वनस्पति का उत्पादन कर सकते हैं ।

(ग) और (घ) वनस्पति का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए आवश्यक वस्तु अधि-नियम, 1955 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है । तथापि, वनस्पति के उत्पादन में आयातित

तेलों का निर्धारित सीमा से अधिक प्रयोग करने पर प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

(ङ) और (च) वनस्पति की क्षमता, जिसके लिए पहले से ही लाइसेंस दिए जा चुके हैं, कुल मिलाकर वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	लाइसेंसशुदा वार्षिक क्षमता मी० टन में	तेल वर्ष 1986-87 में अतिरिक्त उत्पादन (मी० टन)
1	2	3	4
हरियाणा			
1.	मै० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, यमुनानगर	30,000	शून्य
2.	मै० भिवानी वनस्पति इंडस्ट्रीज लि० भिवानी	15,000	शून्य
3.	मै० मारकन्डा वनस्पति मिल्स लि० मारकन्डा	7,500	शून्य
4.	मै० हरियाणा वनस्पति एण्ड जनरल मिल्स, कुण्डली	3,000	750
हिमाचल प्रदेश			
5.	मै० यूनाइटेड वनस्पति वर्क्स लि०, नालागढ़	15,000	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर			
6.	मै० के० सी० वनस्पति, जम्मू	4,500	शून्य
7.	मै० कश्मीर वनस्पति प्रा० लि०, जम्मू	7,500	शून्य
पंजाब			
8.	मै० एच० वी० ओ० सी०, अमृतसर	30,000	शून्य
9.	मै० किशन चन्द एण्ड कं० ऑयल इण्डस्ट्रीज लि०, लुधियाना	12,000	शून्य
10.	मै० मार्कफेड वनस्पति एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, खन्ना	15,000	2,900
11.	मै० नव भारत वनस्पति एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, दोराहा	15,000	शून्य

1	2	3	4
12.	मै० ओसवाल वनस्पति एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, लुधियाना	12,000	शून्य
13.	मै० ओसवाल वनस्पति एंड जनरल इंडस्ट्रीज, लुधियाना	7,500	शून्य
14.	मै० अमृत वनस्पति कम्पनी लि०, राजपुरा	30,000	755
15.	मै० महावीर वनस्पति कम्पनी, खरार	7,500	शून्य
16.	मै० संगरूर वनस्पति मिल्स लि०, संगरूर	15,000	शून्य
राजस्थान			
17.	मै० राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि० भीलवाड़ा	30,000	शून्य
18.	मै० मेहता वैजिटेबल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, चित्तौड़गढ़	7,500	शून्य
19.	मै० हेमराज उद्योग, जयपुर	7,500	शून्य
20.	मै० प्रेमियर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि०, जयपुर	30,000	शून्य
21.	मै० आर० सी० एस० वनस्पति इंडस्ट्रीज, जयपुर	15,000	शून्य
22.	मै० रघुबर (इण्डिया) लि०, जयपुर	30,000	शून्य
उत्तर प्रदेश			
23.	मै० पराग वनस्पति प्रोडक्ट्स, अलीगढ़	15,000	शून्य
24.	मै० अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद	30,000	शून्य
25.	मै० लिप्टन इण्डिया लि०, गाजियाबाद	16,500	1,806
26.	मै० जैन शुद्ध वनस्पति लि०, गाजियाबाद	15,000	फैक्ट्री बन्द है
27.	मै० मोदी वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कं०, मोदीनगर	30,000	शून्य
28.	मै० दि टाटा ऑयल मिल्स कं० लि०, गाजियाबाद	3,000	फैक्ट्री बन्द है
29.	मै० एच० वी० ओ० सी०, कानपुर	37,500	शून्य
30.	मै० मोतीलाल पद्मावत उद्योग लि०, कानपुर	15,000	शून्य

1	2	3	4
31.	मै० भगवती वनस्पति इंडस्ट्रीज लि०, लखनऊ	15,000	शून्य
32.	मै० पी० सी० एफ० कोआप०, हल्दूचौर	15,000	शून्य
33.	मै० स्वरूप वैजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लि०, मनसूरपुर	7,500	शून्य
34.	मै० बालाजी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज लि०, सीतापुर	15,000	शून्य
दिल्ली			
35.	मै० श्रीराम फूड एंड फर्टीलाइजर्स, नई दिल्ली	54,000	385
36.	मै० एच० वी० ओ० सी०, दिल्ली	45,000	शून्य
आंध्र प्रदेश			
37.	मै० टी० एल० जी० पोशाक कार्पो०, अण्डोनी	15,000	शून्य
38.	मै० श्री राधाकृष्णा वैजिटेबल आयल प्रोडक्ट्स कं०, कल्लुरू	3,000	शून्य
39.	मै० अग्रवाल इंडस्ट्रीज, हैदराबाद	7,500	शून्य
40.	मै० तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लि०, सिकन्द्राबाद	4,500	287
41.	मै० तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लि०, हैदराबाद	7,500	शून्य
42.	मै० तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लि०, कुरनूल	15,300	शून्य
कर्नाटक			
43.	मै० लिबर्टी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स, बंगलौर	15,000	शून्य
44.	मै० डब्ल्यू०आई०पी० आर० ओ० लि०, टुमकुर	1,500	उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है
45.	मै० मॉर्डन मिल्स, हुबली	15,500	शून्य
46.	मै० बी० टी० (प्रा०) लि०, दावणगेर	3,600	शून्य
47.	मै० रवी० वैजिटेबल आयल्स इंडस्ट्रीज, दावणगेर	7,650	शून्य
48.	मै० रायचूर आयल कॉम्पलैक्स (एन० ए० एफ० इ० डी०), रायपुर	4,500	शून्य

1	2	3	4
केरल			
49.	मै० केरल सोप एंड आयल्स लि०, कालीकट	3,600	शून्य
50.	मै० टाटा आयल मिल्स० कं० लि०, कोचीन	6,000	शून्य
तमिलनाडु			
51.	मै० ओसवाल आयल्स एंड वनस्पति इंडस्ट्रीज, मद्रास	7,500	शून्य
52.	मै० टाटा आयल मिल्स कं० लि०,	9,000	शून्य
53.	मै० श्री कृष्णा वनस्पति प्रोडक्ट्स,	3,150	शून्य
54.	मै० लिप्टन इंडिया लि०, त्रिची	15,000	शून्य
55.	मै० मद्रास वनस्पति लि०, विल्लूपुरम	6,000	शून्य
असम			
56.	मै० दि असम स्टेट कोआप० मार्केटिंग फैडरेशंस लि०, गुवाहाटी	15,000	शून्य
बिहार			
57.	मै० हथवा वनस्पति लि० हथवा	15,000	शून्य
58.	मै० गंगा वनस्पति इंडस्ट्रीज लि०, दुर्गावती	15,000	शून्य
59.	मै०, रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डालमियानगर	30,000	बन्द है
पश्चिम बंगाल			
60.	मै० कुसुम प्रोडक्ट्स लि०, रिसरा	17,400	शून्य
61.	मै० रसोई लि०, कलकत्ता	30,000	शून्य
62.	मै० यूनाइटेड वैजिटेबल मैन्यूफैक्चर्स लि०, कलकत्ता	7,200	शून्य
63.	मै० स्वैका वनस्पति प्रोडक्ट लि०,	30,000	शून्य
64.	मै० हिंदुस्तान लीवर लि० श्यामनगर	34,500	शून्य
65.	मै० वैजिटेबल प्रोडक्ट्स लि०, बेलघारिया	24,000	शून्य
गुजरात			
66.	मै० मधुसूदन वैजिटेबल प्रोडक्ट कं० लि०, रखियाल	3,000	शून्य

1	2	3	4
67.	मै० डब्ल्यू० आई०पी०आर० ओ० लि०, भावनगर	7,500	शून्य
68.	मै० भावनगर वैजिटेबल प्रोडक्ट्स (एन० डी० डी० बी०) भावनगर	30,000	शून्य
69.	मै० जयंत एक्सट्रक्शन इंडिया लि०, जामनगर	7,500	474
70.	मै० श्री जगदीश ऑयल इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, पोरबन्दर	22,500	शून्य
71.	मै० दीपक वैजिटेबल आयल इंडस्ट्रीज, मानवादर-362630	6,000	252
72.	मै० कोठारी आयल प्रोडक्ट्स गोण्डाल	7,500	शून्य
73.	मै० मोर्वी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स, मोर्वी-363641	9,000	शून्य
74.	मै० प्रभात सोलवेंट एक्स० मानवादर	12,000	शून्य
75.	मै० अश्विन वनस्पति इंडस्ट्रीज बड़ोदा-390001	15,000	शून्य
मध्य प्रदेश			
76.	मै० बिन्दल एग्रो कैमिकल मण्डेदीप (एम० पी०)	15,000	शून्य
77.	मै० श्री मानसिंगका आयल मिल्स लि०, खण्डवा	15,000	शून्य
78.	मै० मालवा वनस्पति एंड कैमिकल कं० लि०, इन्दौर	30,000	शून्य
79.	मै० राजाधिराज इंडस्ट्रीज (प्रा०)लि०,	7,500	1,794
80.	मै० एम० पी० स्टेट कोआप० चुरहट	30,000	शून्य
महाराष्ट्र			
81.	मै० अकोला आयल इंडस्ट्रीज लि०, अकोला	16,200	शून्य
82.	मै० महाराष्ट्र वैजिटेबल प्रोडक्ट लि०, धुलिया	13,500	शून्य
83.	मै० मानसिंघा इंडस्ट्रीज लि०, पचोरा	14,400	शून्य

1	2	3	4
84.	मै० अहमद उमरभाई, बम्बई	30,000	शून्य
85.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	56,700	शून्य
86.	मै० आई० वी० पी० लिमिटेड, बम्बई	30,000	शून्य
87.	मै० दि जय हिंद आयल मिल्स कं०, बम्बई	18,000	शून्य
88.	मै० दि टाटा आयल मिल्स कं० लि०, बम्बई	12,000	शून्य
89.	मै० वैजिटेबल विटामिन फूड्स कं० (प्रा०) लि०, बम्बई	4,800	उत्पादन बन्द है
90.	मै० वेगोइल्स लिमिटेड, बम्बई	7,500	शून्य
91.	मै० डब्ल्यू० आई० पी० आर० ओ० लि०, अमलनेर	30,000	3,543
92.	मै० पुरोहित एंड कं०, नागपुर	3,750	926
93.	मै० कोआप० आयल इंडस्ट्रीज	7,500	उत्पादन बन्द है
94.	मै० लिबर्टी आयल मिल्स (प्रा०) लि०, शाहपुर (बम्बई)	15,000	शून्य

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए धन जुटाना

4022. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम देश में अपनी वर्तमान भण्डारण क्षमता को विशेष रूप से हाल के सूखे और "दक्षेस" के सदस्य देशों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बढ़ाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन गोदामों के निर्माण के लिए धन जुटाने के तरीकों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) देश में भण्डारण क्षमता की समूची आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम का स्वयं अपनी भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार है। दक्षेस खाद्य सुरक्षा आरक्षण के लिए भारत को 1.532 लाख मीटरी टन का अंश आवंटित किया गया है। 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग के आधार पर खाद्यान्नों के इस स्टाक को रखने के लिए लगभग 1.80 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता अपेक्षित होगी। निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के पास दोनों अपनी और किराए की मौजूदा भण्डारण क्षमता इन अतिरिक्त भण्डारण आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) 1.2.1988 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम विभिन्न केन्द्रों पर 6.44 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर रहा है। इस क्षमता के 31.3.1990 तक पूरा हो जाने की आशा है। सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के रूप में धनराशि निर्मुक्त कर इस क्षमता के निर्माण का

वित्त-पोषण किया जा रहा है।

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा सहकारी ग्रुप आवास समितियों को ऋण देना

4023. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा नगर विकास निगम ने वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान सहकारी ग्रुप आवास समितियों के ऋण के कितने आवेदन पत्र मंजूर किये;

(ख) कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये; और

(ग) कितने आवेदन पत्र छः महीनों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और आवेदक ग्रुप आवास समितियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में विलम्ब के सुस्पष्ट कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) निम्नलिखित विवरणानुसार दस :—

वर्ष	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		योग
	सहकारी आवास समितियों के अन्तर्गत	सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा आवास योजना के अंतर्गत	
1	2	3	4
1986-87	2	3	5
1987-88	2	3	5
योग :	4	6	10

(ख) 1986-87 में कोई ऋण नहीं दिया गया था। 1987-88 (29.2.88 तक) के दौरान 105.97 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ग) इस समय हुडको के पास 16 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं। सामूहिक आवास समितियों के ब्यौरे तथा प्रत्येक मामले में विलम्ब के कारण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

उन सहकारी आवास समितियों की सूची जिनकी योजनाएं छः माह से पहले प्राप्त हुई हैं

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्ति की तारीख	योजना का नाम	समिति का नाम	परियोजना लागत	ऋण की राशि	मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दिल्ली	5 6.86	पटपड़गंज में एच०आई० जी० आवास योजना	आई०एफ०यू०एन० ए० ग्रुप आवास योजना	177.37	75.00	80	अभिकरण हुडको को स्वीकार्य जमानत नहीं दे रहा है।
2.	दिल्ली	23.6.86	—वही--	नटराज विहार सह-कारी ग्रुप आवास समिति	169.02	89.38	74	—वही—
3.	दिल्ली	1.10.86	बोडेला में एच०आई० जी० आवास योजना	लोक विहार सह-कारी ग्रुप आवास समिति	159.27	95.56	102	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	दिल्ली	31.12.86	बोडेला में एल०आई० जी० आवास योजना	जय त्रिवेणी सहकारी ग्रुप आवास समिति	15.26	9.16	14	अभिकरण ने योजना हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार नहीं बनाया है और 12.1.87 से उत्तर नहीं दिया है ।
5.	दिल्ली	19.1.87	पीतमपुरा में एच०आई० जी० आवास योजना	मौसम सहकारी ग्रुप आवास समिति	30.62	17.76	20	अभिकरण ने योजना हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार नहीं बनाई है और 24.2.87 से उत्तर नहीं दिया है ।
6.	दिल्ली	24.7 87	—वही—	लोक सभा सचिवालय सहकारी ग्रुप आवास समिति	34.49	18.39	16	अभिकरण ने योजना को अभी हुडको के मार्ग-निर्देशनों के अनुसार बनाना है और हुडको को स्वीकार्य जमानत नहीं दे रहा है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मध्य प्रदेश	25.6.85	सुदामा नगर, इन्दौर में एम० आई० जी० आवास योजना	सुदामा नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था माइडेट, इन्दौर	146.71	97.25	300	इस योजना के विन्यास नक्शे में त्रुटियां, और दिसम्बर, 87 में प्राप्त पहले स्वीकृत योजना संशोधित योजना को अभी हुडको के मार्ग-निर्देशनों के अनुरूप तैयार किया जाना है।
8.	महाराष्ट्र	8.1.86	मारवाड़ा, पुणे में मिश्रित आवास योजना	शान्ति रक्षक गृह रचना संस्था	320.66	217.00	576	अभिकरण ने अभी सभी शपथ पत्र प्रस्तुत करने हैं हुडको को स्वीकार्य जमानत प्रस्तुत नहीं की है।
9.	उत्तर प्रदेश	30.10.86	आगरा, उत्तर प्रदेश में मिश्रित आवास योजना	गवेरा सहकारी गृह निर्माण संस्था समिति	284.23	194.88	467	अभिकरण ने योजना हुडको के मार्ग निर्देशनों के अनुसार नहीं बनाई है और 2.1.87 से कोई जवाब नहीं दिया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	बिहार	8.6.86	पटना, बिहार में एम० आई० जी० आवास योजना	बिसरास सहकारी ग्रुप आवास समिति लिमिटेड	340.67	229.38	150	अभिकरण ने योजना हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार नहीं बनाई है और 21.11.86 से कोई जवाब नहीं दिया है।
				योग :	1678.30	1043.76	1799	
11.	दिल्ली	21.5.86	मानस विहार ग्रुप आबास समिति के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना	मानस विहार ग्रुप आवास समिति, नई दिल्ली	182.80	141.00	49	अभिकरण योजना हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार नहीं बनाई गई है और 4.7.86 से कोई जवाब नहीं दे रहा है।
12.	—वही—	30.12.86	मयूर विहार चरण-II के सदस्यों के लिए सी०जी०ई०	ओ०सी०एस० फ्रेंड्स सहकारी ग्रुप आवास समिति	170.72	123.71	96	अभिकरण हुडको को स्वीकार्य जमानत प्रस्तुत नहीं कर रहा है।
13.	—वही—	28.1.87	—वही—बोडेला चरण-II दिल्ली	अरुणोदय सहकारी ग्रुप आवास समिति	304.10	97.00	192	दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि० के माध्यम से शीघ्र ही स्वीकृत होने की आशा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	दिल्ली	29.4.87	—वही—पीतमपुरा दिल्ली	लोक सभा सचिवालय सहकारी ग्रुप आवास समिति दिल्ली	43.34	30.29	22	योजना को अभी हुडको के मार्गनिर्देशनों के अनुसार बनाया जाना है और हुडको को स्वीकार्य जमानत भी प्रस्तुत नहीं की जा रही है।
15.	महाराष्ट्र	मलन्द, सरकारी योजना	बम्बई के लिए केन्द्रीय कर्मचारी ग्रुप बीमा	राष्ट्रीय सारथी मलन्द सहकारी ग्रुप आवास समिति बम्बई	111.94	70.95	107	या तो योजना को शीर्ष समिति के माध्यम से भेजा जाए या अभिकरण जमानत के रूप में इसके द्वारा पहले यथा कहे गये अनुसार बैंक गारंटी दें।
16.	—वही—	—वही—	बम्बई में	बोरिवली एकसार बम्बई सी०जी०ई० योजना	197.88	178.09	120	लाभभोगियों की श्रेणीवार सूची तैयार की जाती है।

व्यापक फसल बीमा योजना सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट

4024. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना का गहराई से अध्ययन करने और बारीकी से समीक्षा करने हेतु गठित दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आयातित खाद्य तेल की मांग और आपूर्ति में अन्तर

4026. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात किए गए खाद्य तेलों का अलग-अलग कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा आयात की जाने वाली खाद्य तेल की मात्रा का निर्णय विभिन्न घटकों, जैसे मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा विभिन्न अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है।

उर्वरक आबंटन के मानदण्डों में परिवर्तन

4027. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उर्वरकों के आबंटन के लिए अपनाये जा रहे मानदंडों में परिवर्तन किया जाये, क्योंकि सांस्थानिक एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद पर आधारित वर्तमान मानदण्ड, विशेषकर पिछड़े राज्यों के लिए असमानतापूर्ण हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा को लघु अवधि के ऋण

4028. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से उड़ीसा को दिये जाने वाले लघु अवधि के ऋण

में कमी आती जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खरीफ और रबी की फसलों के लिए अलग-अलग कितने ऋण की आवश्यकता थी और उसकी तुलना में लघु अवधि के कितने ऋण मंजूर किये गये;

(ग) क्या दिया गया ऋण, राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का लघु अवधि के ऋण के लिए अतिरिक्त धनराशि देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों, बीजों और कृमिनाशी दवाइयों की खरीद करने तथा उनका वितरण करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण मंजूर किया जाता है। विभिन्न राज्यों में सीमित बजट प्रावधान का आवंटन करते समय उर्वरकों की मांग, सूखा या/और बाढ़ का प्रभाव तथा सहकारी समितियों के उर्वरकों की संभाल करने की संरचना जैसे घटक को ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को अल्पावधि ऋण की निम्नलिखित धन राशि मंजूर की गई थी :

वर्ष	मंजूर किया गया अल्पावधि ऋण
	(करोड़ रुपये)
1984-85	13.12
1985-86	11.50
1986-87	10.75

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान, खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए अलग-अलग उड़ीसा सरकार द्वारा मांगे गए तथा मंजूर किए गये अल्पावधि ऋण नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपये)

मौसम	मांगे गए ऋण	मंजूर किए गए ऋण
खरीफ, 1987	16.12	6.55
रबी, 1987-88	13.20	2.33
योग :	29.32	8.88

(ग) सीमित बजट प्रावधान के कारण उड़ीसा राज्य की सम्पूर्ण मांगें पूरी नहीं हो सकीं जैसा

कि अन्य राज्यों के मामले में था।

(घ) उपलब्ध बजट प्रावधान विभिन्न राज्यों को पहले ही निर्मुक्त किया गया है और इसलिए, 1987-88 के दौरान उड़ीसा को अल्पावधि ऋण की कोई अतिरिक्त धनराशि मंजूर करना सम्भव नहीं है।

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन

4029. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए अभिप्रेत कार्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई अन्य कदम उठाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की विशेष राय प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 12 फरवरी, 1988 को नई दिल्ली में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी का उद्घाटन तत्कालीन कृषि मंत्री श्री जी० एस० ढिल्लों द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सामान्यत: गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को सतत आधार पर लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम दीर्घकालिक स्वरूप के हैं, और उन्हें कार्य प्रणाली तथा आगामी पंचवर्षीय योजना की विषय सूची में आवश्यक सुधार करके जारी रखा जायेगा।

माल्पे मंगलौर में समुद्र-तटीय पर्यटक स्थल

4030. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम ने मंगलौर के निकट माल्पे में महत्वपूर्ण समुद्रतटीय पर्यटक स्थल संबंधी परियोजना को विकसित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम तथा कर्नाटक राज्य पर्यटक विकास निगम का इस परियोजना पर संयुक्त रूप से कार्य करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम ने माल्पे में एक समुद्र-तट विहार-स्थल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है।

(ख) माल्पे में आंशिक रूप से निर्मित समुद्र-तट विहार-स्थल परियोजना को पूरा करने के

लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम ने भारत पर्यटन विकास निगम से सहयोग करने का तथा बाद में इसे एक संयुक्त उद्यम स्कीम के रूप में चलाने का प्रस्ताव किया था। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच की गई थी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रस्तावित उद्यम वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए० पी० जे०, फर्टिलाइजर्स द्वारा धनराशि जमा न करना

4031. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० पी० जे० फर्टिलाइजर्स, शाहजहांपुर में गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करने के संस्थापक ने राज्य सरकार के पास भूमि के मूल्य के रूप में कोई धनराशि जमा नहीं की है और क्या उन्होंने इस संयंत्र का ठेका दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ए० पी० जे० फर्टिलाइजर्स को जारी किये गये आशय पत्र को बढाया नहीं गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संयंत्र के लिए नये संस्थापक नियुक्त करने के लिए कदम उठाये हैं, यदि हां, तो संस्थापकों के नाम क्या हैं तथा वे इस संयंत्र को कब तक पूरा कर देंगे ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभू) : (क) जी हां, शाहजहांपुर परियोजना के प्रवर्त्तकों ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास भूमि के मूल्य के रूप में कोई धन राशि जमा नहीं की। उन्होंने तकनीक सहयोग के लिए भी ठेका नहीं दिया है।

(ख) जी हां,।

(ग) इस परियोजना के लिए नये प्रवर्त्तकों का चयन नहीं हुआ है।

भूमि-सुधारों को अद्यतन बनाना

4032. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्व प्रशासन को कारगर बनाने और भूमि-सुधारों को अद्यतन बनाने की एक योजना क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रायोजित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना किस प्रकार क्रियान्वित की जायेगी और इसके फलस्वरूप ग्रामीण लोगों को कितना लाभ पहुंचेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत राज्य के बराबर के अंश सहित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। योजना में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सर्वेक्षण और बन्दोबस्त संगठन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि रिकार्डों को तैयार करने, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित

सर्वेक्षण और बन्दोबस्त पद्धति के आधुनिकीकरण हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करने, भूमि रिकार्डों के रखरखाव और भंडारण का यन्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण करने, राजस्व मशीनों को चयनात्मक आधार पर सुदृढ़ बनाने तथा राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, और चुने हुए क्षेत्रों में भूमि सुधार के कार्यान्वयन हेतु प्रवर्तन तन्त्र को रचनात्मक आधार पर मजबूत बनाने के लिए सहायता की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। योजना के लिए सातवीं योजना में केन्द्रीय सहायता के 20.81 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। पहले चरण में, इस वर्ष के दौरान बिहार तथा उड़ीसा राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के लिए 2 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभागों द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं और परियोजनाओं को योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के प्रावधान हेतु विचार किया जायेगा। इसके पश्चात राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। चूंकि, आयोजना भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और विकासात्मक सहायता के प्रावधान के लिए सही और अद्यतन भूमि रिकार्डों का होना आवश्यक है, इसलिए योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचेगा।

राउरकेला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

4033. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राउरकेला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक 25 बिस्तरों वाला अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राधिकारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे। उसके बाद, अस्पताल के निर्माण का अनुमान तैयार करवाने की कार्रवाई की जायेगी।

वर्ष 1988-89 में एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग तथा उपलब्धता

4034. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फालतू एल्यूमिनियम विद्यमान है;

(ख) क्या देश में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के लिए एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग तथा उपलब्धता कितनी है; और

(घ) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 1988-89 के दौरान प्रायोजित मांग 370,000 से 400,000 टन के बीच रहने की सम्भावना है। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के उत्पादन स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए देशी उत्पादन भी इस मांग स्तर के बराबर रहने की सम्भावना है।

दिल्ली में घटिया किस्म के चावल की सप्लाई

4035. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1988 के दौरान दिल्ली में उचित दर की दुकानों ने कार्ड धारकों को घटिया किस्म का चावल वितरित किया;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घटिया स्तर के चावल की सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे घटिया किस्म के चावल की सप्लाई को रोकने के लिये भविष्य में क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री) श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता

4036. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 27-2-1988 को समाप्त हुए गत 11 सप्ताहों में, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, कुछेक के मूल्य घटे हैं तथा अन्य के मूल्य कमोवेश स्थिर रहे हैं।

(ख) और (ग) इस समय आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वस्तुओं के मूल्य कई बातों पर निर्भर करते हैं। तथापि, सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा उनकी उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

सरकारी नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं :—देश में इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना, कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित करना,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उनका विस्तार करना और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमाखोरों, कालाबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करना।

सूखे की व्यापक स्थिति के कारण सामान्यत: मूल्यों पर दबाव रहा है, इस स्थिति से निपटने के लिए, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें, मोबाइल वैनों को इस कार्य में लगाएं, नियंत्रण कक्षों तथा राज्य व जिला स्तर पर स्थापित समितियों के जरिये आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता तथा उनके मूल्यों की निरन्तर पुनरीक्षा करें, जमाखोरी विरोधी कार्यों को तेज करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों के तहत जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उचित दर की दुकानों के जरिए वितरण करने के लिए गेहूं, चावल तथा खाद्य तेलों के आबंटन में वृद्धि की है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने आमतौर पर ऊपर दिये अनुसार कार्यवाही की है। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता को मानीटर करने के प्रबन्धों को भी मजबूत किया है। व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं, जिनमें उनसे मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है।

आस्ट्रेलिया को लौह अयस्क का निर्यात

4037. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख ने प्रति-व्यापार के रूप में आस्ट्रेलिया को 2 लाख टन "कन्सन्ट्रेट्स" और लौह अयस्क निर्यात करने का ठेका प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) समझौते को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) आस्ट्रेलिया की कम्पनी मैसर्स बी० एच० पी० से "सेल" द्वारा कोककर कोयला आयात किये जाने की प्रति-व्यापार व्यवस्था के रूप में कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने मैसर्स बी० एच० पी० को 2 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण तथा 1 लाख टन पैलेट की सप्लाई करने के संबंध में उक्त कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार में यह निर्यात दिनांक 1-6-1988 और 1-6-1989 के बीच आस्ट्रेलिया की कम्पनी मैसर्स बी० एच० पी० को किये जाने की व्यवस्था है तथा क्रेता को यह विकल्प दिया गया है कि यह सम्मत मात्रा से 10 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा की खरीद कर सकता है। यह करार कोककर कोयले की खरीद के लिए "सेल" द्वारा अपने ठेके को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् लागू होगा।

संयुक्त राज्य अमरीका से मक्का का आयात

4038. **श्रीमती बसवराजेश्वरी**
श्री बलवन्तराव गडाख पाटिल } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच भारत को अमरीकी मक्का की सप्लाई करने का समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) मक्का को कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा और इसके परिवहन पर कितना खर्च होगा; और

(घ) समझौते को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को 75,000 मी० टन और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को 25,000 मी० टन मक्का उपहार-स्वरूप देने और निर्दिष्ट की गई कुछ आकस्मिक लागतों का भुगतान करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सप्लाई किये जाने वाले मक्के की मानव खपत, कुक्कुट और पशु सम्बन्धी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त किया जायेगा। इस मक्के के अधिकतर भाग को सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया जायेगा। कुक्कुट/पशु क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए यह मक्का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर होगा लेकिन यह मूल्य मक्के के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त किये गये मक्के को आपरेशन फ्लड के तहत पशु चारा फैक्टरियों में मुख्यतया पशुओं के चारे को तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(ग) वर्तमान में, समझौते में उपहारस्वरूप एक लाख मीटरी टन मक्के (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को 75,000 मीटरी टन और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को 25,000 मीटरी टन) की सप्लाई करने की व्यवस्था है। इसके तहत, अभी तक मक्के की कोई सप्लाई नहीं की गई है। इस प्रकार परिवहन की सही लागत मालूम नहीं है।

(घ) समझौते में यह व्यवस्था है कि अमरीकी बन्दरगाह से मक्के की सप्लाई मई तक हो जायेगी, लेकिन यह समय-समय पर सम्मत डिलीवरी अनुसूचियों पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक के फसल बीमा सम्बन्धी दावे

4039. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ फसल 1987 के दौरान क्षतिग्रस्त फसल के लिए व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा अनेक दावे प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने दावे प्रस्तुत किये गये हैं;

(ग) उनमें से कितने दावे निपटाये गये;

(घ) कर्नाटक राज्य में फसल बीमा सम्बन्धी कितने दावे अब तक निपटाये गये हैं; और

(ङ) दावा निपटाने में कितना समय लगता है और किसानों को कितने समय में बीमा कम्पनी से सम्पर्क करना पड़ता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार के पास केरल के सिवाय किसी भी राज्य के खरीफ 1987 मौसम के

क्षतिपूर्ति दावों के सम्पूर्ण ब्यौरे भारतीय साधारण बीमा निगम से अभी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। केरल के अब तक 10.44 लाख रुपये के दावे निपटाये जा चुके हैं।

(ङ) इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों को मौसम के समाप्त होने के बाद 4 महीनों की अवधि के भीतर उपज सम्बन्धी पूरे आंकड़े भारतीय साधारण बीमा निगम को भेजने होते हैं। तथापि, भारतीय साधारण बीमा निगम में उपज सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त होने के बाद क्षतिपूर्ति दावों को अन्तिम रूप से निपटाए जाने के बारे में कोई समय-अवधि निर्धारित नहीं की जाती।

सूरजमुखी के बीजों का आयात

[हिन्दी]

4040. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**
श्री काली प्रसाद पांडेय
श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरजमुखी के उन्नत किस्म के बीजों का सोवियत संघ से आयात किया था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा आयात की गई है और उसका खरीद मूल्य क्या है और उसके परिवहन पर कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने रूस से 35 मीट्रिक टन सूरजमुखी की 'उन्नत पेरेडोविक' किस्म का बीज निर्यात किया था। बीज की लागत 3.27 लाख रु० थी। बीज को जहाज से लाने का खर्च 15.75 लाख रु० था। इस बीज को निम्नलिखित कारणों से जहाज द्वारा लाना पड़ा था। इस बीज की रबी 86-87 मौसम में जाँच की गई थी और मई 1987 में वैज्ञानिकों ने इसे सम्बर्धन के लिए स्वीकृत किया था। वैज्ञानिकों ने सम्बर्धन के लिए इसका अनुमोदन रोग से मुक्त होने, पैदावार आदि के लिएं अनेक स्थानों में किए गए परीक्षणों के मूल्यांकन के बाद किया था। चूंकि रबी 87-88 में किसानों को देने के लिए खरीफ 87 में ही बीज का सम्बर्धन करने की जरूरत थी, इसलिए इसे समुद्र द्वारा लाने के बदले जहाज द्वारा लाया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड पर हुआ व्यय

4041. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड पर 1 जनवरी, 1988 तक "गैर-योजना" शीर्षों के अन्तर्गत कितना व्यय किया गया है;

(ख) इस बोर्ड के माध्यम से जनवरी, 1988 के अन्त तक इस योजना पर कितना व्यय किया गया था; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य हुआ है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1988 तक 56.74 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, 1988 तक 1362.95 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(ग) अन्तरिम विकास योजना अगस्त, 1986, क्षेत्रीय योजना—2001 का प्रारूप, अगस्त, 1987

योजनाओं की कुल संख्या	3/87 तक अर्जित की गई भूमि, एकड़ों में	बोर्ड के माध्यम से जनवरी, 1988 तक दी गई राशि (लाख रुपयों में)
37	4599.00	1362.95

बेरोजगार युवा

[अनुवाद]

4042. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज किए गए और कितनों को रोजगार उपलब्ध कराए गए; और

(ख) वर्ष 1988 में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गये हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1987 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले 49.3 लाख पुरुष और 10.8 लाख महिलाएं थीं। यह अनिवार्य नहीं कि इनमें से सभी बेरोजगार हों। 1987 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी पर लगाए गए रोजगार चाहने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 2.9 लाख और 0.4 लाख थी, उन्हें 1987 या उससे पहले पंजीकृत किया गया था।

(ख) सातवीं योजना दस्तावेज में योजना अवधि के दौरान, जिसमें वर्ष 1988 शामिल है, उत्पादी रोजगार के सृजन के लिए नीति का उल्लेख किया गया है। यह लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रीय विभागीय कार्यक्रमों और अनेक लाभानुभोगी/रोजगार अभिमुख योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व: रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) स्व:रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना (ट्राइसेम) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आई०ई०पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, (आर०एल०ई०जी०पी०), शहरी, गरीब व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (एस०ई०पी०यू०पी०) आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

कपास के बीजों का वितरण

4043. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास के बीजों का कितना उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कर्नाटक के कपास उत्पादक किसानों को कितनी मात्रा में कपास के बीज वितरित किए गए; और

(ग) देश में उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कपास की विभिन्न किस्मों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान देश में कपास के बीजों (बिनौलों) का अनुमानित उत्पादन 78,662 क्विटल है।

(ख) कर्नाटक के किसानों को वर्ष 1987-88 (दिसम्बर, 1987) के दौरान 7179 क्विंटल कपास के बीज वितरित किए गए थे।

(ग) विभिन्न राज्यों, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा उत्पादित कपास के बीजों की विभिन्न किस्मों की कुल मात्रा नीचे दिखाई गई है :

राज्य	उत्पादन (क्विंटल)
आन्ध्र प्रदेश	80:8
गुजरात	9630
कर्नाटक	7739
मध्य प्रदेश	1700
महाराष्ट्र	28495
पंजाब	5270
राजस्थान	9100
तमिलनाडु	2000
उत्तर प्रदेश	375
राष्ट्रीय बीज निगम	175
भारतीय राज्य फार्म निगम	6100
अखिल भारत	78662

क्षारीय भूमि क्षेत्र

[हिन्दी]

4044. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार क्षारीय भूमि का क्षेत्र कितना है;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितने (हैक्टेयर) क्षारीय भूमि का खारापन दूर कर उसे उपजाऊ बनाया गया;

(ग) क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अपनाये गए तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में जिप्सम का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 3 राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976), पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति (1981), राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) और भूमि उपयोग सांख्यिकी (1981-82) के अनुमानों सहित विभिन्न अनुमान यह दर्शाते हैं कि अंतर्देशीय और तटवर्ती लवणीय रेतीला क्षेत्र लगभग 55 लाख हैक्टेयर है। लवणीय भूमि के अंतर्गत आने वाला राज्य-वार अनुमानित क्षेत्र संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ख) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात ने क्रमशः लगभग 225 हैक्टेयर, 14200 हैक्टेयर और 10000 हैक्टेयर क्षेत्र की लवणीयता दूर की है।

(ग) अंतर्देशीय लवण वाली मृदा की लवणीयता को दूर करने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुधारात्मक उपाय ये हैं :

अच्छी क्वालिटी के पानी की सहायता से मृदा संरचना से लवण को बहाना, सतही और उप-सतही जलनिकासों की व्यवस्था करना, नलकूप स्थापित करके जल-स्तर को कम करना तथा भूमि सुधार के चरण के दौरान फसलों व किस्मों का चयन करना। तटवर्ती लवणीय मृदा की लवणीयता को दूर करने वाले उपायों में ज्वारीय जल के आप्लवान को रोकने के लिए सुरक्षात्मक बांधों का निर्माण अच्छी क्वालिटी के पानी की सहायता से मृदा संरचना से लवण को बहाना, तटवर्ती निचली भूमि की लवणीय मृदा में सतही जल निकासी की व्यवस्था, तथा अधिक जल-स्तर तथा खराब सतही जल वाले क्षेत्रों में उप-सतही जल निकासी एवम् भूमि सुधार के चरण के दौरान उपयुक्त फसलों और किस्मों का चयन करना शामिल है।

(घ) जब लवण प्रभावित मृदा खराब होकर क्षारीय स्तर पर आ जाती है, तब जिप्सम के प्रयोग सहित पैकेज पद्धतियों से भूमि सुधार करना अधिक लाभदायक पाया जाता है।

विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लवणीय और तटवर्ती लवणीय रेतीले क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.76
2.	असम	—
3.	बिहार	—
4.	गुजरात	1.00
5.	हरियाणा	0.76
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	3.28

1	2	3
9.	केरल	1.17
10.	मध्य प्रदेश	0.78
11.	महाराष्ट्र	4.75
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	4.04
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	10.00*
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	1.00
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	1.95
22.	पश्चिम बंगाल	9.86
23.	अण्डमान व निकोबार	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा व नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा, दमन और दीव	—
29.	लक्षदीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	—
	योग	40.35
		(40.35+14.65†)=55.00

* =इसमें शुष्क राजस्थान के लवणीय क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र शामिल हैं।

† =राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

4045. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री आर० एम० भोये
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को भूमि सुधार के लिए प्रोत्साहन देने और उन्हें भूमि सुधारों में सहयोग प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की सक्रिय भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कौन-कौन से राज्य अग्रणी रहे हैं और कौन-कौन से राज्य इस दिशा में पीछे रह गये हैं;

(ग) अग्रणी राज्यों ने क्या ठोस कदभ उठाये हैं और उनसे किसानों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को क्या लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) पीछे रहने वाले राज्यों में भूमि सुधारों के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि भूमि राज्य का विषय है अतः भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए विधायी और प्रशानिक कदम/उपाय करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार की भूमिका विस्तृत राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने और राज्यों को भूमि सुधारों के प्रभावी और तेजी से कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की है। केन्द्र सरकार विचारों और अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान को सुकर बनाने, नीति सम्बंधी मार्ग निर्देशिकाएं तैयार करने, भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने, और सम्बन्धित मामलों को हल करने के उद्देश्य से सम्मेलन भी आयोजित करती है। 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर रही है और इसकी प्रगति की निगरानी कर रही है। यह विभिन्न स्तरों पर जहां कहीं आवश्यक है, भूमि सुधार के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के अतिरिक्त है।

बराबर के अंशदान के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दो केन्दीय प्रायोजित योजानाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; एक योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को सहायता दी जाती है और दूसरी के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन को सुदृद करने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने में राज्यों की सहायता की जाती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न मामलों पर भी, जब सांवैधानिक उपबंधों के अधीन राज्य विधान मंडल द्वारा पारित भूमि कानून राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए अथवा राज्य कानूनों में उन्हें शामिल करने से पहले राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं, राज्यों को परामर्श देती है। इन उपायों को मार्फत सरकार भूमि सुधार के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को प्रोत्साहन, सलाह और सहयोग देती है।

(ख) से (घ) भूमि सुधार के कार्यान्वियन की अन्तर्राज्यीय तुलना करना कठिन है, क्योंकि भूमि सुधार के कार्यों के लिये कृषि ढांचा, कानूनी व्यवस्थायें और प्रशासनिक प्रणाली एक राज्य से दूसरे राज्य में विविध और अलग-अलग हैं। तथापि, उनकी अपनी स्थिति के संदर्भ में कुछ राज्य भूमि सुधार के कुछ पहलुओं में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर परिणाम दर्शाते हैं।

बिचौलिया काश्तकारी जो कि देश के लगभग 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में चल रही थी, को समाप्त करने के फलस्वरूप 20 मिलियन से अधिक काश्तकारों को राज्य के सीधे सम्पर्क में लाया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की लगभग 6 मिलियन हैक्टेयर परती, खाली और अन्य प्रकार की भूमि में से एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन तथा सीमान्त भू-धारकों में वितरित कर दिया गया है। उड़ीसा, महाराष्ट्र,

गोआ, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में कुछ बिचौलिया काश्तकारियां अभी समाप्त की जानी रहती हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में बकाया काम पूरे नहीं किए गये हैं। अधिकांश राज्यों में काश्तकारी सुधार के अन्तर्गत काश्तकारी की सुरक्षा, बेदखली के खिलाफ संरक्षण और लगान के विनियमन के लिए कानूनी व्यवस्थायें की गई हैं जबकि देश के कुछ राज्यों में काश्तकारी को मालिकाना हक दिलाने के लिए कानून बनाये गये हैं। आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र), असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां किसी-न-किसी तरीके से स्वामित्व के अधिकार काश्तकारों के सामान्य निकाय को दिये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप लगभग 7.72 मिलियन काश्तकारों को लगभग 5.6 मिलियन हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में आपरेशन बारगा की मार्फत 13 लाख से अधिक बरगादारों (बटाईदारों) को रिकार्ड में लाया गया है, जिन्हें वह कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा और उन्हें विकास सहायता मिल सकेगी।

अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में अलग-अलग राज्यों में अधिकतम सीमाओं के स्तरों, लागू करने की यूनिटों और अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत दी गई रियायतों आदि के संबंध में कानूनी व्यवस्थाओं में भिन्नतायें हैं। मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में अधिकतम सीमा सम्बन्धी कोई कानून नहीं है। अधिकतम सीमा लागू करने के फलस्वरूप अब तक 73.37 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया है, जिसमें से 44.31 लाख एकड़ भूमि 41.01 लाख लाभार्थियों को बांटी गई है। इस सम्बन्ध में राज्यवार निष्पादन संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से काफी आगे है तथापि, कुछ राज्यों में चकबन्दी केवल स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। देश में अब तक कुल 563 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की चकबन्दी की गई है। विभिन्न राज्यों में चकबन्दी किये गये क्षेत्र की प्रगति संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भूमि रिकार्ड काफी हद तक अद्यतन हैं। कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में अभी तक कोई भूमि रिकार्ड प्रणाली स्थापित नहीं की गई है। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां भूमि रिकार्ड काफी हद तक अद्यतन हैं, बहुत से राज्यों में नाम परिवर्तन के मामलों के बकाया रहने की सूचना मिली है।

मई, 1985 और नवम्बर, 1986 में हुए राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों में हुई आम राय जिसमें भूमि सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत सी सिफारिशें निहित हैं, को आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्यों को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछेक भूमि सुधार उपायों के विशिष्ट पहलुओं पर भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखा है। हाल ही में प्रधान मन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा था।

विवरण-I

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की प्रगति

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फालतू घोषित भूमि	वितरित क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	767753	362798
2.	असम	604172	389164
3.	बिहार	411698	225553
4.	गुजरात	239977	107667
5.	हरियाणा	119239	110521
6.	हिमाचल प्रदेश	284053	3340
7.	जम्मू तथा कश्मीर	456000	450000
8.	कर्नाटक	293809	116885
9.	केरल	126195	59651
10.	मध्य प्रदेश	298919	136839
11.	महाराष्ट्र	708705	508501
12.	मणिपुर	1652	1632
13.	उड़ीसा	173856	144773
14.	पंजाब	307810	100171
15.	राजस्थान	613192	396732
16.	तमिलनाडु	167579	125984
17.	त्रिपुरा	2012	1521
18.	उत्तर प्रदेश	508869	346697
19.	पश्चिम बंगाल	1239887	836875
20.	दादरा तथा नगर हवेली	8953	4950
21.	दिल्ली	1153	312
22.	पांडिचेरी	2353	956
	योग :	7337836	4431572

विवरण-II

जोतों की चकबन्दी की प्रगति

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चकबन्दी किया गया कुल क्षेत्र (आज तक सूचित)
आंध्र प्रदेश	3.31
बिहार	14.03
दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	2.57
गुजरात	25.77
हरियाणा	42.79
हिमाचल प्रदेश	6.34
जम्मू तथा कश्मीर	0.47
कर्नाटक	10.83
मध्य प्रदेश	38.66
महाराष्ट्र	189.26
उड़ीसा	4.81
पंजाब	48.98
राजस्थान	17.12
उत्तर प्रदेश	158.26
योग :	563.20

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

4046. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) राज्य सरकार ने इस धनराशि में से कितनी धनराशि और किस प्रयोजन के लिए खर्च की है;

(ग) क्या कोई ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार समय पर धनराशि आवंटित नहीं करती जिसके

परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने में मिली सफलता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 5 राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान के 21 जिलों में वर्ष 1977-78 से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर राज्यों को इस कार्यक्रम हेतु 153.40 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। वर्ष 1979-80 से लेकर 1984-85 के दौरान जब व्यय को केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बराबर के आधार पर वहन किया गया था, राज्य सरकारों के बराबर के अंश सहित 202.54 करोड़ रुपए की उपलब्ध निधियों में से दिसम्बर, 1987 तक इस कार्यक्रम पर 181.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उक्त धनराशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था जिनमें मुख्यतया वनरोपण (रेत के टीलों के स्थिरीकरण और वायुरोधी पौधरोपण पर विशेष बल देते हुए), जल संसाधन विकास, भूमि और नमी संरक्षण आदि हैं। रिलीज की गई निधियों और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों ने निधियों के मामूली से कम उपयोग की सूचना दी है।

(घ) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार सामान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू के महीनों में निधियों की प्रथम किश्त रिलीज करती है और दूसरी किश्त तब रिलीज की जाती है जब सम्बन्धित राज्य सरकार से उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत उपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त हो जाती है। अन्य कारणों के साथ-साथ, राज्यों के पास पहले के वर्षों की खर्च न की गई काफी बकाया राशि ने आमतौर पर निधियों के उपयोग की गति को प्रभावित किया है।

(ङ) मुख्य क्षेत्रों में अभी तक सूचित भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति (इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर, 1987 तक)

(लाख रुपये में)

राज्य	राज्य को रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	1979-80 से 1984-85 तक राज्य सरकारों के बराबर के अंश सहित उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों का प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5
गुजरात	804.74	1158.66	1050.69	90.7
हरियाणा	1807.82	2480.94	2478.62	99.9
हिमाचल प्रदेश	653.78	874.90	842.72	96.3

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	724.58	961.35	1019.95	106.1
राजस्थान	11348.65	14777.96	12771.44	86.4
योग :	15339.57	20253.81	18163.42	89.7

विवरण-II

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियां (इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 87 तक)

(हैक्टेयर में)

राज्य	भूमि और नमी संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई संभाव्यता	वानिकी और चरागाह के अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र
गुजरात	1117	2346	24665
हरियाणा	3938	633	19805
हिमाचल प्रदेश	358	1728	2347
जम्मू और कश्मीर	844	419	713
राजस्थान	47669	9169	89756
योग :	53926	14295	137286

तमिलनाडु को चावल का आवंटन

[**अनुवाद**]

4047. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तंजोर जिले में धान की फसल न होने के कारण 1 जनवरी, 1988 से एक लाख टन चावल जारी करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु को जनवरी, 1988 से कितनी मात्रा में चावल का आवंटन किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी, 1988 से 50,000

मीटरी टन प्रति मास की दर से चावल का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 1988 और अप्रैल, 1988 के लिए 30,000 मीटरी टन प्रति मास के हिसाब से पेशगी आवंटन भी किए गए हैं।

महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेल का आबंटन

4048. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 के दौरान महाराष्ट्र ने प्रति माह कितने आयातित खाद्य तेल का आबंटन किए जाने की मांग की थी और वास्तव में प्रति माह कितनी मात्रा आबंटित की गई; और

(ख) क्या कुछ राज्य अपना कोटा समय पर नहीं ले रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) महाराष्ट्र को उनकी आयातित खाद्य तेलों की 20,250 मी० टन की मासिक औसत मांग की तुलना में मार्च, 1988 के महीने के दौरान 12,500 मी० टन मात्रा का आबंटन किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मात्रा, त्यौहार के मौसम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन्हें उठाने की गति को देखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

(ख) 1987 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयातित खाद्य तेलों की न उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला एक **विवरण संलग्न** है।

विवरण

जनवरी—दिसम्बर, 1987 के दौरान आयातित खाद्य तेलों की न उठाई गई मात्रा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(मीटरी टन में) न उठाई गई मात्रा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12,171
2.	असम	2,604
3.	बिहार	7,786
4.	गुजरात	23,832
5.	हरियाणा	5,429
6.	हिमाचल प्रदेश	5,554

1	2	3
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4,616
8.	कर्नाटक	4,372
9.	केरल	2,094
10.	मध्य प्रदेश	22,725
11.	महाराष्ट्र	15,776
12.	मणिपुर	1,581
13.	मेघालय	1,810
14.	नागालैंड	76
15.	उड़ीसा	5,328
16.	पंजाब	8,326
17.	राजस्थान	10,717
18.	सिक्किम	1,054
19.	तमिलनाडु	7,620
20.	त्रिपुरा	3,609
21.	उत्तर प्रदेश	29,318
22.	पश्चिम बंगाल	15,130
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	161
24.	अरुणाचल प्रदेश	802
25.	चण्डीगढ़	445
26.	दादरा तथा नगर हवेली	207
27.	दिल्ली	6,125
28.	गोवा, दमण तथा दीव	1,054
29.	लक्षद्वीप	294
30.	मिजोरम	1,767
31.	पांडिचेरी	656

वनस्पति निर्माताओं से लेवी का कोटा

4049. श्री अनूप चन्द शाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति निर्माण एककों को आयातित खाद्य तेलों के आबंटन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है तथा इसकी दर क्या है; और

(ख) आयातित खाद्य तेलों के आबंटन के बदले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए वनस्पति निर्माताओं से लेवी के रूप में कुछ वनस्पति का कुछ कोटा न लेने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार वनस्पति उद्योग को उनके द्वारा स्वैच्छिक मूल्य अनुशासन का पालन करने पर आयातित खाद्य तेलों की 50 प्रतिशत मात्रा 15000 रु० प्रति मी० टन की दर से तथा आयातित तेलों की 30 प्रतिशत मात्रा 19000 रु० प्रति मी० टन की दर से आबंटित की जाती है।

(ख) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं को वनस्पति आसानी से प्राप्त हो, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे वनस्पति के कुल उत्पादन की 30 प्रतिशत तक मात्रा को सहमत मूल्यों पर राज्य सरकार के नामितियों के लिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचने हेतु प्राप्त कर लें।

समान प्रकार की चीनी का उत्पादन

4050. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को समान प्रकार की चीनी का उत्पादन करने के निदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों द्वारा चीनी के मानकीकरण का विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं। 1984-85 मौसम के प्रारम्भ से छः चीनी मानक हैं अर्थात् दाने के आकार में तथा 30 और 29 रंग श्रेणियों में बड़े, मध्यम और छोटे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों के लिए आवास

4051. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के अनेक कर्मचारी आवास की भारी समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1988-89 में

विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वर्गों के कितने मकान बनाने और आवंटित करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1988-89 और वर्ष 1989-90 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए कितने मकान बनाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "सेल" के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में आवास का पूर्ति स्तर 52% से 68% तक अलग-अलग है। इस्को में पूर्ति स्तर 30% है।

(ख) "सेल" के अधीन विभिन्न इस्पात संयंत्रों में वर्ष 1988-89 में निर्माण/आवंटन के लिए प्रस्तावित मकानों की संख्या नीचे दी गई है :—

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

श्रेणी	मकानों की संख्या
ख—कुर्सी क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट	256
ग—कुर्सी क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट	18
होस्टल टाइप	180

राउरकेला इस्पात संयंत्र

श्रेणी	मकानों की संख्या
1 शयन कक्ष (संयंत्र की बस्ती में कुर्सी क्षेत्रफल 385 वर्ग फुट	40
3 शयन कक्ष (संयंत्र की बस्ती में कुर्सी क्षेत्रफल, 1501 वर्गफुट)	7
1 शयन कक्ष (385 वर्ग फुट) आई०एल०क्यू० सतना बस्ती के लिए	20

बोकारो इस्पात संयंत्र

श्रेणी	बो० सी सिटी	खानें	
		श्रेणी	संख्या
डी-टाइप	1860	ए-टाइप	288
सी-डी-टाइप	2004	बी-टाइप	354
बी-सी-टाइप	130	सी-टाइप	10
ए-बी-टाइप	10	डी-टाइप	11

"इस्को"

वर्ष 1988-89 के दौरान आवंटित और निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या नीचे दी गई है :—

आवंटित किए जाने वाले	=	84
निर्मित किए जाने वाले	=	48

सेलम इस्पात संयंत्र

वर्ष 1988-89 के दौरान 12 बी टाइप क्वार्टर और 8 डी टाइप क्वार्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) राउरकेला बस्ती में वर्ष 1988-89 के दौरान 67 मकान मिर्मित करने का प्रस्ताव है, जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान, 1 शयन कक्ष वाले 40 मकान निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एकक

4052. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महाराष्ट्र में कितने एकक हैं;

(ख) राज्य में कृषि के क्षेत्र में किसानों को सलाह देने में ये एकक कहां तक सफल हुए हैं; और

(ग) इन एककों को चालू वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई और उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गये ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 3 संस्थान, 1 राष्ट्रीय ब्यूरो, 1 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 1 अखिल भारतीय अनुसंधान प्रायोजना का समन्वय यूनिट, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/प्रायोजनाओं के 18 क्षेत्रीय स्टेशन/केन्द्र महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के यूनिटों द्वारा तैयार की गई खेती सम्बन्धी सुधरी टेक्नोलोजी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टेक्नोलोजी हस्तांतरण (ट्रांसफर) प्रायोजनाओं के जरिए राज्य के किसानों तक पहुंचाई जाती है। महाराष्ट्र में इनके 6 राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र, 13 व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं, 9 "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र और 6 कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, राज्य के विकास सम्बन्धी विभागों तथा किसानों तक नई टेक्नोलोजी पहुंचाने और ग्राम विकास के काम में जुटी विस्तार (एक्सटेंशन) एजेंसियों के साथ मिलकर परस्पर सहयोग से काम करते हैं।

(ग) इन यूनिटों के लिये 1987-88 के वित्तीय आवंटन (निर्धारित धन राशि) और उन्हें सौंपे गये काम भी संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में भा०कृ०अ०प० के एककों का विवरण, उनका वित्तीय आवंटन तथा आरंभ किये गये क्रिया कलापों का स्वरूप

भा०कृ०अ०प० यूनिट	स्थान	1987-88 के लिए वित्तीय आवंटन (रु० लाखों में)	आरम्भ किये गये कार्यों का स्वरूप
1	2	3	4
भा०कृ०अ०प० के संस्थान			
1. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर	45.00 (योजना) 80.00 (गैर योजना)	कपास की फसल में सुधार और सस्य तकनीकों पर बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान ।
2. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (क) ओटाई प्रशिक्षण केन्द्र (ख) रेशा परीक्षण केन्द्र	बम्बई नागपुर नागपुर अकोला नानदेद राहुरी	18.00 (योजना) 92.00 (गैर योजना)	कपास के रेशों के उपयोग और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर वेसिक और व्यावहारिक अनुसंधान । विभिन्न केन्द्रों से किसानों को ओटाई और रेशों के नमूनों की जांच करने का प्रशिक्षण देना ।

1	2	3	4
3. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	बम्बई	80.00 (योजना) 93.75 (गैर योजना)	मत्स्य पालन के मूल विषयों में अनुसंधान और नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन।
राष्ट्रीय ब्यूरो			
4. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना	नागपुर	140.00 (गैर योजना) 70.00 (योजना)	(i) केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों की सहायता से मृदा सर्वेक्षण प्रशिक्षण और विभिन्न स्तरों पर मृदा सह सम्बन्ध।
(क) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजन ब्यूरो का क्षेत्रीय केन्द्र	नागपुर		(ii) मृदा के मानचित्र और थिमेटिक रिसोर्स इन्वेन्टरी मानचित्र आदि तैयार करना। (iii) राज्य मृदा सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग के विभिन्न स्तरों पर मृदा सर्वेक्षण एवं सम्बन्ध तथा राज्यों के लिए मृदा मानचित्र तैयार करना।
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
5. राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर	13.00	नागपुर संतरे के सुधार पर अनुसंधान तथा फसल के लिए उचित प्रौद्योगिकी विकसित करना।

1	2	3	4
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का समन्वित एकक			
6. बाजरे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पर समन्वित एकक	पुणे	8.22	बाजरा की उन्नत किस्मों पर अनुसंधान तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी।
क्षेत्रीय केन्द्र/संस्थानों के केन्द्र/प्रायोजनाएं			
7. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना केन्द्र	पी०वी०के०, अकोला	7.65	(i) किस्म विकास तथा परीक्षण पर अनुसंधान। (ii) प्रजनक बीज उत्पादन (iii) बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान
8. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र	राजगुरुनगर पुणे	7.00 (गैर योजना)	आलू ट्यूबर मोथ के प्रबन्ध सहित किस्मों का विकास तथा उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास के लिये आल पर अनुसंधान।
9. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र	पुणे	10.86 (गैर योजना) 0.03 (योजना)	पोध माइकोप्लाज्म रोगों पर अनुसंधान।
10. राष्ट्रीय पौध आनुवंशिद संसाधन ब्यूरो का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	अकोला	*	फसल पौधों के जर्मप्लाज्म का संग्रह, सूची बनाना तथा वर्गीकरण।

1	2	3	4
11. केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	बम्बई	*	क्षेत्र के पेलपजिक मिडवाटर तथा डीमर्सल मछली संसाधन के साधन की विशेषताओं पर अनुसंधान।
12. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुसंधान केन्द्र	बम्बई	*	क्षेत्र के हैण्डलिंग, संसाधन, परिरक्षण, उत्पादन विकास तथा व्यापार से संबंधित प्रमुख मछलियों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और मानकीकरण पर अनुसंधान।
13. केन्द्रीय अन्त.स्थलीय अभिग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्र	पुणे	*	पेनशेट जलाशय की पारिस्थतिकी तथा मात्स्यकी पर प्रारम्भिक अध्ययन चलाना।

* संस्थान के लिए वजट का आबंटन पूर्ण रूप से किया जाता है जो प्रत्येक केन्द्र/क्षेत्रीय स्टेशन को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कोष को आबंटित करता है।

गोवा, मद्रास और बम्बई में समुद्र तटीय पर्यटक स्थलों का विकास

4053. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, मद्रास और बम्बई में महत्वपूर्ण समुद्र तटीय पर्यटक स्थानों को विकसित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । पर्यटन मन्त्रालय को बम्बई के नजदीक बेसिन में एक समुद्र-तट-विहार-स्थल का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव और अन्जुना में एक समुद्र-तट-विहार-स्थल के लिए गोवा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों के भंडारण हेतु गोदामों की व्यवस्था

4054. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के भंडारण के लिये गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान उर्वरकों के कितने बोरों का नुकसान हुआ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) कुल मिलाकर उर्वरकों के भण्डारण के लिए पर्याप्त गोदाम सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) लगभग 1 प्रतिशत खाद के बोरे रेल/सड़क द्वारा परिवहन तथा रेलवे क्षेत्र तथा भण्डारों में संचालन के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ।

फर्शी क्षेत्र के अनुपात में परिवर्तन

4055. **श्री शांताराम नायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गैर सरकारी भवन निर्माताओं को आवासीय स्थलों के विकास की अनुमति देने और आवासों के निर्माण के लिये एक नई आवास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है और कार्यक्षेत्र क्या है;

(ग) क्या फर्शी क्षेत्र के अनुपात में हाल ही में परिवर्तन किया गया है;

(घ) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न फर्शी क्षेत्र का अनुपात निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसी कोई नई आवास योजना तैयार नहीं की है जो निजी निर्माताओं को आवास स्थल का विकास करने तथा रिहायशी एककों का निर्माण करने की अनुमति देती हो।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अधिकतम अनुमेय फर्शी क्षेत्र अनुपात 250 निर्धारित किया गया है, सिवाय उप-जिला केन्द्रों तथा सामुदायिक केन्द्रों/स्थानीय केन्द्रों के जिनके लिए यह 100 निर्धारित किया गया है। यह जिला केन्द्रों तथा सामुदायिक केन्द्रों/स्थानीय केन्द्रों की निजी क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा आयोजना प्राचलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

खजुराहो जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी

4057. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित विश्व विख्यात मंदिर एम्प्लैक्स जाने वाले पर्यटकों की संख्या में, पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत चार वर्षों के दौरान खजुराहो मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पर्यटक आगमन	%परिवर्तन
1984	189,746	
1985	172,549	— 9.1
1986	205,918	19.3
1987	182,088	—11.6

गिरावट के कारण नहीं बताये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों को छड़ों की सप्लाई

4058. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों ने अपनी मांग के अनुसार छड़ें देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या सुपुर्दगी योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां तो इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों को छड़ों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया है कि "सेल" संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों पर इंजीनियरी माल निर्यातकों की बिलैटों की आवश्यकता पूरी करेगा। यह आवश्यकता वर्ष 1988-89 में लगभग 30,000 टन आंकी गई है।

किसानों के कल्याण के लिये आयोग

4059. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये आयोग गठित करने हेतु राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये आयोग कब तक गठित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन आयोगों के निर्देश-पद होगे और इनके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए आयोग गठित करने हेतु राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते

तम्बाकू उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन

4060. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादक राज्यों में तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और देश में तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने में ये कहां तक सहायक होंगे; और

(ग) इस प्रकार तम्बाकू का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जायेगा तथा कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए तम्बाकू उत्पादन की मात्रा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि फसल अभी तक खेत में है। तथापि, 1986-87 के दौरान 1061 लाख किलोग्राम वर्जिनिया फ्ल्यू क्योर्ड (वी० एफ० सी०) तम्बाकू का उत्पादन किया गया था। 1987-88, (फरवरी, 1988 तक) 479.1 लाख किलोग्राम की मात्रा का निर्यात किया गया है।

आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादकों वित्तीय सहायता

4061. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन कपास उत्पादकों को राहत देने के लिए, जिनकी फसलें सूखे से पूर्णतः नष्ट हो गई हैं, केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो वित्तीय सहायता कब तक जारी किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का कपास उत्पादकों के अतिरिक्त सभी किसानों को राहत देने के लिए भी आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) छोटे और सीमांत किसानों, जिनकी फसल 1987 की मानसून अवधि के दौरान सूखे के परिणामस्वरूप नष्ट हो गयी थी, को कृषि आदान राजसहायता के प्रावधान के लिये 5.40 करोड़ रु० के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गयी है।

रिवाल्विग फार्म कैलेमिटी रिलीफ फंड

4062. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किसानों की सहायता करने के लिए "रिवाल्विग फार्म कैलेमिटी रिलीफ फंड" बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बनाया जाएगा?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वित्त मंत्री ने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत निधि स्थापित करने की घोषणा की है।

(ख) राज्य सरकारों और भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधि के ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के दस नगरों के लिए विश्व बैंक से सहायता

4063. श्री महेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का अपने दस नगरों को जल सप्लाई तथा मल-विकास संबंधी कार्य के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक परियोजना प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विश्व बैंक मिशन ने परियोजना का 22 फरवरी से 5 मार्च, 1988 तक पूर्व मूल्यांकन किया है। विश्व बैंक मिशन द्वारा अन्तिम मूल्यांकन करने से पहले विश्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा छोटे-मोटे संशोधन किये जा रहे हैं। मूल परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है। योजना के क्षेत्र में उज्जैन, रीवां तथा सागर में नये स्रोतों के रूप में भण्डारण बांध बनाकर भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में जल पूर्ति पद्धति में वृद्धि करना शामिल है।

फल अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

4064. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कितने क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसे एक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 1981 से लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) शून्य।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के जिलों में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

4065. श्री महेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से 10 जिलों में भारतीय खाद्य निगम का कोई बेस डिपो नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से जिले हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए इन जिलों में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो खोलने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम का मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 18 जिलों में कोई आधार डिपो नहीं है :—

(1) सिहोर, (2) रायगढ़, (3) धार, (4) खरगौन, (5) झाबुआ, (6) बालाघाट, (7) मण्डला, (8) सिवनी, (9) छिन्दवाड़ा, (10) सीधी, (11) पन्ना, (12) रीवां, (13) दमोह, (14) रायसेन, (15) मन्दसौर, (16) शाजापुर, (17) शिवपुरी और (18) भिण्ड ।

इस समय इन जिलों की आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित उसके आधार डिपुओं से पूरी की जाती है । भारतीय खाद्य निगम कुछेक नोडल स्थानों पर खाद्यान्नों का स्टाक रखता है। नोडल स्थानों, जहां निगम के भण्डारण गोदाम स्थित हैं, का चयन आवश्यकता और परिचालन की सुविधा की दृष्टि में किया जाता है । निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का स्टाक उठाने, उसका आगे भण्डारण और वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

मध्य प्रदेश के गांवों में सड़कों का निर्माण

4066. **श्री महेन्द्र सिंह**
श्री सत्यनारायण पंवार } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में हरिजन बहुल गांवों और आदिवासी क्षेत्रों और 500 से अधिक आबादी वाले गांवों में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए हैं उनका ब्यौरा क्या है, ये प्रस्ताव किन-किन तिथियों को प्राप्त हुए हैं, स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की लागत और सड़कों की लम्बाई सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (1) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम; तथा (2) आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास चला रहा है जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सड़क विकास के कार्य किये जा सकते हैं । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो कि मुख्यतया एक रोजगारोन्मुख कार्यक्रम है, के अन्तर्गत आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सड़क निर्माण किया जा सकता है जिसमें 1990 तक 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले शत-प्रतिशत गांवों और 1000 –1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। आदिवासी क्षेत्रों सहित कठिन क्षेत्रों के लिए 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 100 प्रतिशत गांवों और 500—1000 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को कवर करने के लिए मानदण्डों में छूट दे दी गई है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है ।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास की योजनाओं में चयनात्मक आधार पर उन सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिन्हें आवश्यक समझा गया था परन्तु उन्हें पहले राज्य अथवा केन्द्रीय योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। यहां यह भी कहना है कि चूंकि आदिवासी क्षेत्रों सहित

ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है जो कि ऐसे क्षेत्रों में सड़कें मुहैया कराने के लिए कई कार्यक्रम पहले ही चला रही हैं, इसलिए एक अलग केन्द्रीय प्रायोजित योजना आवश्यक नहीं समझी गई थी और इसी कारण वर्ष 1987-88 से योजना को बन्द कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में योजना के अन्तर्गत कोई नये प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किये जायेंगे।

विवरण-I

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित ग्रामीण सम्पर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित परियोजना का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित की लागत (लाख रुपये)	लम्बाई (कि० मी०)
1	2	3	4	5	6
	छठी योजना :				
1.	सम्पर्क सड़कों का निर्माण	31-1[illegible]-1983	17-11-1983	300.00	1500
2.	15 जिलों में सड़कों का निर्माण	15-11-1983	17-11-1983	1496.68	756 50
3.	4 जिला में प्रथम श्रेणी की सड़कों का निर्माण	5-11-1983	17-11-1983	285.50	118.70
4.	6 जिलों में सड़कों का निर्माण	8-12-1983	17-12-1983	315.69	157.80
5.	6 जिलों में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण	1-12-1983	17-12-1984	246.92	126.80
6.	प्रथम श्रेणी की सड़कों का निर्माण	3-12-1984	11-12-1984	1119.07	552.40
	1986-87				
7.	आदिवासी क्षेत्रों में विकास केन्द्रों के लिए द्वितीय श्रेणी की सड़कों का निर्माण	21-4-1986	6-5-1986	536.96	669.90
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक ग्राम सड़कों (खरेंजों) का निर्माण	23-4-1986	6-5-1986	750.00	910

1	2	3	4	5	6
9.	12 जिलों में द्वितीय श्रेणी की सम्पर्क सड़कों का निर्माण	26-12-1986	16-1-1987	380.21	433.40
10.	प्रथम श्रेणी सड़कों का निर्माण (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम फेज-II)	30-3-1987	6-5-1987	862.486	376·1
11.	प्रथम श्रेणी की सड़कों का निर्माण	27-12-1987	10-1-1987	371.58	168.90
	1987-88				
12.	आदिवासी क्षेत्रों में 1500 और इससे अधिक की जन-संख्या वाले गांवों के लिए प्रथम श्रेणी की सड़कों तथा विकास केन्द्रों के लिए द्वितीय श्रेणी की सड़कों के लिए परियोजनाएं।	8-7-1987	25.7-1987	2214-89	1030.10

विवरण-II

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें—मध्य प्रदेश

क्र० सं०	सड़क का नाम	प्राप्ति की तिथि	अनुमोदन की तिथि	लम्बाई (कि० मी०)	लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	क्योंची अचनकमर सड़क का विकास	5-10-83	26-11-83	42.0	192.27
2.	मदवास-कुशमी सड़क पर 6 पुलों और सम्पर्क सड़कों का निर्माण	24-8-83	9-12-83	—	170.04
3.	मदवास-कुशमी हंदा भदुरा सड़क का निर्माण	24-8-83	29-11-83	38.2	46.35
4.	(क) दुधवा-छोटीवाही सड़क का निर्माण	24-5-84	21-9-84	4.00	6.08
	(ख) दवेना सम्पर्क सड़क का निर्माण			4.68	7.83
5.	घुटकेल-बोराई कंकेरा सड़क का निर्माण	30-10-84	1-1-85	5.00	5.89

1	2	3	4	5	6
6.	बिलासपुर-सिपत बालोदा कोरवा सड़क का निर्माण	9-4-85	—	71.60	190.32
7.	राजेंद्रग्राम-घोघारी सड़क का निर्माण	31-10-84	—	51.5	131.00
8.	हार्दी बाजार रांकी एंडी काछेर, चौरी सड़क का निर्माण	1-6-85	—	8.00	16.45
9.	रत्नपुर, मझवानी-टोंडा-क्योंची सड़क का निर्माण	9-12-85	—	42.00	328.03
10.	बिछिया, टोंस नदी, गिलकीछछा नाला, गोपाद नदी, कतना नदी, हैफ नदी, मांड नदी, जोहिला नदी पर 8 पुलों का निर्माण	13-1-87	—	—	410.00
11.	(क) बहारदिह-सोलोनी सड़क	24-1-86	—	13.6	67.57
	(ख) सलोनी मनिक चौरी अमागांव सड़क		—	17.6	48.86
	(ग) बोहरदिह सालोनी अमेगांव सड़क पर पुलों और पुलियों का निर्माण			—	95.37
	(घ) पामगढ़ डोंगा कोहरोड सोशहा सड़क			14.40	84.13
	(ङ) पामगढ़ खरोड श्योरिनारायण सड़क			36.65	81.29
	(च) केर्रा बिर्रा हासोद सड़क का निर्माण			21.20	91.25
	(छ) हासदेव नदी पर एच० एल० पुल का निर्माण			—	97.42
	(ज) हासोद छपरा डाभरा सडक का निर्माण			10.20	95.30

1	2	3	4	5	6
	(झ) खरसिया डाभरा चन्द्रपुर सड़क का निर्माण			23 20	86.84
12.	(क) खामरिया-ऊर्वा-गाहिरा सड़क	23-9-86	—	30.00	95.93
	(ख) कया-कामतारा सड़क			6.00	21.97
	(ग) कातंगपाली-बारादवान सड़क			4.50	15.31
	(घ) पिलाई-दादर-जालाकोना सड़क			5.00	21.11
	(ङ) कर्णपानी-हडासपाली-नूनपानी, मेकरा सड़क			4.00	36.91
	(च) बोरनीपाली, पैरादयापाली, भालूपौर, खैरात,				
	** दूमारपाली, घोधरा, गिडौला सड़क			22.00	101.14
	(ज) झाल, अकबरटोला, जगीरापुरा, छिद पतीरा, मंजरूपाली, हट्टापाली, करामाल, पैराधियापली सड़क			2[illegible].00	74.[illegible]5
	(झ) गंजाई बिजौरी-गुदरै तिन्हेटा-चिरापोंडी सड़क			14.00	17.16
**	(छ) अमलीपानी, विजमाला, धारधारहा सड़क			9.00	42.26

दिल्ली में हलवाइयों द्वारा मिठाई डिब्बों का तोला जाना

[अनुवाद]

4067. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हलवाई अपनी मिठाई बेचते समय माप तोल (डिब्बा बंद वस्तु) नियम, 1977 का उल्लंघन करके डिब्बे का वजन भी मिठाई के साथ तोलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) इस बारे में बाट तथा माप-विभाग दिल्ली प्रशासन में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के बाट तथा माप निरीक्षणालय के कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में सामान्य जांच करते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर तथा विशेषकर त्यौहार की अवधि के दौरान अचानक छापे मारे जाते हैं तथा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। 1987 में दिल्ली प्रशासन ने मिठाई की 1714 दुकानों को जांच की, जिनमें से 401 मिठाई की दुकानों को डिब्बों के साथ मिठाई तोलते हुए पाया गया। अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की बाजार दरें निर्धारित करना

4068. **श्री कमल नाथ** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य विहार और इसके निकटवर्ती कालोनियों की भूमि की बाजार दरों को अलग से निर्धारित किया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झिलमिल कालोनी के लिए निर्धारित भूमि की दरें, स्वास्थ्य विहार और इसकी निकटवर्ती कालोनियों में आवासीय भूखंडों की बिक्री या हस्तांतरण के बारे में अनार्जित वृद्धि वसूल करने के लिए, लागू होती हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झिलमिल कालोनी के लिए 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979, 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 और 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर 1981 की अवधि के दौरान निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस अवधि के दौरान झिलमिल कालोनी के लिये निर्धारित की गई दरें इस प्रकार है :—

अवधि	दरें (प्रति वर्ग मीटर)
1 जनवरी 1979 से 31 दिसम्बर 1979 तक	192/-रुपये
1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1980 तक	212-/रुपये
1 जनवरी 1981 से 31 अक्तूबर 1981 तक	350/-रुपये

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को हुआ घाटा

4069. **श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को 31 दिसम्बर, 1987 तक कुल कितना संचयी घाटा हो चुका है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे का स्तर कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 तक उठाई गयी संचित हानियां 585.73 करोड़ रु० हैं (अप्रैल, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक के 67.04 करोड़ रु० की अनंतिम हानि सहित)

(ख) हानियां मुख्यतः पावर तथा उपस्कर समस्याओं के कारण चालू एककों की कम क्षमता उपयोगिता के कारण हुई हैं।

(ग) पावर समस्याओं के कारण उत्पादन हानियों से बचने के लिए सरकार ने सभी एककों के लिए केपटिव पावर संयंत्रों की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है और दुर्गापुर एवं नामरूप में ये आरभ कर दिए हैं। चालू एककों के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है।

ग्रामीण आवास निर्माण संबंधी लक्ष्य/उपलब्धियां

4070. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास निर्माण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन्होंने उनकी तुलना में अब तक कितने मकान बनाये;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को राज्य क्षेत्र आवास-स्थल तथा निर्माण सहायता योजना के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 72 लाख परिवारों को आवास स्थल आवंटित करने तथा 27.10 लाख परिवारों को निर्माण सहायता का प्रावधान करने पर विचार किया गया है। इस योजना के तहत दिसम्बर, 1987 तक राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों के लिए मकान बनाने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना, जिसका नाम इंदिरा आवास योजना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में चलायी गई है। इसका लक्ष्य है कि सातवीं योजना की अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत 10 लाख मकान बनाना है। उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 1987 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार निर्मित मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवास तथा नगर विकास निगम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ग्रामीण निर्माण योजनाओं की वित्त व्यवस्था करता है तथा उसने सातवीं योजना अवधि के दौरान 279.75 करोड़ रुपये की ऋण सहायता का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31.1.1988 तक हुडको द्वारा की गई वित्त व्यवस्था से ग्रामीण आवासीय योजनाओं के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार ब्यौरे भी संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना सातवीं योजना (अर्थात 1.4.85 से 31-1.88 तक) के दौरान उपलब्धियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवास-स्थल का आवंटन	निर्माण सहायता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	654904	40·563
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	155
3.	असम	26544	26544
4.	बिहार	77396	—
5.	गोवा	570	365
6.	गुजरात	108488	97988
7.	हरियाणा	9699	7154
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1869	2212
10.	कर्नाटक	114079	130940
11.	केरल	21418	14660
12.	मध्य प्रदेश	143356	71279
13.	महाराष्ट्र	67329	46770
14.	मणिपुर	—	0
15.	मेघालय	—	382
16.	मिजोरम	—	0
17.	नागालैण्ड	—	—
18.	उड़ीसा	156737	12114
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	146828	101453
21.	सिक्किम	—	435
22.	तमिलनाडु	653034	112113
23.	त्रिपुरा	15931	20384

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	236503	75025
25.	पश्चिम बंगाल	50506	12194
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2403	— 176
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादर तथा नागर हवेली	227	2697
29.	दिल्ली	10087	2023
30.	दमन तथा दियू	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	5339	4712

विवरण-II

दिसम्बर, 1987 तक इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना में मकानों की संख्या के ब्यौरे तथा निर्मित मकानों की दी गई सूचना

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना के अनुसार मकानों की संख्या	निर्मित मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44663	31554
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	11
3.	असम	7640	215
4.	बिहार	46730	26315
5.	गोवा	250	216
6.	गुजरात	19750	11459
7.	हरियाणा	3227	2445
8.	हिमाचल प्रदेश	2152	1607
9.	जम्मू तथा कश्मीर	2997	638
10.	कर्नाटक	15798	7292
11.	केरल	30110	28372
12.	मध्य प्रदेश	21732	7139

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	31000	21608
14.	मणिपुर	210	×
15.	मेघालय	386	172
16.	मिजोरम	203	27
17.	नागालैण्ड	498	232
18.	उड़ीसा	16664	8527
19.	पंजाब	10393	1852
20.	राजस्थान	19741	6269
21.	सिक्किम	412	262
22.	तमिलनाडु	69852	47065
23.	त्रिपुरा	3210	1807
24.	उत्तर प्रदेश	79434	55938
25.	पश्चिम बंगाल	47982	12242
26.	अण्डमान तथा निकोबार दीप समूह	100	×
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादर तथा नागर हवेली	113	50
29.	दमन तथा दियू	—	—
30.	दिल्ली	—	×
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	283	×

× सूचित नहीं किया ।

विवरण-III

सातवीं योजना में (31-1-1988 तक) ग्रामीण आवासीय योजनाओं को हुडको द्वारा दी गई आर्थिक सहायता

राज्य	1985-86				1986-86				1987-88 (31-1-1988 तक)			
	योजनाओं की सं०	परियोजनाओं की लागत	ऋण की राशि	रिहायशी एकक	योजनाओं की सं०	परियोजना की लागत	ऋण की राशि	रिहायशी एकक	योजनाओं की सं०	परियोजना की लागत	ऋण की राशि	रिहायशी एकक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	29	27.77	13.89	46296	17	24.30	12.15	29389	11	22.00	11.00	27500
गुजरात	22	15.89	7.83	32995	22	13.01	6.64	21032	18	16.29	8.15	27060
जम्मू तथा कश्मीर	3	0.96	0.48	1600	—	—	—	—	3	0.75	0.37	1250
कर्नाटक	26	28.98	13.30	53209	10	13.72	6.76	27055	8	9.09	4.45	17922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	24	28.10	18.51	46847	10	16.20	10.65	24500	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	11	3.94	1.96	6580	13	3.54	1.77	5902	—	—	—	—
महाराष्ट्र	18	3.50	1.75	5836	26	9.07	4.53	15132	18	8.48	4.24	14138
उड़ीसा	1	0.28	0.14	493	2	2.10	0.85	2825	3	3.75	1.51	5051
तमिलनाडु	5	5.97	3.35	9945	6	18.78	9.39	31300	2	5.22	2.61	8700
उत्तर प्रदेश	1	3.00	1.50	5000	0	—	—	—	1	0.59	0.29	984
योग :	140	118.39	62.71	208801	106	100.72	52.74	157135	64	66.17	32.62	102605

राजस्थान में किराये के गोदामों को अपने पास रखना

[हिन्दी]

4071. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कुछ जिलों में गोदामों को खाली किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार भण्डारण की अधिक क्षमता बनाये रखने के लिए गोदामों को खाली करने की नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम अपनी आवश्यकता और परिचालन संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रवार आधार पर भण्डारण क्षमता की अपनी आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करता है। अत: किराये के कुछ गोदाम जो अलाभकारी अथवा आवश्यकता से फालतू हो जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है।

(ग) जो भण्डारण क्षमता अलाभकारी अथवा आवश्यकता से फालतू हो गई है, उसे त्यागने की नीति पर फिलहाल पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में क्लाथ मिल्स की भूमि का अधिग्रहण

4072. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली क्लाथ मिल्स की भूमि का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार दिल्ली क्लाथ मिल्स को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि देगी; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4073. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोग्य परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितने अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं; और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) कितने प्रतिशत मामलों में अत्यधिक गरीब न परिवारों को दी गई सम्पत्तियों का अनिवार्य रूप से बीमा किया गया; और

(ग) शेष मामलों में सम्पत्तियों का बीमा करने के लिए जिम्मेवार पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत, लाभार्थियों के साथ मिली-भगत से तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक कानूनों में किये गये मौजूदा प्रावधानों के अधीन दण्डनीय कारंवाई की जाती है। कानूनी कारंवाई शुरू करने, उपयुक्त न्यायालय में मामले दायर करने तथा मुकदमा चलाने की कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। भारत सरकार द्वारा इस सूचना की मानिटरिंग नहीं की जाती है।

(ख) मार्गदर्शिकाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन परिसम्पत्तियों के लिए बीमा कराने की व्यवस्था है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जनवरी-सितम्बर, 1987 की अवधि हेतु किये गये समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार 45 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियों का बीमा किया गया था। 55 प्रतिशत मामलों में, परिसम्पत्तियों का बीमा नहीं किया गया था। जिनमें से 29 प्रतिशत मामलों में, लाभार्थी स्वयं परिसम्पत्तियों का बीमा नहीं करवाना चाहते थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण बाजार के लिए राष्ट्रीय निकाय

[अनुवाद]

4074. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बाजार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, जिसकी शाखाएं सभी राज्यों में होंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को अपने माल के विपणन में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास विभाग विपणन संगठनों के साथ सम्पर्क बनाने अथवा स्थापित करने की सम्भाभ्यताओं का पता लगा रहा है। जयपुर में कृषि विपणन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर देश में कृषि तथा खाद्य विपणन की एक प्रभावी पद्धति के विकास को बढ़ावा देगा और कृषि विपणन के विभिन्न उप-क्षेत्रों के समन्वित तथा सुनियोजित विकास के लिए भावी नीति तैयार करेगा।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों को फ्लैटों का आवंटन

4075. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली की गन्दी बस्तियों के निवासियों को फ्लैटों के आवंटन के बारे में 3 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी वरीयता संख्या सूचित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फ्लैटों की एक समान लागत निर्धारित की गई है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों।

(घ) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत फ्लैट की कितनी लागत निर्धारित की गई है;

(ङ) अब तक श्रेणीवार और क्षेत्रवार कुल कितने फ्लैट आवंटित किये गये हैं;

(च) वर्ष 1988 की शेष अवधि के दौरान श्रेणीवार और क्षेत्रवार कुल कितने पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने का विचार है; और

(छ) फ्लैटों का कब्जा लेने के लिये आवंटितियों को क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है और इस संबंध में क्या औपचारिकतायें पूरी की जानी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक 1799 निवासियों को वरीयता संख्या सूचित की गई है। आवंटन के लिए उनकी पात्रता के बारे में निर्णय लेने में मतभेद होने के कारण सभी को अवगत नहीं कराया जा सका। शेष आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने पर, यह मालूम हुआ कि लगभग 40 प्रतिशत आवेदनकर्ता उनके निवास स्थान और अनधिकृत कालोनियों और अनधिकृत नियमित कालोनियों के रूप में श्रेणीबद्ध क्षेत्रों के सीमांकन के बारे में अस्पष्टता के कारण अपात्र हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्थल निरीक्षण किये। अब निवास स्थान के आधार पर किसी मामले को अस्वीकार न करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) अनुमोदित फार्मूले के अनुसार, किसी फ्लैट की अन्तिम लागत फ्लैटों का सभी प्रकार से निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् निकाली जाती है और इस प्रकार फ्लैट की लागत कालोनी से कालोनी के अनुसार अलग-अलग है, जो भूमि का अर्जन, फ्लैटों के निर्माण, इत्यादि की लागत पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(छ) दस्तावेज फ्लैटों के आवंटन के समय मांगे जायेंगे। आई० वाई० एस० एच० योजना के अन्तर्गत विधवा वर्ग के लिए अब तक 417 आवंटन किये गये हैं और ये पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये सहकारी समिति अधिनियम के अध्यधीन होंगे।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण मलिन बस्ती स्कंध, नई पंजीकरण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन और 31 दिसम्बर, 1988 तक पूर्ण होने वाले प्रभावित फ्लैटों/टेनिमेंटों की कालोनीवार संख्या

क्र० सं०	कालोनी	फ्लैटों/टेनिमेंटों की संख्या	योग
1	2	3	4
1.	रघुबीर नगर	192	

1	2	3	4
		160	
		144	
		144	
		142	
		144	896
2.	तिलक नगर	288	288
3.	मादीपुर	320	
		352	
		200	872
4.	मंगोलपुरी	384	384
5.	जहांगीरपुरी	192	192
6.	सरायरोहिल्ला		
	(विवेकानन्दपुरी)	112	112
7	बुलवर्ड रोड	150	150
8.	सराय काले खां	240	
		256	496
9.	सनलाइट कालोनी	12	12
	योग :	3402	3402

मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के फ्लैटों से स्व-वित्त योजना में परिवर्तन

4076. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या शहरी विकास मंत्री मध्यम आय वर्ग की श्रेणी फ्लैटों से स्व-वित्त योजना के परिवर्तन के बारे में 30 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख 3500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आय वर्ग की श्रेणी से स्व-वित्त योजना में परिवर्तन का विकल्प देने पर कौन-कौ से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और इस सम्बन्ध में क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी;

(ख) स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैट की कीमत कितनी निर्धारित की गई है और भुगता की विधि क्या तय की गई है; और

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैट आवंटित करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मध्यम आय वर्ग से स्ववित्त पोषित योजना में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं :—

(1) मध्यम आय वर्ग से स्ववित्त पोषित योजना में परिवर्तन करने के लिए औपचारिक आवेदन पत्र।

(2) मूल रूप में एफ० डी० आर०।

(3) मूल रूप में मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण के समय जमा की गई राशि का चालान।

(4) मूल रूप में पंजीकरण कार्ड।

(ख) स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों की लागत कालोनीवार भिन्न है। सामान्यतः आवंटितियों को फ्लैटों की अनुमानित लागत चार वार्षिक किस्तों में देनी अपेक्षित है। पांचवीं तथा अन्तिम किस्त दखल पत्र जारी करने से पूर्व विशिष्ट फ्लैट नम्बर के आवंटन के बाद मांगी जाती है। कुछ कालोनियों में जहां पर नियमित फ्लैटों का निर्माण कार्य निर्माण के अन्तिम चरण में है, देय ब्याज सहित अनुमानित लागत एक मुश्त मांगी जाती है।

(ग) आवंटितियों द्वारा दी गई इच्छा के आधार पर फ्लैटों का नियतन किया जाता है। वे क्षेत्र जहां फ्लैटों का नियतन/आवंटन प्रस्तावित होता है, उन्हें इस प्रयोजन के लिए प्रकाशित विवरणिका में दर्शाया जाता है, तथा स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को विवरणिका में दर्शायी गई कालोनियों में से अपनी पसन्द की कालोनी बताने को कहा जाता है।

पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए महाराष्ट्र को सहायता

4077. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उस फार्मूले में संशोधन करने का विचार है अथवा संशोधन किया है जिसके अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधायें प्रदान करने के लिए हर राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से सम्बन्धित फार्मूले में संशोधन किया है और समस्याग्रस्त तथा समस्याविहीन गांवों के बीच कोई अन्तर नहीं रखा है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 23639 गांवों और 26916 बस्तियों में समुचित पेयजल व्यवस्था अपेक्षित है;

(घ) क्या सरकार का गांवों में पेयजल व्यवस्था हेतु महाराष्ट्र को सहायता देते समय उक्त बातों को ध्यान में रखने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : **(क)** जी हां। 1987-88 से प्रभावी केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय

सहायता के आबंटन के लिए संशोधित फार्मूला के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आवंटन निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है :—

(1) 35 प्रतिशत बल राज्य/संघ शासित क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या को दिया जाता है।

(2) 20 प्रतिशत बल राज्य/संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण इलाके को दिया जाता है।

(3) 20 प्रतिशत बल गरीबी की स्थिति को दिया जाता है।

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्यों के अन्तर्गत कवर किए गए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12.5 प्रतिशत बल क्षेत्र के संदर्भ में और 12.5 प्रतिशत बल जनसंख्या के संदर्भ में दिया जाता है।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त आबंटन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण जल सप्लाई के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत कम से कम बराबर के प्रावधान के आधार पर है। वार्षिक योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत आवश्यकताओं पर आधारित योजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है ताकि ऊष्ण और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिक पद्धतियों के कारण पेयजल की गम्भीर समस्याओं से पीड़ित विशेष क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। ये क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों में हैं। यह आबंटन राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर के प्रावधान की शर्त के अधीन नहीं है।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के फार्मूला में संशोधन नहीं कर सकते हैं। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियां समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल सुविधाओं के लिए कवर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष तौर पर अनुमोदित योजनाओं के लिए उपयोग की जानी होती है।

(ग) 1.4.1985 तक राज्य सरकारों से परामर्श करके अन्तिम रूप दी गई कार्य योजना के अनुसार, महाराष्ट्र में 5174 समस्याग्रस्त गांव थे जिनमें से 2375 समस्याग्रस्त गांवों के 1.4.1988 को शुद्ध पेयजल हेतु कवर किए जाने के लिए बचने की संभावना है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का किराया खरीद प्रणाली से नकद भुगतान के आधार में बदला जाना

4078. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का किराया खरीद प्रणाली से नकद भुगतान के आधार में बदले जाने के बारे में 9 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1936 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई पंजीकृत व्यक्ति निम्न आय वर्ग/मध्य आय वर्ग फ्लैटों को किराया खरीद से नकद भुगतान के आधार पर बदलवा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को फ्लैटों के आबंटन में कोई प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.7.87 के अपने निर्णय में पंजीकरण के समय एन० पी० आर० एस० तथा आर० पी० एस० योजना की विवरणिका में निर्धारित निबन्धनों तथा शर्तों का अनुपालन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं। निर्णय के अनुसार एन० पी० आर० एस० 1979 तथा आर० पी० एस० 1982 योजना सामान्य के अन्तर्गत मार्च 1986 में निकाली गई लाटरी के माध्यम से नकद भुगतान पर फ्लैटों के आबंटन के लिए भुगतान की प्रणाली निर्धारित करने हेतु सितम्बर 1987 में पुन: लाटरी निकाली गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एन० पी० आर० एस० 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाता है और नीति के अनुसार आबंटन के समय भुगतान की प्रणाली भी कम्प्यूटर के माध्यम से निश्चित की जाती है।

1985 के सभी आर० पी० एस० के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन कम्प्यूटर के माध्यम से लाटरी निकाल कर किया जा रहा है।

बिहार के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य

4079. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बाढ़ राहत के लिए मंजूर की गई और दी गई धनराशि का, व्यय के मुख्य शीर्षों के अनुसार विवरण सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में बाढ़ राहत कार्यक्रम में कमियों के बारे में यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ में क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए मकानों के सम्बन्ध में बिहार में अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है;

(घ) क्या अनेक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य के राजमार्गों सहित सड़कें बिना मरम्मत के और टूटी हुई पड़ी हैं;

(ङ) क्या पिछली बाढ़ के दौरान टूटे हुए बांधों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है; और

(च) क्या कुछ खंडों में, विशेष रूप से पूर्णिया जिले में, राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत राशन बंद कर दिए जाने और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य आरम्भ न किए जाने के कारण लोगों को भूखे रहने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1987 की बाढ़ के लिए मुख्य शीर्षों के तहत स्वीकृत केन्द्रीय सहायता और इन राज्यों को अभी तक दी गई कुल धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) बिहार में राहत कार्यक्रमों के बारे में कमियों और त्रुटियों के बारे में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) बाढ़ से नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए मकानों के सम्बन्ध में राहत दी गई है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और बांधों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य शुरू किये गये हैं ।

(च) जी नहीं ।

विवरण

1987 में आई बाढ़ के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	राहत कार्य	पुन: स्थापना	मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कार्य	18.3.88 को चारा उत्पादन	18.3.88 को सब्ज़ी उत्पादन	कुल स्वीकृत सहायता (1987-88) (कालम-3+4+5+6+7)	निर्मुक्त की गई धनराशि (×)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.37	1.59	7.00	—	—	10.96	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.20	0.39	5.24	—	0.03	6.86	—
3.	असम	11.27	9.55	41.68	—	0.045	62.545	27.50
4.	बिहार	10.56	22.76	52.18	0.875	0.075	86.450	18.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	हिमाचल प्रदेश	0.01	—	0.92	—	—	0.93	5.93
6.	जम्मू व कश्मीर	0.08	5.75	7.30	—	—	13.13	6 00
7.	नागालैंड	—	0.50	1.40	—	—	1.90	—
8.	सिक्किम	0.01	0.19	4.01	—	0.015	4.225	—
9.	पश्चिम बंगाल	13.93	3i.27	35.92	—	0.03	81.15	17.05
10.	उत्तर प्रदेश	1.45	4 64	14.40	—		20.49	—
	कुल :	40.88	76.64	170.05	0.875	0 195	288.64	75.38

× —व्यय की उच्चतम पिछली बकाया राशि की तुलना में निर्मुक्त की गई राशि सम्मिलित है ।

बुद्धजयन्ती पार्क, नई दिल्ली में बेहतर सुविधाएं

4080. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान बुद्ध जयन्ती पार्क, नई दिल्ली के सुन्दरीकरण, यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक योजना के दौरान पार्क के विकास पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एक जापानी एसोसिएशन के अनुरोध पर पार्क में एक "पीस पैगोडा" (शांति स्तूप) स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बुद्ध जयन्ती पार्क में सुविधाओं और रख-रखाव के स्तर में सुधार करना एक अनवरत प्रक्रिया है। रख-रखाव कार्य एक योजना भिन्न कार्य होने के कारण, योजना में किसी प्रकार के व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस पार्क में शान्ति स्तूप स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्यान्नों का राज्य-वार भंडार

[हिन्दी]

4081. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आयोजित "प्रथम विश्व पोषाहार कांग्रेस', में विकासशील राष्ट्रों के लिए खाद्यान्न बैंक स्थापित करने पर जोर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों की आवश्यकतानुसार निर्धारित वार्षिक मात्रा कितनी है, इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है और खाद्यान्नों के रक्षित भंडार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने खाद्यान्न बैंक स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) यह सूचित किया गया है कि हाल ही में हुई नैदानिक पोषाहार विश्व कांग्रेस में विकासशील देशों के लिए खाद्यान्न बैंक स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया था।

(ख) से (घ) भारत सरकार देश में खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की नीति का अनुसरण कर रही है। इस नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पांस वर्ष में विभिन्न समय में 165 लाख मीटरी टन और 214 लाख मीटरी टन के बीच के रेंज में गेहूं और चावल के कुल स्टाक होने चाहिए। एक विवरण संलग्न है जिसमें पहली जनवरी, 1988 को लगाए गए अनुमानों के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास स्टाक की राज्यवार स्थिति दी गई है।

विवरण

1.1.1988 को अनुमान के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों के स्टाक (अ०) की राज्यवार स्थिति

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	242.1@	68.5	—	310.6
असम	106.7	9.5	—	116.2
बिहार	123.8	220.0	—	343.8
गुजरात	75.4	557.4	6.5	639.3
हरियाणा	401.2	966.1	—	1367.3
हिमाचल प्रदेश	7.8	10.8	—	18.6
जम्मू तथा कश्मीर	65.6	31.7	—	97.3
कर्नाटक	115.9	62.2	8.4	186.5
केरल	237.4	47.9	—	285.3
मध्य प्रदेश	478.2	546.2	10.4	1034.8
महाराष्ट्र	239.4	621.7	66.0	927.1
मणिपुर	12.4	1.7	—	14.1
मेघालय	5.3	0.6	—	5.9
नागालैंड	2.9	1.1	—	4.0
उड़ीसा	112.9	36.2	—	149.1
पंजाब	2819.5	2121.3	0.1	4940.9
राजस्थान	35.2	1179.8	—	1215.0
सिक्किम	3.6	—	—	3.6
त्रिपुरा	16.4	1.6	—	18.0
तमिलनाडु	379.5	88.5	—	468.0
उत्तर प्रदेश	588.2	847.7	0.2	1436.1

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	340.5	103.6	—	444.1
अं० तथा नि० द्वीप समूह	1.9	2.1	—	4.0
अरुणाचल प्रदेश	5.0	0.4	—	5.4
चंडीगढ़	6·0	नग०	—	6.0
दादर तथा नगर हवेली	0 3	0.1	—	0.4
गोवा दमन और दीव	2.0	1.4	—	3.4
लक्षद्वीप	—	—	—	—
मिजोरम	1.5	नग०	—	1.5
पांडिचेरी	1.0	0.1	—	1.1
दिल्ली	55.6	40.2	—	95.8
जोड़ :	6483.2	7568.4	91.6	14143.2

अ०—अनन्तिम

नग०—50 मीटरी टन से कम

@—इसमें आन्ध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीदी गई चावल की 1.71 लाख मीटरी टन मात्रा शामिल नहीं है।

उड़ीसा को चावल की सप्लाई

[अनुवाद]

4082. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और उडीसा चावल खाने वाले राज्य हैं;

(ख) क्या उड़ीसा की तुलना में पश्चिम बंगाल को अधिक मात्रा में चावल सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य को और अधिक चावल की सप्लाई करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं दोनों की खपत की जाती है।

(ख) जी हां, पश्चिम बंगाल को चावल का किया गया मासिक आवंटन उड़ीसा को किए गए आवंटन की तुलना में अधिक है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। उड़ीसा को 1987-88 में चावल का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 1.25 लाख मीटरी टन अधिक किया गया है।

उड़ीसा में मत्स्य विकास एजेन्सियां

4083. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीठे पानी के उन टैंकों, तालाबों तथा जलाशयों का क्षेत्र कितना है जिनमें अन्तरदेशीय मत्स्य योजना कार्यान्वित की जा सकती है;

(ख) क्या सरकार का एक नई योजना कार्यान्वित करके इन टैंकों तथा अन्य जलाशयों से और अधिक मीठे पानी में रहने वाली मछलियां पैदा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 16 जिला स्तरीय मत्स्य विकास एजेन्सियों को मंजूरी दी है; यदि हां, तो उन जिलों तथा राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य के लिए भी मीठे पानी में रहने वाली मछलियां पैदा करने हेतु ऐसी कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ये परियोजनायें किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी; इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनसे कितने मीठे पानी की मछलियां पैदा होंगी तथा इन पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) यह अनुमान है कि देश में लगभग 7.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के टैंक तथा तालाब हैं और 15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के जलाशय उपलब्ध हैं जिनकी क्षमता का उपयोग अंतर्देशीय मात्स्यकी विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। राज्यवार जिलों के नाम, जहां 16 नई मछली पालक विकास एजेंसियां स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है, इस प्रकार हैं :—

राज्य	जिलों का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	चित्तूर और खाम्मम
अरुणाचल प्रदेश	ईटा नगर (राज्य स्तर)
असम	डिबरूगढ़, कोकराझार और धुबरी
हरियाणा	सिरसा

1	2
केरल	एलेप्पी
महाराष्ट्र	सांगली
राजस्थान	चित्तौड़गढ़
उड़ीसा	किओंझार
मध्य प्रदेश	सिधी
तमिलनाडु	अन्ना, नार्थ आरकोट और तिरूनेल्वेली

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने 1987-88के दौरान किओंझार जिले में एक और मछली पालक विकास एजेंसी स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी है। इस प्रकार, मछली पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के सभी 13 जिले अब शामिल हैं। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, 1987-88 तक केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में इन मछली पालक विकास एजेंसियों को 61.04 लाख रुपए की राशि दी गई है। 1986-87 के दौरान, उड़ीसा में मीठे जल में मछली का कुल उत्पादन 59,585 मीटरी टन था।

कोणार्क के विकास के लिए मास्टर प्लान

4084. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोणार्क के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मास्टर प्लान को लागू करने के लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने भारत सरकार के नगर व ग्राम आयोजना संगठन से कोणार्क के लिए एक विकास योजना तैयार करवाई है। इस मास्टर प्लान में पर्यटन आधार-संरचना और सुविधाओं का स्थान, डिजाईन सम्बन्धी दृष्टिकोण, मौजूदा सुविधाओं में पुनः स्थान निर्धारण और सुधार आदि से सम्बन्धित सिफारिशें की गई हैं।

(ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक मन्त्रालय ने कोणार्क में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए 41.34 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मन्त्रालय, प्रस्तावों के गुणों निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए कोणार्क के लिए वित्तीय सहायता सम्बन्धी स्वीकृति हेतु 1988-89 के दौरान विचार करेगा।

"हाट ब्लास्ट स्टोव" प्रौद्योगिकी का निर्यात

4085. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड नीदरलैंड को हाट ब्लास्ट स्टोव प्रौद्योगिकी की सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों ने भी भारत से इस प्रौद्योगिकी का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है;

(घ) यदि हां, तो अन्य देशों को इस प्रौद्योगिकी की सप्लाई के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) वर्ष 1988-89 के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये प्रस्तावों तथा आयोजित निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

क्रोमाइट खानों का बन्द होना

4086. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ क्रोमाइट खानें बन्द होने की स्थिति में आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से एक सुकिन्डा के निकट कालारंगी खान है; और

(घ) यदि हां, तो इन खानों के बन्द होने पर कालारंगी खान के कामगारों को अन्य खानों में खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महानदी के तल में हीरे-जवाहरातों तथा बहुमूल्य रत्नों का उपलब्ध होना

4087. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबनी जिले में बाउद के निकट महानदी के तल में हीरे-जवाहरात तथा कुछ बहुमूल्य-रत्न उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वहां नदी के तल में इस प्रकार के बहुमूल्य-रत्नों के पाये जाने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो उन बहुमूल्य-रत्नों को निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) जिला फूलबनी में बाउद के निकट कुछ कीमती और अर्द्ध-कीमती किस्म के रत्न होने के समाचार हैं। ज्ञात रत्न मुख्यत: रक्तमणि (गार्नेट) है।

(ग) कीमती और अर्द्ध-कीमती रत्नों की मात्रा का आकलन करने के लिए खोज चल रही है। वाणिज्यिक विदोहन खोज के परिणामों पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4088. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास" कार्यक्रम वर्ष 1982 में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित योजना के रूप में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गये परिवारों की महिलाओं के लिए आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा किसी स्तर पर इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) इसके कार्यान्वयन में क्या बाधाएं आई हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पद्धति में संशोधन करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों विशेषत: पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की उन्नति के लिए नीति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विकास योजना (दवाकरा) के मूल्यांकन अध्ययन निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा किए गए थे :—

(1) उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सैन्टर फॉर रिजनल इकॉलाजिकल एण्ड साइंस स्टडीज इन डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्ज, कलकत्ता (क्रेसिडा)

(2) राजस्थान में इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमैंट स्टडीज, जयपुर

(3) पंजाब के लिए पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चण्डीगढ़

(4) बिहार, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

उपरोक्त मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्षों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विश्लेषणात्मक सुधार लाने हेतु किए गए उपायों का एक सार **संलग्न विवरण** में दिया गया है।

(घ) राज्यों में कार्यक्रम के अधिक विस्तृत और उचित करवरेज के उद्देश्य से 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना (डवाकरा) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में लगभग 25 प्रतिशत जिलों को लाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार, उत्तर में 6

अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया था। यह कार्यक्रम अब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में चल रहा है जिनके नाम हैं—बस्ती, बांदा, सुलतानपुर, इटावा, देवरिया, इलाहाबाद, गोरखपुर, नैनीताल, पौड़ी, रायबरेली, गोंडा, शाहजहांपुर और मैनपुरी। 1988-89 में उत्तर प्रदेश में 4 और जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।

विवरण

सेन्टर फॉर रिजनल इकोलोजीकल एंड साइंस स्टडीज इन डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, कलकत्ता; विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर; पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान; चण्डीगढ़, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

(1) कार्यक्रम की देख-रेख के लिए पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं कराये हैं जिससे ब्लाक के वर्तमान स्टाफ के पास बहुत अधिक काम है।

(2) लाभार्थियों द्वारा ग्रुपों की आर्थिक गतिविधियां चुनी नहीं जा रही हैं बल्कि उन पर थोपी जाती हैं।

(3) अन्य महिला कार्यक्रमों जैसे आई० सी० डी० एस० अनौपचारिक शिक्षा आदि के बीच कोई समन्वय नहीं है।

(4) कम निवेशों और उत्पादों की विपणन क्षमता में कमी का गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(5) योजनाओं को ग्रुप सदस्यों की रुचि क्षमता, उनके लिए और क्षेत्र के लिए योजनाओं की उपयुक्तता, प्रशिक्षण, आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकीय समस्याओं और योजना के भावी अवसरों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना चुना गया है।

(6) कार्यक्रम के लिए राज्य अंशदानों में हमेशा विलम्ब हुआ है।

(7) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भर्ती किए गए अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। इन अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और शिशु विकास योजना (डवाकरा) में निहित भावना को नहीं समझा गया है।

(8) कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेंसियों को उचित रूप से शामिल नहीं किया गया है।

मूल्यांकन अध्ययनों में दिए गए निष्कर्षों और कार्यक्रम के आरम्भ से इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम की गुणवता में सुधार लाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास की योजना का विस्तार क्रमबद्ध तरीके से और अधिक जिलों में किया जा रहा है। यह मूलरूप में 50 जिलों में शुरू की गयी थी। सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, कार्यक्रम का संघ शासित क्षेत्रों में विस्तार किया गया। 1986-87 और 1987-88 के दौरान राज्यों में 50 जिलों को कवर किया गया और 1988-89 में 25 और जिलों को कार्यक्रम के तहत लाये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सभी राज्य सरकारों से ड्वाकरा जिलों में सहायक परियोजना अधिकारी (ए०पी०ओ०) तथा ग्राम-सेवकों के पदों को भरने के लिए कहा गया है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे पुरानी सामुदायिक विकास पद्धति के अनुसार प्रत्येक विकास खंड में एक मुख्य सेविका और दो ग्रामसेवकों को तैनात करें।

(ग) राज्य सरकारों पर यह जोर दिया गया है कि महिला ग्रुपों के लिए आर्थिक गतिविधियों का चयन करते समय कच्चे माल और बाजार निकायों की उपलब्धता पर विचार करें।

(घ) कार्यक्रम में अन्य विभागों के प्रभावी समन्वय की आवश्यकता महसूस की गई है। इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है ताकि दवाकरा की महिला सदस्यों को समर्थनात्मक सेवाएं जैसे बच्चों की देखरेख, प्रतिरक्षण, परिवार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा आदि मुहैया कराई जा सकें।

(ङ) उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विद्यमान राज्य-स्वामित्व वाले निगमों जैसे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हैण्डलूम निगमों, हस्त-शिल्प निगमों आदि के जरिये स्रोतों का पता लगाने के अतिरिक्त, जिला सप्लाई और विपणन सोसायटियों की स्थापना करें। महिला ग्रुपों के उत्पाद प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पिछले व्यापार मेले के दौरान प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भी रखे गए थे।

(च) महिला सदस्यों को ट्राइसेम के अन्तर्गत शिल्प प्रशिक्षण दिया जाता है। परम्परागत गतिविधियों के अलावा, इलैक्ट्रोनिक उत्पादनों जैसे अभिनव व्यवसायों पर भी जोर दिया जाता है।

(छ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जैसे ही केन्द्रीय और यूनिसेफ सहायता रिलीज हो, वे ड्वाकरा ग्रुपों के लिए अपना बराबर का अंश रिलीज कर दें। निधियों का आगामी आबंटन तब तक नहीं किया जाए जब तक कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा रिलीज नहीं करती।

(ज) कार्यक्रम के कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण देना ड्वाकरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न नीति उपायों से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारियों को जानकारी देने के लिए और साथ ही फील्ड स्तर पर सामने आने वाली कठिनाईयों का समाधान करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद अब ड्वाकरा की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए समग्र प्रभारी होगा।

(झ) ड्वाकरा के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को अनुदान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद् (कापार्ट) की मार्फत स्वीकृत किये जाते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों को हड़ताल के दिनों में अनुपस्थिति की अवधि को नियमित किया जाना

4089. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुपस्थिति की अवधि को अध्यापकों, फार्मासिस्टों और डाक्टरों के मामले में तो नियमित कर दिया गया है परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में उनकी छुट्टी काट कर अथवा उनसे फालतू काम लेकर उसे नियमित नहीं किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों की पिछली हड़ताल की अवधि को छुट्टी काट कर अथवा उनसे फालतू काम लेकर नियमित कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अध्यापकों, फार्मासिस्टों और डाक्टरों के मामले में भी तथा जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों और कर्मचारियों के मामले में किया गया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुपस्थिति की अवधि को छुट्टी की मंजूरी देकर नियमित नहीं किया गया है। तथापि, अध्यापकों द्वारा हड़ताल वापस लेने के पश्चात कुछ विश्वविद्यालयों के टीचर्स एसोशिएसनों ने छुट्टी के दिन तथा गर्मियों की छुट्टियों में कार्य करके इस हानि को पूरा करने का निर्णय लिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी शनिवार को और छुट्टियों में तथा सर्दियों की छुट्टियों में कमी करके कक्षायें लेकर हानि को पूरा करने के लिए शैक्षिक समय-सारिणी को पुनः तैयार किया था।

(ख) और (ग) उनके प्रति सद्भाव की भावना के रूप में तथा तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह केवल एक दिन की अनुपस्थिति थी और उन्होंने जून, 1986 में अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी का आश्रय नहीं लिया था, जैसे उपाय के रूप में 6-5-1986 को कनिष्ठ इंजीनियरों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की अनुपस्थिति को छुट्टी की मंजूरी देकर नियमित कर दिया गया है।

नियमित वर्गीकृत स्थापना और कार्य प्रभारित स्थापना में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जिन्होंने 3 तथा 4 सितम्बर, 1986 को कार्य में बाधा डाली, के मामले में, यह निर्णय लिया गया था कि हड़ताल के कारण उनकी अनुपस्थिति के दिनों में कार्य की हानि को पूरा करने के लिए वे सामान्य मजदूरी पर 2 छुट्टी के दिनों में कार्य करेंगे।

कनिष्ठ इंजीनियरों और कर्मचारियों के संबंध में इस प्रकार के दो निर्णय हड़ताल की वैधता या अन्यथा को देखते हुए लिए गए थे।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला में परियोजना निदेशक का पद

4090. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला में परियोजना निदेशक का पद वर्ष 1980 से नियमित नियुक्ति द्वारा नहीं भरा गया है;

(ख) क्या वर्ष 1980 के पश्चात किसी समय उक्त पद के लिए आवश्यक अर्हताओं से संबंधित

व्यवस्था में कोई परिवर्तन किये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हाल ही में उक्त पद पर कोई नियुक्ति की गई है तथा क्या नियुक्ति हेतु चुना गया व्यक्ति इस पद के लिए आवश्यक अर्हताएं रखता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, यह पद 1-4-1981 से खाली पड़ा है।

(ख) जी हां, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के अध्यक्ष ने इस पद की योग्यताओं में खासतौर से प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी अनुभव की छूट दी है, ताकि चयन के क्षेत्र में अधिक संख्या में उम्मीदवार आ सकें।

(ग) जी, हां।

कृषि अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता

4091. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जिन गैर-सरकारी संस्थाओं के पास आवश्यक साधन संरचना है और जिन्हें कृषि अनुसंधान और विकास सम्बन्धी विशेष जानकारी (एक्सपर्टाइज) प्राप्त है—वे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के सहयोगी केन्द्रों के रूप में भा० कृ० अ० परिषद से वित्तीय सहायता ले सकते हैं। अल्पकालिक **तदर्थ** योजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्र योजना और "प्रयोगशाला से खेत तक" **कार्यक्रम** के अन्तर्गत भी सहायता ली जा सकती है।

(ग) तदर्थ योजनाओं के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के अनुमोदन के पहले गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित फारमेट में भेजे गये आवेदन पत्रों की छंटनी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करती है और फिर भा० कृ० अ० परिषद के वैज्ञानिक पैनल द्वारा विस्तार से उसकी जांच की जाती है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित प्लान स्कीमों के अन्तर्गत भी सहायता दी जाती है।

बाढ़ के कारण क्षति

4092. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान कौन-कौन से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए;

(ख) इससे भूमि, पशुओं, जान और माल की हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल द्वारा बाढ़ से प्रभावित राज्यों का मूल्यांकन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1987 के दौरान बाढ़ों के कारण जान तथा माल की हुई राज्यवार हानि की सीमा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी उपायों के लिए अब तक 288.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

हानियां—बाढ़ें—1-7-1987 से
(राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य तथा (जिलों की कुल सं०)	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख है०)	प्रभावित जनसंख्या (लाख रु० में)	फसलों की हानि क्षेत्र (लाख है०)	फसलों की हानि मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश (23) (I) बाढ़	—	—	—	—	—	—
	(2) चक्रवात	9	1410	—	32.03	9.60	12578
2.	अरुणाचल प्रदेश (11)	11	सू०न०	0.20	0.20	0.10	254
3.	असम (16)	16	13031	26.77	99.00	5.96	10630
4.	बिहार (31)	30	24518	47.50	286.62	34.00	67881
5.	हिमाचल प्रदेश (12)	1	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०
6.	सिक्किम (4)	4	सू० न०	0.35	0.74	0.35	635
7.	पश्चिम	12	9482	16.26	85.68	9.27	17007
	बंगाल (17)	4*	277	2.34	3.39	0.69	2172
8.	उत्तर प्रदेश (57)	9	5948	5.82	38.24	3.16	सू० न०
9.	नागालैंड (7)	7	792	0.68	2.50	0.68	सू० न०
10.	मणिपुर	8	112	0.27	1.39	0.27	2742
11.	मेघालय (5)	5	215	0.09	0.28	0.09	179
	योग :	113	55121	100.64	550.07	14.17	114078

+—पूरक ज्ञापन—पहले प्रभावित वही 3 जिले, सू० न०=सूचित नहीं किया गया।

घरों की क्षति संख्या (000" में)	घरों की क्षति मूल्य (लाख रुपये)	मृतक पशुओं की संख्या	मृतक मनुष्यों की संख्या	(अनन्तिम) सार्वजनिक सुविधाओं की हानि (लाख रु०)	1-3-1988 को फसलों मकानों तथा सार्वजनिक सुविधाओं की कुल हानि (लाख रुपये) (कालम 8+10+13)
1 9	10	1.	12	13	14
—	—	—	53	—	—
110 6	—	632	119	10371	22949
3.9	सू० न०	128	—	1824	2078
276.0	सू० न०	70123	123	430	11060
1705.0	सू० न०	5302	1283	59406	127287
0.05	200	33	11	300	500
0.8	सू० न०	518	23	974	1609
736.1	सू० न०	1021	82	12473	29480
203.4	1626	380	74	सू० न०	3798
143.8	सू० न०	1001	165	—	—
सू० न०	सू० न०	सू० न०	सू० न०	682	682
7.6	51	65	5	692	3485
6.1	सू० न०	1663	3	838	1017
3193. 6	1877	78659	1694	87990	203945

1-3-1988 को

हानियां—भारी वर्षा—1987
(राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

(अनन्तिम)

क्र०सं० तथा राज्य और (कुल जिलों की संख्या)	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख है०)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	फसलों की हानियां क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	फसलों की हानियां मूल्य (लाख रु० में)	घरों की हानियां संख्या (000" में)	घरों की हानियां मूल्य (लाख रु० में)	मृतक पशुओं की सं०	मृतक मनुष्यों की सं०	सार्वजनिक सुविधाओं की हानि (लाख रु०)	फसलों मकानों तथा सार्वजनिक सुविधाओं की कुल हानि (लाख रु०) (कालम 7+9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. **जम्मू व कश्मीर**												
(1) मई-जून, 1987	12	सू०न०	5.14	162.00	5.14	11000	19	440	196	62	5856	17296
(2) अक्तूबर, 1987	6×	सू०न०	1.37	20.48	1.37	37.53	सू०न०	सू०न०	सू०न०	सू०न०	सू०न०	37.53
योग :	12	—	6.51	182.48	6.51	11037.53	19	440	196	62	5856	17333 53

सू०न० = सूचित नहीं किया गया।
× = 6 जिले पहले भी प्रभावित हुए थे।

विवरण-II

1987 के बाढ़ों के लिए. मंजूर की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	मंजूर की गई रकम × (1987-88 के लिए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.960
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.860
3.	असम	62.545
4.	बिहार	86.450
5.	हिमाचल प्रदेश	0.930
6.	जम्मू व कश्मीर	13.130
7.	नागालैंड	1.900
8.	सिक्किम	4.225
9.	पश्चिम बंगाल	81.150
10.	उत्तर प्रदेश	20.490
	योग :	288.640

× = चारा उत्पादन तथा सब्जी उत्पादन के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता शामिल है।

विश्व बैंक की सहायता से पानी की सप्लाई और सफाई परियोजनाएं

4093. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पांच राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से 1217 करोड़ रुपये की लागत से पानी की सप्लाई और सफाई परियोजनाओं का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और उनको कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेयजल और सफाई परियोजनाओं के लिए शेष राज्यों को समान रूप से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से लगभग 14।8.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्य सरकारों को राज्य की योजनाओं में इस प्रकार की परियोजनाओं की लागत का पूर्ण प्रावधान उस पर प्रतिवर्ष व्यय पूरा करना और तत्पश्चात विश्व बैंक से प्राप्त हुए जमा/ऋण में से भारत सरकार से लागत के एक भाग की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है।

(ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में धनराशि का प्रावधान करके शहरी जलपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं/योजनाओं की योजना बनायें, डिजाइन बनायें, उनको कार्यान्वित एवं अनुरक्षण करें। शेष राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक सहायता के लिए ऐसी परियोजनाएं तैयार करने और उनके वार्षिक योजना नियतनों से उपयुक्त प्रावधान उद्दिष्ट करने की छूट है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा फलों और सब्जियों की बिक्री

4094. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राजधानी में फल और सब्जियों की सप्लाई की एक योजना शुरू की थी और यदि हां, तो उसके वित्तीय परिव्यय, किया गया वास्तविक व्यय, और अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास पृथक लेखे विद्यमान हैं परन्तु इनका हिसाब मदर डेयरी के लेखाओं से अलग नहीं रखा जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का दिल्ली मदर डेयरी को दिल्ली नगरनिगम अथवा दिल्ली प्रशासन को अंतरित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार के आग्रह पर मदर डेयरी ने दिल्ली में फलों और सब्जियों के वितरण के सम्बन्ध में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है। परियोजना का वित्तीय परिव्यय करीब 33.5 करोड़ रुपए है। परियोजना पर वहन किए गए वास्तविक व्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) फलों और सब्जियों से सम्बन्धित कार्यों के लाभ और हानि खातों को दूध से सम्बन्धित कार्यों के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि इस चरण में कुछ ऊपरी खर्चे दोनों में शामिल होते हैं। अतः अर्जित किए गए लाभ और हानि की सही मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों में लाभ/घाटा

4095. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित अनेक होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक होटल को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ तथा घाटा हुआ है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन होटलों का सेवा, कार्य-निष्पादन व्यावसायिक प्रबंध बेहतर भोजन आदि विभिन्न

पहलुओं की दृष्टि से, कार्यचालन सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1986-87 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 24 होटलों में से 13 होटलों ने निवल लाभ कमाया।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) हानि के प्रमुख कारण हैं—कुछ स्थानों पर फालतू होटल आवास का निर्माण; नए होटल चालू करने के लिए भारी मूल्यह्रास तथा ब्याज का प्रभाव; कुछ परिसम्पत्तियों का दूर-दराज के स्थानों पर अवस्थित होना; कुछ होटलों को मात्र पर्यटन संवर्धन के लिए चलाना आदि।

(घ) इन होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम ये हैं—

(I) विदेशों में यात्रा अभिकरणों के साथ विपणन तथा आरक्षण टाइ-अप्स करना; (II) भारत पर्यटन विकास निगम की परिसम्पत्तियों का संवर्धन करने के लिए यात्रा व्यवसाय मंचों (आई० टी०बी० बर्लिन सहित) में भाग लेना; (III) विज्ञापन पर अधिक जोर देना; (IV) छूट के रूप में प्रोत्साहनों की पेशकश करना; (V) उत्पाद सुधार; (VI) स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विशेष एक-मुश्त यात्राएं शुरू करना; (VII) अशोक प्रशिक्षण केन्द्र की मार्फत कार्यपालकों तथा स्टाफ को प्रशिक्षण देना आदि।

विवरण

1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में लाभ/हानि

(लाख रु० में)

क्र० सं०	होटल	1984-85		1985-86		1986-87	
		परिचालन लाभ/हानि	निवल लाभ/हानि	परिचालन लाभ/हानि	निवल लाभ/हानि	परिचालन लाभ/हानि	निवल लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
	आवास और केटरिंग						
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	183.60	7.68	319 32	116 43	131.16	124 02
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	100.65	58.62	115.85	68.65	90.92	42 72
3.	लोदी होटल, नई दिल्ली	52.94	29.23	58 56	34.10	54 23	29 11
4.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	10.86	(—) 0.33	(—) 7.83	(—) 20.85	2.07	(—) 12.93
5.	अशोक होटल, बंगलौर	(—) 20.33	(—) 59.54	23 00	(—) 36 52	48.77	(—) 15.66

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हसन अशोक	4.79	0 03	5.84	1 09	4.62	(—) 0.57
7.	जम्मू अशोक	(—) 0.47	(—) 4 12	4 65	0 50	3.91	(—) 1 78
8.	औरंगाबाद अशोक	9.97	0 03	9 24	(—) 2.16	4.89	(—) 6.99
9.	खजुराहो अशोक	2.27	(—) 2 11	(—) 2 88	(—) 7.47	(—) 0 21	(—) 4 66
10.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	30.84	3.62	40.84	7.51	51.38	13.55
11.	एल० वी० पी० होटल, उदयपुर	13.10	6.36	15.71	7.66	18.13	9 78
12.	टेम्पल बे मामल्लापुरम	(—) 0.23	(—) 3.02	(—) 1.03	(—) 4.50	(—) 3.68	(—) 7.31
13.	वाराणसी अशोक	10.16	(—) 3.27	[illegible].89	(—) 4.74	17.15	2.63
14.	कुतब होटल, नई दिल्ली	25.45	8.45	30.96	11.48	38.51	19.32
15.	एल० एम० पी० होटल, मैसूर	16.65	5.66	11.[illegible]9	0.18	12.26	1.13
16.	एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	102.07	52.02	108.50	51.47	107.61	51.25
17.	पाटलीपुत्रा अशोक पटना	(—) 1.39	(—) 7.98	(—) 0.12	(—) 7.58	1.15	(—) 6.80
18.	जयपुर अशोक	10.59	(—) 2.86	10.85	(—) 6.20	18.56	1.41
19.	कलिंग अशोक भुवनेश्वर	(—) 3.17	(—) 11.07	(—) 9.57	(—) 18.53	(—) 13.98	(—) 37.07

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मुदरै अशोक	0 48	(—) 6.35	3.91	(—) 5.48	4.43	(—) 5.15
21.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	86.73	(—) 128.05	163.98	(—) 39.18	232.74	28.02
22.	कनिष्क, नई दिल्ली	156.18	42.94	231.01	105.33	312 31	173.13
23.	अशोक यात्री निवास	75.41	17.28	113.68	46.78	147.65	79.70
24.	अकबर, नई दिल्ली*	(—) 22.41	(—) 58.39	8.04	(—) 37.34	(—) 10.62	(—) 10.89
25.	आगरा अशोक	—	—	—	—	6.00	(—) 29.71
	जोड़	844.74	(—) 55.47	1263.29	260.63	1479.96	436.25

*चूंकि अप्रैल 1986 में अकबर होटल विदेश मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया था, 1986-87 के दौरान यह परिचालन में नहीं था ।

उर्वरकों के लिए दी गई राजसहायता

4096. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उर्वरकों के लिए कितनी वार्षिक राज सहायता देती है;

(ख) क्या इस राज सहायता के समुचित इस्तेमाल के संबंध में कोई नियंत्रण रखा जाता है और यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से; और

(ग) क्या सरकार को भ्रष्टाचार/कदाचार के किन्हीं मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान स्वदेशी रूप से उत्पादित तथा आयातित उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायता की राशि नीचे दर्शाई गयी है :

(रु०/करोड़)

वर्ष	स्वदेशी	आयातित
1984-85	1200	727.31
1985-86	1600	323.71
1986-87	1700	197.11

(ख) स्वदेशी उर्वरक उत्पादक कम्पनियों को आर्थिक सहायता का भुगतान उपभोक्ता मूल्य, वितरण लाभ, तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण मूल्यों के संदर्भ में प्रतिधारण मूल्य योजना के अनुसार किया जाता है। उर्वरक एककों को किए गए भुगतानों का उनके द्वारा रखे गये रिकार्डों के संदर्भ में उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा भेजे गए निरीक्षण दलों द्वारा आवधिक रूप से जांच और सत्यापन किया जाता है।

(ग) सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई मामला नहीं आया है।

गेहूं के स्थान पर तिलहन की खेती

4097. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं के स्थान पर तिलहनों की खेती करने को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका खाद्यान्नों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक फसल उगाना शुरू करने के लिए वर्षा सिंचित गेहूं के बदले तोरिया-सरसों उगाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 1986-87 के दौरान यह योजना पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर नामक सात राज्यों में चली। इसे राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के

जरिए शुरू किया गया था।

यह कार्यक्रम वर्ष 1987-88 के लिए 180 लाख रुपये के परिव्यय से 20 परियोजना जिलों के लिए मंजूर किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए कार्य हैं—किसानों को बीजों के मिनिकिटों का विवरण और प्रखंड प्रदर्शन। इस कार्यक्रम से गेहूं के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि गेहूं की कम और अनिश्चित उत्पादकता वाले क्षेत्र को ही इस योजना के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

पंजाब के ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

4098. **श्री कमल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों और छोटे सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :

(क) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उसकी राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर पंजाब में सूखा राहत के लिए 28.47 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है। इसमें छोटे तथा सीमांत किसानों को कृषि आदान राजसहायता के लिए 4.96 करोड़ रुपए और ग्रामीण श्रमिकों और छोटे व सीमान्त किसानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु 8.00 करोड़ रु।ए शामिल हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में "हुडको" परियोजनाएं

4099. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कोई ऐसी आवास सम्बन्धी परियोजनाएं हैं जिन्हें हुडको द्वारा सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हुडको ने पंजाब में विभिन्न प्रकार की आवास योजनाओं तथा सम्बन्धित अधसंरचना विकास के लिए 77.95 करोड़ रुपये के हुडको के ऋण घटक से 121.54 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की अब तक 173 योजनाएं स्वीकृत की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कार्यान्वयन/ऋणी अभिकरणों द्वारा सूचित वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के आधार पर हुडको ने अब तक 59.71 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं।

विवरण

हुडको द्वारा अपने प्रारम्भ से पंजाब में 31-1-1988 तक स्वीकृत परियोजनाओं का अभिकरण-वार विवरण

अभिकरण	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण
			(रुपये करोड़ों में)
आवास बोर्ड	141	107.2[illegible]	69.69
नगर सुधार न्यास	6	3.59	[illegible].56
नगर निगम	3	2.28	0.92
सार्वजनिक क्षेत्र	21	[illegible].00	4.46
निजी क्षेत्र	1	0.28	0.23
विश्वविद्यालय	1	0.16	0.09
	173	121.54	77.95

———

12.00 मध्याह्न

संसद भवन परिसर में एक घुसपैठिए को गोली से मारे जाने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति को जो कल रात को लोहे के दरवाजे को फांद कर संसद के परिसर में घुसा और चेतावनी देने के बावजूद आगे बढ़ने से नहीं रुका, संसद के सुरक्षा गार्डों ने गोली से मार दिया। मामले की आगे जांच की जा रही है। यह मैं सभा के सूचनार्थ बता रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह संसद सदस्य नहीं था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह ऊपर से क्यों आएगा।

———

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस सभा ने हर्ष चड्ढा के मामले

पर भरपूर चर्चा की है। वह भारत में आ गये हैं। उन पर 'फेरा' के उल्लंघन का आरोप है। हम जानना चाहते हैं क्या वे उन पर मुकदमा चलायेंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे देना, मैं पता करवा दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिये, मैं पता करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शमिंदर सिंह (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, आज शिरोमणि अकाली दल के तथा श्री बादल साहब के नेतृत्व में पंजाब के सभी वर्गों के रेप्रेजेंटेटिव हिन्दुस्तान के लोगों के सामने अपनी बात कहने के लिए वोट क्लब पर रैली करने के लिये और धरना देने के लिए आये हैं, उनको इसकी इजाजत नहीं दी गई। इस तरह से हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। एक तरफ तो भारत सरकार पंजाब का मसला हल नहीं कर रही, सरकार अभी तरह-तरह के टैस्ट कर रही है और दूसरी तरफ वहां के लोग यदि कोई सुझाव लेकर आते हैं तो उनको भी इसकी इजाजत नहीं दी जा रही।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिये, मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में मेनिनजाइटिस से काफी मृत्यु हुई है। कृपा इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दीजिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दो, मैं करवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलीकरा) : श्री लंका में श्री लंका की फौज बैरक से बाहर आ गयी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए, मैं पता करवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और प्रस्ताव दीजिये। मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, त्रिपुरा पर चर्चा के लिए आप सहमत हो गये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर आचार्य, मैंने कब इन्कार किया है ? आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करके करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। मैंने कब इन्कार किया है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक सूचना दी है। आप तारीख निश्चित कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना किसी तुक या कारण के क्यों चिल्ला रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : एक गम्भीर समस्या है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आता। आप लोगों की समझ में बात क्यों नहीं आती ?

[अनुवाद]

मैं नहीं समझ सकता। मैं इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। दिक्कत क्या है ? आप अपने स्थानों पर क्यों नहीं बैठते ?

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : यदि आपने मान लिया है तो हम सराहना करते है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वीकार कर लिया है। हम सहमत हैं। समय आपको देना है न कि मुझे। दिक्कत क्या है ? कोई दिक्कत नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसके लिए उन्हें बधाई दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : वे क्यों इस तरह से बधाई दें ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, श्री हर्ष चड्ढा ने अदालत के लिए अपशब्द कहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक बार बात हो गई है, आप बैठ जाइये।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुछ नहीं। आप क्यों शोर कर रहे हैं, प्रो० साहब इसे पहले ही उठा चुके हैं और मैंने इसका उत्तर दिया है। कृपा बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति, आप बैठ जाइये, और मुझे सुन लेने दीजिये। जयपाल जी, आप हर वक्त ऐसा गलत काम करते हैं। मैंने जवाब दे दिया है। आप दे दीजिये मैं पता करवाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात का एडजर्नमेंट मोशन थोड़े ही होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : महोदय, केरल में 15 को भारत बन्द होने के पश्चात् लोगों को पीटा जा रहा है। केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रो० के० वी० थामस : यहां तक कि अखबार जिसमें कि 'मातृभूमि' भी शामिल है, राज्य में वितरित नहीं किये जा सके। (व्यवधान) गृह मंत्री यहां पर हैं। (व्यवधान) आप उन्हें वक्तव्य देने को कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब दे रहा हूं कि यह स्टेट सबजेक्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक (पणजी) : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी पर हमले के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर आपने क्या निर्णय लिया है?

प्रो० मधु दंडवते : श्री शांताराम नायक के निवेदन पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में स्वीकृत नियमों के अनुसार यदि किसी ऐसे सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना लाई जाती है जोकि अन्य सदन का सदस्य है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव उसी सदन को जाना चाहिये। उसे इस सदन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने श्री ज्योति बसु के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है। लोक सभा के संकल्प के अनुसार किसी भी ऐसे सदस्य के विरुद्ध कोई भी जिशेषाधिकार सूचना नहीं दी जा सकती जो कि दूसरे सदन का सदस्य है।

श्री शांताराम नायक : मेरा कहना यह है कि नियमों में लिखित रूप में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम, मैंने इस बारे में आपको पहले ही सूचना दे दी है। मैंने इसे

अनुमति नहीं दी है क्योंकि इसका इस सदन से कोई सरोकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। मैंने स्पष्ट रूप में बता दिया है कि नियम-नियम ही हैं। यदि कोई संकल्प पारित होता है तो नियमों को संशोधित करना होगा। नियमों में इस आशय का कोई संशोधन नहीं किया गया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री एन० सी० चटर्जी के मामले को राज्य सभा में नहीं उठाया जा सकता था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैठ जाइये।

[अनुवाद]

आपको ऐसा क्यों करना चाहिये ? मैं ही इसे कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मेरा मुद्दा भिन्न है। एक गुट निरपेक्ष देश, निकारागुआ···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिये। इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता के तौर पर···

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ दीजिये। मैं विदेश मंत्रालय से कहूंगा। मैं इस तरह से कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके साथ सहानुभूति दिखा सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार वक्तव्य दे सकती है यह गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें, मैं उनको भेज दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र—श्री सुख राम

———

12 09 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—5729/88]

तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—5730/88]

(ख) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—5731/88]

———

12.10 म० प०

पंजाब बजट, 1988-89

[अनुवाद]

वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं पंजाब सरकार के वर्ष 1987-88 के संशोधित अनुमान और 1988-89 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के पश्चात् पंजाब राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना है, इसलिए 1988-89 के वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संशोधित अनुमान, 1988-89

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर और कर से भिन्न राजस्व 1069.98 करोड़ रुपये दिया गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 40.06 करोड़ रुपये कम है जिसका कारण राज्य में अशांत परिस्थितियां बनी रहना है। केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा 47.14 करोड़ रुपये अधिक होकर 326.94 करोड़ रुपये होगा, जबकि बजट में यह राशि 279.80 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमानों में राजस्व लेखा का खर्च 1729.96 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि बजट अनुमानों में यह 1351.09 करोड़ रुपये था, 378.87 करोड़ रुपए की वृद्धि, कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों और अंतरिम राहत की अदायगी तथा सामाजिक सेवाओं अर्थात् प्राकृतिक विपदाओं के सम्बन्ध में राहत, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति, शहरी विकास तथा पुलिस पर हुए अधिक खर्च के कारण है। इसके फलस्वरूप बजट में राजस्व खाते में 38.75 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष अन्तत: 333.03 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जाएगा।

पूंजी खाते के अन्तर्गत, बजट अनुमानों में 1881.78 करोड़ रुपए की प्राप्तियों की तुलना में 1307.95 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। लोक लेखा के लेन-देनों और प्रारम्भिक घाटे को हिसाब में शामिल करने के बाद, चालू वर्ष के बजट में 233.00 करोड़ रुपये का कुल घाटा होने का अनुमान है जबकि बजट में "शून्य" शेष का अनुमान लगाया गया है।

बजट अनुमान, 1988-89

1545.95 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है जो 1987-88 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 149.03 करोड़ रुपये की वृद्धि का द्योतक है। राज्य की कर और कर-भिन्न प्राप्तियां 1987-88 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 124.37 करोड़ रुपए अधिक, अर्थात् 1194.35 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्य का हिस्सा 351.60 करोड़ रुपए है जो वर्ष 1987-88 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 24.65 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व खाते में 1785.17 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। जिन क्षेत्रों में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, वे हैं : शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, परिवार कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, और जलपूर्ति, कृषि, लघु सिंचाई सामुदायिक विकास और परिवहन सेवाएं।

पूंजी खाते के अन्तर्गत 2375.17 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है और ऋणों तथा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अग्रिमों सहित व्यय 2194.67 करोड़ रुपए का आंका गया है। राजस्व खाते, पूंजीगत खाते और लोक लेखा को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लेन-देनों के सम्बन्ध में वर्ष 19 8-89 का बजट संतुलित है।

योजना-परिव्यय

वर्ष 1988-89 के लिए राज्य योजना परिव्यय 700.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वर्ष 1988-89 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 41.50 करोड़ रुपए होगी। वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य को 650.00 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी जाएगी। वार्षिक योजना में 465.39 करोड़ रुपए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली के लिए, 64.21 करोड़ रुपए कृषि और सहकारिता के लिए और 18.95 करोड़ रुपए उद्योग और खनिजों के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार चालू परियोजनाओं और उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना जारी रखेगी जिनपर काफी काम पूरा हो चुका है।

लेखानुदान

अपेक्षानुसार, वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें अन्य बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों के बीच परिचालित की जा रही है। मैं, इस समय खाद्य वसूली के सम्बन्ध में आवश्यकताओं को छोड़कर, जिसके मामले में वार्षिक आवश्यकता की राशि स्वीकृत किए जाने की जरूरत है ताकि खरीद का काम जारी रहे, वित्तीय वर्ष 1988-89 के पहले छः महीनों के लिए केवल 'लेखानुदान' प्राप्त करने की मांग कर रहा हूं।

———

12.14 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1987-88

[अनुवाद]

वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं पंजाब राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1987-88 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 18 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए अपने 11वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :

1. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार	6 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 1987
2. प्रो० पराग चालिहा	18 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1987
3. श्री वीरेन्द्र पाटिल	22 फरवरी से 25 मार्च, 1988
4. श्री गुरुदास कामत	22 फरवरी से 18 मार्च, 1938
5. श्री वाई० एस० महाजन	24 फरवरी से 31 मार्च, 1988
6. श्री एच० जी० रामुलु	15 मार्च से 10 अप्रैल, 1988
7. श्री मानिक सान्याल	22 फरवरी से 11 मार्च, 1988

क्या सभा यह चाहती है कि जैसाकि समिति ने सिफारिश की है, अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जिन मंत्रियों का ध्यान कहीं और है, उनके बारे में क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उसकी भी अनुमति है।

———

12.15 म० प०

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार में गेहूं के बिक्री मूल्यों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : महोदय, जैसाकि सदन को विदित ही है कि सरकार ने आगामी रबी मौसम में किसानों को गेहूं के अदा किए जाने वाले समर्थन मूल्य को 166-/ रुपये से बढ़ाकर 173/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। इस वृद्धि का, जोकि पिछले तीन वर्षों में की गई वृद्धि से अधिक थी, व्यापक रूप से स्वागत किया गया था।

2. केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य संगत योजनाओं के अधीन वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से जारी किए जा रहे गेहूं के मूल्य भी निर्धारित करती है। समर्थन मूल्य में 7.00 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार ने केन्द्रीय निर्गम मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय किया है ताकि समर्थन मूल्य में वृद्धि और कुछ संगत लागत को खपाया जा सके तथा खाद्य राजसहायता पर नियंत्रण रखा जा सके।

3. गेहूं के संशोधित निर्गम मूल्य इस प्रकार होंगे :—

[श्री सुख राम]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए यह मूल्य वर्तमान 195/-रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 204/-रुपये प्रति क्विंटल होगा; और

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के इलाकों और आदिवासी बहुल राज्यों के लिए यह मूल्य वर्तमान 130/- रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 139/- रुपये प्रति क्विंटल होगा और उपभोक्ता मूल्य 155/-रुपये की बजाए 164/-रुपये प्रति क्विंटल होगा।

(4) खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं का मूल्य 240/-रुपये प्रति क्विंटल होगा।

(5) ये सभी मूल्य 25 मार्च, 1988 से प्रभावी होंगे।

———

12.17 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिये गोआ राज्य को विशेष अनुदान प्रदान करना

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी): महोदय, गोवा को हाल ही में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब यह देखना राज्य सरकार का काम है कि गोवा की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ और सुक्षम बने। तथापि नए राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं, और ऐसे राज्यों को अनुदान और सहायता देना केन्द्र सरकार की परम्परा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में ऐसा ही किया गया था और इन राज्यों को विशेष श्रेणी में शामिल करके अब भी ऐसा किया जा रहा है।

गोवा की जनता ने वास्तव में शासन की वास्तविक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की थी। संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण बजट प्रस्तावों के लिए धन देने की सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने, के बाद, सारी स्थिति पूरी तरह बदल नहीं जानी चाहिए।

इसलिए गोवा को विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और इस राज्य को विशेष अनुदान दिए जाने चाहिएं जिससे राज्य को अपनी अर्थ-व्यवस्था आत्म निर्भर बनाने में सहायता मिल सके।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) गोरखपुर और वाराणसी में हथकरघा बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्त-

गंत यह विषय सदन में उठाना चाहता हूं कि हमारे देश का करघा उद्योग सदियों पुराना है तथा देश के बुनकरों ने अपने हस्तकौशल से दुनिया को इस कदर आकर्षित किया था कि संयुक्त भारत के बंगाल का मलमल अपने देश को ले जाने के लिए विदेशी शक्तियों में होड़ लगा करती थी। परन्तु विदेशी शासन में हमारी इस कला को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया जिसके कारण यह उद्योग विकसित नहीं हुआ। बदलते हुए जमाने के साथ इस उद्योग में लगे हुए बुनकर अपने उत्पादन में उसी गति से बदलाव नहीं कर पाये, जिसके फलस्वरूप बुनकर गरीबी व भुखमरी का शिकार होने लगे। स्वतन्त्र भारत में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किया गया, उसका पूर्ण लाभ पर्याप्त साधनों के अभाव में बुनकरों को नहीं प्राप्त हुआ। वर्तमान वस्त्र नीति के फलस्वरूप जो लाभ पहुंत सकता था वह भी त्रुटिपूर्ण कार्यान्वियन के कारण नहीं पहुंचा। साथ ही विगत कई वर्षों से सूखे के कारण रुई और सूत का मूल्य बेतहाशा बढ़ गया तथा सामयिक प्रशिक्षण के अभाव में परम्परागत उत्पादन उचित मूल्य पर बिक पाना मुश्किल हो गया। इससे लाखों करघे तथा करोड़ों बुनकर बेकार हो गए।

अत: केन्द्रीय सरकार से मेरी मांग है कि करघा उद्योग में नई तकनीक को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के करघा उद्योग बाहुल्य क्षेत्रों जैसे गोरखपुर, वाराणसी, आदि में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएं तथा बुनकरों को सस्ता सूत दिलाने के लिए खरीद तथा भण्डारण की व्यवस्था के साथ-साथ गोरखपुर आदि स्थलों पर सूत उत्पादक मिलों की स्थापना की जाये तथा करघे के उत्पादन के प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग तथा धुलाई आदि का संयंत्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा अन्य प्रदेशों में स्थापित किया जाए व करघे के उत्पाद को विदेशों में लोकप्रिय बनाने हेतु तथा सरकारी संस्थानों में अधिक उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(तीन) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में चीनी मिलें खोलना

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं : —

"देश के विभिन्न प्रदेशों में गन्ने की पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी रहा है। वहां अन्य प्रदेशों की तुलना में गन्ने का अधिकउत्पादन होता है। गन्ने के उत्पादन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें कम संख्या में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, वहां तो चीनी मिलें और भी कम हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, उसमें गन्ना काफी संख्या में पैदा होता है। किन्तु गन्ने की उत्पादकता को देखते हुए मेरे क्षेत्र में चीनी मिलें नाम मात्र की हैं, जिसके कारण किसानों को गन्ने का निर्धारित मूल्य नहीं मिल पाता है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता को मद्दे नजर रखते हुए मुरादाबाद क्षेत्र में जहां कि गन्ने का उत्पादन काफी संख्या में होता है, वहां पर चीनी की कम से कम दो या तीन मिलें स्थापित किये जाने की कृपा करें, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य मिल सके।"

(चार) कानपुर देहात में 'नवोदय विद्यालय' खोलना

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

"केन्द्र सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या से कारगर तरीके से निबटने तथा

श्री जगदीश अवस्थी]

शिक्षा को रोजगारमूलक बनाने हेतु नई शिक्षा नीति को लागू किया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देश के प्रत्येक जनपद में एक आदर्श विद्यालय की स्थपना का है जिसे नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धन तथा मध्यमवर्गीय लोगों के प्रखर बुद्धि के बालकों को समुचित सुविधा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। इसी योजना के अधीन सरकार ने कानपुर महानगर क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। कुछ वर्षों पूर्व कानपुर को दो जनपदों में विभाजित किया जा चुका है जिसमें कानपुर देहात जनपद शैक्षिक रूप से अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है वहां पर बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति भी शोचनीय है तथा कानपुर देहात जैसे बड़े जनपद में केवल एक ही महाविद्यालय है उसमें भी सभी संकायों एवं विषयों को पढ़ाए जाने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर देहात जनपद की शैक्षिक उन्नति के लिए उस दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना आगामी शैक्षिक सत्र से पूर्व की जाए जिससे कि वहां के निर्धन तथा मध्यम वर्गीय लोगों के प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सके जिससे वे भविष्य में देश की प्रगति एवं विकास में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।"

(पांच) फसल बीमा योजना को जारी रखना

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : 7 मार्च, 19?8 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार 'केन्द्र सरकार योजना से मुकर रही है' देश में करोड़ों किसान बहुत चिंतित हैं। महात्मा गांधी की सलाह के विपरीत बाद की सभी सरकारों ने किसानों के हितों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अतः समाज के अन्य भागों की तुलना में किसानों की आर्थिक स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। स्वतन्त्रता के 38 वर्षों के वाद चावण, गेहूं, बाजरा, दालों और तिलहनों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई। जब किसान की बीमा हुई फसल मौसमी कारणों से या बाढ़ अथवा कीड़ों आदि की वजह से नष्ट हो जाती है तो यह योजना केवल किसान का यदि पूर्ण नहीं तो कम से कम आंशिक बचाव तो करती है। यदि सरकार फसल बीमा योजना को समाप्त कर देती है तो यह स्पष्ट रूप से किसान विरोधी कदम होगा। अतः मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वह फसल बीमा योजना को समाप्त न करें, अपितु तम्बाकू, कपास मिर्चों आदि को इस योजना के दायरे में ला करके इसे और प्रभावी बनाया जाए तथा जो किसान संकट में हैं उनके वास्तविक हितों की सुरक्षा के लिए ताल्लुक/प्रखंड/मंडल के बजाय राजस्व ग्राम को पारिभाषित क्षेत्र माना जाना चाहिए। इस योजना को अर्थक्षम और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रीमियम में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस योजना को पक्की और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धन के दुरुपयोग होने की गुंजाइश दूर कर दी जानी चाहिए।

(छः) पहलेजा घाट ग्रोर दीघा के बीच तथा छितौनी घाट पर रेल पुल का निर्माण करना

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, खनिज-पदार्थों की दृष्टि से देश में नम्बर एक एवं आबादी की दृष्टि से नम्बर दो स्थान रखने वाला बिहार, विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह रेल यातायात के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है और जब कभी इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निवेदन किया जाता है या कोई परियोजना तैयार की जाती है तो उन्हें अलाभकर कह कर या कोष का अभाव बताकर ठुकरा दिया जाता है, जैसे इसी सदन में मैंने कई बार गंगा नदी पर पहलेजा घाट एवं दीघा के बीच चिरलम्बित रेल पुल के निर्माण एवं बिहार में एक रेल जोन के गठन के लिए विस्तार से तथ्यों को दर्शाते हुए निवेदन किया है लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

यह एक विडम्बना ही है कि राज्य के 39 जिलों में से 9 जिलों के मुख्यालयों ने आज तक रेल का मुंह नहीं देखा है। नई रेल नार्दन दोहरी रेल लाइन, आमान परिवर्तन एवं पुल निर्माण की कई परियोजनाएं आज भी स्वीकृत नहीं हुई हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं कार्यारम्भ वर्षों पहले किये जा चुके हैं।

ऐसी उम्मीद थी कि इस वर्ष के रेल बजट में बिहार की नई परियोजना के लिए भी कोष उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन खेद है कि इस नाम पर एक नया पैसा भी बिहार को नहीं दिया गया है।

अत निवेदन है कि सरकार पहलेजाघाट एवं दीघा के बीच पुल का निर्माण करावे, छितौनी घाट पर रेल पुल का निर्माण करावे, नई रेल लाइन दोहरी रेल लाइन एवं आमान परिवर्तन का काम करावे एवं बिहार में एक रेल जोन का गठन करे।

(सात) पूर्णिया जिले में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र पूर्णिया में पीने के पानी की व्यवस्था में अभी भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारे प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर पूरी तरह है और वे पीने का पानी पहुंचाने के लिए हर सहायता देने को तैयार हैं। अभी भी गांवों में जाने पर पता चलता है कि पानी पीने के लिए किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कितनी दयनीय हालत से, खासकार हरिजन लोग गुजर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि बिहार सरकार से पता करके उन सभी क्षेत्रों में जहां पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है, वहां पर हैंड पम्प या कुएं खोदने के लिए, आर्थिक सहायता देने की कृपा करें।

बिहार सरकार आर्थिक अभाव के कारण पीने के पानी जैसी समस्या को हल नहीं कर पा रही है। लोगों में असंतोष न बढ़े, इस हेतु केन्द्रीय सरकार को तुरन्त बिहार सरकार की सहायता करनी चाहिए।

(आठ) काजू विकास बोर्ड की स्थापना करना

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राय (कासर गोड) : केरल में नारियल और रबर के बाद काजू की खेती सबसे अधिक होती है। वर्ष 1955-56 में काजू की खेती का सम्पूर्ण क्षेत्र 37,460 हैक्टेयर था अब वहां लगभग डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन में काजू की खेती होती है। वर्ष 1981 में केरल ने विश्व बैंक की सहायता से बहु-भण्डारण काजू परियोजना को आरम्भ किया और काजू की खेती किये जाने वाले क्षेत्र में लगभग 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की। केरल में भूमि सुधारों के बाद छोटे किसान भी काजू की खेती करने लगे हैं। अतः काजू की फसल गरीब व्यक्तियों की फसल बन गई है। केरल में बड़े पैमाने पर काजू की खेती केवल सरकारी बगान निगम द्वारा ही की जाती है। किसानों की दुखद स्थिति यह है कि सभी विकास कार्यों के बावजूद उत्पादन करना शुरू हो गया है। यद्यपि काजू का उत्पादन बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है परन्तु उसका लाभ साधारण किसानों को नहीं मिल रहा है। इन कठिनाइयों के अलावा केरल सरकार ने एक ऐसी कीमत पर काजू की एकाधिकार खरीद की योजना लागू की है जो किसानों के लिए कतई लाभप्रद नहीं है। केरल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडू में बडे पैमाने पर काजू की तश्करी की जा रही है जहां काजू का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। अतः काजू का समर्थन मूल्य निर्धारित करके इस अवैध व्यापार को रोका जाना चाहिए। काजू की कीमत इसकी उत्पादन लागत और विदेशी बाजार में इसके मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए। काजू विकास बोर्ड का तत्काल गठन किये जाने से कुछ समस्याओं का समाधान होगा और इससे केरल में काजू के अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करने में किसानों को सहायता मिलेगी।

12.30 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय; अगला मद 1 अब सदन में वर्ष 1987-88 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग सख्या : 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 15, क, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 91 और 92 "

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए
अनुपूरक अनुदानों की मांगें

अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	32,41,00,000	—
2.	कृषि तथा सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	41,13,00,000	11,35,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
6.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	19,00,00,000
7.	पूर्ति विभाग	1,19,00,000	—
संचार मंत्रालय			
10.	दूर संचार सेवाएं	—	213,66,00,000
रक्षा मंत्रालय			
12.	रक्षा पेंशन	508,51,00,000	—
13.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	127,84,00,000	—
14.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	93,22,00,000	—
15.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	75,56,00,000	—
15क.	रक्षा आयुध निर्माणियां	64,82,00,000	—
ऊर्जा मंत्रालय			
17.	कोयला विभाग	—	1,00,000
18.	विद्युत विभाग	—	2,00,000
विदेश मंत्रालय			
21.	विदेश मंत्रालय	28,86,00,000	1,00,000
वित्त मंत्रालय			
22.	आर्थिक कार्य विभाग	92,06,00,000	—

1 2	3	
24. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	70,42,00,000	187,97,00,000
27. राज्य सरकारों को अन्तरण	69,00,00,000	22,76,00,000
28. सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	5,00,00,000
31. लेखा-परीक्षा	16,26,00,000	—
33. प्रत्यक्ष कर	23,55,00,000	—
34. अप्रत्यक्ष कर	11,41,00,000	—
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
37. स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	8,49,00,000
गृह मंत्रालय (खण्ड-I)		
39. गृह मंत्रालय	7,31,00,000	—
41. पुलिस	21,02,00,000	—
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
44. शिक्षा विभाग	3,00,000	—
46. कला और संस्कृति विभाग	2,00,000	1,00,000
उद्योग मंत्रालय		
48. औद्योगिक विकास विभाग	2,24,00,000	8,00,00,000
49. कम्पनी कार्य विभाग	1,00,000	—
50. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	1,48,00,000	—
51. सरकारी उद्यम विभाग	334,29,00,000	—
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
53. प्रसारण सेवाएं	8,59,00,000	—
श्रम मंत्रालय		
54. श्रम मंत्रालय	6,58,00,000	—
संसदीय कार्य मंत्रालय		
56. संसदीय कार्य मंत्रालय	4,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
57. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	81,00,000	—

1 2	3	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
58. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	—	26,00,000
योजना मंत्रालय		
60. सांख्यिकी विभाग	63,00,000	—
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
62. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	—
इस्पात और खान मंत्रालय		
65. इस्पात विभाग	4,37,00,000	—
66. खान विभाग	12,73,00,000	1,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
67. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	65,09,00,000	11,96,00,000
जल भूतल परिवहन मंत्रालय		
69. जल भूतल परिवहन	—	13,14,00,000
70. सड़कें	77,00,000	24,42,00'000
71. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1,00,000	33,61,00,000
नागर विमानन मंत्रालय		
72. नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	—
शहरी विकास मंत्रालय		
73. शहरी विकास और आवास	2,79,00,000	—
74. लोक निर्माण कार्य	5,06,00,000	1,00,0000
75. लेखन सामग्री और मुद्रण	2,64,00,000	4,76,00,000
कल्याण मंत्रालय		
77. कल्याण मंत्रालय	—	25,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग		
79. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	—	1,00,000
अन्तरिक्ष विभाग		
82. अन्तरिक्ष विभाग	6,59,00,000	1,00,000

1	2		3
संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
84.	राज्य सभा	43,00,000	—
गृह मंत्रालय (खंड-II)			
(बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)			
88.	दिल्ली	87,75,00,000	13,00,000
89.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	13,37,00,000	—
90.	दादरा और नागर हवेली	2,46,00,000	69,00,000
91.	लक्षद्वीप	3,19,00,000	5,73,00,000
92.	चंडीगढ़	8,66,00,000	1,07,00,000
	जोड़ :	18,55,25,00,000	572,34,00,000

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1987-88 के लिए अनुपूरक मांगों के बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि प्रधान मंत्री महोदय द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बजट घाटे को 5680 करोड़ रुपये तक सीमित रखा जायेगा परन्तु अनुपूरक मांगों को इसमें शामिल करने के बाद बजट घाटे की इस राशि में 550 करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से यह एक अशुभ संकेत है क्योंकि यदि यह राशि सम्पूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित राशि से अधिक हो जाती है तो हम निश्चित रूप से आन्तरिक ऋण जाल में फंस जायेंगे और हमें मूल्यों के मामले में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

इस बजट में यह देखा गया है कि यह घाटा बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह देखा गया है कि प्रतिवर्ष इस प्रकार के घाटे में वृद्धि होती जाती है और लक्ष्यों को कार्यक्रमों के अनुसार बनाये नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आन्तरिक ऋण जाल, राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व-व्यय पर हमें ध्यान देना होगा।

आज आप देखते हैं कि राजस्व व्यय के लिए धन की व्यवस्था पूंजीगत खाते से की जा रही है। यह उल्टी प्रवृत्ति 1984-85 से आरम्भ हुई और यह तेज गति से जारी है। इससे निश्चित रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना में मूल्य स्थिति योजना आंकड़ों और योजना विकास में बाधा आयेगी। आज वास्तव में गैर-योजनागत व्यय में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है। खाद्य और उर्वरक राजसहायता के लिए ही 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। एक वर्ष के लिए रक्षा व्यय की राशि भी 13,000 करोड़ रुपये से कम नहीं हुई है यद्यपि इस बारे में यह तर्क दिया गया है कि इसमें कटौती की जानी चाहिये।

उधार ली गई राशियों पर ब्याज की राशि बढ़कर प्रति वर्ष 14,000 करोड़ रुपये से अधिक

हो गई है। अत: भविष्य में ली जाने वाली उधार राशियों का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिये करने के बजाय उधार राशियों के ब्याज के भुगतान के लिए किया जायेगा।

अत: स्पष्ट रूप से हम आन्तरिक और विदेशी ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। विदेशी ऋण जाल और भी अधिक अशुभ है यद्यपि सरकार द्वारा दर्शाये गये आंकड़े इसके विपरीत हैं। सरकार कहती है कि हमारी भुगतान शेष की स्थिति कुछ वर्षों में ठीक हो जायेगी परन्तु मुझे आशंका है कि भुगतान शेष की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से और अधिक ऋण लेना पड़ेगा। इस बात की भी काफी संभावना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये जाने वाले ऋण की कुछ कठिन शर्तें हो सकती है और जिस प्रकार भारत सरकार अपनी वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध कर रही है उसके लिए उसे उसकी डांट भी सुननी पड़ सकती है। बजट में पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित 24 प्रतिशत अदायगी निश्चित रूप से निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी सरकार ने इस बार एक लोकप्रिय बजट लाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस्पात, कोयला, पैट्रोलियम तथा अन्य वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों में 2,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है और उसके बाद बजट में कुछ रियायतें दी है। बजट में बहुत कम राहत दी गई है। रियायतों से लोगों को कोई ठोस लाभ होने वाला नहीं है। परन्तु फिर भी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी और आगे जांच की जानी चाहिए। आज कल बजट से पूर्व प्रकाशित मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है और यह एक प्रशासित मूल्यों में वृद्धि एक सुनियोजित कार्यक्रम है। पहले ऐसा नहीं किया जाता था और भविष्य में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनैतिक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार का ऋण देने के लिए राजस्व में वृद्धि करने और राजस्व जुटाने के अलावा बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्तर पर अतिरिक्त राजस्व संसाधनों को जुटाने के लिए सदैव बल दिया जाता रहा है और यदि हम राज्य सरकारों को भी यह कहे कि उन्हें भी बढ़ोतरी के आधार पर संसाधनों को जुटाना चाहिये, परन्तु किस गति से इन संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है। देश अब भी सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। आने वाले एक या दो वर्षों तक अभी सूखे का प्रभाव रहेगा।

इस स्थिति में राज्य, राजस्व में पहले से ही जो वृद्धि कर रहे हैं उससे अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। अत: केन्द्रीय सरकार को राज्यों को गैर-जिम्मेदार कहने की अपेक्षा उन्हें फिजूलखर्च और ऐसे व्यक्ति कहने की अपेक्षा जो अपनी वित्त व्यवस्था का भली प्रकार प्रबन्ध नहीं करते, अपने राजस्व को राज्य सरकारों के साथ बांटना चाहिए। राज्यों के संसाधन सीमित हैं और वे दिन प्रतिदिन और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण और भी अधिक सीमित होते जा रहे हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि राज्य सरकारों को उचित मुआवजा दिया जा सके।

मैं यह भी कहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना खतरे में है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह तर्क दिये जाने के बावजूद कि वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है वास्तविक लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। वास्तविक लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है और सम्भवत: योजना के लक्ष्यों के अनुसार उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। अत: निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना पर और अधिक बल देना होगा।

इस सन्दर्भ में मुझे दूसरी पंचवर्षीय योजना की याद आती है जिसे 1957 और 1962 के बीच लाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के औद्योगीकरण और विकास पर बल दिया गया था। उससे चाहे विकास संतुलित हो अथवा न हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी आधारभूत संरचना के निर्माण पर बल दिया गया है। परन्तु किस कीमत पर ऐसा किया गया है? आधारभूत

[श्री आनन्द गजपति राजू]

संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए परन्तु इसके लिए गैर-योजनागत खर्च में भी कटौती की जानी चाहिए। योजना को बनाये रखने के लिए अधिक धन की और अधिक नोटो को छापने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तुच्छ विचारों पर बनाई गई योजना का कोई लाभ नहीं होगा और कुछ वर्षों के बाद वह योजना स्वयं ही खतरे में पड़ जायेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को उचित ढंग से प्राप्त किया जाय तथा गैर-योजना व्यय में कटौती की जाए।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार अनाज और उर्वरक पर राज्य सहायता दे रही है जिसे वह युक्ति संगत बना सकती है यदि वे इसे युक्ति संगत बनाते हैं और यह देखकर कि किसान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सीमा तक बचत हो सकती है। यदि हम विदेशी नीति का सही तरीके से अनुपालन करते और यह देखते कि हम अनावश्यक रूप से दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करते और यदि भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका में न भेजा गया होता तो शायद इससे रक्षा खर्च में कुछ धनराशि की कुछ बचत हो जाती ?

इसी प्रकार यदि सरकार अनुत्पादक व्यय में कटौती करने का निर्णय ले लेती तो हम ऋण पर लगने वाले ब्याज की धनराशि को बचा लेते। अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना को चालू रखा जा सकता है। लेकिन अब योजना का आधार योजना नीति के अनुरूप नहीं है। आज आप देखते है कि योजना लक्ष्यों में समानता और सामाजिक न्याय का कोई महत्व ही नहीं है। राज्य सहायता के इधर उधर के आंकडे दिये जा रहे हैं लेकिन अभी भी योजना में समानता तथा सामाजिक न्याय पर कोई बल नहीं दिया गया है। आंतरिक तथा विदेशी ऋण जाल से बचने के लिए योजना में इसी बात पर बल दिया जाय तथा हम देखें कि अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के सम्बन्ध में मेरा यह अनुमान है कि इस बार उसकी शर्तें और अधिक कठिन होगी इससे भारत सरकार की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पडेगा क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि पैट्रो-रसायन जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पैंट्रो-रसायन के क्षेत्र में काफी सीमा तक आयात प्रतिस्थापन किया जा सकता है लेकिन पैट्रो-रसायन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनमें निवेश करने में संकोच किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों तथा कुछ अवश्यक क्षेत्रों में निवेश का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार निवेश करने में संकोच कर रही है। पैंट्रो-रसायन क्षेत्र में निवेश बिल्कुल नहीं किया जा रहा है जो कि एक आवश्यक क्षेत्र है। आगामी दो-तीन वर्षों में हमें 1000 करोड़ रुपयों से अधिक के पैट्रो-रसायनों का आयात करना पड़ सकता है जिसका दबाव भुगतान शेष पर पड़ेगा।

ऐसे ही हमें बहुत से क्षेत्रों पर बल देना पडेगा। पश्चिमी देशों में संरक्षणवाद की वजह से निर्यात के क्षेत्र में तथा वस्त्र और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में हमें कठिनाई होगी हम चाहे माने या न माने संरक्षणवाद बढ़ रहा है। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अमरीका की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। वहां मंदी होने से हमारे भुगतान शेष की स्थिति में कठिनाई आएगी। इसलिए हमें योजना का निर्माण उचित ढंग से करना चाहिए और अनुदानों की अधिक से अधिक अनुपूरक मांगें लेने तथा सरकारी व्यय को इतना अधिन बढाने की बजाए जहां उसे कम न किया सके सरकार को बहुत ही विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था अपनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि लक्ष्य पूरे हों और साथ ही यह भी देखा जाए कि बिना का॰ण धन का विस्तार न किया जाए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही दो-चार बातें रखना चाहता हूं सुझाव के तौर पर मैं सोचता हूं कुछ बात ऐसी जरूर होगी जिसके कारण हमारी बात बनती नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने बड़ी प्रगति की है, बहुत तरक्की की है लेकिन मेरे विचार से और भी अधिक तरक्की करने की गुंजायश है। आप मानें या न मानें, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं माननीय राज्य वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे कभी भी अकेले बाजार चले जायें और पता लगाने की कोशिश करें कि महंगाई किस कदर बढ़ी है। मध्य वर्ग का आदमी बुरी तरह से पिस गया है, गरीब वर्ग की बात तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं यह बात कोई समालोचना के तौर पर नहीं कर रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सोच में कहीं कोई त्रुटि है। मैं मानता हूं उस दिन वित्त मन्त्री जी ने कहा कि महंगाई हम बढ़ने नहीं देंगे लेकिन जो सच है उससे आप कैसे इन्कार कर सकते हैं, कैसे मुंह मोड़ सकते हैं ? जो बात सच है वह मैं आपसे कहता हूं, आप कभी मेरे साथ मार्किट चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि महंगाई किस तरह से बढ़ गई है। इस महंगाई को आप नियंत्रण में कर सकते हैं यदि आप अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर को काट दीजिए। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि शायद आपको पता भी नहीं है कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर कैसे होता है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पब्लिक सेक्टर कारपोरेशंस जितने भी हैं उनमें आपने अपने सीनियर मैनेजर्स को एस० टी० डी० की फैसिलिटी दे रखी है। आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए और तब जवाब दीजिए। उन पर कहीं से कोई टेलीफोन कर लें, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ऐसे कई केसेज देखे हैं। मन्त्री जी कहेंगे तो अकेले में नाम भी बतला दूंगा। पब्लिक सेक्टर के एक ऐसे सीनियर मैनेजर्स हैं जिनके घर पर एस० टी० डी० फैसिलिटीज लगी है। उनके यहां सारे मोहल्ले के लोग आते हैं और टेलीफोन करते हैं। आजकल तो वे दिल्ली में हैं। उनके रिश्तेदार इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा में रहते हैं। दिन भर इन्टरनेशनल एस० टी० डी० होता रहता है। मैनेजर की तनख्वाह तो चार हजार है लेकिन एस० टी० डी० का खर्चा 30 हजार है, जिसको सरकार पे करती है। और यह केवल दिल्ली की ही बात नहीं है, और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ही बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी यही होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहता हूं कि पिछले दो वर्षों का राज्य सरकारों से भी ब्यौरा मंगाया जाये और केन्द्रीय सरकार से भी ब्यौरा मंगाया जाए कि उनकी मिनिस्ट्रीज में और पब्लिक सेक्टर कारपोरेशंस में जितने भी सीनियर मैनेजस और सीनियर आफिसर्स हैं उनके एस० टी० डी० बिल्स कितने के आये है ? और यह तो केवल एक ही आस्पैक्ट है। राज्यों में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर बीस-बीस खानसामे, चपरासी और आर्डरलीज हैं। एक एस० पी० के घर पर 30-40 नौकर हैं। सदन में सदस्यों ने यही कहा था कि एक एम० पी० यदि अपनी कान्स्टीचूयेंसी में घूमने जाएगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गाड़ी नहीं देता है, जीप नहीं देता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए, उसकी आया को उसके घर तक छोड़ने के लिए, उनके रिश्तेदारों को हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए जीप और कार का दुरुपयोग होता है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं यह साबित भी कर सकता हूं। आप टैक्स लगाते जाइये, बेशक लगाते जाइये, लेकिन कहीं कुछ प्रोडक्टिव-अनप्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर को भी रोकना आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है। यह अनप्रोडक्टिव एक्सपैंडिचर आपको खा जायेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि महंगाई काफी बढ़ जायेगी और आपका उस पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकम, वेजेज और प्राइसेस तीनों की आप पॉलिसी बनाइये, जिससे कि लोगों को राहत मिले। एक आदमी किसी तरह आर्गेनाइज्ड सैक्टर में घुस गया और किसी आफिसर का ड्राइवर हो गया। जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है, उसको तीन हजार रुपये

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसका भाई एम० ए० पास है गांव में, उसे सौ रुपये की नौकरी भी नहीं मिल पाती है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कहां न्याय है। इसलिए कुछ तो आपको लाइन खींचनी होगी, जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या काफी भयानक समस्या है, जिसने हमारी सारी कोशिशों को बर्बाद कर दिया है। आप देहात में जाइये। मैं गुजरात की बात नहीं कह सकता हूं। आप बिहार में जाइये, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइये, एक-एक गांव में आपको 200-300 ग्रेजुएट्स और एम० ए० पास हुए लोग मिलेंगे, जो कि बेकार हैं। आप यह कहकर मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि यह राज्य सरकार की गलती है, शिक्षा नीति गलत हुई और लोग बेरोजगार हो गए। उन्हें किसी न किसी तरह का रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हम पर है। आप आये दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है, कई ऐसे राज्य हैं, जिनमें पैरेलल सरकार चल रही है। क्या इस दिशा में आपने कभी सोचने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है ? लॉ एंड आर्डर की समस्या सोशियो प्राब्लम है, यह सामाजिक समस्या है आर्थिक समस्या है। एक आदमी बी० ए० पास करके, एम० ए० पास करके, दर-दर की ठोकरें खाता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह कोई रोजगार चला सके। ऐसी हालत में वह नक्सलाइट के गिरोह में आ जाता है और वह हथियार उठा लेता है। हम यदि इस समस्या के प्रति उदासीन रहें और यह सोचें कि डंडे के बल पर उन्हें कंट्रोल कर लेंगे तो यह हमारी गलती होगी। सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जैसे भी हो हम इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करें। यदि हम इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाये तो हम यहां कितना भी चीखते-चिल्लाते रहें अराजकता इस देश से नहीं मिटेगी, वह बढ़ती ही जायेगी। एक कहावत है—"मरता क्या न करता"—मैं सच कहता हूं, मैंने देखा कि बाढ़ में लोगों की तबाही हो गई उत्तर बिहार में। अच्छे-अच्छे घर के लोग थे, अपर-मिडिल क्लास के लोग थे, जो गरीब हो गये। जिनके यहां कोई उपाय नहीं रहा कि वे कल क्या खायेंगे। उसका जवान लड़का कहता है कि हमें कहीं नकौरी दिलाओ, हमें कहीं मजदूरी दिलाओ, हम करने को तैयार हैं, जिससे हमारी दो जवान बहनें हैं, उनकी शादी का इन्तजाम हो सके और हमारे बूढ़े मां-बाप हैं उनके लिये खाने का इन्तजाम करना है। यदि राज्य सरकार या सरकार कुछ भी करने की हालत में नहीं है और यदि वह जवान लड़का गलत रास्ते पर चलता जाता है, हिंसा अपना लेता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं आती है। हमारा विवेक यही कहता है कि हमने कुछ गलत काम किया है। हमने समय पर इनको सहायता नहीं दिलाई, जिसके कारण यह हुआ है। अब वक्त आ गया है कि हम ठंडे दिल से सोचें, इम्पीरिकल स्टडी जिसको कहते हैं, सारी बातों को मिला-जुलाकर सोचें कि कहां पर नुक्स है और क्यों ऐसा हो रहा है और हम कहां जा रहे हैं।

इस सदन में हम बराबर सुनते रहते हैं और ठीक भी है कि सूखे के बारे में बातें कही जाती हैं। कहनी भी चाहिए लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा भाग है, पूर्वी भाग, जिसमें पिछले साल इतनी बड़ी बाढ़ आई थी कि पिछले 150 वर्षों में भी नहीं आई थी। वहां के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गये। खरीफ की फसल खत्म हो गई, मकान गिर गये, घर में जो अनाज था, वह भी समाप्त हो गया और बर्तन भी बह गये और उन के कपड़े भी समाप्त हो गये और उनका दुर्भाग्य था कि बड़ी मेहनत से उन्होंने रबी की फसल लगाई थी उस में भी बहुत धांधली हुई, उनको गलत बीज दिये गये और जो रबी की फसल लगी थी, उस पर ओले पड़ गये। क्या यह कह कर संतोष कर लेंगे कि यह तो तकदीर की बात है, भगवान ने उनकी तकदीर में तकलीफ ही दी है जिससे वे कभी बाढ़ से पिट गये और कभी

ओले से पिट गये। ऐसी बात नहीं है। यदि वे तबाह हो गये, तो आपका कर्त्तव्य उनको राहत दिलाना है। वह इस देश का बहुत बड़ा फरटाइल एरिया है, बहुत उपजाऊ एरिया है और वह रेगिस्तान बनता जा रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है और सब से ज्यादा उपजाऊ एरिया समाप्त होता जा रहा है और लोग उजड़ते जा रहे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले साल जितने ब्रीचेज हुए, उन में से एक ब्रीच को भी ठीक नहीं किया गया। इस वर्ष भी क्या तबाही हो, इस को सोचकर लोग कांपते हैं। हमारे निवेदन पर प्रधान मंत्री जी ने नेपाल सरकार से बात की है और यह बड़े संतोष की बात है लेकिन आपको राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए और डैमों में जो ब्रीचेज हैं, एम्बैंकमैंट्स में जो ब्रीचेज हैं और जो कटाव है, उसको पाटा जाना चाहिए।

एक बात मैं और कहूंगा। इस देश में आप कितना भी डेवलपमैंट कर लीजिए। जब तक आप फैमिली प्लानिंग को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इस देश में इकोनोमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरी यह बात सुनने में बुरी लगे, तो मुझे क्षमा करेंगे लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप के रिसोर्सेज को आने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों मुंह खा जाते हैं और आपका डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखाई देता। मैं चाइना गया था और वहां पर मैंने देखा है कि उन्होंने थोड़ी सख्ती भी बरती है लेकिन फैमिली प्लानिंग कर के, परिवार नियोजन करके एक आदर्श देश बना दिया है और आज वहां हर व्यक्ति के रहने के लिए मकान है, खाने के लिए सामान है और कपड़ा है। मैं कहता हूं कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हमारे ही पड़ोस में, आप जापान की बात तो छोड़ दीजिए, जापान सबसे आगे बढ़ गया है इकोनोमिक डेवलपमेंट में और उस ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है लेकिन एक छोटा सा देश कोरिया है एक छोटा सा देश ताइवान है, वे कितने आगे बढ़ गये हैं। आप कोरिया और ताइवान की भी नकल नहीं कर सकते। कुछ अपने में नुक्स है, जिस के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

एक बात और आप से कहना चाहूंगा। एक्सपोर्ट्स के बारे में आप बहुत इन्सेन्टिव दे रहे हैं। यह ठीक भी है और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी लेकिन दूसरे देशों का जो एक्सपोर्ट गिर गया है उससे हमें सबक लेना चाहिए। कई देशों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनकी फाइनल प्रोडक्ट के दाम बहुत ज्यादा हो गये हैं और इस वजह से वे एक्सपोर्ट के वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, वही स्थिति हिन्दुस्तान की होती जा रही है। इस बात पर गौर से सोचना चाहिए। दो-चार साल के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स में जो बूम आया है, वह बूम नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज को देखना चाहिए और कास्ट आफ प्रोडक्शन ऐसा हो, जिससे हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकें। यदि नहीं कर सके, तो एक्सपोर्ट्स से फौरन एक्सचेंज की जो हमारी अर्निंग होगी, वह समाप्त हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। चाइना में वांग-हो नदी को श्रमदान से कंट्रोल कर लिया गया। उसको देखकर जवाहर लाल जी ने नार्थ बिहार के लोगों को कहा था कि यदि आप श्रमदान करें तो कोसी को कंट्रोल कर सकते हैं। कोसी जो "रीवर आफ सारो" थी, उसको श्रमदान से कंट्रोल किया। आज यही शिकायत है कि जो रिसोर्सेज खर्च करते हैं, वह जनता तक नहीं पहुंच पाता है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे उस पंचायत को या उस ब्लाक को सबसे अधिक रिसोर्सेज मिलेंगे जहां कि आधा खर्चा श्रमदान के द्वारा उस प्रोजेक्ट पर करने के लिए तैयार हो। अगर एक सड़क के लिए आधा खर्च गांव वाले करें आधा खर्च सरकार करे तो आपके रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं होगा और लोगों को इन्सेन्टिव देने के लिए एक टीन की पट्टी पर लिखा रहना चाहिए कि इस सड़क को बनाने में इन-इन लोगों का श्रमदान का योग था। हर एक एम० पी० या एम० एल० ए० के लिए कम्पलसरी होना चाहिए कि साल में एक सप्ताह अपने क्षेत्र में

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

श्रमदान करें और अपना एक उदाहरण देकर बताएं कि हम ऐसा कर सकते हैं और वहां लोगों में कम्पीटीशन हो कि सबसे ज्यादा श्रमदान करने वालों का नाम पट्टी पर लिखा जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएशन से लैसन लेना चाहिए। यू०एस०एस०आर०, ग्लासनोस्ट और चाइना में रिफार्म हो रहा है। उसको देखकर अपने पब्लिक सैक्टर में रिफार्म होना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि पांच-सात दिन पहले उन्होंने टॉप स्मगलर्स को अन्दर करा दिया और तीन-चार दिन पहले बहुत बड़े ब्लैक मार्किटियर्स के यहां रेड करवाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पब्लिक सैक्टर में टाप पोजीशन पर ऐसे अजगर बैठे हुए हैं जो पब्लिक सैक्टर को खा रहे हैं। आप दस-बीस के यहां रेड करवाइए। सारी जनता आपकी जय-जयकार करेगी। हमें चाहिए कि इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचें क्योंकि इस देश की इकोनोमी आगे नहीं बढ़ रही है और आपस में सोचकर उसका तरीका निकाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : मैं अनुदानों की अनुपूरक माँगों का विरोध करता हूं।

सबसे पहले हमें यह लगता है कि सरकार को बेरोजगार लोगों की समस्याओं की कोई चिन्ता नहीं है। बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। लेकिन बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या तीन करोड़ हो गयी है। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले तथा अशिक्षित लोग अक्सर अपने नाम पंजीकृत नहीं कराते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वास्तविक बेरोजगार लोगों की संख्या आठ करोड़ तक पहुंच गई है। जब कभी यह समस्या उठायी जाती है तो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और शिक्षा प्रणाली पर दोषारोपण करने की कोशिश करती है। लेकिन हमें मालूम है कि समाजवादी देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हमने अपने संविधान में संशोधन किया है। हमारा देश समाजवादी प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गण-राज्य है। इस समाजवादी देश में 8 करोड़ लोग पहले ही बेरोजगार हैं लेकिन सरकार को इन दुर्भाग्य-शाली लोगों की कोई चिंता नहीं है। इसलिए वे राज्य सरकारों पर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं।

1.00 म० प०

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों की वजह से राज्य सरकारों के सामने निरंतर वित्तीय संकट की समस्या बनी रहती है। वे प्रशासित मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। वे आयकर पर उपकर लगा रहे हैं। वे समान भाड़ा नीति का अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं तथा प्रेषित माल अधिनियम बनाने से भी मना कर रहे हैं। इस प्रकार वे राज्य सरकारों का नुकसान कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को राज्य सरकारें कैसे हल कर सकती हैं? यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके समा-धान के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारे गतिशील प्रधान मंत्री ने कार्यशील सरकार देने का वायदा किया था लेकिन उसका क्या हुआ? जब वे सत्ता में आये तो उस समय रुग्ण इकाइयों की संख्या 97,000 थी जो बढ़कर 1,40,000 हो गयी, एक के बाद एक प्रतिष्ठित, औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं क्यों? इसकी वजह यह है कि यह सरकार कठोर है और उसका विचार है कि कार्यकुशलता के नाम पर इन औद्योगिक इकाइयों को रुग्ण घोषित किया जाए।

पश्चिमी बंगाल में प्रतिष्ठित ए०सी०सी० बाबलॉक लिमिटेड कम्पनी थी। इसमें पूर्वी भारत के सभी ताप संयंत्रों में प्रयोग होने वाले बायलरों का उत्पादन होता था। लेकिन यह ए०बी०एल० अठारह महीनों से अधिक समय से बन्द है क्योंकि बायलरों को स्वीडन, कनाडा, इटली आदि देशों से आयात किया जा रहा है। इसी वजह से भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड के बन्द होने की आशंका है। यह सब तथाकथित टैक्नोलाजी के आयात की वजह से तथा उदारवादी आयात की नीति के कारण हो रहा है। इसलिए हमारे प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बन्द किया जा रहा है।

बंगाल पॉटरी की तरफ ध्यान दीजिए। बंगाल पॉटरी पश्चिमी बंगाल का प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित फर्म थी जिसमें सेरामिक वस्तुओं का निर्माण होता था जिन्हें अमरीका और यूरोप के बाजारों में भी बेचा जाता था। 1981 में उसने सात करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया तत्पश्चात उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार ने इसका कार्य-भार अपने हाथों में ले लिया। लेकिन बैंकों ने कार्यचालन वित्त पूंजी उपलब्ध नहीं कराई। वे अक्सर ऋण मेलाओं का आयोजन करते हैं। यह कहा जाता है कि वे ऋण मेला के आयोजनों से बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने बंगाल पॉटरीज को कार्यचालन पूंजी देने से मना कर दिया है। प्रतिष्ठान को बन्द कर दिया जाना चाहिए इस बारे में अधिसूचना को रद्द कर दिए जाने का डर पहले से ही बना हुआ है।

सेन रैले में साइकिल कारपोरेशन का भी मामला ऐसा ही है। हमें बताया गया है कि सेन रैले में स्थित इस साइकिल कारपोरेशन, साइकिल के शत प्रतिशत पुर्जों का निर्माण कर सकती है। लेकिन इस प्रतिष्ठान का भी रुग्ण इकाई घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि बैंक उसे भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसलिए वे कार्यकुशलता और टैक्नोलोजी के आयात के नाम पर एक के बाद एक औद्योगिक इकाइयों को बन्द करते जा रहे हैं। उदारवादी नीति के नाम पर यह देश, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मौजमस्ती का स्थल बन गया है। मुझ से पहले वक्ता श्री राजू ने कहा है कि पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देश स्वयं भी संरक्षणवाद की नीति अपना रहे हैं क्योंकि किसी प्रकार की संरक्षणवाद की नीति को अपनाए बिना विश्व के किसी भी देश में औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता। इस संबंध में मैं स्मरण कराता हूं कि इस सदी के पहले दशक में जब हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन चल रहा था तब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं तथा उद्योगपतियों ने स्वयं संरक्षण की नीति को अपनाया था। लेकिन उसको अब प्रधान मंत्री के नेतृत्व में उन्होंने खुशी खुशी इस नीति को छोड़ने का निर्णय लिया है।

हमारा देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शिकारगाह होता जा रहा है। तथा स्वतः ही उद्योग एक के बाद एक करके बंद हो गए हैं तथा अनेक लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। श्रीमन मैं यह भी कहूंगा कि वे लोग हमेशा मूल्य वृद्धि करते जा रहे हैं तथा वे हमेशा कहते हैं कि भारत एक समाजवादी देश है। लेकिन अधिकांश समाजवादी देशों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है वहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य न्यूनाधिक नहीं हैं।

श्रीमन, प्रति वर्ष संसद के बजट अधिवेशन से पूर्व सरकार निर्धारित मूल्यों का सहारा लेती है तथा इससे आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर नहीं मिल पाती। इससे संसद भी सरकार की नीति की आलोचना करने का अवसर खो देती है। ससंद अनेक मामलों पर निर्धारित मूल्यों का सहारा लेने सहित उनके मसलों पर बहस करने का अवसर खो देती है। श्रीमन, देश ऋण के शिकंजे में फंसा हुआ है। जैसा कि श्री राजू ने कहा कि अभी अथवा बाद में वे फिर पुनः अंन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेगें तथा हम उन देशों की कहानी जानते हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त किया है। यह ऋण का कुचक्र है। हम ऋण के शिकंजे में जकड़ गए है। अभी

[डा० सुधीर राय]

भी हम एक के दूसरे देशों से ऋण प्राप्त करने के लिए सिफारिश कर रहे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ऋण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीति ही ऐसी है, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि में संकट की स्थिति है। हथकरघा क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है तथा लाखों लोग हथकरघा क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार की कपड़ा नीति के कारण लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। सूत के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा उस का निर्यात किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। अतएव, मैं यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि यदि भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया गया, किसानों को भूमि नहीं दी गई तो देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। केवल तीन राज्यों में भूमि वितरित की गई है। अन्य राज्यों में जमींदारी प्रथा है तथा आम किसान तथा गरीब लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है क्योंकि आम जनता की खरीदने की क्षमता नहीं है, औद्योगिक उत्पादनों के लिए देश में बाजार नहीं है। यदि आप अर्थव्यवस्था को पुनरुजीवित करना चाहते हैं यदि आप समाजबाद लाना चाहते हैं तो आप को भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना होगा। सरकार इस कार्यक्रम का पालन करने की बजाय इसके उल्लघंन करने को अच्छा समझती है। अतएव, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध-करूंगा कि जल्द से जल्द भूमि सुधार कार्यक्रमों को अमल में लाया जाये।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं अनुपूरक अनुदानों (सामान्य) की मांगों का विरोध करता हूं। श्रीमन् इस सदन में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का यह तीसरा बैंच प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 3669 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय में से वास्तविक व्यय के लिए केवल 1397 करोड़ रुपये की आवश्यकता है शेष राशि स्वीकृत बजट मांगों में समायोजित कर ली जायेगी। इस संदर्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार सदैव राज्य सरकारों को धन के कुप्रबन्ध के लिए दोष देती रहती है। लेकिन केन्द्र सरकार क्या कर रही है? क्या यह धन का कुप्रबन्ध नहीं है? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बजट पेश करने से पूर्व यदि सरकार निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा नहीं करती तो केन्द्र सरकार के घाटे का क्या होता। यह घाटा 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। अब उन्होने केवल 6,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक धन का सम्बन्ध है केन्द्र सरकार के राज्य सरकारों के साथ सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। केन्द्र सरकार कांग्रेस (आई) सहित सभी राज्यों के साथ विदेशियों जैसा बर्ताव कर रही है। श्रीमन्. आप कांग्रेस (आई) के एक मुख्य मंत्री का कल वक्तव्य देख सकते हैं जिन्होंने कहा : "केन्द्र सरकार राज्यों के धन पर अनधिकारपूर्ण कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य यदि अत्यन्त भयावह है। यह वक्तव्य यदि किसी अन्य मुख्य मंत्री द्वारा दिया जाता तो निस्संदेह मैं इसे समझ सकता हूं लेकिन यह वक्तव्य वरिष्ठ कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया है। अत:, यह बहुत आवश्यक है तथा यह उचित समय है कि केन्द्र एक सुनिश्चित नीति बनाये तथा जहां तक धन का सम्बन्ध है राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएं।

श्रीमन्, केन्द्र सरकार निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करती जाती है। श्रीमन्, आप जानते हैं इसका राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए आज सुबह कुछ समय पहले जब खाद्य मत्री जी ने गेहूं के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की, तब क्या हुआ। श्रीमन्, क्या आप जानते हैं कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों में क्या होगा जहां वे अपनी खाद्यान्न जनता को रियायती मूल्य पर बेच रहे हैं? वे यह धन कहां से प्राप्त करेंगे? वे खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने के लिए वचनबद्ध हैं तथा अब इससे राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार आप राज्यों के वित्तीय साधनों में अनधिकारपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं। राज्यों के कराधन के रास्ते बहुत सीमित हैं।

संविधान के अधीन जो उनकी सीमाएं हैं आप जानते हैं जबकि आप घाटे को पूरा करने के लिये नोट छाप सकते हैं तथा कितना भी घाटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं। आपको राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की भी जानकारी होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं। आप समय-समय पर महंगाई भत्ते की घोषणा करते हैं। इसका राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक राज्य सरकार का कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग करेगा। अपने चतुर्थ वेतन आयोग की नियुक्ति की। उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि प्रत्येक राज्य में एक और वेतन आयोग की नियुक्ति की मांग की गई। अतएव, आप कैसे सोचते हैं कि राज्य सरकारें वित्त की व्यवस्था कर लेंगी? अतएव, यह अत्यावश्यक है कि जब भी किसी वेतन आयोग की नियुक्ति की जाये अथवा महंगाई भत्ते की घोषणा की जाये अथवा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की जाये, राज्य सरकारों को इस विषय में विश्वास में लिया जाये। आप यह भूल जाते हैं कि राज्यों के बिना भारत कुछ नहीं है। केन्द्र सरकार के लिए वित्त व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकारें। इस वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। राज्यों के बिना भारत कुछ नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है मैं हर बजट में यह कहता रहा हूं लेकिन मैं नहीं जानता मेरे इन दलीलों का क्या होगा? लेकिन यह सामान्य ज्ञान की बात है कि इन दोनों में आपसी संबंध सुदृढ़ होने चाहिएं। यदि आप राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्यवाही पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि न केवल कांग्रेस (आई) अपितु अन्य सभी मुख्य मंत्री नाराज हैं। वे कहते हैं "हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं?" मैं दो या तीन उदाहरण देना चाहूंगा जिससे पता चलता है कि किस प्रकार राज्यों को नजरंदाज किया जा रहा है। मैं जानता हूं मेरे पास सीमित समय है। श्रीमन्, मैं अपने राज्य के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार राज्यों को नजरंदाज किया जा रहा है। दूरसंचार सेवाओं के लिए आपको 213.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा था क्या बंगलौर में जिस डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज फैक्टरी को आश्वासन दिया गया था उसके लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है चाहे इसे मूल बजट में रखा जाए अथवा अनुपूरक बजट में। सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि पहली अप्रैल को यह शुरू हो जायेगा, लेकिन मुझे पता चला कि इसके लिए कोई वित्त व्यवस्था नहीं है बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे सन्देह है क्या हम इसे पहली अप्रैल को आरम्भ कर रहे हैं।

दूसरे, इस्पात के सम्बन्ध में 4 से 5 करोड़ रुपये तक की छोटी-सी धनराशि अनुपूरक मांगों में आबंटित की गई थी। दूसरा तथ्य जिसे मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि कर्नाटक में विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील नाम की एक फैक्टरी है जिसका नाम महान् इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैय्या के नाम पर रखा गया जिन्होंने हमारे देश में अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यह एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है तथा यह उत्कृष्ट इस्पात का उत्पादन करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह पिछले दो या तीन वर्षों से घाटे में चल रही है। राज्य सरकार अनुरोध कर रही है कि केन्द्र सरकार इसे अपने हाथ में ले ले। इसे पूरी तरह से पुनः ठीक करने में कुछ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। पिछली बार भी माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में मैंने इसका उल्लेख किया था। केन्द्र सरकार कठोर है वह इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही समय है कि केन्द्रीय सरकार इसका अधिग्रहण कर ले। यह बहुत आवश्यक है। लेकिन उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। राज्य सरकार उनसे सहमत हो गई थी लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने इसका अधिग्रहण नहीं किया। केन्द्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इसका अधिग्रहण कर ले।

इसी सदन में, पिछली बार अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैंने उल्लेख

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

किया था कि कर्नाटक सरकार को बंगलौर में 120 मेगावाट गैस टर्बाइन प्लांट लगाने के लिए उपकरण खरीदने के लिए आस्थगित अदायगी करने की अनुमति दी जाये। कर्नाटक में बिजली की कमी है। वहां 80 प्रतिशत बिजली की कटौती होती है। पिछले 2 वर्षों से हम अनुरोध कर रहे हैं तथा विदेशी मुद्रा भी दी थी लेकिन आपने आस्थगित अदायगी की अनुमति नहीं दी थी। आप केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र लगाने के लिये करोड़ों रुपये बाहर से उधार ले रहे हैं। आप इसकी अनुमति क्यों नहीं देते हैं? इसमें क्या हानि है? हम पिछले दो वर्षों से मांग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। यह छोटी सी बात है। आप समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार राज्यों को नजरंदाज किया जायेगा तो लोगों का कैसा अनुभव होगा?

आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 334 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किस लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों के विकास के लिए नहीं अपितु ऋण तथा ब्याज के लिए। देखिये, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कैसे कार्य कर रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कोल इंडिया में क्या हो रहा है जहां से आप सैंकड़ों करोड़ रुपये की हानि उठा रहे हैं। आप दिल्ली परिवहन निगम से प्रति दिन 11 लाख रुपये की हानि उठा रहे हैं। बेशक, हमारा सीधा सम्बन्ध राज्य उपक्रमों, बिजली बोर्डों तथा अन्य निगमों से नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि आप इन उपक्रमों को पुन. ठीक करें। आप राज्य बिजली बोर्डों तथा परिवहन निगमों के कार्य में सुधार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखें ताकि उन्हें और अधिक समय तक हानि न उठानी पड़ें।

जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मुनाफे के आधार पर नहीं चलाया जाता है तब तक यह हमारा धन व्यर्थ जाता रहेगा। आपको अपेक्षा थी कि सातवीं योजना के लिए कुल धनराशि का 35% सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होगा। इसके विपरीत इनके ऋण माफ करने के लिये आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को धनराशि दे रहे हैं।

ये कुछ बातें हैं, जिन्हें मैं कहना चाहता था। मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि आपको यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि आप राज्यों के संसाधन बन्द नहीं करेंगे। जब तक राज्य खुशहाल नहीं होते तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता। यह प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि वह मुख्य मंत्रियों के साथ एक दिवसीय बैठक करने की बजाय बातचीत का एक सिलसिला बनाये रखें और यह सुनिश्चित करें कि राज्यों के साथ वित्तीय सम्बन्ध सुधरें। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के प्रति भी उनकी पहुंच होनी चाहिए ताकि वित्तीय सम्बन्धों में सुधार हो। आपसी संदेह का अन्त होना चाहिए। अन्यथा हमारे देश में कोई एकता नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दे संदर्भ के मुताबिक नहीं थे, फिर भी जब उन्होंने ये मुद्दे उठाये हैं तो मैं उनका उत्तर भी देना चाहूंगा। श्री कृष्ण अय्यर जी का यह मुद्दा कि राज्य उपेक्षित महसूस कर रहे हैं सही नहीं है। शायद, माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि हमारी संघात्मक संरचना में यह राज्य और केन्द्र दोनों का कर्तव्य है कि वे अपना काम पूरा करें और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे तथा अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। यह आरोप लगाना बहुत ही आसान है कि केन्द्र यह नहीं दे रहा है और केन्द्र वह नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप आंकड़े देखें तो पायेंगे कि राज्यों द्वारा योजना के लिये जुटाये गये साधन 33.5% के अनुमान की बजाय कम होकर 28.1%

रह गये हैं, जबकि केन्द्रीय सहायता 36.8% से बढ़कर 42.6% हो गई है। राज्यों के हिस्से के रूप में भी हम राज्यों को अधिक धनराशि दे रहे हैं। आंकड़े देकर मैं यह कह सकता हूं कि 1985-86 में वार्षिक योजना अनुमानों में राज्यों के लिए 6253 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में हमने सभी राज्यों को 7490 करोड़ रुपये दिये थे।

1986 में प्रावधान 7590 करोड़ रुपये का था और आवंटन की वास्तविक मात्रा 8475 करोड़ रुपये थी।

1987-88 के लिए प्रारम्भिक अनुमान 9378 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमानों में 9,598 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

मैं राज्यों पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि संसाधनों को जुटाने व बढ़ाने में उनके प्रयासों में थोड़ी कमी आई है।

जैसा कि बताया जा चुका है कि 1985-86 और 1986 87 में राज्यों द्वारा जुटाये जाने वाले संसाधनों में 800 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र में यदि केवल लोकप्रियता को देख कर ही कदम उठाया जाता है तो हमारे द्वारा सहायता दिये जाने के बावजूद राज्यों की योजनायें नियत समय और बजट में दिये गये प्रावधानों से पूर्ण नहीं हो सकती। चूंकि हम सभी अपनी अर्थ-व्यवस्था पर दबाव की बात करते हैं, इसलिए यही समय है जब हम सबको, केन्द्र और राज्य सरकारों को, भरसक प्रयास करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय क्षेत्रों में हमारे जो दायित्व हैं उनका पूर्णतः पालन हो और केवल तभी हम अपना काम दिखा सकते हैं। आज ही गेहूं और चावल आदि कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई है। यह थोड़ी सी वृद्धि है क्योंकि हम उस पर राजसहायता दे रहे हैं। हम वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य और प्रासंगिक प्रभार का भुगतान कर रहे हैं। यदि आप इन तीनों की एक साथ तुलना करें तो आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इनमें काफी मात्रा में राज सहायता का अंश है और यह कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों और गरीब लोगों को राहत देने के लिए है और हम उनके हितों के प्रति सजग हैं। राज्य इस बात का श्रेय लेते हैं कि "हम गरीबों को गेहूं और चावल वितरित करते हैं।" किसकी कीमत पर ? भारत सरकार इस कीमत को वहन कर रही है।

दूसरी बात नियंत्रित मूल्यों के बारे में कही गई है। जैसा कि मैंने पिछली बार बजट के वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि राजस्व मे बृद्धि करने के लिये नहीं है। ऐसा हानियों को रोकने के लिए किया जाता है और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दूसरी ओर पैट्रोलियम के बारे में मैंने कहा था कि इस क्षेत्र में लाभ भी है क्योंकि यद्यपि हमने पैट्रोल के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि की लेकिन मिट्टी के तेल और खाना पकाने की गैस पर राजसहायता 1,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी इसलिए यह कहना कि हम बजट से पहले नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि करते हैं, ठीक नहीं है और यह राजस्व बढ़ाने का एक उपाय नहीं है। भारत सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि इस बार घाटे का मूलतः अनुमान 5,688 करोड़ रुपये का था और ऐसे भयंकर सूखे के अत्याधिक दबाव और वर्ष के दौरान आये बहुत से अन्य संकटों के बावजूद घाटे को 6,080 करोड़ रुपये पर ही सीमित रखा गया है। यह प्रशंसनीय विशेषता है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार के इस प्रयास की सभी सदस्यों को दलगत नीति से ऊपर उठकर प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन मैं खेदपूर्वक यह कहता हूं कि विपक्ष के सदस्यगण की प्रशंसा करने की भावना

[श्री बी० के० गढ़वी]

में भी काफी कमी आई है।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यद्यपि मैंने 3,669 करोड़ रुपये के कुल व्यय की अनुपूरक मांगें पेश की हैं लेकिन सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि इसमें 2,272 करोड़ रुपये तकनीकी रूप से रखे गये हैं और हमने अनुपूरक मांग पेश की हैं। अन्यथा वे बराबर की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों का परिणाम है। इस प्रकार, कुल व्यय 1,397 करोड़ रुपये हैं जो कि बहुत ही नगण्य है। आन्तरिक ब्याज भुगतान के खर्चे, टिहरी विद्युत संयंत्र के लिए ऋण और राज्यों को अग्रिम योजना सहायता के क्षेत्र में खर्चे, सूखे से प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये खादी ग्रामोद्योग आयोग को सहायता के रूप में अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों में सूखा राहत इत्यादि के बारे में आप कह सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक मदें हैं जिन पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें डरना नहीं चाहिए। सदस्यगण हमेशा ही इस बारे में कहते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने हमेशा ही कर्जे की बात की थी। लेकिन कर्जे का दबाव है कहां ? अवश्य ही, यदि हम सही ढंग से प्रबन्ध नहीं करते हैं तो वहां पर वह खतरे का संकेत है। लेकिन हमें आशा है कि हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां कर्जे के जाल रूपी उस खतरे के संकेत को हम रोक सकेंगे। आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम मुद्रास्फीति को काबू में रख सके हैं। हम मूल्यों में वृद्धि को रोक पाये हैं। हम घाटे पर काबू पा सके हैं और यह कहा भी गया था और सदस्यगण भी जानते हैं कि तीनों के बीच एकदम परस्पर संबंध नहीं है। हमने अपने पहले के अनुभव में भी पाया है कि इनका कोई परस्पर संबंध नहीं है। फिर भी विकास के साथ-साथ तीनों क्षेत्रों पर नियंत्रण अच्छे राजस्व प्रबंध और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भी हुआ है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने कुछ अलग मुद्दे उठाए हैं। श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ने विश्वेश्वरैय्या इस्पात संयंत्र और अन्य बातों का एक मुद्दा उठाया था। जैसा कि मेरी आदत है मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये ऐसे मुद्दों को अलग करके उन पर विचार के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेज दूंगा।

डा० राजहंस ने सड़कों और अन्य बातों और अन्य वितरण केन्द्रों के बारे में कहा। यह याद रखना चाहिए और मैं अवश्य ही इसका यहां जिक्र करूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय सदैव ही इस बात पर बल देते रहे हैं कि हमारे वितरण केन्द्र का प्रारम्भिक स्तर पर भी कार्यान्वयन बहुत कुशल होना चाहिए। लेकिन यह राज्यों द्वारा ही किया जा सकता है। जहां तक एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधाओं और मोटर कार के दुरुपयोग का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस बारे में नियम बहुत स्पष्ट है जिनके अनुसार ये सुविधाएं किसी व्यक्ति को प्रबन्ध के लिये दी जाती हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि कोई दुरुपयोग का कोई मामला है तो आप इसे हमारे नोटिस में तथा सम्बन्धित विभाग के नोटिस में ला सकते हैं और निःसंदेह इसकी जांच की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करनी पड़ेगी। नियम यह नहीं कहते कि इन सुविधाओं का उपयोग वह व्यक्तिगत लाभ के लिये या अपने पड़ोसी और अन्य लोगों के लाभ के लिये करे।

समापन से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस साल हम उस धनराशि के पुर्नविनियोजन के लिए 50 करोड़ रुपये रख रहे हैं जिसके अन्तर्गत औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लग रहे उद्योगों को राज-

सहायता दी जानी है। इसलिए बजट अनुमानों में हमने चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को राजसहायता के रूप में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। अनुपूरक अनुदानों की दूसरी खेप में 50 करोड़ रुपये का एक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। लम्बित दावों को निपटाने के लिये यह प्रस्ताव है कि ब्याज के लिए राजसहायता और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित अन्य बातों हेतु संगत अनुदान में आबंटित धनराशि में पुर्नविनियोजन के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की और वृद्धि की जाये। अनुपूरक मांगों की वर्तमान खेप में एक लाख रुपये की सांकेतिक अनुपूरक मांग को सम्मिलित किया गया है बाकि विद्युत परियोजना के लिए 1987-88 के बजट अनुमानों में सम्मिलित धनराशि का पुर्नियोजन करके प्रस्तावित नेपथा झाकरी विद्युत निगम के लिए इसे जारी किया जा सके। यदि निगम चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कार्य करना प्रारम्भ नहीं करता है तो यह राशि परियोजना के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को दे दी जाएगी। अतः, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जहां तक चालू वर्ष का संबंध है अनुपूरक मांगों की यह सर्वोचित मात्रा है। और यह धन, जिसका मैं अनुमोदन चाहता हूं, अच्छे कार्य और अच्छे प्रयोजन के लिये है। इसलिए, यद्यपि सदस्यों ने, जैसी कि आम प्रक्रिया रही है, बिना सोचे-समझे इसका विरोध किया है, मेरे विचार से अब वे अनुपूरक अनुदान मांगों को अपना समर्थन प्रदान करेंगे **(व्यवधान)**

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, उपकरणों की खरीद के लिये आस्थगित भुगतान की अनुमति··· **(व्यवधान)**

श्री बी० के० गढ़वी : मैंने कहा था कि व्यक्तिगत प्रश्न उठायें··· **(व्यवधान)**

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : गत वर्ष भी यह बात कही गई थी··· **(व्यवधान)**

श्री बी० के० गढ़वी : मैं पहले ही कह चुका हूं। मेरी यह प्रक्रिया रही है कि जब कोई सदस्य, वित्त विभाग सहित किसी विभाग के बारे में कोई मुद्दा उठाते हैं, निश्चित रूप से ये सब मुद्दे उठाते हैं, तो मैं उन्हें पृथक कर लेता हूं और उन्हें तत्संबंधित मंत्रालयों और सदस्यों को भेज देता हूं। सम्भवतः आप निश्चित रूप से यह बात समझ गये होंगे कि सदस्यों की सम्बद्ध मंत्रालयों से जो उत्तर भेजा जाता है, उसकी अनुपालन सूचना हमें भी भेजी जाती है अन्यथा मैं आपको तत्काल आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

अतः महोदय, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि 1987-88 की अनुपूरक मांगों की यह आखिरी क़िश्त बहुत ही उचित मात्रा में है और इन मांगों में उसके बराबर ही बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियां दर्शाते हुए हम अपनी वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था दर्शा चुके हैं। अतः सभा द्वारा ये अनुपूरक मांगें सर्वसम्मति से पारित कर दी जायेंगी। इन शब्दों के साथ, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये और इस छोट-सी चर्चा में भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1987-88 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

मांग संख्या : 1, 2, 6, 7, 10, 1[illegible], 13, 14, 15, 15 क, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 91 और 92 ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी और 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी !

1.33 **म० प०**

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.05 **म०प०**

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विनियोग विधेयक 1988*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष, 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

* दिनांक 21-3-88 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित । प्रस्तावित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, अनुसूची, खंड 1 और अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, अनुसूची, खंड 1 और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.10 म०प०

रेल अभिसमय समिति, 1985, के दसवें प्रतिवेदन के बारे में संकल्प
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1988-89
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1987-88
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1985-86

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रेल अभिसमय समिति, 1985 की सिफारिशों के अनुमोदन

संबंधी संकल्प को लेगी तथा अनुदानों की मांगें (रेल) 1988-89, अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1987-88 और अनुदानों की मांगें (रेल) 1985-86 पर विचार-विमर्श तथा मतदान करेगी जिसके लिये तीन घंटे का समय आबंटित किया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित, जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो वे अपने उन कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या, जिन्हें वे प्रस्तावित करना चाहते हैं, अंकित करके पन्द्रह मिनट के अन्दर पटल पर अपनी पर्चियां भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तावित समझा जाएगा।

उन प्रस्तावों की क्रम संख्या जो प्रस्तुत किये गये समझे गए हैं, दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर रख दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई गलती पाता है, तो वह कृपा करके उसकी सूचना अविलम्ब पटल अधिकारी को दे सकता है।

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1985 के दसवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1988 को संसद् में पेश किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 11 से 14 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

महोदय, लोक सभा में 20 मार्च, 1985 को पारित तथा 28 मार्च 1985 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में रेल अभिसमय समिति का 21 मई, 1985 को गठन किया गया था। इस समिति की नियुक्ति, रेल विभाग द्वारा सामान्य राजस्व को देय वर्तमान लाभांश दर की समीक्षा करने तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबद्ध अन्य अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने और उसके सम्बन्ध में सातवीं योजना अवधि (1985—90) के लिये सिफारिशें करने के लिए, की गई थी।

रेल मंत्रालय ने समिति को अपना तीसरा अन्तरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि समिति वर्ष 1988-89 के लिये रेल विभाग और सामान्य वित्त के बीच वित्त प्रबन्ध यथावत रखने की अनुमति प्रदान करे, जैसी कि रेल अभिसमय समिति, 1980 ने सिफारिश की थी और जिसे सिफारिशों को अन्तिम रूप प्रदान किये जाने तक सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु अपनी वर्ष 1987-88 के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके लिए समिति को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। इस समिति ने रेल मन्त्रालय द्वारा इसे दिये गये अन्तरिम ज्ञापन पर इस बीच विचार कर लिया है उसने मंत्रालय द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर इस शर्त के साथ सहमति व्यक्त की है कि समिति की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने पर भूतलक्षी प्रभाव से उनमें समायोजन किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प को सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त

तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1985 के दसवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1988 को संसद् में पेश किया गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 11 से 14 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2		3
			रु०
1.	रेलवे बोर्ड		8,53,66,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	...	55,51,06,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं		398,66,18,000
4.	रेलपथ और निर्माणकार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण		820,42,91,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण		658,29,66,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	869,41,16,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	442,59,07,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	...	702,37,20,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	...	926,46,11,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	...	1328,52,27,000

1	2		3
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	...	287,28,46,000
12.	विविध संचालन व्यय		429,91,01,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेना-निवृत्ति लाभ		575,43,88,000
14.	निधियों में विनियोग		2149,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	...	778,94,40,000
16.	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव		
		राजस्व	39,99,50,000
		अन्य व्यय	
		पूंजी	4561,98,53,000
		रेलवे निधियां ...	1785,49,90,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाएं : मांग संख्या 1, 3 से 14 और 16 ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2		3
			रु०
1.	रेलवे बोर्ड		46,21,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	...	29,54,75,000

1	2		3
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	52,78,01,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण		8,07,10,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	8,27,86,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	...	21,00,16,000
8.	परिचालन व्यय — चल स्टाक और उपस्कर		64,50,85,000
9.	परिचालन व्यय —यातायात	...	67,07,80,000
10.	परिचालन व्यय — ईंधन		30,61,49,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	...	18,17,11,000
12.	विविध संचालन व्यय	...	39,05,61,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ		142,31,76,000
14.	निधियों में विनियोग	...	4,60,00,000
16.	परिसम्पतियां—खरीद, निर्माण तथा बदलाव	...	2,05,86,000
	राजस्व (चा० ला० रा०)		
	अन्य व्यय		
	पूंजी	...	3,000
	रेलवे निधि	. .	5,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—
मांग संख्या 4 से 13, 15 और 16 ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1985-86 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2		3
			रु०
4.	रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण		5,04,64,354
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	21,11,46,914
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	3,74,06,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण		1,18,72,388
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर		1,01,34,924
9.	परिचालन व्यय —यातायात		3,46,34,128
10.	परिचालन व्यय—ईंधन		4,05,08,268
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं		1,20,37,933
12.	विविध संचालन व्यय	...	5,75,30,930
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	...	11,69,63,805
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	...	83,76,67,933
16.	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय रेलवे निधियां	...	51,32,35,883

***श्री सी० सम्बु** (बापतला) : उपाध्यक्ष महोदय भारतीय रेलें देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवनाधार है। लेकिन यह टिप्पणी करते हुए मुझे खेद है कि भारतीय रेलों का विकास देश भर में एक समान नहीं है। रेल सुविधा देश के सभी भागों में समान नहीं है। रेल सुविधाओं का विस्तार असंतुलित है। कुछ हिस्सों में रेलें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और वहां सभी रेल सुविधाएं मौजूद हैं जबकि कुछ अन्य हिस्सों में रेल लाइनें नहीं हैं और अगर हैं भी तो बहुत कम और वे उतनी कार्यकुशलता से भी नहीं चल रहीं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में ऐसे कुछेक भाग हैं जहां यह भी नहीं मालूम कि रेल कहते किसे हैं। महोदय, आंध्र प्रदेश के मामले में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य की बहुत उपेक्षा की गई है। स्वतंत्रता के 40 वर्ष के बाद भी वहां कोई नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है। वहां जितनी भी रेल लाइनें हैं वे वही हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान बिछाई गई थीं। ये लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं और उनकी ओर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। इन सालों के दारान आबंटित धनराशि की मात्रा बहुत कम होने के कारण उनका रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। मेरे राज्य में जल्दी-जल्दी दुर्घटनाएं होने का यह एक प्रमुख कारण है। यह देखना सरकार का काम है कि हर जगह पटरियों का रखरखाव ठीक ढंग से हो। इन मांगों में मौजूदा रेल लाइनों के सुधार की बात शायद ही की गई है। रेलों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना सरकार की आरंभिक जिम्मेवारी है। भारतीय रेलों के सुधार के लिए श्री माधव राव सिंधिया द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं जिस मंत्रालय का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। उसके साथ उन्होंने न्याय किया है। मैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रकाशम जिले में इपुरूपलेम में हाल्ट स्टेशन की मंजूरी दी है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

महोदय, इस सम्माननीय सदन में रेल बजट पर व्यापक चर्चा हुई थी। दुर्भाग्य से इस साल का बजट देश के आम आदमी पर बोझ बन गया है। एक अमीर आदमी के लिए 100 रुपए और देना बोझ नहीं है लेकिन एक गरीब आदमी के लिए एक रुपया भी और अधिक देना मुश्किल होता है। अगर अमीर लोगों को अधिक भुगतान करना पड़े तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमें हर हालत में आम आदमी को कीमत वृद्धि से छूट देनी होगी। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह कीमत वृद्धि सम्बन्धी निर्णय में परिवर्तन करें। महोदय, भाड़ा-दरों में भी काफी वृद्धि हुई है। हमारा देश एक विशाल देश है और अनिवार्य वस्तुएं देश के एक कोने से दूसरे कोने में हर रोज लाई ले जाई जाती हैं। भाड़े की दरों में वृद्धि से अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि होगी। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भाड़ा दर और यात्री किराए में की गई वृद्धि को वापिस लिया जाए।

महोदय, अन्य देशों में रेलों में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। लेकिन हमारी रेलें उससे अभी काफी दूर हैं। और जगह रेलें 300-400 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं लेकिन यहां तेज से तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की गति भी उक्त गति से आधी भी नहीं है। सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं। रेलों में खानपान सेवा का स्तर बहुत खराब है। केवल परोसे जाने वाले बर्तन की किस्म में परिवर्तन आया है खाने की किस्म में नहीं। खाना न तो स्वादिष्ट होता है और न ही स्वच्छ। मंत्रालय को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु खाने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए

*मूलतः तेलुगू में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० सम्बु]

कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः, अब रेलगाड़ियों में खानपान सुबिधाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसी तरह कुछ लम्बी दूरी तय करने वाली रेलगाडियों जैसे मद्रास से दिल्ली या कन्याकुमारी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में सफर तय करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। इन रेलगाड़ियों के यात्रियों के मनोरंजन के लिए कुछ साधन जैसे संगीत या वीडियो उपलब्ध कराना जरूरी है।

महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों के लिए सर्कुलर रेल प्रणाली की मांग बहुत समय से की जा रही है। इन दोनों शहरों की जनसंख्या अब तीस लाख से अधिक है। शहर सड़क परिवहन की मौजूदा सेवा इस मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। इसलिए हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए सर्कुलर रेल व्यवस्था की तत्काल जरूरत है। राज्य सरकार रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेज चुका है और उसने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि 25% निर्माण लागत वह वहन करेगा। शहरी विकास मंत्रालय भी निर्माण लागत को वहन करने के लिए तैयार है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए सर्कुलर रेल लाइन का निर्माण इस साल आरम्भ किया जाए। महोदय चिराला प्रकाशम जिले का एक महत्त्वपूर्ण शहर है। चिराला में जी० टी० एक्सप्रेस के रुकने के प्रयास किए जाने चाहिएं। दिल्ली जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए कोई रेल सुविधा नहीं है। ऐसी बहुत सी रेलगाड़ियां हैं जो मद्रास से दिल्ली चिराला होकर जाती हैं पर चिराला रुकती नहीं हैं। हर 10 मिनट पर चिराला से एक रेलगाड़ी गुजरती है। लेकिन ये रेलगाड़ियां चिराला नहीं रुकती हैं। चिराला के यात्री अगर देश की राजधानी आना चाहें तो उनके लिए एक भी गाड़ी नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जी० टी० एक्सप्रेस को चिराला में रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। चिराला शहर तेजी से प्रगति कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय तुरंत इस मांग को स्वीकार कर लेंगे। महोदय रेल की पटरी चिराला शहर होकर गुजरती है। पटरी के दोनों तरफ सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। अक्सर रेल फाटक के बन्द रहने के कारण यातायात रुक जाता है। हर कोई देख सकता है कि वहां दिन रात यातायात रुका रहता है। इसलिए वहां एक ऊपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता है। हम माननीय मंत्री से चिराला में ऊपरी पुल की अनुमति देने की पैरवी करते रहे हैं। राज्य सरकार भी इस पुल के निर्माण की अनुमति दिए जाने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है। इस अवसर पर मैं दोबारा से अनुरोध करता हूं कि चिराला में ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। इसके निर्माण में तो कुछ समय लगेगा इसलिए बेहतर होगा कि एक छोटे ऊपरी पुल की व्यवस्था की जाए ताकि पैदल चलने वाले रेल लाइन को पार कर सकें। इस पटरी पर रेलों की आवाजाही इतनी अधिक है कि हर दस मिनट पर यहां से एक रेलगाड़ी गुजरती है। महोदय, निजामपटनम देश का एक प्रमुख मत्स्य बन्दरगाह है। मछली, जूट और कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुंटूर जिले में निजामपत्तनम और निदूबरोलू के बीच एक रेल लाइन की व्यवस्था करने की जरूरत है। इस समय केवल सड़क परिवहन की व्यवस्था है जो मछली जूट, कपास आदि जैसी निर्यात वस्तुओं को लाने-ले जाने की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसलिए निजामपत्तनम और निदूबरोलू के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण इस क्षेत्र के

लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

इस लाइन का सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस योजना अवधि के दौरान ही निजामपत्तनम-मिदूबरोलू लाइन का निर्माण किया जाए।

मद्रास और हैदराबाद के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। इसमें आम बोगी नहीं लगाई जाती परिणामस्वरूप इस गाड़ी से यात्रा करने के इच्छुक बहुत से गरीब लोग आरक्षण के अभाव में यात्रा नहीं कर पाते। इसलिए आम आदमी के लाभ के लिए इस एक्सप्रेस गाड़ी में पर्याप्त संख्या में आम डिब्बे लगाए जाने चाहिए। इसी तरह चिराला के लिए वातानुकूलित शायनिकों का कोटा आबंटित नहीं है। इससे पहले वातानुकूलित शायनिकाओं और प्रथम श्रेणी का कोटा निर्धारित था लेकिन अब नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चिराला स्टेशन के लिये 5-6 वातानुकूलित शायनि-काओं का आवंटन किया जाए।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि हिमसागर एक्सप्रेस चिराला रोकी जाए। चिराला एक बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। यहां से लोग अक्सर अहमदाबाद और बम्बई आदि की यात्रा करते हैं। इन शहरों को चिराला से होकर जाने वाली बहुत सी गाड़ियां हैं। लेकिन कोई भी वहां रुकती नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि हिमसागर एक्सप्रेस चिराला रोकी जाये।

हमारे क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। ओनगेले स्टेशन पर बने विश्राम कक्षों में सुधार करने की जरूरत है। इस स्टेशन को आधुनिकी-करण करने की भी जरूरत है। इसी तरह नैल्लोर में भी सुविधाएं असंतोषजनक हैं। नैल्लोर स्टेशन पर अधिक और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यह बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है इसलिए इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

समाप्त करने से पूर्व मैं पुन: अनुरोध करता हूं कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों के बीच सर्कुलर रेल का निर्माण किया जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों के 1980 से लम्बित मामलों को निपटाने में असफलता]

(82)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में असफलता] (83)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[निजी ठेकेदारों को काम देने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि को रोकने में असफलता] (84)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[उच्च शक्ति वाले इंजनों, जिनका इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में निर्माण किया जा सकता है, की खरीद के कारण लागत में वृद्धि को रोकने में असफलता] (85)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[चल कर्मचारियों के लिये ड्यूटी पर आते तथा जाते समय हस्ताक्षर करने के सिद्धांत को लागू करने में असफलता] (86)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े स्थानों को भरने में असफलता] (87)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे पर हावड़ा-आम्टा और हावड़ा-चम्पाडंगा बड़ी लाइन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता] (88)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के चेंगैल स्टेशन के पूर्वी-छोर पर स्थित नये बुकिंग कार्यालय को जोड़ने के लिए एक नये उपरी-पुल का निर्माण करने की आवश्यकता] (89)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के चेंगैल स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर शौचालय का निर्माण करने की आवश्यकता] (90)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर चकेसी को हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता] (91)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बोरिया स्टेशन से चकेसी औद्योगिक समूह तक पक्की सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता] (92)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बोरिया स्टेशन से चकेसी तक प्रयोग में न लाई जा रही साइडिंग लाइन को पक्की सड़क में बदलने की आवश्यकता] (93)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपया कम किए जायें।"**

[पूर्व रेलवे के बन्देल-कटवा सैक्शन पर दोहरी लाइन चालू करने की आवश्यकता) (106)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रु० कम किए जायें।"**

[पूर्व रेलवे के बन्देल-कटवा खण्ड का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता] (107)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रु० कम किए जायें।"**

वर्दमान-कटवा और अहमदपुर-कटवा रेलवे को प्रभावी रूप से चलाने की आवश्यकता] (108)

'कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रु० कम किए जायें:"**

[पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर मेमारी से हावड़ा तक नई उपनगरीय रेल सेवा शुरू करने की आवश्यकता] (109)

"कि रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

[कलकत्ता के भूमिगत-रेल कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु और अधिक धन राशि आवंटित करने की आवश्यकता] (110)

श्री मतिलाल हसदा (झाड़ग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपये कम किए जायें।"**

[पूर्व रेलवे की बर्दवान-साहिबगंज लूप लाइनों पर रेलगाड़ियों के देर से चलने को रोकने की आवश्यकता) (149)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 **रुपये कम किये जायें।"**

[पूर्व रेलवे की बर्दवान-साहिबगंज लूप लाइनों कटवा-हावड़ा पर रेल गाड़ियों के समय पर चलाने में असफलता] (150)

[श्री अभिलाष हंसदा]

"कि 'परिचालन व्यय-यातायात' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के झासग्राम और गिधाम स्टेशनों के बीच खड़गपुर टाटा सवारी गाड़ी को रोकने की आवश्यकता] (151)

"कि 'परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारी अंतराल को दूर करने के लिये टाटा और खड़कपुर स्टेशन के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता] (152)

"कि 'परिचालन व्यय-यातायात' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए पंखे, रोशनी, पेयजल, बिजली और स्वच्छ डिब्बों जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता] (153)

"कि 'परिचालन व्यय-यातायात' शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[नलहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेट-फार्म के दोनों ओर रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की आवश्यकता (154)

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं तथा मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे के कार्य निष्पादन में सब प्रकार से सुधार हुआ है जिसके लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देती हूं। उन्होंने श्रेष्ठ खिलाड़ियों, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों, पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों, प्रधान मंत्री द्वारा 'श्रम' पुरस्कार प्राप्त करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के लिए तथा आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मचारियों की विधवाओं के लिए रियायत दी है। रेल मंत्री महोदय इस प्रकार की समुचित रियायतें प्रदान करने के लिए बधाई के पात्र हैं।

रेलवे का कार्य-निष्पादन जैसी कि आशा थी उससे अच्छा रहा है। लेकिन लाभांश देने के लिए रेलवे के पास पूरा धन नहीं है।

प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों सहित रेलवे द्वारा किए गए निर्माण कार्यों पर यदि नजर डालें तो मंत्री महोदय के सामने किराये व माल भाड़े में वृद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता न था। मंत्री महोदय ने अतिरिक्त राजस्व का अधिकांश भाग द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किया है। अत: इससे निर्धन लोग प्रभावित होंगे तथा मैं यह अनुभव करती हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।

मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में मितव्ययिता की जा सकती है उनका पता लगाने के लिए, कार्यचालन व्यय की बारीकी से संवीक्षा की जानी चाहिए।

लाभांश दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष किरायों व माल भाड़ों में वृद्धि करना कोई अच्छा व लोकप्रिय कदम नहीं है जबकि रेलवे का अपना एकाधिकार का क्षेत्र है। प्रभारित पूंजी के घटकों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए ताकि निरर्थक खर्चों का पता लगाया जा सके तथा लाभांश देयता को और अधिक यथार्थपरक बनाया जा सके। यदि 50 प्रतिशत से अधिक सम्पदा पुरानी है तथा टूटी फूटी हैं जैसे कि भाप के इंजन तो इन्हें या तो बेच दिया जाना चाहिए अथवा बट्टे खाते डाल दिया

जाना चाहिए। रेलवे के एकाधिकार की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि खर्चे की एक सीमा रखी जाए ताकि जब कभी भी घाटा हो तो रेलवे किराये बढ़ा देने का आसान रास्ता न अपनाए।

2.25 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

जनशक्ति की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है तथा फालतू कर्मचारियों को टिकट चैकिंग जैसे कार्य क्षेत्रों में लगाये जाने की आवश्यकता है कमियों को दूर किया जाना चाहिए। यदि 10 प्रतिशत भी समान इधर-उधर होता है—मेरे विचार में यह बहुत अधिक है—रेलवे 600 करोड़ रुपये या इससे कुछ अधिक इन कमियों को दूर करके बचा सकती है। हो सकता है, इससे किराये और माल भाड़े में वृद्धि की आवश्यकता ही न रहे।

रेलवे के कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं जिनसे भाड़े की आमदनी नहीं होती है। इसे पृथक किया जा सकता है तथा इसका निर्धारण किया जा सकता है ताकि इसका भार सामान्य राजस्व वहन कर सके अथवा उस सीमा तक लाभांश देयता को कम किया जा सकता है। इससे धन की प्राप्ति होगी जिसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यक मरम्मत, नवीनीकरण तथा पुर्नसंग्रहण के लिए किया जा सकता है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगी। मेरा निवेदन है, जैसाकि बिहार से आने वाले अन्य सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि बिहार को मंत्री जी से न्याय नहीं मिला है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि हाजीपुर से लालगंज, वैशाली, सरैया, साहिबगंज तथा केसरिया, नरकटियागंज से सुगांली तक एक रेलवे लाइन का सर्वे किया जाए तथा उसके अनुमान तैयार किये जायें लेकिन मेरे अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैशाली से होकर निकलेगी जोकि ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, तथा नेपाल की सीमा तक जायेगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में साराया व्यापार तथा पर्यटन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है लेकिन वहां केवल एक ही गाड़ी आते व जाते हुए रुकती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे एक एक्सप्रैस गाड़ी के लिए वहां आते व जाते समय रुकने के लिए निर्देश दें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि दिल्ली व पटना के बीच चलने वाली डीलक्स गाड़ी सप्ताह में दो दिन की बजाय तीन दिन चलाई जाए।

जैसा कि प्रो० महाबीर प्रसाद ने सुझाव दिया है, मगध एक्सप्रैस का समय ऐसा रखा जाए ताकि यह गाड़ी नई दिल्ली व पटना सुबह 10 बजे पहुंच सके।

नार्थ-ईस्ट एक्सप्रैस पटना के यात्रियों के लिये बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है।

जबकि रेलवे अधिक तेज चलने वाली गाड़ियां चलाने जा रही है तो बीच में स्टेशनों की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन लोगों के लिए पर्याप्त गाड़ियां होनी चाहिए ताकि ये लोग मजबूरन तेज चलने वाली गाड़ियों में न जाए व लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा न हो। शयनयान वाले सवारी डिब्बे बिना कंडक्टरों के जाती हैं। इससे यात्रियों को तो

[श्रीमती किशोरी सिंह]

असुविधा तो होती ही है सुरक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शयनयान वाले डिब्बों में बहुत चोरियां होती हैं।

अन्त में, मैं रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित तथा नियमित बनाने की आवश्यकता पर बल दूंगी। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

प्रो०एन०जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, श्रीमन् रेलवे की चहुंमुखी कुशलता दिखाने के लिए मैं रेलवे मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। मैंने पहले ही सदन का ध्यान डिब्बों की दशा में सुधार किये जाने की भयंकर आवश्यकता, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों जिन्हें पहले तृतीय श्रेणी के यात्री कहा जाता था की सेवाओं तथा सुरक्षा की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता की ओर दिलाया है। इन द्वितीय श्रेणी के यात्रियां जिन्हें पहले तृतीय श्रेणी का कहा जाता था उन्हीं सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र व रेलवे बोर्ड आम यात्री गाड़ियों तथा अन्य एक्सप्रैस गाड़ियों से जाने वाले द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की सेवाओं यात्रा और सुविधाओं की स्थितियों में सुधार लाने को ओर विशेष ध्यान दें। आम तौर पर एक्सप्रैस गाड़ियों में तो काफी अच्छी सुविधाएं हैं लेकिन द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए आम यात्री गाड़ियों में स्थिति बहुत ही शोचनीय है। उनमें कोई सुधार नहीं किया गया। रेलवे को उनपर विशेष ध्यान देने की और उनमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह कहने के बाद मैं तेलगू देशम के प्रवक्ता द्वारा कहे गये एक या दो मुद्दों पर जोर देना चाहूंगा चिराला पर कम से कम एक्सप्रैस ट्रेन जैसेकि ग्रांट ट्रंक एक्सप्रैस ट्रेन का एक स्टाप बनाने की आवश्यकता के बारे में। वास्तव में चिराला पर एक या दो अन्य एक्सप्रैस गाड़ियों का स्टाप बनाने की तर्कसंगतता और आवश्यकता भी है। क्योंकि मैं उनसे सहमत हूं उनका कहना है कि चिराला, विजयवाड़ा और मद्रास के बीच एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा चिराला, मेरे विचार से पूरे प्रकाशम जिले में, अंगोले को छोड़कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। अत: मुझे आशा है रेलवे बोर्ड उनके सुझावों पर विचार करेगा जिसका मैं समर्थन करता हूं।

कुछ समय से मैं ग्रामीण बितरा गुंटा नामक स्थान पर एक विशेष रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कह रहा हूं। यह कहा गया था कि सरकार इसे अनुमति अथवा स्वीकृति देने के लिए तैयार थी। लेकिन अभी तक इसे नहीं बनाया गया है। अत: मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करे।

मैं रेल मंत्री श्री माधवराव सिन्धिया का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह सूचना देने की शिष्टता दिखाई कि गुंटूर और मचरेला के बीच रेल लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। ऐसा करने से बीबीनगर और मद्रास के बीच के यात्रियों तथा माल के यातायात में मदद मिलेगी। इसकी गति बढ़ाकर तथा मद्रास तथा बीबीनगर के दूरी को कम करके, मूल उद्देश्य को पूरा करके, वास्तव में यह विशेष सुविधा न सिर्फ यात्रियों तथा जनता को प्रदान की जायेगी बल्कि रेलवे को स्वयं को भी सुविधा होगी, एक तरह तो हैदराबाद और बीबीनगर के बीच दूसरी रेल लाइन, तथा दूसरी ओर मद्रास अर्थात् एक लाइन विजयवाड़ा होते हुए और दूसरी गुंटुर से मद्रास बारास्ता बीबीनगर होते हुए, निर्माण करने से रेलवे को स्वयं को भी लाभ होगा। यह उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने यह कह कर इस बात को दर्शाया है कि रेलवे लाइन को बदलने के लिए इस वर्ष जो पैसा दिया जा रहा है उसका 30 प्रतिशत इस सुधार कार्य के लिए लगाया जायेगा। मैं इसकी सराहना

करता हूं।

साथ ही, एक विशेष घटनाक्रम की ओर मैं सदन तथा रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। रेलवे मंत्री की कोई गलती नहीं हैं संभवतः यह तो पूर्णतया सरकार या योजना आयोग की गलती है। किसलिए? रेलवे में और अधिक निर्माण करने तथा रेल लाइनों को बदलने, के लिए इतना कम धन दिया जा रहा है और इतनी अधिक संख्या में अपने "कंस्ट्रक्शन स्टाफ" को उपकरणों और सामग्री को अन्य देशों में रेल लाइन निर्माण के लिये लगाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। मैं यह भी मानता हूं कि हमें अन्य देशों में रेलवे की साख स्थापित करनी चाहिए। तीसरे, मैं सरकार द्वारा नये स्वतन्त्रता प्राप्त देशों में रेल लाइन निर्माण में मदद दिये जाने की सरकार की उत्सुकता की प्रशंसा करता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे देश की जरूरतों को इस हद तक उपेक्षित किया जाए कि इस वर्ष मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए बहुत ही कम धन का आबंटन किया जाये।

अतः मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग तथा रेलवे बोर्ड दोनों ही पुरानी रेल लाइनों के सुधार एवं नई रेल लाइन बिछाने तथा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइनों में बदलने के अलावा रेलवे के लिए बहुत अधिक धन दिलाने, रेल सम्बन्धी सामग्री की भारी मात्रा, इंजीनियरिंग स्टाफ तथा दक्षता, कुशलता उपलब्ध कराने में सफल होंगे।

अब मैं अपनी अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में बताऊंगा। मैं तथा श्री राजगोपाल नायडू जो कि एक सदस्य थे तथा अन्य कई तमिलनाडु के सदस्यगण काफी लम्बे समय से कटपडी और तिरुपति के बीच की रेल लाइन को बदलने की बात कहते रहे हैं। श्री संतानम की मदद से हम गुडूर और तिरुपति के बीच रेल लाइन को बदलने में सफल रहे थे परन्तु तिरुपति से कटपडी के बीच रेल लाइन नहीं बदली गई है। यदि इसे बदला भी जाए तो इसका लाभ न सिर्फ यात्रियों को ही होगा बल्कि रेलवे को भी होगा। त्रिवेन्द्रम से दिल्ली तक 100 मील से अधिक की रेल दूरी को कम किया जा सकता है। मेरे विचार से यह किफायती होगा बशर्ते कि अगर मेरी बात सही नहीं है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। सरकार क्यों इतना छोटा सा परिवर्तन करने में ईर्ष्या कर रही है जिसकी कि आवश्यकता है जिसके लिए केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सदस्य मुझे नहीं मालूम कितने समय से शोर मचा रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले बजट में माननीय मंत्री योजना आयोग की मदद से पर्याप्त धन लेकर लम्बे समय से की जा रही इस मांग को पूरा कर पायेंगे।

मेरे गांव में, नीदूब्रोलू नाम का एक रेलवे स्टेशन है। अभी हाल ही में चार लोग मारे गए हैं। इसमें किसकी गलती थी? विशेष बात यह थी कि वे लोग भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए तिरुपति गये थे। क्या उनकी मृत्यु के लिए भगवान वेंकटेश्वर जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेल लाइन पार करने का प्रयास किया था? यह दुर्घटना रात को हुई थी और उससे इस पूरी बात का पता चलता है। एक्सप्रेस गाड़ियां वहां रुकती हैं। कतिपय एक्सप्रेस गाड़ियां निडूब्रोलू मेरे रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। स्टेशन मास्टर को जानना चाहिए कि रात को किस समय किस ट्रेन मद्रास से, तिरुपति से आकर उस स्टेशन पर रुकती है और कौन सी अन्य गाड़ियां दूसरी दिशा से, विजयवाड़ा से तिरुपति अथवा मद्रास से आने वाली है। लगता है यात्रियों को सावधान करने की बात को उन्होंने

[प्रो० एन० जी० रंगा]

नजरअंदाज कर दिया इसके परिणामस्वरूप इन लोगों ने तिरुपति से आई एक एक्सप्रेस गाड़ी से इस स्टेशन पर उतर कर बिना यह जाने कि एक और गाड़ी आने वाली थी। रेल की पटरी पार करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगा कि विजयवाड़ा से एम० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी आई और उन्हें कुचल दिया, वो वहीं उसी वक्त मर गए। मैं रेलवे तथा अपनी सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, यदि कोई जीवित बचा हो तो, उन्हें सांत्वना देता हूं। पिता और माता, दो बच्चे, उनमें से एक लड़का तथा एक अन्य लड़की चारों व्यक्ति उसी समय मर गये।

मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? यह सरकार का काम है कि कुछ, (मूलभूत) आवश्यक रोक-थाम के कदम उठाये जायें अर्थात किसी भी स्टेशन पर जहां कहीं भी कभी भी रात्रि को कोई ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन आती हो तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि या तो एक तरफ या दोनों ही तरफ, विशेष फ्लड लाइट (तेज लाइट) लगाई जानी चाहिए ताकि यात्रीगण जान सकें कि किस तरह से पटरी पार की जाये। पटरी पार भी की जाये या नहीं और यह भी देखें कि दूसरी ओर से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है।

रेलवे प्रशासन द्वारा सावधानी के रूप में इस छोटे से कदम पर विचार किया जाना चाहिए। कम से कम अब तो मैं आशा करूं कि उन्हें सभी स्टेशनों पर इस बारे में सावधानी बरतनी ही चाहिए, न सिर्फ मेरे ही स्टेशन पर, अन्य स्टेशनों पर भी जहां पर ऐसी घटनाएं होने की सम्भावना है जहां पर रात्रि में एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती हैं।

तीसरे, यह आवश्यक है कि जिस स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ी रुकने वाली हो वहां पर रेलवे स्टाफ भी मौजूद हो। आमतौर पर वे उपस्थित नहीं होते हैं। एक तरफ तो स्टेशन स्टाफ, उपकरण, टेलीफोन तथा सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं लेकिन दूसरी ओर स्टाफ वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं समझता। अत: यात्रियों को सावधान करने के लिए वहां कोई भी नहीं होता है। इन बातों पर ध्यान देना होगा। मैं एक पत्र लिख चुका हूं। मैं इसे दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को भेजना चाहता हूं, परन्तु गलती से मैंने इसे माननीय मंत्री को दे दिया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पत्र पर ध्यान देंगे तथा यात्रियों के हित में इन छोटे उपचारात्मक कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए।

वे कब कुलियों तथा रेलवे के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करेंगे जिन्हें रात के वक्त तैनात रहना होता है। यही समय है जब उनके लिए कुछ किया जाये।

माल यातायात का एक प्रश्न है। अभी हाल ही में एक बात से मुझे ताज्जुब हुआ, एक स्पेशल किताबों का पार्सल जिसमें कि मेरी स्वयं की पुस्तकें भी गुंटूर से दिल्ली मेरे अपने मित्र ने इस गलत धारणा से उसे भेजा कि यदि वह ज्यादा पैसे देंगे और इसे स्पेशल स्पीड पार्सल लिखेंगे तो दिल्ली तक यह ज्यादा जल्दी पहुंचाया जायेगा। बल्कि हुआ यह कि इसमें और भी अधिक विलम्ब हुआ। उन्होंने सोचा था कि पार्सल दस दिन के भीतर पहुंच जाएगा। यहां 40 से 45 दिन के भीतर पहुंचा। गुस्से के मारे उन्होंने वकील का नोटिस देने का विचार किया था। और फिर उसी के बाद यहां पार्सल प्राप्त हुआ था। यह तो एक शिकायत है।

दूसरी शिकायत है, मेरे सचिव यहां पार्सल प्राप्त करने के स्थान पर कई बार गये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह कौन से वर्ष की बात है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : अभी हाल ही की बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : 1977 की बात नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरा सचिव पता लगाना चाहता था कि पार्सल यहां आ गया है अथवा नहीं। मुझे बताया गया कि वहां इतनी अधिक भीड़ थी कि बेचारे अधिकारी उन्हें बताने में असमर्थ थे— वह यहां पहुंचे भी हा या नहीं। अन्त में जब वह प्राप्त कर लिया गया तो मेरा सचिव बहुत थक गया था क्योंकि उसे वहां पर तीन घंटे से अधिक इन्तजार करना पड़ा। अतः यहां रेलवे और रेलवे स्टेशन के सामान भेजने या पार्सल आफिस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। या तो आप व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कीजिए जिन्हें यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देना होता है या फिर पार्सल भेजे जाने की प्रक्रिया में तेजी लाइये इस तरह के बेहद असुविधाजनक तथा असंतोषजनक विलम्ब और सेवाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ न कुछ करिये।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं और मुझे आशा थी कि रेल बजट प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र के लिए कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा करेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने, अपने चुनाव दौरे के दौरान, त्रिपुरा के लोगों के साथ बहुत सारे वायदे किये थे जिनमें अगरतला तक रेल लाइन बढ़ाने का वायदा भी था। किन्तु मुझे खेद है कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, त्रिपुरा के लोगों ने निश्चित रूप से यह महसूस किया होगा कि श्री राजीव गांधी ने केवल वोट लेने के लिए ये सब वायदे किये थे।

अब मुझे यह आशा नहीं है कि अगरतला तक रेल लाइन बढ़ाई जायेगी। धरमनगर से कुमार घाट तक चल रही परियोजना के लिए इस बजट में केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मूल रूप से परियोजना 1978 में जनता शासन में स्वीकृत की गई थी। कांग्रेस के 30 वर्षों के शासन के बाद यह परियोजना स्वीकार की गई थी और कांग्रेस के इन 30 वर्षों के शासन के दौरान त्रिपुरा के लोगों के लिए कोई भी योजना स्वीकृत नहीं की गई थी। मूल परियोजना के अनुसार इस परियोजना को 1982 के अन्दर ही पूरा किया जाना था और परियोजना की कुल लागत 8.5 करोड़ रुपये थी। इस समय 1988 चल रहा है। अपने भाषण के दौरान रेल मंत्री ने कहा था कि इस वित्त वर्ष के दौरान बहुत सी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वह वचनबद्ध हैं, किन्तु उन्होंने त्रिपुरा की चालू परियोजना का कोई उल्लेख नहीं किया है।

महोदय, अब परियोजना की लागत 8.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 करोड़ रुपये हो गई है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की और आवश्यकता पड़ेगी। एक मंत्री ने केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा वह 1.5 करोड़ रुपये और अधिक देने में असमर्थ हैं। यह बड़ी दुःखद स्थिति है। यदि अगले एक वर्ष के अन्दर इस 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था न की गई तो यह परियोजना 1991 तक ही पूरी हो सकेगी। अतः 33 किलो मीटर लम्बी रेल लाइन के निर्माण के लिए सरकार बारह वर्ष का समय लेती है।

हमें इस सरकार से यह आशा नहीं है कि यह सरकार अगरतला तक रेल लाइन बढ़ा

[श्री अजय विश्वास]

पायेगी । यदि कार्य की यही प्रगति रही तो धरमपुर से अगरतला तक की इस परियोजना को पूरा करने में सौ वर्ष का समय लगेगा ।

धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे रिपोर्ट पूरी हो गई है । लेकिन मैं सोचता हूं वह किसी कोल्ड स्टोर में पड़ी है । प्रधान मंत्री जी ने अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने के बारे में वायदे किये थे । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं इसे कब आरम्भ किया जायेगा—अगले बजट में या इस बजट के पांच वर्षों बाद या छः वर्षों बाद । इस बारे में सरकार से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है ।

त्रिपुरा और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य पिछड़े हुए हैं । एन० ई० परिषद की रिपोर्ट के अनुसार समूचा क्षेत्र देश के समूचे विकास से 70 वर्ष पीछे है । उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की है । अगर केन्द्र सरकार एक विशेष अवधि में 33 कि० मी० रेलवे लाइन पूरा करने में समर्थ नहीं है तो उप-समिति गठित करने का क्या लाभ है ? वहां गैस पाई गई है । हमने गैस पर आधारित उद्योग और अन्य उद्योग स्थापित करने की मांग की थी । लेकिन केन्द्र सरकार का उत्तर है कि वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, रेलवे लाइन नहीं है, संचार सुविधा नहीं है । इन सब सुविधाओं के अभाव में, वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जायेगा । जब हम रेलवे लाइन की मांग करते हैं तो वे बजट में धन की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं । हम कहां जाएं ? समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास कैसे होगा ? केन्द्र सरकार के अनुसार त्रिपरा के तीन जिले पिछड़े हुए हैं । और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम की राजधानी गोहाटी को छोड़कर, क्षेत्र की कोई अन्य राजधानी रेलवे लाइन से जुड़ी हुई नहीं है । मैं मंत्री जी से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की कम से कम राजधानियों को जोड़ने के उनेक कार्यक्रम को जानना चाहता हूं ।

डिब्बों के बारे में, सभी पुराने डिब्बे पूर्वोत्तर रेलवे में भेजे जा रहे हैं । मैं मंत्री जी से उस क्षेत्र का कम से कम एक बार दौरा करके स्वयं डिब्बों की दशा देखने का अनुरोध करता हूं । यात्रियों के लिए उन डिब्बों में यात्रा करना सम्भव नहीं है । न्यूनतम सुविधाएं - शौचालय या अन्य सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र खनिज संसाधनों में सम्पन्न है । जिसे उस क्षेत्र के विकास के लिए भली प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां औद्योगीकरण भी किया जा सकता है । लेकिन संचार व्यवस्था और रेलवे लाइनों के अभाव के कारण वहां कोई उद्योग स्थापित करना सम्भव नहीं है । अतः मैं मंत्री जी से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि वहां के लोग यह महसूस करें कि वे भी भारत में रहते हैं ।

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । इस वर्ष के रेलवे बजट में हमारी उपलब्धियों को गिनाया गया है । इन उपलब्धियों के लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं मुझे पूरा विश्वास है ये सब उनके अच्छे नेतृत्व के कारण हुआ है । इस वर्ष हमारे देश ने गम्भीरतम सूखे का सामना किया है । रेलवे ने भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

सामग्री और खाद्यान्न पहुंचाने में सराहनीय परिवहन सेवा प्रदान की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि रेलवे ने कठिन परिस्थितियों में भी 1987-88 में 313 मिलियन टन के मालभाड़े की ढुलाई की है। इसी तरह यह अनुमान लगाया गया था कि 1986-87 में वित्तीय अधिशेष 11 करोड़ रुपये हो जायेगा। यह 102 करोड़ तक बढ़ गया है। दुर्घटनाओं के मामले में भी रेलवे में विलक्षण सुधार हुआ है 1985-86 में 717 दुर्घटनाएं हुई थीं जो 1986-87 में कम होकर 644 तक हो गईं। मैं मंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वह रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रबन्ध करेंगे। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उन यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे जो रेलवे से यात्रा करते है। मैं आशा करता हूं इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

2.56 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

एशिया में भारतीय रेलवे सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है और यह दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे 1853 में 34 कि० मी० की छोटी-सी लाइन से शुरू हुई थी आज 61813 कि० मी० लम्बी लाइन बन गई है। देश के चहुंमुखी विकास के लिए रेलवे एक बहुत कारगर साधन है। रेलवे पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने नई रेलवे लाइनों, गाड़ियां डिब्बा फैकटरियों आदि की मांग की है इसका कारण यह है कि देश में विकासशील क्षेत्र के विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी, किसी न किसी कारण से रेलवे का देश के सभी भागों में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। मेरे अपने राज्य केरल को लीजिए। जब देश में 61813 कि० मी० लम्बी रेल लाइनें हैं तो केरल में केवल 921 कि० मी० हैं। दूसरे शब्दों में यह राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है, स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के पश्चात भी केरल रेलवे के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। इससे यह पता चलता है कि केरल में रेलवे विकास की ओर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उस राज्य में रेलवे विकास बहुत अनिवार्य है जिसमें 27 लाख युवा व्यक्ति और महिलाओं के नाम रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह सच है कि इस देश में केरल में सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं। केरल के लोग लम्बी दूरी की यात्रा करते हैं। इस वर्ष के बजट ने उन्हें प्रभावित किया है। केरल का रेलवे राजस्व में बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन उस राज्य में रेलवे सुविधाएं नगण्य हैं। कितनी लाइनों की मांग की गई है। कितनी बार अनुरोध किये गये हैं। लेकिन इन मांगों और अनुरोधों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी तरह इस वर्ष पूरी की जाने वाली लाइनों की सूची में केरल का नाम नहीं आता है। उस राज्य में एक भी सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। पता नहीं इरनाकुलम-एलेप्पी तटीय लाइन कब पूरी की जाएगी। इस लाइन के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है। तिरुचुर-गुरुवायुर लाइन के लिए 17.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता है। इस वर्ष केवल 2 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस हिसाब से इस लाइन को परा करने में कम से कम 10 वर्षों का समय लगेगा। इसे पूरा करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। इसलिए, मैं मंत्री जी से तिरुचुर-गुरुवायुर लाइन को अगले वर्ष पूरा करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अन्य मुद्दा उन रेलगाड़ियों के बारे में है जो केरल जा रही हैं। पहले दिल्ली से तीन रेल-गाड़ियां चल रही थीं। उसके बाद केरल एक्सप्रेस को दैनिक गाड़ी बना दिया गया और अन्य दो

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। विशेषतया मालाबार से आने वाले यात्रियों की समस्याएं कई गुणा बढ़ गई हैं। मालाबार क्षेत्र से चलने वाली मंगला एक्सप्रेस उन यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी गाड़ी थी जो दिल्ली या अन्य उत्तर भारतीय शहरों में जाना चाहते हैं। इस गाड़ी के रद्द किये जाने से इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। केरल एक्सप्रेस में आरक्षण कराने में बहुत कठिनाई हो गई है। केरल के सांसद रेलवे मंत्री से मिले और सर्वसम्मति से मांग की है कि मंगला एक्सप्रेस को फिर से चलाया जाए। हमें आशा थी कि यह किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए, मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि मंगला एक्सप्रेस को पुन: चलाया जाए। मैं मंत्री जी को हिमसागर एक्सप्रेस को पुन: चलाने के निर्णय पर बधाई देता हूं।

महोदय, केरल की बहुत पुरानी मांग है कि उस राज्य में रेलवे का एक निर्माण एकक स्थापित किया जाना चाहिए जबकि पड़ौसी राज्यों में एक से अधिक फैक्टरियां हैं, केरल में एक भी नहीं है। कपूरथला में जो फैक्टरी स्थापित की गई है वह मूल रूप से केरल के लिए थी। मैं मंत्री जी से रेल डिब्बों की फैक्टरी लगाने की केरल की मांग की ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। पिछले वर्ष मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था कि केरल में अगर बड़ा निर्माण एकक अभी स्थापित नहीं किया जा सकता तो कम से कम एक छोटा एकक स्थापित किया जाना चाहिए। मेरी मांग को स्वीकार करते हुए मंत्री जी ने पालघाट में कंक्रीट स्लीपर फैक्टरी लगाने का निर्णय लिया था। मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि इस बारे में प्रारम्भिक कदम भी नहीं उठाये गये हैं। मैं समझता हूं रेलवे विभाग टेण्डर जारी नहीं कर सका है। इसलिए मैं इन कार्यों को जल्दी करने और इस फैक्टरी को पालघाट में बिना देरी किये स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

3.00 म० प०

महोदय, 1 जनवरी से पहले केरल में 9 गाड़ियों को रद्द किया गया। इसमें से अधिकतर गाड़ियां मालाबार क्षेत्र से होकर निकलती हैं। उदाहरण के लिए इरनाकुलम कान्नूर एक्सप्रेस, चेरन एक्सप्रेस, कोचीन त्रिची एक्सप्रेस आदि। इसके कारण जनता को काफी असुविधा हो गई है। निस्संदेह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इनमें से कुछ गाड़ियों को जल्दी ही पुन: चलाया जाएगा। लेकिन यह इसी तरह है जैसे किसी ऊंट पर हद से ज्यादा सामान रख दिया जाये और उसके बाद थोड़ा-सा सामान हटा दिया जाये और कहा जाये और अब तो ऊंट पर रखा भार हल्का हो गया होगा। यह इसी तरह की बात है। ऊंट निस्संदेह खुश होगा जब उसकी कमर से थोड़ा भार कम कर दिया जाएगा। मंत्री जी का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी गाड़ियां जो रद्द कर दी गई हैं उन्हें पुन: चलाया जाना चाहिए।

अब, मैं अपने राज्य से सम्बन्धित मांगों को लूंगा। दक्षिण में बहुत से तीर्थस्थल हैं जैसे रामेश्वरम्, मदुराई, पलानी, तिरुवामपाड़ी, पारामीकाव, गुरुवायुर। इन तीर्थस्थलों को रेलवे लाइनो से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि तीर्थ यात्रियों को इन स्थानों पर जाने में कठिनाई न हो। वास्तव में इन स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक लाइन बिछाई जाने हेतु सर्वे किया गया था। लेकिन कुछ नहीं किया गया। हाल ही में पालघाट और पुल्लाची को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। अगर इस लाइन को पुडूनगरम से त्रिचूर तक बारास्ता आलातूर तक बढ़ाया जाता है तो इसे प्रस्तावित त्रिचूर-गुरुवाचूर लाइन तक

जोड़ा जा सकता है। मैं चाहता हूं मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

महोदय, यह आम शिकायत है कि केरल की गाड़ियों में पुराने और टूटे-फूटे डिब्बों को जोड़ा जाता है। इनमें से बहुत से डिब्बों में सुविधाएं नहीं हैं। उत्तरी भारत के हिस्सों में इन डिब्बों को लम्बे समय तक इस्तेमाल करने के बाद, इन्हें इन गाड़ियों के साथ जोड़ा जाता है। इनमें से अधिकांश डिब्बे ऐसे हैं जिनके शौचालयों के दरवाजों में जंग लगा हुआ है और यदि हाथ उनसे खुरच जाये तो टिटनैस हो जाये। यात्रियों के जीवन को ऐसे जोखिम में डालने के लिए माननीय मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रेलवे से ऐसा व्यवहार मिलने पर आपने क्या किया है, केवल उत्तर भारत ही भारत का हिस्सा नहीं है। दक्षिण भारत भी इस देश का एक हिस्सा है। मैं यह चाहता हूं कि जंग लगे हुए इन पुराने डिब्बों को शीघ्रातिशीघ्र बदला जाए।

दूसरी मांग यह है कि त्रिवेन्द्रम और शोरनूर के बीच चलने वाली वीनाड एक्सप्रेस को कोयम्बतूर तक बढ़ाया जाय जिससे कि इसे मद्रास जाने वाली कोबई एक्सप्रेस से जोड़ा जा सके। यह त्रिवेन्द्रम से मद्रास जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी उपयोगी होगी। अगर यह सम्भव न हो तो इसे कम से कम पालघाट तक बढ़ाया जाये जहां से एक पैसेंजर गाड़ी कोयम्बतूर को जाती है। दूसरी बात पालघाट स्टेशन के विकास के बारे में है। पालघाट देश के प्राचीनतम मंडल का मुख्यालय है। दुर्भाग्यवश, इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मंडल के महत्व को बनाये रखें क्योंकि यह पड़ौसी राज्यों के बहुत से महत्वपूण स्टेशनों को जोड़ता हैं। पालघाट एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। प्लेटफार्मों पर छतें नहीं हैं जिससे लोगों को वर्षा और धूप में ठहरना पड़ता है। इसलिए इस स्टेशन का मॉडल स्टेशन के रूप में विकास किया जाना चाहिए। मैं मांगों का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय सभापति महोदया, इन मांगों का समर्थन करते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वाराणसी से छपरा तक मीटरगेज जाती है और बहुत दिनों से यह मांग होती रही है कि छपरा और वाराणसी के बीच में मीटरगेज को ब्रोड-गेज में कर दिया जाए। 1980 में जब माननीय कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि यह काम हो जाएगा और इसके लिए सर्वे भी किया गया और सर्वे होने के बाद सम्भवतः यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है। 1980 से लेकर आज 1988 हो रहा है लेकिन किसी भी बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे छपरा से वाराणसी तक मीटरगेज को ब्रोडगेज में परिवर्तन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं क्योंकि अब यही छपरा से वाराणसी तक का भाग रह जाता है, जहां कि मीटरगेज है। छपरा के दूसरी तरफ ब्रोडगेज है और गोरखपुर से वाराणसी तक ब्रोडगेज में परिवर्तन हो रहा है। ओड़िहार से वाराणसी तक ब्रोडगेज हो जाने पर छपरा से वाराणसी का लिंक खत्म हो जाएगा क्योंकि मीटरगेज की गाड़ियां ओडिहार तक ही आ पाएंगी और छपरा, बलिया और गाजीपुर के लोग सीधी रेल सेवा से वंचित रह जाएंगे अगर ऐसा न हुआ। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि छपरा से ओडिहार तक ब्रोडगेज करने का प्रयत्न करें क्योंकि गोरखपुर से वाराणसी तक ब्रोडगेज हो ही रहा है।

[श्री जैनुल बशर]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मगध एक्सप्रेस पटना से दिल्ली के लिए आती है और वह मगध एक्सप्रेस बिहार के और बिहार से लगा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसके यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं इस सदन में और इस सदन के बाहर भी कि दिलदार नगर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। दिलदार नगर रेलवे जंक्शन उत्तर प्रदेश का आखिरी रेलवे जंक्शन है और बिहार के कुछ भागों, गाजीपुर और वाराणसी और बलिया जिले के कुछ भागों के लोगों को मगध एक्सप्रेस के ठहराव से काफी सुविधा हो जाएगी। इसके बारे में मैं रेलवे मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं पहले भी 10 या 12 बार निवेदन कर चुका हूं कि दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस का ठहराव कराया जाए। दिलदार नगर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेशन है और वहां से एक ब्रांच लाइन ताड़ीघाट तक जाती है, जो गाजीपुर हैडक्वार्टर से लगा हुआ है जिला मुख्यालय को जोड़ता है। गाजीपुर जिले के लगभग सभी लोगों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी अगर पांच मिनट का ठहराव या तीन मिनट का ठहराव मगध एक्सप्रेस का दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर करा दिया जाए।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम वाराणसी क्षेत्र के लगभग 15, 20 संसद सदस्यों ने अनेक बार रेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि वाराणसी से एक रेलगाड़ी नई दिल्ली तक चलाई जाये जो शाम को वाराणसी से चले और सुबह दिल्ली पहुंच जाये और शाम फिर दिल्ली से चले और सुबह वाराणसी पहुंच जाये। जनता को भी यहां आने में कष्ट होता है और हम लोगों को भी शाम की गाड़ी नहीं मिलती। काशी-विश्वनाथ का समय दो बजे का है, उसके बाद कोई ऐसी ट्रेन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : या प्रयागराज को बढ़ा दीजिए।

श्री जैनुल बशर : प्रयागराज को बढ़ा दें तब ठीक है, काफी समय इस गाड़ी के पास है और इसको आसानी से दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है। कोई नई गाड़ी चला दी जाये तब भी ठीक है जैसी भी सुविधा हो वैसा कर दिया जाये। इस बार जो टाइम टेबल छपवा रहे हैं वह एक महीना लेट हो गया है, पहले पहली अप्रैल को छप जाया करता था, अब पहली मई को छपेगा। शायद यह हमारे लिये ही लेट किया गया है और हम एक बार फिर निवेदन करना चाहते हैं कि नये टाइमटेबल में हमारी मांग के अनुसार गाड़ियों के रुकने तथा वाराणसी से नई दिल्ली तक ओवरनाइट गाड़ी देने की कृपा करें।

कुछ रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई थीं, उनको फिर से शुरू किया जा रहा है। हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस को भी चालू कर दिया है, इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक गाड़ी अपर इंडिया एक्सप्रेस जो कलकत्ता से दिल्ली तक चला करती थी, बहुत पुरानी गाड़ी थी, उसको बन्द कर दिया गया है, अब वह गाड़ी सिर्फ मुगलसराय तक आती है और वापस चली जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गाड़ी को पुनः दिल्ली तक कर दिया जाये और यदि इसमें बहुत ही दिक्कत हो तो अभी फिलहाल इसको मुगलसराय के बजाए वाराणसी तक अवश्य कर दिया जाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस गाड़ी को कलकत्ता से दिल्ली तक कर दिया जाये। अब यह गाड़ी सिर्फ मुगलसराय तक आती है और वापस चली जाती है।

[हिन्दी]

आखिरी बात ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा है कि दिलदार नगर —ताड़ीघाट एक ब्रांच लाइन है और ताड़ीघाट गाजीपुर शहर में गंगा के उस पार पड़ता है। पहले गंगा पर पुल नहीं था और लोग गाड़ी से आते थे और नाव या स्टीमर से नदी पार करते थे। कई लोग नदी क्रास न करने की वजह से उस रेलवे स्टेशन पर दूर की गाड़ियां पकड़ने नहीं जाते थे, वे लोग बनारस आकर गाड़ी पकड़ते थे, लेकिन अब गंगा पर पुल बन गया है और ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। ऐसा लगता है कि इस स्टेशन और इस ब्रांच लाइन को कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह की हालत 60-65 साल पहले थी, वैसी ही उसकी हालत आज है, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया जाये। वहां पर सुविधाओं के नाम पर कोई चीज नहीं है। उस ब्रांच लाइन पर जो रेलगाड़ी चलती है, उसकी हालत भी बहुत खराब है। एक बार मैंने स्वयं जाकर उस गाड़ी को देखा, उसमें बाथरूम में दरवाजों पर ताला लगा दिया गया है और कई डिब्बों में बैठने तक के लिए सीटें नहीं हैं, मालगाड़ी की तरह उसमें डिब्बे लगा दिये गये हैं। यह दिन की गाड़ी है, लेकिन कभी अगर शाम हो जाये तो इसमें लाइट नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस रेलवे स्टेशन और इस गाड़ी को एक बार अवश्य देख लें या किसी से दिखवा लें तथा इसमें सुधार करवाएं।

इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिरकरा) : महोदया, 1978 में रेलवे में एक गतिशील परिवर्तन हुआ। रेलवे में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन था। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि 1978 में हमने जिस गति से शुरूआत की उसे नहीं बनाये रखा गया है। रेलवे में अब भी जागीरदारी प्रथा विद्यमान है। मुझे मालूम है कि रेल में यात्रा करते समय अधिकारी लोग कैसे व्यवहार करते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या रेल मंत्री रेलवे में ब्रिटिश शासन से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। रेलवे अधिकारी सैलूनों में घूमते हैं। वे पहले जैसी जागीरदारी प्रथा अपनाये हुए हैं। यदि आप रेलवे स्टेशन या रेलवे ऑफिस जायें तो आपको अधिकारी तंत्र नजर आयेगा जिसे इस देश का समाजवादी तंत्र नहीं कहा जा सकता। वास्तविक जागीरदारी प्रथा को आज भी रेलवे में देखा जा सकता है। यह नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं से शुरू होती है। गाड़ी साफ करने वाले सफाई कर्मचारी को 3 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है जबकि रेलवे अधिकारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सैलूनों में घूमते हैं उन्हें एक महाराजा जैसी सभी सुविधायें प्राप्त हैं। मैं यह नहीं जानता कि इस व्यवस्था में कैसे परिवर्तन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ये अधिकारी इस रेलवे का अपने लाभ के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में संलग्न हैं। मैंने माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा जिसका जवाब देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। निजी उद्यमियों का मामला बड़ा गम्भीर है जो रेलवे के पीछे करोड़ों रुपये कमा रहे हैं।

कलकत्ता में क्रासिंग तथा ज्वाइंट्स बनाने के लिये किसी पार्टी को ठेका दिया गया। उनमें एक पार्टी का नाम हिन्दुस्तान विकास निगम है। उस निगम ने 6 करोड़ रुपये का ठेका लिया लेकिन ठेकेदार को उस रेल को बेचने से, जो ठेकेदार को मुफ्त दी गई है और जिसे सरकार को वापस करने

[श्री तम्पन थामस]

की जरूरत नहीं है, 26 करोड़ रुपये का लाभ होगा। एक व्यक्ति 6 करोड़ रुपये का ठेका लेकर 26 करोड़ रुपये कमा रहा है। यह बात मैंने माननीय मंत्री को लिखी। माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि यह उसको सप्लाई किये गये इस्पात का पांच प्रतिशत है। स्टील सरकार का है। यह ठेकेदार को क्रॉस ज्वाइंट्सों का निर्माण करने के लिये दिया गया है। बचा हुआ स्टील सरकार को वापस किया जाना चाहिए। लेकिन इस हिसाब से उसने एक वर्ष में 3000 टन लोहा अधिक प्राप्त किया। रेलवे के कार्यों में प्रयोग होने वाला लोहा बड़ा कीमती होता है। 3000 टन रेलवे के लोहे को अपने धन की तरह बाजार में बेचकर पैसा कमा सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ। यह कार्य उच्च अधिकारियों की सहायता से अब भी हो रहा है। कैन्टीन और दफ्तर में रात-दिन काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जिन्हें तीन रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। उनके वेतन और समस्याओं के बारे में कोई विचार नहीं करता। रेलवे में यही हो रहा है।

निस्संदेह, यह बड़े गर्व की बात है कि रेलवे कुछ मामलों में एक व्यापार संगठन की तरह कार्य कर रहा है। उसने मुनाफा कमाया है। उसे विश्व बैंक से ऋण मिल रहा है। उसमें उन्नति हो रही है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी घटनायें भी हो रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इन मामलों में सख्त कार्यवाही करेंगे। एक गैर-सरकारी पार्टी पैसा कमा रही है तथा धन एकत्रित करने के लिये रेलवे का प्रयोग कर रही है और ठेकेदारी व्यवस्था इस प्रकार कार्य कर रही है। इसका रेलवे में काम करने वाले बहुत से श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नैमित्तिक श्रमिक रेलवे में 15 से लेकर 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्हें स्थाई क्यों नहीं किया जा सकता? रेलवे में भर्ती के पीछे भी रेलवे अधिकारियों का हाथ है। मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही की जाये और ऐसी बातों को रोका जाये। रेलवे में लगभग 20 लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इन श्रमिकों की समस्याओं की तरफ कौन ध्यान दे रहा है? श्रमिक संघ व्यवस्था क्या है जिसके द्वारा रेलवे कार्य कर रही है? मैंने सुना है कि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि रेलवे में अमुक संघ का बहुमत है। लेकिन रेलवे का कहना है कि उनका बहुमत नहीं है। रेलवे ने कुछ संघों को मान्यता दी है तथा उनसे ही बातचीत करती है। मैं दक्षिण रेलवे में एक श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसके सदस्यों की संख्या 40,000 से लेकर 60,000 तक है। लेकिन रेलवे इसे मान्यता नहीं दे रही है। श्रम संघों की मान्यता केवल कुछ लक्ष्यों के लिये मानी जाती है और ये लक्ष्य अधिकांशत: राजनीति से प्रेरित होते हैं। मुझे इसका पता नहीं है। श्रम संघों को मान्यता प्रदान के बारे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे गुप्त मतदान करा कर यह पता लगायेंगे कि किस संघ का बहुमत है जिसका बहुमत हो उसे बातचीत के लिए मान्यता प्रदान की जाये। उनके पास पी०एन०एम० मशीनरी है। जब उनकी बैठक होती है तो कहते हैं कि हम श्रमिकों की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। इन सभी समस्याओं के बारे में अधिकांश श्रमिक असंतुष्ट हैं। भर्ती के मामलों में भी ऐसे लोग शामिल हैं। यह व्यवस्था का एक अंग बन गया है जिसकी वजह से श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सरकार के पास नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की समस्याओं, सफाई वालों की समस्याओं, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों की समस्याओं और रेलवे स्टेशनों पर बोझ ले जाने वाले कुलियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने के लिये समय नहीं है और उनके कल्याण की तरफ भी कोई ध्यान नहीं

दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों की स्थिति देखने लायक है। इन मामलों की जांच कोई नहीं कर रहा है। ये लोग रात-दिन अपना काम कर रहे हैं। ये लोग आपका सामान ले जाते हैं। वे निश्चित पैसा लेते हैं। इस काम के लिये उन्हें कुछ पैसा सरकार को देना पड़ता है। उनकी क्या सुरक्षा है? भारतीय रेलवे ने ऐसे श्रमिकों को उनके काम का क्या सम्मान दिया है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन बातों पर ध्यान देंगे।

रेलवे के विकास से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। केरल से आये मेरे साथियों ने केरल के बारे में बार-बार कुछ न कुछ कहा है। केरल की हमेशा उपेक्षा की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैंने माननीय मंत्री को कोचीन और त्रिवेन्द्रम के बीच दोहरी लाइन बिछाने के बारे में लिखा तो यह जवाब दिया गया : "इस पर बाद में विचार किया जायेगा धन की कमी है।" त्रिवेन्द्रम—कोचीन लाइम के बारे में मुझे पता है। मुझे बहुत बुरा अनुभव है। 1984 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना। चुनाव की तारीख तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चार स्टेशनों पर गाड़ियां रुकती थीं। अगले दिन लोगों ने कहा कि उन्होंने जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्वाचित किया है इसलिये वहां गाड़ी नहीं रुक रही है। अब ये कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक सीधी जाती है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रुक रही है। यह मेरे विरुद्ध आरोप-पत्र की तरह है। लोगों का कहना है कि क्योंकि उन्होंने श्री तम्पन थामस को चुना है इसलिये रेलवे ने हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गाड़ियों का रोकना बन्द कर दिया है। मैंने रेल प्रशासन को अनेकों बार लिखा। किसी न किसी तरीके से, उन्होंने मुझे इस प्रकार उत्तर दिया है : "यह सम्भव नहीं है।" मैं नहीं जानता कि अब यह संभव क्यों नहीं है। लेकिन चुनावों के दौरान यह सम्भव था। जब चुनाव हो रहे थे तब ऐसा चार स्टेशनों पर किया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि यद्यपि यह मंत्री महोदय के लिये बहुत छोटी सी बात है फिर भी क्या माननीय मंत्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। निःसन्देह डिविजनल रेल प्रबन्धक और कुछ अन्य छोटे अधिकारी इसे कर सकते हैं। इनसे नीचे कार्यचालन प्रबन्धक भी इसे कर सकता है। दुर्भाग्य से संसद-सदस्य होते हुए भी मैं इसमें असफल रहा। मैं डिविजनल रेल प्रबन्धक, महा प्रबन्धक आदि इन सभी लोगों के पास गया। मैंने आपको लिखा। मैं जानता हूं आपने कैसे इसका उत्तर दिया था। यह हूबहू पहले की तरह का उत्तर है। यह कार्यालय द्वारा आपको भेजा गया है। मुझे जो जवाब मिला है उसमें यह कहा गया है कि यह सम्भव नहीं है।

त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच दोहरी लाइन बिछाने तथा और बहुत सी बातें हैं? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में भी आश्वासन चाहता हूं कि कोचीन और कायाकुलम के बीच दोहरी लाइन कब तक पूरी हो जायेगी। मैं वे सभी पत्र लाया हूं जिनमें माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे जवाब दिया है। सभी चीजें मेरे पास हैं। जिस ठेके का जिक्र मैंने पहले किया था उसकी फाइल भी मेरे पास है। मैंने एक नोट के साथ ये सब चीजें उन्हें भेजी थीं। यदि वह इस मामले में जांच करवाने के लिये तैयार हैं तो मैं ये सभी चीजें उन्हें भेज सकता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब भी मैं कोचीन-कायाकुलम लाइन के पूरा होने के बारे में पूछता हूं तो जवाब यह होता है "कि इसके लिये धनराशि नहीं है।" जबकि केरल के लोग सारे भारत में जा रहे हैं। यदि आप आशुलिपिकों को ही लें तो इस संसद में कार्यरत आशुलिपिकों में से आधे आशुलिपिक केरल से हैं। इधर उधर सब जगह ये लोग कार्यरत हैं। वे केरल राज्य से बाहर कार्य करने के लिये आते हैं। लेकिन केरल की तरफ जाने के लिये टिकट लेने या आरक्षण कराने में उन्हें कठिनाई होती

[श्री तम्पन थामस]

है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितने संसद सदस्यों से सिफारिश करवानी पड़ती है? त्रिवेन्द्रम या कोचीन आदि स्थानों तक की यात्रा के लिये टिकट प्राप्त करने के लिये उन्हें बहुत से संसद-सदस्यों से सिफारिश करवानी पड़ती हैं। उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है। उनके लिये कोई पर्याप्ति रेल-सुविधा नहीं है। अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी केरल जाने के लिये पर्याप्त रेल-सुविधायें नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी सच्चाई जानने के लिये एक सर्वेक्षण करवाएं। अत: इन लोगों को इन सुविधाओं की आवश्यकता है। कृपया हमारे लिये और रेलों का प्रावधान करें।

मैं मैसूर को निलाम्बुर से जोड़ने के लिये कहता हूं, यह 120 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन है। यदि चामराज नगर को बंगलौर से जोड़ दिया जाए तो हम कोचीन से दस घंटे का समय बचा सकते हैं। यदि बम्बई और मंगलौर के बीच में कोंकण रेल लाइन पर रेल चलने लगे तो काफी समय बच सकता है। मैं नहीं जानता कि रेलवे इस प्रश्न पर कब कार्यवाही करेगा। मैं नहीं जानता कि वे इस तरीके से लक्ष्य रखकर कोई कार्य कब तक करेंगे।

मेरे राज्य में निलाम्बुर और शोरनपुर के बीच एक रेल लाइन है। उस पर केवल दो रेलें चलती हैं। एक सवेरे 7 बजे चलती है और दूसरी दोपहर 2 बाद बजे चलती है। इसका मतलब हुआ कि जो रेलगाड़ी जाती है और वही वापस आती है। यह दो चक्कर लगाती है। पूरी लाइन बिना किसी उद्देश्य के है। मैंने रेलवे से पूछा है कि "आप निलाम्बुर से त्रिवेन्द्रम के बीच सीधे एक रेलगाड़ी क्यों नहीं चलाते हैं?" एक एक्सप्रेस गाड़ी भी चल सकती है। ऐसे लोग हैं जो त्रिवेन्द्रम से आते हैं और निलाम्बुर क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं यह मांग बार-बार करता रहा हूं। हमने मंत्री महोदय को भी लिखा है। और मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि इसके लिये धनराशि की कमी है। ऐसी समस्याओं को प्राथमिकता देनी होगी और मंत्री महोदय को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

एक और बात प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाओं के बारे में है। भीड़भाड़ काफी है जिसे हम हर रोज महसूस कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं केवल सही और सन्दर्भ के अनुसार ही मुद्दे उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको सुन रहा हूं। लेकिन आप पहले ही दस मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। और भी बहुत से सदस्यों ने अभी बोलना है। कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिये।

श्री तम्पन थामस : रेलवे में बीस लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। जो उन्नति की गई है उसके लिये मैं आपके साथ उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में मेरे सुझावों पर आप और अधिक ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि रेलवे में व्याप्त कदाचार समाप्त हो और उसकी अच्छी छवि फिर से लाई जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदया, इस चर्चा में भाग लेते हुए बहुत से हमारे साथियों ने माननीय रेल मंत्री जी को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी है, मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करती हूं। मेरी मान्यता है कि किसी भी विभाग की उपलब्धियां,

उसकी एफीशियेंसी और अच्छा कार्य-संचालन उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर करता है। इन मायनों में, मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ रेलवे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगी जिनके प्रयासों से रेलवे ने महान उपलब्धियां प्राप्त कीं, रेलों में एफीशियेंसी आई और भारतीय रेलों ने आशातीत प्रगति की।

हमारे मंत्री जी इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बार बजट प्रस्तुत करते हुए सैनिकों की विधवाओं को अनेक सुविधायें प्रदान कीं, देश के सर्वोच्च पारितोषिक प्राप्त नौनिहालों को रेल भाड़े में रियायतें दीं जो न केवल सराहनीय हैं बल्कि इससे हमारे अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे और वे अच्छी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। सभापति महोदया, बहुत डिस्टरबैंस हो रही है, आप जरा चौबे जी से कहिए, उनकी आदत बहुत खराब है, हमेशा कहीं न कहीं से डिस्टर्ब करते रहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगी और यह प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अब उनकी संख्या गिनी-चुनी रह गई है, वे बहुत थोड़े और गिनती के लोग हैं, जिनकी अवस्था बहुत खराब है। अब वे बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उन्हें हर साल अपना रेलवे पास रिन्यू करवाना पड़ता है और हर बार लाइन में खड़ा होना पड़ता है। चाहे आप गृह मंत्री जी से बात करके अथवा माननीय प्रधान मंत्री जी से बात करके इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, जब तक वे जीवित रहें, परमानेंट तौर पर उन्हें रेलवे पास मिल जाना चाहिए. इसकी व्यवस्था करें। यह बड़ा शुभ कार्य है और मैं आपकी बहुत आभारी हूंगी।

महोदया, मैं मानती हूं कि इस बीच में कठिन परिस्थितियों में रेल ने जो काम किया है, वह सराहनीय है। आज जो सूखे का विकट संघर्ष था, इसमें ऐसे स्थानों पर जहां लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न था वहां खाद्यान्नों को भेजकर, जहां जानवर बिना चारे के तड़पकर प्राण दे रहे थे, वहां चारा भेजकर जिस प्रकार से कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं उनको पुन: बधाई देती हूं।

मैं कुछ समस्याएं रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि जब हमें रेल में या किसी भी विभाग को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है, हमें रेलवे में नई लाइनें बिछानी हैं, हमें छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना है, हमें कोयले वाले इंजनों को डीजल या बिजली के इंजनो में बदलना है, तो उसके लिये धन की जरूरत होगी और जब धन की जरूरत होगी तो टैक्स के द्वारा धन एकत्रित करना ही पड़ेगा। रेल के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ऐ शमा जल जा और काम पूरा हो जाये। उनके लिये तो जो यात्री रेल से यात्रा करते हैं वे और जो सामान ढोया जाता है, वही साधन हैं पैसे एकत्रित करने के। इन साधनों से पैसा एकत्रित करके वे वर्तमान में और आगे की प्रगति के लिये काम कर रहे है।

महोदया, जब भी टैक्स लगते हैं, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। मुझे याद है महोदया, जब सूर्य की तेज किरणें समुद्र के ऊपर पड़ती हैं, तो समुद्र के जैसा गम्भीर और विशाल जल भी बौखला उठता है, खौल जाता है; आहें भरता है और बड़ी-बड़ी तेज भाप निकलती है और जब वही जल ऊपर जाता है, हिमालय के पास पहुंचकर ठण्डा हो जाता है और पानी के रूप में बरसता है गलियों में कूंचों में, नदियों में नालियों में और फिर समुद्र में आता है।

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

इस तरह महोदया जब टैक्स लगते हैं, तो आम जनता तो क्या हम जनप्रतिनिधियों को भी गुस्सा आता है, हम लोगों को भी दुख होता है। इस तरह से टैक्स लगाकर हम उनको किस तरह राहत देंगे, लेकिन जब वैही टैक्स के रूप में आया हुआ धन प्रयोग कर के हम लोगों को नई लाइनें देते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करते हैं, बिजली की लाइनें देते हैं, उनको डीजल और बिजली के इंजन उपलब्ध कराते हैं, तो यही कार्य हमारे और जनता के लिए अच्छे द्योतक सिद्ध होते हैं।

इस सब बातों के बावजूद मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि फर्स्ट क्लास और ए०सी० में अगर और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, तो अवश्य बढ़ाएं और नहीं बढ़ाई जा सकती हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें हम कितने लोग चलते हैं, मैं मानती हूं कि उसी के हिसाब से तो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन सैकिंड क्लास में बहुत छोटे लोग चलते हैं, उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। जो अपर क्लास की सुविधाएं हैं, वे सैकिंड क्लास में भी दी जाएं और इनको हर तरह की रियायत मुहैया की जाए। आजकल अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, आप और हम सभी जानते हैं, गर्मियों में रेलों में यात्रियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कहीं पानी नहीं है, कहीं पंखे नहीं हैं, कहीं बाथरूम गंदा है, कहीं ट्रेन में सफाई नहीं होती आदि ऐसी दिक्कतें हैं, जो उन्हें पेश आती हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए।

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान झांसी-मानिकपुर छोटी लाइन की तरफ दिलाना चाहती हूं। आज वहां पर हम फास्ट एक्सप्रेस चलाने लगे हैं, कई हमारी फास्ट ट्रेनें चलने लेगी हैं, मगर इस लाइन के बारे में मैं अनुरोध करूंगी कि इसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए, ताकि वहां के लोगों को कुछ सुविधा मिल सके।

मैं जानती हूं कि निर्माण के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा योजना कमीशन देता है। इसलिए मैं योजना आयोग से मांग करूंगी कि रेल विभाग को और अधिक पैसा दे ताकि लोगों की जो डिमाण्ड है, वह पूरी की जा सके।

महोदया, अब मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अपने क्षेत्र जिससे मैं आती हूं, खजुराहो के बारे में अनुरोध करूंगी कि यह क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। मंत्री जी ने दस्युग्रस्त क्षेत्रों को रेलवे लाइनें दी हैं, मेरा यह क्षेत्र उससे भी ज्यादा दस्युग्रस्त क्षेत्र है। वहां एक भी उद्योग नहीं है। यदि आप वहां के लिए रेलवे लाइन देंगे, तो वहां पर उद्योग पनपेंगे और वहां के लोगों को गरीबी दूर होगी, बेकारी दूर होगी दस्यु समस्या का भी अन्त हो जाएगा। अगर आप ललितपुर-बांदा रेलवे लाइन को भी दें, तो खजुराहो जैसे विश्व विख्यात पर्यटन स्थल तक लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। इस लाइन के लिए मैं जोरदार मांग करती हूं और मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी जरूर इस पर गौर करेंगे।

मंत्री जी ने ग्वालियर-हावड़ा एक्सप्रेस शुरू की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह हफ्ते में एक दिन जाती है, इसके कोई मायने नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि इसे डेली कर दिया जाए, और किसी कारण से यदि यह हल अभी संभव न हो तो इसे हफ्ते में 4 दिन कर दिया जाए ताकि वहां के लोगों को इससे राहत मिल सके। हफ्ते में एक बार से लोगों को

विशेष सुविधा नहीं हो रही है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि पहले विश्व-दर्शन ट्रेनें निकालते थे जिससे ग्रामीण लोग जगह-जगह घूमकर देश को देखते थे। हमारे देश में 4 बड़े तीर्थों के अलावा जो आज नए तीर्थ बनाये गये हैं, चाहे उनमें चितरंजन का कारखाना हो या भिलाई के या दूसरी जगहों के कारखाने हों, उन्हें भी देखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए चाहे कृषि दर्शन के रूप में या भारत दर्शन के रूप में इस तरह की ट्रेनें चलाई जाएं जिससे इस देश का किसान एक छोर से दूसरे छोर के किसानों से जाकर मिल सके, उनकी स्थिति को समझें और कठिनाइयों को देख सके और एक-दूसरे से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, उनमें मेल-मिलाप हो सके। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस तरह की ट्रेनों की सुविधा दी जाए और वह जहां सस्ती हों वहां बहुत अच्छी भी हों।

3.37 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोतमन पीठासीन हुए]

मैं आपका ध्यान इस ओर भी खींचना चाहती हूं कि आपकी झांसी दिल्ली लाइन पर चोरियां बहुत होती हैं और इन्हें रोकने के लिए आपको कोई इंतजाम करना होगा। सभापति महोदया, मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूं। मैं झांसी से रात को ट्रेन में बैठी और लेटी, और जब सुबह दिल्ली में उठी तो मेरी अटैची गायब थी। मैंने इसकी रिपोर्ट भी लिखाई, दो तीन महीने हो गये, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि नहीं मिलेगी लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे कंपार्टमैंट के अटेंडेंट और कंडक्टर दोनों ही मेरे सामने की सीट पर सो रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि अटैची कहां गई तो उन्होंने कहा कि हमने तो फाटक बन्द कर रखे थे, और यहां कोई नहीं आया गया है। मैंने कहा कि मेरी अटैची चल नहीं सकती थी, किसी ने जरूर उठाई है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के लापरवाह कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाए। मैंने यह भी सुना था कि इस तरह का निर्णय लिया गया है कि ट्रेन में जो इस तरह की चोरियां होंगी, उनके लिए ट्रेन का अटैंडैंट और कंडक्टर दोनों जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। यह चोरियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिये आपको इस तरह के लोगों के बारे में जरूर देखना पड़ेगा।

अभी मैं हरपालपुर गई थी, 15, 20 दिन की बात है मैंने कंडक्टर को कहा कि मुझे हरपालपुर स्टेशन पर उठा देना, लेकिन हरपालपुर स्टेशन पर मुझे जो वहां के लड़के लेने आये थे उन्होंने जगाया। मैंने उठकर देखा तो वह कंडक्टर शराब पीकर धुत्त पड़ा था। ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार देखा।

जो जबलपुर एक्सप्रेस है, जिसे महाकौशल एक्सप्रेस कहते हैं, उसके कंडक्टर ने एक बार नहीं अनेक बार, मैंने देखा है कि वह शराब पीकर सो जाता है और स्टेशन निकल जाते हैं लेकिन वह लोगों को जगाता ही नहीं है। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

वैसे आप रेल विभाग में जो प्रगति लाये हैं, जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, उनके लिए मैं आपको बधाई देती हूं और उन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करती हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, यह जो सूखी बधाई दी जाती है रेल

[श्री नारायण चौबे]

मजदूर को कि अच्छा काम किया, काफी लोड केरी किया, तो सूखी बधाई से तो मजदूर का पेट भरेगा नहीं।

[अनुवाद]

वास्तव में आज रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं। रोजगार पर पाबंदी लगी हुई है।

[हिन्दी]

जो रिटायर कर रहा है उसकी जगह आदमी भरती नहीं हो रहा है। इनके फिगर्स में भी हमने देखा कि एक और आदमी रेल से कमती हो गया, कैजुअल लेबर को छोड़कर, पहले 17, 18 लाख आदमी काम करते थे अब 16 लाख पर आ गये हैं और उम्मीद है कि ये भरोसा करते हैं कि 10 लाख से सब काम करवा लेंगे।

[अनुवाद]

रेलवे में लगातार छंटनी जारी है।

[हिन्दी]

और ठेकेदारों से काम करवाया जाता है, जो काम बाई डायरेक्टली डिपार्टमैंटली हुआ करता था, जैसे कि री-रेलिंग का काम है। ऐसे सब काम ठेकेदारों को दिए जाते हैं और ये ठेकेदार बहुत अच्छा कमा रहे हैं। यह क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगाते हैं। इन सब पर आपको ध्यान देना चाहिए।

1971 में जब हिन्दुस्तान की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी तो लगभग एक लाख पाकिस्तानी सोल्जर चम्बल घाटी में ठहरे थे। वे करीब दो साल तक वहां रहे थे। उनके खाने-पीने का सारा खर्चा गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया था और बाद में उन्हें तनख्वाह सहित पाकिस्तान वापिस भेज दिया था। 1981 में हमारे लोको रनिंग स्टाफ ने स्ट्राइक की थी। उनके प्रति आपको कोई उदार रवैया अपनाना चाहिए था। जिन 700-800 आदमियों को काम से निकाल दिया गया था, उनको तुरन्त काम पर लिया जाये ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं। खाली यह सूखी बधाई लेने से कुछ नहीं होगा कि रेलवे मैन बहुत अच्छा काम करते हैं।

[अनुवाद]

यदि मंत्री महोदय यह घोषणा करते है कि उन्हें वापस लिया जा रहा है तो यह भारतीय रेल कर्मियों के प्रति बहुत ही सदभावनापूर्ण कार्य होगा।

[हिन्दी]

दूसरी बात मैं कैटरिंग सर्विस के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिये। आपने कहा कि हम पैंटरी कार बाहर से मंगाने जा रहे हैं। आपने इस पर लाखों रुपया खर्च भी कर दिया। आपके कैसरोल सिस्टम में एक ही किस्म का खाना खाने को मिलता है। उसमें वही

अचार, चटनी, पूड़ी और दाल आदि सब खिचड़ी खाने को मिल जाती है। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी चेंज करें।

आप कहते हैं कि हमने स्टाफ के फायदे के लिए बहुत कुछ काम किया है। इसमें जो अन्याय होता है उसकी तरफ अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। "ऐक्सपेंडीचर आफ सैन्ट्रल गवर्नमेंट ऑन रेलवेज" के पार्ट-I के पेज 78 में लिखा है।

[अनुवाद]

'सभी प्रकार के आवासीय भवन'। वह कैसे हर चीज को मिला देते हैं? सभी प्रकार के आवासीय भवन : 692794 लाख रुपये।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह हुआ कि 692714 लाख आप खर्चा कर रहे हैं। लेकिन "मैमोरंडम इन रेलवे बजट" के पेज नम्बर में 40 में आप दिखा रहे हैं कि 20 आफिसर यूनिट्स पर आप कुल एक करोड़ 34 लाख रुपये खर्च करेंगे और खड़कपुर में जो 100 यूनिट्स रेलवे वर्कर्स के लिये बनायेंगे उस पर 6 लाख 90 हजार रुपया खर्च करेंगे। आप यह किस प्रकार से ये खर्चा कर रहे हैं यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

इसी प्रकार आपने मेडिसिन के लिये 18 करोड़ 29 लाख रुपया दिया है। अगर 16 लाख से इसको भाग किया जाए तो 114 रुपये पर-हैड पर-ईअर बनेगा। इसके बाद इसको भी अगर 12 से भाग किया जाए तो साढ़े-नौ रुपया पर-ईअर बनेगा। अगर एक फैमिली में पांच मैम्बर होंगे तो एक रुपये 50 पैसे पर-मैन के एक महीने के पड़ेंगे।

[अनुवाद]

रेलवे के प्रति यह रेल कर्मचारियों की महानता है।

[हिन्दी]

आपके केवल इतना कहने से कि रेलवे ने अच्छा काम किया है, इससे कुछ नहीं होगा।

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : सब लोग एक साथ बीमार नहीं होते हैं।

श्री नारायण चौबे : अगर आप अभी बीमार पड़ जायें तो कितना खर्चा उसमें आ जाएगा?

श्री माधव राव सिंधिया : हम आपके आशीर्वाद से बीमार नहीं होते हैं।

श्री नारायण चौबे : अब मैं क्लेम्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें बहुत डिफैक्ट्स होते हैं और क्लेम्स करने में भी डिफैक्ट होता है इसीलिए क्लेम्स में बढ़ा दिया। क्लेम जितना होना चाहिए, उतना देना चाहिए लेकिन प्रोपरली क्लेम्स सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहिए जिसमें करप्शन करके कोई क्लेम्स न दिखाए। मैंने आप से यह मांग की थी कि आप अगर थोड़ा साउथ ईस्टर्न को बचाना चाहते हैं, जो बाटलनैक हो गया है, खड़कपुर हावड़ा, उसको दूर करना चाहिए।

[श्री नारायण चौबे]

[अनुवाद]

पंसकुरा और खड़गपुर के बीच तत्काल तीसरी लाइन अवश्य ही बिछाई जानी चाहिए। पंसकुरा और हावड़ा के बीच चौथी लाइन तत्काल बिछाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं शायद 30 साल से सुनता हूं कि शालीमार टर्मिनल बन रहा है, शालीमार टर्मिनल बन रहा है लेकिन वह अभी तक नहीं बना। मैंने आपसे मांग की थी और अभी भी कर रहा हूं कि खड़कपुर, टाटानगर,

[अनुवाद]

पूर्वी भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण तथा बहुत बड़े नगर हैं।

[हिन्दी]

उसमें हमको आफटर, 9.30 ए० एम० टू 3 पी०एम० के बीच में 12 बजे के करीब एक गाड़ी होनी चाहिए, अभी खाली एक गाड़ी है। 12 बजे नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, 11.55 पर करो। अब की बार आपने दीघा तालुका तक के लिए क्या मीगर सैंक्शन किया यह आप देखिये।

[अनुवाद]

यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

लास्ट ईयर जो दिया था उससे भी कम इस साल दे रहे हैं।

लास्ट पाइण्ट मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, डैफिनेटली हमारी रेलवे की परफोरमेंस पहले से इम्प्रूव हुई है लेकिन रेलवेमैन की कण्डीशंस इम्प्रूव नहीं हुई हैं, उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। माडर्नाइजेशन और टैक्नोलोजी के नाम पर जो करैप्शन हो रहा है उसकी ओर मैंने आपका ध्यान खींचने की बाइ आइटम कोशिश की है, इसको आप जरा देखिये। हमारे लिए माडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी है लेकिन माडर्नाइजेशन करने के नाम पर लूट करना जरूरी नहीं है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि हम इलैक्ट्रिक लोको बाहर से मंगा रहे हैं इसका हमको 8-10 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है जो 6000 हार्सपावर का है। हम 4000 हार्सपावर लोको अपने यहां बना रहे हैं जिस पर चितरंजन में एक करोड़ 60 लाख रुपये खर्चा होता है। हमको अपना आर० एण्ड डी० बढ़ाकर, यहां पर बनाने के बजाय हमको पता नहीं।

[अनुवाद]

जब हमारे तीन रेल इंजन जापान के दो रेल इंजनों जितना कार्य कर सकते हैं तब आप जापानी रेल इंजनों को खरीदने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

सिमिलरली मैंने ट्रैक के बारे में बोला, मैंने पैण्ट्री कार के बारे में बोला और जो हम कैरिज को मंगा रहे हैं।

[अनुवाद]

हम बोगियों को बाहर से मंगवा रहे हैं।

[हिन्दी]

इन बोगीज में जो स्टील इस्तेमाल होता है।

[अनुवाद]

इस्पात भारत में उपलब्ध नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

नैचुरली अगर आप यह बोगीज मंगाते हैं तो स्टील के लिये आपको एवी ईयर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, आप यह भी जरा देखिये।

मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम बातों को आप देखेंगे और रेलवेमैन के बारे में मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं।

[अनुवाद]

कृपया भर्ती पर पाबंदी तुरंत हटा लीजिये। ठेकेदारों को रेलवे की सम्पत्ति मत दीजिए और उनके द्वारा रेलवे की सम्पत्ति लूटी गई है उसे वापस लीजिए।

[हिन्दी]

और लोको रनिंग स्टाफ के जिन भाइयों को 1981 में काम से निकाल दिया गया उनको फौरन काम पर ले लीजिए, यही कहकर रेलवे आपके लिए शुभ हो, आप अच्छा काम करें, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं यह जो अनुपूरक मांगें हमारे रेल मन्त्री जी ने प्रस्तुत की हैं, इनकी परफोरमेंस देखते हुए इनके बिना कहे भी हम पास करने के लिए तैयार हैं लेकिन एक बहाना है, जिस बहाने से चौबे जी भी कुछ कह जाते हैं और पांडे जी भी कुछ कहने जा रहे हैं···

श्री नारायण चौबे : लेकिन सिन्धिया जी सुनने वाले नहीं हैं।

श्री मदन पांडे : कोई सुने, नहीं सुने, हमारा आपका काम कहना है और सुनेंगे भी जब बार-बार कहेंगे। (व्यवधान)

अभी विद्यावती जी ने ट्रेंस में चोरियों का जिक्र किया है, मैं भी दिल्ली से झांसी के बीच जब सफर करता हूं तो अक्सर लोग ऐसा कहते रहते हैं कि इसी बीच ज्यादा चोरियां होती हैं···

[श्री मदन पांडे]

क्यों होता है—यह अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। चोरियों का यह जो मामला है, मेरा ख्याल है कि पहली बार हमारे रेल मन्त्री जी ने ट्रेनों में कंडेक्टरों को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था की है जो दो टीयर के डिब्बे हैं उनमें जिम्मेदारी फिक्स की जाए, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो। लेकिन अभी मैं और कमला सिंह जी रात का सफर करके आये हैं 29 अप में, बाकी और लोगों की सम्पत्ति गायब हुई तो क्या खुशीसियत है, वहां तो आपके पर्दे तक गायब हैं जो कि उसमें लगे हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं रेल मन्त्री जी से कि आपकी नीयत बहुत बढ़िया है, आपका परफार्मेन्स बहुत बढ़िया है लेकिन जो लागू करने वाले हैं आपके अहकामात को, जरा उन लोगों को भी सम्हालने की जरूरत है। यह किस तरह से हो, इसके लिए कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा खयाल है कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं और मैं आशा करता हूं आइन्दा इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं होंगी।

रेल मन्त्री जी, मेरी शक्ल देखकर आपको छितौनी-बगहा और भटनी-वाराणसी लाइन ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती होंगी लेकिन मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए भी यह कहने के लिए मजबूर हूं कि उत्तर-पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तीन करोड़ जनता का भविष्य और वर्तमान दोनों के दोनों ही पिछड़ रहे हैं और वहां पर विकास की कोई किरण इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि छितौनी और बगहा के बीच तीन किलोमीटर जमीन पर पुल न बनने से 300 किलोमीटर का सफर तय करके जनता को इधर से उधर जाना पड़ता है। उस पुल का निर्माण करने के लिए फाइनेन्सेज की बात आपने कही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन हैं उनसे भी मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। जिस प्रकार से आपने रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा सैंकड़ों करोड़ इकट्ठा किया उसी प्रकार से इस पुल को बनाने के लिए भी सौ करोड़ रुपया आप उधार ले लीजिए और जो सूद देना हो वह दीजिए और पुल बनाने के बाद टोल-टेक्स लगाकर वह पैसा हमसे वसूल कर लीजिए लेकिन आप वहां पर रेल-रौड ब्रिज बनवाने की व्यवस्था कीजिए। यह बात मैं केवल अपनी दृष्टि से ही नहीं कह रहा हूं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी उस पुल को बनाना बड़ा आवश्यक है। मुझे इतने जोर से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास इतनी बड़ी और भयंकर नदी गण्डक को पार करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सिर्फ एक ही जगह पर ही पुल है सोनपुर और हाजीपुर के बीच में। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां है, खुदा न ख्वास्ता यदि कभी चीन या दूसरे देशों से किसी वक्त हमारे लिए खतरा हुआ तो हमारे लिए एक आल्टरनेट रूट की जरूरत भी पड़ेगी। अतः सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पुल की बड़ी आवश्यकता है।

इसके अलावा उस बैकवर्ड रीजन के विकास के लिए भी इसकी बड़ी आवश्यकता है। उस पूरे क्षेत्र का विकास भी इसके ऊपर निर्भर करता है। मैंने इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से भी अनुरोध किया था। हमारे सिन्धिया साहब भी उस दिन वहां पहुंच गए थे भटनी-वाराणसी की कुल योजना 1 करोड़ रुपये की थी। उसके लिए अब तक 24 करोड़ रुपया रेल मन्त्री जी उदारतापूर्वक दे चुके हैं। वह रुपया कहां गया, यह तो वही जानें लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 54 करोड़ की आवश्यकता है। 8 करोड़ 60 लाख रुपया देकर उसमें अगर 42 करोड़ रुपये की राशि भी दे दी जाए तो 6 महीने के भीतर वह बन सकता है। और इस प्रकार से पूर्वी जिलों की तीन करोड़ की

आबादी के विकास का जो रास्ता रुका हुआ है वह खुल सकता है। मैंने इन दोनों प्वाइन्ट्स पर आवश्यकता से अधिक जोर देकर बात कही है। वैसे मैं समझता हूं कि कम जोर देकर भी बात कही जाने पर वे ध्यान देंगे।

अब मैं हमारे पूर्वी जिलों में जो गाड़ियां जाती हैं उनकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया है, बम्बई को लखनऊ से एक नई गाड़ी दे दी है। सप्ताह में दो बार चलती है, मैं चाहूंगा कि वह रोजाना चले। अगर श्री दत्ता सामन्त से मुठभेड़ लेनी है तो बम्बई पहुंचने के लिए रोजाना हमको मौका दीजिए।

श्री माधवराव सिन्धिया : वे न आपके यहां पहुंच जाएं।

श्री मदन पांडे : ये हमारे यहां पहुंचे और हम उनके यहां पहुंचे। इसके अलावा गोरखपुर को बम्बई से जोड़ दीजिए—यही मेरा आपसे अनुरोध है।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार पूर्वी जिलों में और पश्चिमी बिहार में छोटी लाइन पर दौरा होना चाहिए। बड़ी लाइन आपने हमको बहुत अच्छे ढंग से दी है और हम उसके लिए प्रशंसा करते हैं। लेकिन छोटी लाइन में जिस तरह के कोचेज, मिस-कनैक्शन्स और दुर्व्यवस्था है, यदि रेल मन्त्री जी का एक बार उस इलाके में पदार्पण हो जाए तो बहुत-कुछ सुधरने की आशा है। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर को बेस बनायें। मैं आपके साथ बैठकर कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार हूं। ब्रान्च लाइनों पर जिस-जिस तरफ जाना है, उस तरफ हम लोगों के साथ बैठकर चलें, तब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्या-क्या व्यवस्था होनी चाहिए और आप क्या चाहते हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : श्री महावीर प्रसाद जी गोरखपुर के ही हैं, आप उन्हें समझा दीजिए, वे मुझे समझा देंगे।

श्री मदन पांडे : हमें महावीर प्रसाद जी और आपमें कोई अन्तर मालूम नहीं पड़ता है। महावीर प्रसाद जी आपके पास पहुंच जायेंगे, तो उनको भी आपकी ही तरह से समझना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि फाइलें पड़ी हुई हैं और सर्वे हो चुका है। महावीर प्रसाद जी की खुद की तहसील बांसगांव है। जब हम कक्षा चार में भूगोल पढ़ते थे तो कहा जाता था—ऐसी कौन सी तहसील है गोरखपुर की जहां रेलवे लाइन नहीं है? तो कहा जाता था—बांसगांव। सहजनवा से दोहरीघाट, दोहरीघाट से आजमगढ़ और मउ को जोड़ने वाली लाइन अभी तक पड़ी हुई है। लेकिन सहजनवा से दोहरीघाट जाने वाला जो रास्ता है, उस पर लाइन नहीं बना रही है। मैं चाहूंगा कि आप उन फाइलों को निकलवाइए और देखिए कि यदि जरूरत है तो फिर सर्वे कीजिये। इसके अतिरिक्त गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली नहीं बरौनी से दिल्ली, क्योंकि गोरखपुर का नाम लेने से श्री ललितेश्वर शाही बिगड़ जाते हैं। इसलिए बरौनी से दिल्ली जो गाड़ी आती है, उसके बारे में कई बार लोगों ने कहा है। आपकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन पहले वैशाली दस बजे चलकर यहाँ आठ बजे पहुंचती थी। अब भी दस बजे चले, आज 11.40 बजे चलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ट्रेन साढ़े 10 बजे 11 बजे आती है, उसे सवेरे 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे पहुंचाइए, चाहे तो थोड़ा जल्दी बरौनी से रवाना 9.30 बजे कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिल्ली से बरौनी एक ऐसा मौका दे दीजिए कि हम पार्लियामेंट में भी आ जायें और जो जनता वहां से आती है, वह दिन भर काम करके शाम को गाड़ी पकड़ने का मौका मिल जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। गोरखपुर से हावड़ा के बीच में दो

[श्री मदन पांडे]

दिन सप्ताह में गाड़ी आती है सुपरफास्ट। यह गाड़ी दस बजे चलती है और दूसरे दिन सवा चार बजे पहुंचती है। इसमें भी ढंग से प्लानिंग कीजिए। अपने अधिकारियों से कहें कि यह गाड़ी एक बजे चले ताकि गोरखपुर में भी काम करके लोग चल सकें और वहां पांच बजे पहुंचे, छः बजे पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उस ट्रेन की उपयोगिता बढ़ेगी।

हमारे यहां अन्धविश्वास का अभी दौर है। जिन दिनों में यह गाड़ियां चलाई जाती हैं, वे दिन दिशाशूल के दिन समझ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें दो दिन और जोड़ दीजिए, ताकि दोनों तरह के लोगों को एकोमोडेट किया जा सके—यही मेरा आपसे अनुरोध है। एक गाड़ी गोरखपुर से दिल्ली देने का सवाल है, उसे किसी तरह से निकालने की व्यवस्था कीजिए—आपने इस बात को कहा था। अमान परिवर्तन की योजना गोरखपुर से सिसवाबाजार छितौनी के लिए है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर है। जो ट्रेन गोरखपुर से सिसवाबाजार जाती है, उसमें 4 घण्टे लग जाते हैं। कहा जाता है कि लोग गाँव से शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर मुनासिब नहीं है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। इस तरफ किसी का ध्यान इसलिए भी नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी गोरखपुर से सांसद होने के बाद उस लाइन पर बहुत कम आते हैं। आपकी निगाह भी उधर नहीं जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार आइए और अपने अधिकारियों से भी आने के लिए कहिए। डेढ़ घण्टे से अधिक समय 66 किलोमीटर कवर करने में नहीं लगना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

4.00 म० प०

इसके अलावा गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन जाती है और वह नेपाल सीमा के किनारे होकर जाती है। उसका अमान परिवर्तन किया जाए। नेपाल के साथ हमारे व्यापार की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं और दिन दूनी और रात चौगुनी उसको बढ़ाने के लिए अमान परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है।

मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया और गौर से सुनने के लिए रेल मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : रेल बजट पर चर्चा हो चुकी है और अब हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें रेल मन्त्री महोदय पर भी चर्चा करनी चाहिए और मन्त्री महोदय की प्रशंसा करने में मैं श्री पांडे का समर्थन करता हूं। युवा, जोशीले, सक्रिय और अच्छे दिखने वाले रेल मन्त्री महोदय ने बजट काफी अच्छी तरह से पेश किया है और इस बारे में दो राय नहीं हैं। लेकिन यदि कोई इस देश में रेलों के सम्पूर्ण काम-काज पर नजर डाले तो पता लगता है कि पिछले तीन वर्षों से हर चीज स्थिर सी हो गई है। रेल मार्गों की लम्बाई 61,850 किलोमीटर पर ही रुक गई है। और आगे विकास नहीं किया गया है। इसके विपरीत इसमें कमी हो रही है। 1985-86 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1986-87 में कर्मचारियों की संख्या में एक हजार की कमी हुई है। यह संख्या 1985-86 में 1613.3 हजार से कम होकर 1986-87 में 1612.2 हजार रह

गई। इसी प्रकार इन दो वर्षों के दौरान वैगनों की संख्या में भी कमी हुई है। इन सभी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न भागों का विकास होने के बावजूद और प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक रेल लाइनों की विभिन्न मांगों के बावजूद इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण संसाधनों का उपलब्ध न होना है। बजट का 93 प्रतिशत पुरानी रेल लाइनों के रख-रखाव पर ही खर्च हो जाता है और नई रेल लाइनों पर धन खर्च करना व्यावहारिक रूप में असम्भव है। यही कारण है कि लगभग 20 वर्षों से लम्बित 35 रेल लाइनों में से हम मुश्किल से एक या दो को ही पूर्ण कर सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1980 के बाद से लगभग 900 किलोमीटर रेल लाइनें और बिछाई गई हैं। औसत निकालने पर यह केवल 120 किलोमीटर प्रति वर्ष आता है। इस मन्द गति से कार्य करके हम वास्तव में क्या प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य ही सारी व्यवस्था में गति लाने के लिए माननीय मन्त्री महोदय की अवश्य ही प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी इतनी ही सफलता प्राप्त हुई है कि प्रति वर्ष 120 किलोमीटर रेल लाइन ही बिछाई गई हैं। यदि देश में इसी प्रकार कार्य चलता है तो यह उचित समय है जब सरकार को विकास की गति बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री पांडे ने कहा है कि लोग अग्रिम रूप में धनराशि देने के लिए भी तैयार हैं। वे धनराशि को ब्याज सहित वापस सरकार को देने के लिए भी तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इन नये उपायों पर हमें अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय ने पहले ही कहा है कि बम्बई में महानगरीय रेलवे का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार नहीं ले रही है और वहां पर रेलवे की देखभाल राज्य सरकार या निगम या स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए। इसके अनुसार बम्बई में मांकुर और वाचि में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें सरकार ने 80 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। मेरा सुझाव है कि सरकार को विकास के ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। अन्यथा भविष्य में रेलों के विकास के बहुत ही कम अवसर रह जाएंगे क्योंकि योजना आयोग द्वारा आवंटित धनराशि में भी धीरे-धीरे कमी होती जा रही है। यह 15 प्रतिशत से कम होकर 7 प्रतिशत रह गई है। यदि उसी तरीके से कार्य चलता रहा तो हम किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं कर सकते और संसद सदस्यों की मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती और लोगों की आवश्यकताएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री चाहे कितना ही कुशल क्यों न हो यदि हम इसी गति से कार्य करते रहे तो भी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश की सीमाओं के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में तटीय क्षेत्र हैं। केवल रेल मार्गों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की बजाय हमें जहाज और स्टीमर परिवहन के माध्यम से अपने जलमार्गों की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए। इससे अवश्य ही रेलवे का बोझ कम होगा। मैं कोकंण क्षेत्र से आया हूं जहां पर रेलवे की और अधिक सुविधाओं की अत्यधिक मांग है। गोवा से मंगलौर तक हम अधिक से अधिक जल परिवहन तरीकों की सम्भावनाओं का पता लगा सकते हैं। जब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सीमाओं का लगभग 80 प्रतिशत भाग तटीय क्षेत्र के रूप में है तो हमें जहाजों और स्टीमरों के जरिये जल में परिवहन तरीकों के विकास पर अवश्य ही पूरा ध्यान देना चाहिए। मंत्री महोदय जब पिछली बार बम्बई गए तो उन्होंने देखा कि बम्बई में उपनगरीय रेलों को 9.5 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

[डा० दत्ता सामंत]

इस देश के लगभग 70 प्रतिशत उपनगरीय यात्री बम्बई से आते हैं। 2400 करोड़ रुपये की कुल वसूली में से लगभग 1600 करोड़ रुपये केवल बम्बई से प्राप्त होते हैं। अत: मैं कहता हूं कि बम्बई के लोग विकास के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। इस वर्ष जो वृद्धि आपने की है उससे आप हमारे बम्बई के लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। पासधारियों में से 70 प्रतिशत बम्बई के हैं। अत इसे 4 रुपये से 8 रुपये तक बढ़ाकर आप बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। अत: आप जो 640 करोड़ रुपये इकट्ठे कर रहे है उसमें से 400 करोड़ रुपये केवल बम्बई से ही है।

बम्बई में चर्च गेट और मैरीन लाइन दो स्टेशन हैं। इन दो स्टेशनो के बीच ढाई कि० मी० की दूरी है—आप 1.50 पैसे लेते हैं। किराये में जो यह वृद्धि हुई है, जो बम्बई के लोग देने जा रहे हैं, इसका प्रभाव मुख्यत: गरीब लोगों पर पड़ेगा। इनमें पासधारी भी हैं। सीजन टिकटधारी भी हैं। आरक्षित टिकटधारी भी हैं। यह भार मुख्यत: बम्बई के लोगों पर ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था कीजिये क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मुलन्द स्टेशन का निर्माण किया था। यह बहुत ही तंग है। वहां बहुत जगह है। आप प्लेटफार्म को थोड़ा ऊंचा क्यों नहीं बनाते हैं? यदि आपके पास धन नहीं है तो मैं अपने कर्मकारों से कहूंगा कि इसके लिए योगदान करें। आप प्लेटफार्म को 100 फुट ऊंचा कीजिये। सिगनल को थोड़ा ऊंचा उठाया जाये।

हमारी बम्बई की जनता जो छोटे-मोटे सुझाव दे रही है, उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। कृपया हमारी बम्बई की जनता के प्रति सौतेला व्यवहार न कीजिये। हम बहुत योगदान दे रहे हैं। कम से कम आप बम्बई के लिए कुछ यात्री सुविधायें उपलब्ध कीजिये।

उदाहरण के तौर पर विद्युत सूचक ही लीजिये। रात के समय और सवेरे भी यह मुश्किल से दिखाई देते हैं।

प्लेटफार्म के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इतनी भीड़ होती है कि लोग प्लेटफार्म पर खड़े भी नहीं रह सकते हैं। केवल 2 लाख रुपये मात्र अथवा ऐसी ही राशि से हम इसका सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिये अधिक धन चाहिए।

कोंकण को ही लीजिए गोआ से मैंगलौर, सिंधुदुर्गा और रत्नागिरी जिले में—जहां से प्रो० मधु दंडवते चुनकर आये हैं, जो मेरा पैत्रिक स्थान है, यह रेलवे स्टेशन से 10 कि० मी० दूर है। ऐसा केवल उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में ही नहीं है। महाराष्ट्र में— इन दो जिलों में भी ऐसा ही है। रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। लगभग 200 बसें प्रति दिन बम्बई से गोआ जाती हैं। लगभग 6000 यात्री बम्बई और गोआ आते-जाते हैं। कुछ धनराशि देने को भी तैयार हैं।

जहां तक इसके सर्वेक्षण का संबंध है, उन्होंने इसे तीन वर्ष में पूरा किया है। अब माननीय मंत्री कहते हैं कि हम योजना आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इसे जल्दी पूरा करें।

मराठवाड़ा को ही लीजिए। 5 करोड़ रुपये की जो राशि आबंटित की गई वह बहुत कम थी। हाल में प्रधान मंत्री ने माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच-पड़ताल करेंगे।

इसी प्रकार औरंगाबाद को लीजिए। मैं नहीं जानता कि संसाधनों की कमी में वह क्या करने जा रहे हैं। मैं वास्तव में मुझे इस सरकार के काम करने के ढंग पर तरस आता है। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी मूल कृत्यों में परिवर्तन कीजिए और जनता को संतुष्ट कीजिए।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं श्री सिन्धिया को कुछ बातें कहने के लिए उठता हूं, जो आज हमारे सबसे अधिक बुद्धिमान युवा मंत्री हैं।

आपके द्वारा मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में गरीबों में सबसे गरीब लोगों के लिए जो परिवहन का एकमात्र साधन है वह रेलवे है। मैं इस भव्य सभा में वास्तव में कोई गलत बयान नहीं देना चाहता हूं। मैं बारसाट में अपने घर से कलकत्ता अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र से कलकत्ता कभी भी रेल से नहीं जाता हूं। मेरे प्यारे सिन्धिया आप देख रहे हैं कि रेलों का रख-रखाव किस प्रकार किया जा रहा है। अच्छे लोगों के लिए रेल से यात्रा करना सचमुच असम्भव है।

सबसे पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि अनेक मामलों में बल्ब ही नहीं हैं। मंत्री महोदय, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत बार बल्ब लगाए जाते हैं किन्तु फिर पता नहीं कौन निकाल लेता है। अत: और अधिक सुरक्षा प्रबन्ध होने चाहिए ताकि यात्रियों के लिये सुविधाओं में रुकावट न आए।

दूसरा, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से कहा था कि माननीय मंत्री ने पहले ही लोक सभा में यह घोषणा की थी कि बारसाट-बोनगांव लाइन दोहरी होगी। किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में केवल 10 लाख रुपये रखे गये हैं। यह रकम उस काम के लिए थोड़ी सी मिट्टी हटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं युवा मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह बनगांव लाइन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आखिरकार यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है, और भगवान न करे हमें अपनी सेना के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अत: इसे बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा किन्तु मैं मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि उनके पास किराया बढ़ाने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं था। किन्तु क्या वह गरीब लोगों अर्थात दूसरे दर्जे के यात्रियों का किराया बढ़ाने पर पुन: विचार नहीं कर सकते ? मैं अपने निर्वाचकों की ओर से एक निवेदन करता हूं कि वह कृपया किराये में वृद्धि को स्थगित करें। यदि आवश्यकता हो तो वह वातानुकूलित श्रेणियों का किराया बढ़ा दें ताकि उन्हें धन की हानि न हो। कम से कम वह यह देख लें कि अतिरिक्त धन गरीब वर्गों से न जुटाया जाए।

मेरे मित्रों ने कहा कि मैं मक्खन लगा रहा हूं। यह सही नहीं है। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि मुझे इस युवा मंत्री पर पूरा विश्वास है। आजकल रेल अत्यन्त कुशल तरीके से चलाई जा रही हैं। कल मैं राजधानी एक्सप्रेस से आया। मैंने देखा कि गत 2 या 3 वर्षों में रेल सेवाओं सुधार हुआ है।

***श्री मानिक रेड्डी** (मेडक) : सभापति महोदय, हम रेल मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहें हैं। महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए प्रसन्नता हो रही है और मैं अपने युवा, कर्मठ और कुशल रेल मंत्री के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। मैं यह मुद्दे इस आशा से उठा रहा हूं कि माननीय मंत्री इन्हें अतिशीघ्र लागू करेंगे।

*मूलत: तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री मानिक रेड्डी]

महोद्वय, दो सर्वरूम नगरों हैदराबाद और सिकन्दराबाद के चारों ओर एक परिक्रमा रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है। खुदाई का कुछ काम किया गया था और प्रस्ताव त्याग दिया गया। हैदराबाद की जनसंख्या 30 लाख है और यह एक महत्वपूर्ण नगर है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि परिक्रमा रेलवे के निर्माण का काम जितनी जल्दी हो सके आरम्भ किया जाये। महोदय, आंध्र प्रदेश में मेडक में कोई रेल लाइन नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेडक से संसद के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् मेडक और सिद्दीपेंट से होते हुए पटमचेरू से निजामाबाद और करीमनगर तक एक रेल लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण ठीक तरह से हुआ किंतु मुआवजे के भुगतान पर विवाद हुआ। केन्द्र ने मांग की कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। इस विवाद के कारण प्रस्ताव ही छोड़ दिया गया। सारा काम ठप्प हो गया है। मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि निर्माण कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए उपाय करें और देखें कि रेल लाइन जल्दी तैयार हो जाये। रेल मंत्री को मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस काम के लिए 6 करोड़ रुपये तेलुगू जनता सदा मंत्री महोदय के प्रति आभारी रहेगी।

महोदय, कामारेड्डी कस्बे में एक ऊपरि पुल है। इस ऊपरि पुल का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। यह एक बहुत ही तंग पुल है और कस्बे की जनसंख्या 20 गुना बढ़ गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऊपरि पुल के विस्तार के लिए कदम उठायें।

महोदय, आंध्र प्रदेश में 3 अलग-अलग क्षेत्र हैं अर्थात् आंध्र, रॉयलसीमा और तेलंगाना। इस समय आंध्र और रॉयलसीमा के बीच अधिक परिवहन सुविधा नहीं हैं। अत आंध्र क्षेत्र में ओंगोल को रॉयलसीमा में नन्दयाल से जोड़ा जाना चाहिए। इस रेल लाइन के निर्माण से आंध्र प्रदेश के दो क्षेत्रों को और अधिक जोड़ने और रॉयलसीमा क्षेत्र के समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

महोदय, विजयवाड़ा के निकट रयानापाडु में रेल डिब्बों की मरम्मत की कार्यशाला है। इस कार्यशाला में कार्यरत कुछ ही कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध है। इनमें से बहुत लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। वह अधिक किराया देकर गैर-सरकारी मकानों में रहते हैं। दुर्भाग्य से इन कर्मचारियों को अब मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है। इन कर्मचारियों को यह भत्ता एक साल के लिये दिया गया। किन्तु इसके बाद मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय के सामने यह मुद्दा इस आशा से उठाना चाहता हूं कि वह अपने मंत्रालय के अधिकारियों को शीघ्र यह आदेश दें कि उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाये जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं।

विशाखापत्तनम न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि समस्त देश में एक विख्यात स्थान है। वहां एक बहुत बड़ा शिपयार्ड है। वहां प्रसिद्ध विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र बन रहा है। नगर में पहले ही अधिक भीड़भाड़ है। बहुत से लोग रोज अन्नाकापल्ली और विजयनगरम से विशाखापत्तनम अपने काम के लिए जाते हैं।

अतः अन्नाकपाली और विजयनगरम से विशाखापत्तनम तक एक शटल रेलगाड़ी की व्यवस्था

की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी इस मांग की ओर ध्यान देंगे और शटल रेलगाड़ी उपलब्ध करने के उपाय करेंगे।

महोदय, कुछ समय पूर्व पेंदुर्थी में एक ऊपरि पुल की मंजूरी दी गई थी। किन्तु निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दें।

विजयवाड़ा के निकट अजितनगर में एक भूमिगत पुल की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है किन्तु निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस भूमिगत पुल का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करवाया जाये।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में चिराला एक महत्वपूर्ण कस्बा है। मैं स्वयं चिराला गया था। चिराला तेजी से एक वाणिज्यिक व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। व्यापारी लेन-देन के लिहाज से इसकी तुलना बम्बई से की जा सकती है। नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद और मद्रास के बीच चिराला से होते हुए जाती है। किन्तु यह एक्सप्रेस चिराला में नहीं रुकती है। चूंकि चिराला एक व्यापार केन्द्र है अतः नवजीवन एक्सप्रेस को चिराला में रोकना लाभदायक भी है और वांछनीय भी। में गम्भीरतापूर्वक मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अहमदाबाद और मद्रास के बीच चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस को चिराला में रोकने की व्यवस्था की जाए।

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : एक-दो बातें ही मुझे कहनी हैं। सिंधियां जी मेरी प्राब्लम को जानते हैं, मैं बार-बार क्या कहूं। इन जैसे और मंत्री अगर हाउस में हो जायें तो हिन्दुस्तान बड़ी तरक्की कर सकता है, इसमें दो राय नहीं हैं। हम दो रेलवे लाइन से गुजरते हैं एनी रेलवे और नार्दर्न रेलवे। एक तो स्टेशन इन्होंने दे दिया है। बल्लूपुर को फुल फ्लेज्ड स्टेशन बना दें। आप एक बार बरन टू एटा चलें और देखें, वहां पर ब्रांच लाइन को भी प्राथमिकता दें। जहां आपकी इन्कम नहीं है, आप वहां फेल हो गये हैं, उनके वजूहात मालूम करें कि इन्कम क्यों कम है। मैं समझता हूं जब तक आप इसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे तब तक इसकी इन्कम गिरती ही जायेगी। इसका एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है। एटा टू फर्रुखाबाद कर दें इसी सैवंथ प्लान के अन्दर इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से प्लानिंग कमीशन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वह रेलवे विभाग को अधिक से से अधिक फण्ड्स उपलब्ध करवाये ताकि हम लोग जिन समस्याओं को रेल मंत्री जी के सामने पेश करते हैं, वे उनके समाधान में हमारी सहायता कर सकें और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। यदि उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वे क्या कर पायेंगे।

आगामी पहली तारीख से रेलवे का टाइम टेबल चेंज हो रहा है। मैं यहां पिछले तीन सालों से एक एक्सप्रेस ट्रेन के सम्बन्ध में मांग करता आ रहा हूं कि आप 57 अप और 58 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी को, जो कासगंज से लखनऊ तक जाती है, सिर्फ दो मिनट के लिये हमारे दरियावगंज रेलवे स्टेशन पर रोक दें। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। किसी गाड़ी को कहां कहां ठहराना उचित है,

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको इस बात पर विचार करके ही निश्चय करना चाहिए कि कहां से ज्यादा पैसेंजर्स मिल सकते हैं, कहां से आपको ज्यादा आमदनी हो सकती है। तीसरे, मेरे इलाके में पड़ने वाले बल्लूपुर हाल्ट को यदि आप फुल-फ्लैज्ड स्टेशन में परिवर्तित कर दें तो वह रेलवे के लिए बहुत बड़ी आमदनी का जरिया बन जाएगा और लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। इसके बारे में लोगों की काफी समय से मांग है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप 57 अप/58 डाउन के दरियावगंज स्टेशन पर ठहराये जाने का सर्वे करायेंगे, वैसे तो मैं समय-समय पर मंत्री जी से मिलकर उन्हें बताता रहता हूं, उन्हें भी सारे हालात मालूम हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे मेरी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक गौर फरमायेंगे और अमल करेंगे।

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : चेयरमैन साहब, मैं रेलवे बजट और सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रान्ट्स का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत ही कम समय में अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा। मैंने पिछले तीन वर्षों में अनेक बार अपनी एक विशेष समस्या की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे खुशी है कि उन्होंने उस समस्या को एप्रीशियेट करते हुए कार्यवाही की है और कई दूसरी समस्याओं का समाधान भी किया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मैंने आपके सामने विशेष रूप से यह प्रस्ताव किया था कि आसनसोल ईस्टर्न कोल लिमिटेड का महत्वपूर्ण केन्द्र है जहां बिहार भर से आये हजारों मजदूर काम करते हैं। परन्तु आसनसोल और उसके सराउन्डिगं एरियाज में जाने-आने के लिये कोई आल्टरनेटिव नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। वहां से बिहार के दूसरे हिस्सों में पहुंचने के लिये मजदूरों को भारी कठिनाई होती है। मैं इस मामले को पिछले कई वर्षों से सदन में भी उठाता आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है माननीय रेल मंत्री जी बड़ी संख्या में मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए, मेरी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे।

मैं यहां संथाल परगना इलाके से आता हूं जो आदिवासी क्षेत्र है। संथाल परगना में चार जिले हैं। यद्यपि इसका इलाका बहुत विस्तृत है परन्तु उसमें केवल एक या दो जगहों पर ही रेलवे लाइन बिछी है। यहां तक कि संथाल परगना का डिवीजनल मुख्यालय दुमका भी अभी तक रेलों से नहीं जुड़ पाया है, वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां दूसरे क्षेत्रों में भी रेलवे का विस्तार बहुत नगण्य है। हमारी सरकार की यह नीति रही है कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर किया जाए और सभी इलाकों का समान रूप से विकास हो। जब हम सभी आदिवासी इलाकों का इकानोमिक डैवलपमैंट चाहते हैं, रीजनल इम्बैलेंस को समाप्त करना चाहते हैं और इसके प्रति वचनबद्ध हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार की नीति का अनुपालन करते हुए ट्राइबल इलाके में रेलों का अधिक विस्तार कीजिए ताकि वहां के लोग भी विकास की धारा में दूसरे लोगों के साथ आगे आ सकें। आप हमारे डिवीजनल मुख्यालय दुमका और मद्दूपुर को रेलवे लाइनों से जोड़िये। संथाल परगना में आप अब तक चार रेलवे लाइनों का सर्वे करा चुके हैं परन्तु फण्ड्स की कमी के कारण या दूसरे कारणों से, किसी भी लाइन को अभी तक पूरा कराया नहीं जा सका है।

मैं यहां रेल मंत्री जी को देश में कुछ नई गाड़ियां चलाने के लिये जहां धन्यवाद देना चाहता

हूं वहीं उनके ध्यान में यह तथ्य भी लाना चाहता हूं कि आपने देश के कई इलाकों में नई रेल गाड़ियां चलाने की घोषणा की परन्तु शायद आप बिहार और बंगाल को भूल गये। इन इलाकों में आपने कोई नई रेलगाड़ी न तो इस साल चलाई और न पिछले साल चलाई। पिछली बार हफ्ते में दो दिन चलने वाली एक ट्रेन अवश्य दी थी परन्तु इस बार वह भी नहीं है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की राजधानी पटना से मद्रास और बम्बई जाने के लिये कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं है जो वहां से डाइरेक्ट बम्बई या मद्रास पहुंच सके।

चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से रेल ट्रेफिक और रेल कर्मचारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जो मेरे माननीय साथियों ने कमियां बताई हैं, उनको दूर किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि इधर कई वर्षों से रेलवे कर्मचारियों के कल्याण और उनके जीवन-स्तर को आगे बढ़ाने के लिये कई क्रांतिकारी कदम उठाए गये हैं। इसलिए यह बात नहीं है कि रेलवे के कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उनका ख्याल रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि रेलवे के कर्मचारी पूरे तौर पर संतुष्ट हैं।

मैं एक व्यक्तिगत तौर पर बात कहना चाहता हूं कि हमारे वहां एक शेड स्टीम का बना हुआ था, स्टीम एबोलिशन के नाम पर उस शेड को वहां से उठा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वहां स्टीम ही चल रहा है। मंत्री महोदय ने 2000 सन् तक डीजलाइजेशन सम्पूर्ण भारत की रेलों को करने का जो संकल्प लिया है, उस योजना के तहत वहां से उस शेड को हटाया गया और शायद अफसरों ने कागजों में शो भी कर रखा है कि उसका डीजलाइजेशन हो गया है, किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि आज भी वहां स्टीम का ही इंजन चलता है। आसनसोल से झाझा चलाते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है आप स्टीम इंजन को झाझा से या दानापुर से लाते हैं, तो उसमें तो और ज्यादा खर्च पड़ता है। कोयले की चोरी होती है या दूसरे खर्चे भी पड़ते हैं। जब आपने उस शेड को समाप्त किया है, तो आप वहां पर डीजल का शेड दें। मेरी इन बातों को आप एग्जामिन कराएं। मैं कई साल से यह डिमाण्ड करता आ रहा हूं कि आपने वहां पर स्टीम शेड खत्म कर दिया है तो वहां पर डीजल शेड बना दीजिए ताकि लोगों की लौंग टाइम से चली आ रही डिमांड पूरा हो सके।

[अनुवाद]

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होने इस वाद विवाद में भाग लिया।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने उठाये गये सभी मुद्दों का विस्तृत उत्तर दिया है।

वाद-विवाद आज फिर उसी दायरे में है और नई लाइनों के लिए पुरजोर मांग की गई है। मैंने बार-बार यह बात स्पष्ट की है कि साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए हमें रेलवे के निवेश कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होती है और प्राथमिकता के रूप में हमने प्रणाली के पुनर्वास और आधुनिकीकरण का काम आरम्भ किया है।

[श्री माधव राव सिंधिया]

मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि रेलवे का अर्थपूर्ण विस्तार तभी हो सकता है जब हमें यह विश्वास हो जाए कि वर्तमान व्यवस्था की हालत ठीक है।

मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी वह ठीक प्रकार से चल रही है और भविष्य में हम निश्चित रूप से और अधिक निवेश करने, अधिक नई लाइनें देने, उन्हें दोहरा करने और बदलने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे विचार से इस समय रेल पटरियों को स्वयं ही बदलने की जरूरत नहीं है किन्तु कुछ क्षेत्रों में यह आवश्यक है क्योंकि मैंने हमेशा ही यही कहा है कि मीटर गेज अपने आप में कोई घटिया पद्धति नहीं है। वास्तव में विश्व के अधिकांश हिस्सों में, यहां तक कि विकसित देशों में भी ब्राड गेज (बड़ी लाईन) नहीं है, किन्तु स्टैण्डर्ड गेज नामक उनकी अपनी प्रणाली है। कुल 62,000 किलोमीटर में से मीटर गेज की लम्बाई लगभग 23,000 से 24,000 किलोमीटर है। यह एक अत्यन्त व्यापक प्रणाली है। इतनी विस्तृत प्रणाली को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है और दूसरे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमें वर्तमान मीटर गेज में ही सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करे जो रेलवे पर निर्भर करते हैं। यदि विगत में, अधिक यातायात के कारण बड़ी लाइन की ओर अधिक ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप मीटर गेज की थोड़ी उपेक्षा हुई है, तो मैं महसूस करता हूं कि अब हमें दोनों में कुछ सन्तुलन बनाएं रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने रेल प्रशासन से कहा है कि अब मीटर गेज की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें रेल पटरियों, डिब्बों और लदान सुविधाओं को सुधारना चाहिए।

आज बहुत से लोग मीटर-गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की बात करते हैं क्योंकि वह अनुभव करते हैं कि लोग मीटर-गेज क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं करना चाहते किन्तु हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए और हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम मीटर गेज के स्तर में सुधार करें ताकि मीटर गेज क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में हिचकिचाहट न हो। हमारा ध्यान इसी बात की ओर होगा। इसका एक उदाहरण यही है कि अभी पिछले वर्ष तक हम रेल डिब्बा निर्माण कारखाने (आई०सी०एफ०) को केवल 60 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष बनाने का आर्डर दे रहे थे। इस वर्ष आर्डर 250 से 300 के बीच दिया गया है। सभी के लिए एक जैसा है चाहे वह रौलिंग स्टाक हो। हमें मीटर गेज के लिए बेहतर ईंधन, कुशल इंजनों की जरूरत है। हम मीटर गेज के लिए रेल मार्गों, सिगनल प्रणाली और दूर-संचार तथा लदान सुविधाओं पर निवेश कर रहे हैं। किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मीटर गेज को बदला जाना चाहिए। कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्र हैं जहां ब्रॉड गेज का लिंक अधिक किफायती और व्यवहारिक है।

इस प्रणाली के विस्तार के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी जरूरत 1500 या 1600 करोड़ रुपए के बीच है और हमें पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। इस वर्ष केवल 195 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नई लाइनों के निर्माण की मंजूरी तथा किया गया आबंटन, योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है। हमें 195 करोड़ रुपये मिले हैं जिस में से लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ केवल परियोजना से जुड़ी दो लाइनों के लिए है। इसके पश्चात् तमाम देश के लिये नई लाइनों के लिये केवल 85 करोड़ रुपये बचते हैं। यह ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। मैं

जानता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों पर कितना दबाव डाला जाता है और जो कुछ उन्होंने कहा उनका ऐसा कहना सर्वथा उचित है। किंतु मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारी स्थिति समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम नई लाइनों के लिए अधिक आबंटन करने के सम्बन्ध में सोचें क्योंकि रेल मार्गों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को काफी प्रोत्साहन मिला है। हम प्रतिवर्ष लगभग 4000 किलोमीटर से 42 0 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि पिछला बकाया कार्य 1995 तक पूरा कर लेंगे। हम विद्युतीकरण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व जहां प्रतिवर्ष 97 किलोमीटर विद्युतीकरण किया जा रहा था। आज लगभग 670 किलोमीटर विद्युतीकरण किया जा रहा है। प्राथमिकना का तीसरा क्षेत्र रालिंगस्टाक चल सम्पत्ति का है। वास्तव में इस वर्ष कुछ गड़बड़ी रही क्योंकि लोग यह महसूस करने लगे कि हमने अपनी योजना में रालिंग स्टॉक के लिए बहुत कम आबंटन किया है—लगभग 500 करोड़ रुपए। किन्तु जो बात लोग नहीं समझ रहे वह मैं स्पष्ट करूंगा कि आई०आर०एफ०सी० कोष का लगभग 700 से 800 करोड़ रुपया भी 500 करोड़ में शामिल किया जाएगा जोकि रोलिंग स्टाक के लिए 1200 से 1300 करोड़ रुपए बन जाएगा, जोकि वार्षिक योजना का 35 से 40 प्रतिशत है। इस प्रकार यह हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। किन्तु, ज्यों ज्यों हम इन पर ध्यान देंगे हम अपनी प्राथमिकताएं बदलकर विस्तार और लाइनों को दोहरा करने को प्रदान करते जाएंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र किया गया। मैंने इस सदन को आश्वासन दिया है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार लाइनों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में धर्मनगर-कुमारघाट लाइन को पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 1989 का है। आभुरी-तुली लाइन भी हम पूरी कर लेते, किन्तु दो राज्य सरकारों के बीच भूमि का झगड़ा है और जब तक वह निपट नहीं जाता हम इस लाइन पर प्रगति नहीं कर सकते। छठी लाइन गुवाहाटी-बर्नीदाट लाइन है जो मेघालय सरकार से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि उनके साथ कुछ बातचीत चल रही है।

जहां तक कुमारघाट के आगे का विस्तार किये जाने का सम्बन्ध है हम कुमारघाट तक पूरा करने के पश्चात ही इसका विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री अजय विश्वास : चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अगरतल्ला तक यह परियोजना इसी बजट में आरम्भ की जायेगी। आपके प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है।

श्री माधवराव सिन्धिया : मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि कुमारघाट तक पूरा करने के पश्चात ही हम इसे अगरतल्ला तक बढ़ाये जाने के बारे में विचार करेंगे। (**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त ने कोंकण लाइन—पश्चिमी तट लाइन का जिक्र किया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण लाइन है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और इसीलिए इसे योजना आयोग को भेजा गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। श्री जनार्दन पुजारी और श्री आस्कर फर्नानडीस लगातार इस लाइन के महत्व पर बल देते रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा है मैं उनसे सहमत हूं किन्तु इसे मंजूर करना योजना आयोग का काम है। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यह मामला योजना आयोग को मंजूरी के लिए हमारी इस टिप्पणी के साथ भेजा गया है कि इस रेल लाइन का निर्माण कार्य जितनी जल्दी हो सके आरम्भ किया जाना चाहिए, ऐसा विशेष तौर पर मेरे सहयोगी श्री पुजारी और श्री आस्कर फर्नानडीस द्वारा आग्रह करने के कारण किया गया है।

[श्री माधव राव सिंधिया]

कुछ माननीय सदस्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ हमारा यह प्रयत्न रहता है कि यात्रियों की अधिक से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। मैंने इंटेग्रेल कोच फैक्टरी से भी कहा है कि द्वितीय श्रेणी के सभी स्लीपर कोचों में बर्थ के नीचे एक चेन अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए ताकि यात्री यह चेन अपने सामान के हैण्डल और ताले से लगा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा के दौरान कोई चोरी नहीं होगी।

जहां तक जोगीगोपा पुल का सम्बन्ध है, हमने इसका सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक कार्य शुरू किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाना अत्यन्त कठिन कार्य है। हम इस पुल के निर्माण के लिए अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी के तल की बनावट ऐसी है कि इसके लियें तारों से रोके जाने वाले पुल की जरूरत है। हम भारत में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं और इससे हमारे देश में पुल निर्माण प्रौद्योगिकी को एक नई सफलता मिलेगी।

श्री मदन पांडेय ने बाघा-चितौनी पुल का जिक्र किया है। इस पूरे मामले की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है। इस विशेषज्ञ समिति गठित की जा रही है जिसमें रेलवे के लोग भी होंगे। योजना आयोग, रेलवे, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों, जल-भूतल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस विशेषज्ञ समिति में शामिल होंगे तथा आशा की जाती है कि कुछ ही मास के भीतर सिफारिशों सहित उनकी रिपोर्ट मिल जायेगी।

भटनी-वाराणसी रेल लाइन को बदलने के बारे में मैं फिर कहूंगा कि देश में सभी लाइनों को बदलने के लिए 750 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और हमें पांच वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस वर्ष का आबंटन लगभग 60 करोड़ रुपये हैं और भटनी-वाराणसी लाइन के लिए कुल आबंटन का 14 प्रतिशत निर्धारित है, मैसूर-बंगलौर लाइन को बदलने के लिए 11 प्रतिशत मिले हैं, गुंटूर-मचीला रेल लाइन को बदलने के लिए कुल आबंटन का लगभग 35 या 40 प्रतिशत मिला है। इस प्रकार सीमाओं के भीतर रहते हुए वाराणसी-भटनी तथा अन्य लाइनों, जिनका मैंने जिक्र किया है, के लिए मेरे विचार से उचित आबंटन किया गया है।

महोदय, मेरा विश्वास है कि रेल कर्मचारियों के प्रयत्नों से रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है तथा इसके अलावा जो हमने कुल माल ढोया है, कुल यात्रियों का परियात हुआ है तथा आम रवैये में जो तबदीली आई है, इस पर भी मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत सी कमियां हैं। अभी बहुत प्रगति की जानी है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि सुधार के लिए गम्भीरता से प्रयास किये जा रहे हैं और दृष्टिकोण में निश्चय ही परिवर्तन आया है तथा रेल कार्मिक काम को यथाशक्ति कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बजट भाषण में कहा, मेरा विश्वास है कि अगर किसी संगठन में सुधार होता है तो स्टाफ के सदस्यों को भी यह अनुभव होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए किये जा रहे कामों में सुधार हुआ है। इसीलिए जहां छठी योजना में वहां स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ को सुविधाओं के लिए पूंजीगत व्यय 20 करोड़ रुपये था वहां पर 1988-89 में इसे बढ़ाकर 47 करोड़ रुपये कर दिया गया है अर्थात इसमें लगभग 130% की वृद्धि की गई है।

महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम रोजगार देने वाली एजेंसी नहीं हैं। हम

तो एक संस्थान हैं जिसका काम राष्ट्र के लिए परिवहन सेवा की व्यवस्था करना है। अगर कल मैं केवल यह लक्ष्य अपने सामने रखकर भरती करना शुरू कर दूं कि मुझें तो रोजगार देना है तो स्टाफ जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और सदन के सभी पक्षों के यही सदस्य कहेंगे कि "आप कितना अकार्य-कुशल संगठन चला रहे हैं।" वैसे ही मेरी यह आलोचना की जाती है कि हम कुल व्यय का 50-55% वेतन पर व्यय कर रहे हैं। कल अगर आप मुझसे कहें कि और लोगों की भरती की जाये और वेतन के रूप में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर लगभग 70 या 75% व्यये किया जाए तो मैं कहूंगा कि यह बड़ा बेतुका सुझाव है। मेरा यही विनम्र निवेदन है।

महोदय, जहां तक स्टाफ के सदस्यों, रेल परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि अगर रेल संगठन प्रगति कर रहा है तो उसका फायदा उन्हें भी मिले और इसीलिए छठी योजना में स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ सुविधाओं के लिए निर्धारित 20 करोड़ रुपये की व्यय राशि को 1988-89 में बढ़ाकर 47 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में जनरल मैंनेजरों की एक विशेष बैठक बुलाई थी। मैंने सभी जनरल मैंनेजरों को कहा कि वे केवल इन दो मुद्दों पर चर्चा करें और किसी अन्य मुद्दे को न लें। हमने एक योजना बनाने का प्रयास किया है जिसे आगामी दो वर्षों में लागू किया जाएगा ताकि रेल कार्मिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें और उनकी शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो। हमारे पास कार्यान्वित करने के लिए एक योजना है ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री नारायण चौबे जो कि सदन के बाहर बहुत मधुरता से बोलते हैं और सदन में काफी तीखे ढंग से, कहना है कि रेल कार्मिकों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जो बहुत से कार्य हमने किये हैं उनका मैं उल्लेख कर ही चुका हूं और मैं माननीय सदस्यों को खासकर श्री नारायण चौबे को यह दोबारा स्मरण कराना चाहता हूं कि इस साल रेल मंत्रालय ने स्टाफ के सदस्यों को 42 दिन का उत्पादकता पर आधारित बोनस दिया है। मेरे विचार से यह बहुत उदारता-पूर्वक दिया गया। बोनस है, लेकिन वे उसके पात्र भी हैं। इसे दया भाव से नहीं दिया गया है। रेल कार्मिकों, पाइंट्समैन, गैंगमैन, कैबिनमैन इसके पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए वास्तव में काम किया है। इसलिए मुझे इसकी घोषणा करते हुए बहुत खुशी हुई थी! जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इस प्रस्ताव को प्रधान मंत्री का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने ही हमें कहा था कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि स्टाफ का ध्यान रखा जाए। उन्होंने ही हमसे कहा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूरी तरह प्राथमिकता दी जाए और जिस माहौल में उन्होंने हमें कार्य करने दिया। इसीलिए तो कुछ सुधार हुआ है। हमें शीर्ष से यह प्रोत्साहन मिला है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए दोबारा से धन्यवाद देता हूं। मैं श्री मकबूल अली खां साहब को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।

महोदय, एक और स्पष्टीकरण। भोपाल और राजकोट के बीच बड़ोदा और अहमदाबाद होकर जाने वाली एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही है। कुछ माननीय सदस्य सोच रहे हैं कि यह बड़ौदा से होकर नहीं गुजरेगी। यह बड़ौदा और अहमदाबाद होकर गुजरेगी और राजकोट जाएगी।

श्री तम्पन थामस : ठेका प्रणाली के बारे में क्या स्थिति है? (व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें

[श्री माधवराव सिंधिया]

अपना सहयोग दिया और निरन्तर मार्गनिर्देशित किया। मुझे विश्वास है कि हमें भविष्य में भी उनसे निरन्तर समर्थन प्राप्त होता रहेगा।

श्री तम्पन थामस : ठेके के बारे में मैंने कुछ पूछा है पर आप उसे टाल रहे हैं।

सभापति महोदय : अब मैं रेल अभिसमय समिति, 1985 के दसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन से सम्बन्धित संकल्प को, जो श्री माधवराव सिन्धिया ने प्रस्तुत किया था सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1985 के दसवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1988 को संसद में पेश किया गया था, में अन्तर्विष्ट, पैरा 11 से 14 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं अब वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की मांगों (रलवे) के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्तावों को, बशर्ते कि किसी सदस्य की यह इच्छा न हो कि उसके कटौती प्रस्तावों को अलग से रखा जाए, सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1988-89 के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : मैं अब 1987-88 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की

संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 1, 3 से 14 और 16।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1985-86 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या 4 से 13, 15 और 16।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

4.50 म० प०

विनियोग (रेल) विधेयक, 1988*

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : विनियोग (रेल) विधेयक पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किये जाने के लिए।

श्री माधवराव सिन्धिया।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयत को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं विधेयक** को पुरःस्थापित करता हूं।

* दिनांक 21-3-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, (खंड) 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय आर विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : —

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.51 म० प०

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1988*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय विधेयक संख्यांक 2 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए

* दिनांक 21-3-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव करें।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधी में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करें।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ बित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी :

प्रश्न यह है कि !

"खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा, नाम विधेयक का अंग बने।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तावित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.53 **म० प०**

विनियोग (रेल) संख्यांक विधेयक, 1988*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक संख्यांक 3 को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगें।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च, 1986 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं हेतु अनुदत्त रकमों से अधिक है भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1986 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पुरःस्थापित करें।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं :

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक पर विचारे करने के लिये प्रस्ताव करें।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं।**

---

* दिनांक 21-3-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 5. खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित्त/प्रस्तावित।

कि मार्च, 1986 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1988 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन सभी रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं हेतु अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगें ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.58 म० प०

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं।*

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 औ उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि आपको मालूम है 1986 में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में काफी सुधार किया गया है। न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों में और अधिक सुधार लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। 8-8-1986 को लोक सभा द्वारा पारित विधेयक में 1-11-1986 से न्यायाधीशों के सेवा निवृत्ति लाभों आतिथ्य भत्तों एवं यात्रा सुविधाओं में वृद्धि कर दी गई है।

1-11-1986 से पहले सेवा निवृत्त न्यायाधीश संशोधित दरों एवं सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकारी नहीं थे। तथापि इसी बीच कुछ माननीय न्यायाधीश सरकार तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास गये। यद्यपि इस मामले पर सरकार विचार कर रही थी, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि 1-11-1986 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले सभी न्यायाधीश जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, 1-11-1986 को अथवा उसके पश्चात सेवा निवृत्त हुए न्यायाधीशों को जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं मिलने वाले सभी संशोधित सेवा निवृत्त लाभ पाने के हकदार होंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसले को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि 1-11-1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी न्यायाधीशों को भी जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, वही लाभ दिये जायें।

बढ़ी हुई यात्रा सुविधायें, यात्रा भत्ते की एक निश्चित राशि के बदले में स्टाफ कार तथा ड्राइवर दिये जाने का प्रावधान भी शामिल है। तथापि बाद में यह पाया गया कि न्यायाधीशों को दिया जाने वाले यात्रा भत्ते तथा अतिथ्य भत्ते को वेतन में सम्मिलित कर आय-कर के उद्देश्य से गिना जाता है। संशोधित यात्रा सुविधाओं तथा आतिथ्य भत्तों को 'वेतन' मद के तहत रखकर आयकर का परिकलन करने से न्यायाधीशों को 1-11-1986 से मिलने वाले लाभों का कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला है। अब न्यायाधीशों को दिया जाने वाला/दिये गये यात्रा भत्ते तथा आतिथ्य भत्ते को आयकर की सीमा से बाहर रखने का प्रस्ताव है।

जिन न्यायाधीशों के पद पेंशन योग्य नहीं थे और वर्तमान में 50,000 रुपये की आय है उनके लिए डी०सी०आर०जी० की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव है। इस प्रकार के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले डी०सी०आर०जी० पर केन्द्रीय सरकार के 'ग्रुप ए' कर्मचारियों के नियम लागू होते हैं, जो

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अब 1-1-1986 से अधिकतम 1,00,000 रुपये डी०सी०आर०जी० पाने के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि इस प्रकार के न्यायाधीशों को भी इसी तारीख से यह लाभ दिया जाना चाहिए। तदनुसार सरकार ने 50,000 रुपये की सीमा को हटाने का निश्चय किया है।

उपरोक्त कों दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि सदन के सभी सदस्य तहेदिल से इसका समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

5.00 म०प०

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री को राज्य सभा में दुबारा मनोनीत किये जाने पर बधाई देता हूं जबकि उनका मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा है। यह विधेयक देश में आम निष्क्रियता तथा मुद्रा स्फिति की वजह से लाया गया है क्योंकि पैसे का मूल्य प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अत: असल में देखा जाए तो आय कम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि सभी वेतन भोगियों को निर्वाह मजदूरी मिले। खैर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जहां तक इस वृद्धि का सम्बन्ध है यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण की गई है। परन्तु महोदय, कुछ बातें तो मैं कह कर ही रहूंगा। मन्त्री केन्द्र सरकार को श्रेय देना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि केन्द्र सरकार न्यायाधीशों के बारे में बहुत ही चिन्तित है। चिंता दिखाने का एक कारण तो यह है कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया है और दूसरा यह है कि अधिकांश भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा। केन्द्र को सिर्फ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रावधान करना है···

एक माननीय सदस्य : उसे भी वे बांटते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से पदोन्नत किये गये न्यायाधीशों की पेंशन में भी वे केवल एक हिस्सा देते हैं। अब केन्द्र तथा राज्य दोनों ही हिस्से देते हैं। निश्चय ही केन्द्र का योगदान 10 लाख रुपये का होगा। अतिरिक्त व्यय लगभग 10 लाख रुपये है। जब फैसला आपके पक्ष में होता है तो आप न्यायाधीशों की चिन्ता करने लगते हैं और जब फैसला आपके पक्ष में नहीं होता है तो आप उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। वे लगभग 10 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करेंगे। अत: मैं सिद्धांत तथा नीति के अनुसार यह मांग करता हूं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो वृद्धि दी जा रही है उसका अतिरिक्त व्यय केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए क्योंकि केन्द्र की नीति के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार का यह रवैया कोई अच्छा रवैया नहीं है, परेशान करने वाला रवैया है क्योंकि वह न्यायाधीशों के प्रति दिखाती तो गहन चिन्ता है परन्तु अपने खजाने में से निकालना कुछ भी नहीं चाहती। पूरी तरह निष्पक्ष रहकर तथाकथित चिन्ता के अनुरूप मैं यह कहूंगा कि कृपा कर आप यह पैसा अपने खजाने में से निकालें और राज्य सरकारों को दें। वे इसे बड़ी खुशी से देंगे और जितना अधिक आप देंगे, वे भी देंगे। चूंकि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसलिए मंत्री महोदय, न्यायाधीशों के प्रति अनुकूल रवैया अपना सकते हैं तथा उनके प्रति तथाकथित सम्मान दिखा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वे न्यायपालिका के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। यह मेरी मांग है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आजकल के हालात तथा न्यायपालिका में जो अराजकता की स्थिति है उससे हमें कुछ बातें कहने का अवसर मिलता है। पूरी तरह अव्यवस्था तथा भ्रम है। हमने यह सिर्फ इसी सदन में नहीं कहा है परन्तु पूरे देश में कहा है। लोग लम्बित पड़े मामलों के बारे में कह रहे हैं मुझे यहां रहकर सभी पूर्व विधि मंत्रियों तथा अब वर्तमान मंत्री की बात सुनने का मौका मिला है, मैं नहीं जानता इसे भाग्य कहूं या दुर्भाग्य— मंत्री जी तोते की भांति कह देते हैं: "हम मामले की जांच कर रहे हैं, हम सभी कदम उठायेंगे तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे इत्यादि-इत्यादि। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लम्बित मामलों को बढ़ने से रोका जा सकता है। परन्तु ये ज्यामितिय अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। यह न्यायायिक प्रणाली के महत्व को कम कर रहा है। काफी संख्या में समितियां नियुक्त की गई हैं। असंख्य रिपोर्टें हैं। लेकिन परिणाम यह है कि न्यायायिक पद्धति वास्तव में सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं होनी चाहिये। यद्यपि वकील होने के नाते हम भी इस प्रणाली के हिस्सेदार तथा लाभभोगी हैं। किसी भी सभ्य देश में न्यायायिक प्रणाली वस्तुतः वादियों के लिए होनी चाहिये, उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिन्हें न्याय चाहिए।

महोदय, सभी तरह की बातें की जाती हैं, सभी तरह की समितियां बनाई जाती हैं तथा सभी तरह के प्रतिवेदन दिए जाते हैं। परन्तु इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह जानता हूं। मैं उनके उत्तर को जानता हूं। अपने अच्छे मित्र के उत्तर को जानता हूं और वह कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समय आ ही नहीं गया है अपितु समय ज्यादा हो गया है कि गम्भीरता से विचार किया जाये। अभी हाल हीं में उच्चतम न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने एक सेमिनार में सरकार को रिक्त पदों को भरने की बात कही थी, उन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिये। एक बात तो निश्चित है। किसी न्यायाधीश के सेवा निवृत्त होने की तिथि उसकी नियुक्ति तिथि से पता लग जाती है अगर उसकी अकाल मृत्यु न हो या अगर ऐसा बहुत ही कम होता है, न्यायाधीश को अपनी जन्म तिथि याद ही न हो। अतः यह ज्ञात होती है।

कितने रिक्त पद हैं? उन्हें क्यों नहीं भरा जाता? मैं जानता हूं माननीय मंत्री कहेंगे : यहां केन्द्र सरकार है, राज्य सरकार है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं—राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं—माननीय सदस्यगण, परामर्श, चर्चा की बहुत ही लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन लोगों के बारे में क्या है? उन्हें आपके परामर्शों—लम्बे-लम्बे सलाह मशविरों से क्या लेना देना है? यदि आपको सलाह-मशविरों, चर्चा, विचार-विमर्श, राजनैतिक प्रभाव, विचारों में इतना लम्बा समय लगता है तो न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से, रिक्त पद होने से काफी पहले ही यह कार्य शुरू कर देना चाहिए।

5.06 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन यह हमारी न्याय प्रणाली में लगभग कैंसर की तरह हो गया है। एक तरफ लम्बित मामले बढ़ते जाते हैं और दूसरी तरफ रिक्तियां बढ़ती जाती हैं। जनता के हित और आवश्यकता को देखते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। संसद ने स्वीकृति दे दी है। लेकिन फिर भी उन रिक्तियों को भरा नहीं गया है। न्यायाधीशों के नये पदों को बनाने का क्या लाभ जब समय पर नियुक्ति करके पहले का कोटा भी पूरा नहीं किया गया है।

मैं जानता हूं जो नियुक्तियां की गई हैं मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि वे किस तरह से

की गई हैं। मैं सोचता हूं, मुझे संदेह है कि इस मामले में मंत्रियों में आपस में सहयोग नहीं है। वे मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर भी अमल नहीं करते हैं। सभी प्रकार की बातों पर विचार किया जाता है। उन सबका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मेरे विचार से, मैं कुछ मामलों को जानता हूं, किस तरह से ये काम किए गये हैं– किस मंत्री ने किस की सिफारिश की है और किसने किसको हटाया है। उनमें से बहुत से हमें जानते हैं, सब मामलों में नहीं। मन्त्री जी इस बात को जानते हैं।

लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा है, इस मंत्रालय के कार्यकरण में पूर्णतया क्षीणता आ गई है। कितने सप्ताहों से भारत की राजधानी में क्या हो रहा है? उच्च न्यायालय में कार्य नहीं हो रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य नहीं हो रहा है, उच्चतम में न्यायालय कई दिन तक कार्य नहीं हुआ है। क्या हो गया है? क्या इस देश में विधि मंत्रालय है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नहीं।

(व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : बहुसंख्यक के विरुद्ध छोटे ग्रुप द्वारा···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुछ भी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है कि न्यायालय खोले जाने चाहिए। क्या इस सरकार की इसके बारे में कोई जिम्मेदारी है?

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि आप वकीलों की हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप उनकी मांगें पूरी करिये। **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपकी क्या जिम्मेदारी है? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन क्या इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है? मैं सत्ता में नहीं हूं (व्यवधान) वहां मन्त्री, सचिवालय, अमुक अमुक इतने सारे लोग वहां पर हैं। वहां मन्त्रिमण्डल है। लेकिन भारत की राजधानी में उच्च न्यायालयों में कार्य नहीं हो रहा है। आप उसके लिए शर्मिंदा नहीं हैं और सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप भी क्यों बोल रहे हैं? **(व्यवधान)** वे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वे वकीलों और न्यायपालिका के मामले का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि दिल्ली में वकीलों की काफी संख्या है जो कम से कम मेरे राजनीतिक सम्बद्धता वाले हैं—मैं बहुत खुश होता—जोकि उच्च न्यायालय के कार्य को चलने नहीं दे सकते।

श्री एच० आर० भारद्वाज आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बैंच और 'बार' के लिए कौन क्या कर रहा है। आप लोग ही हैं जो कर रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके नाम बताइये। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। **(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप मुझ से बात कीजिए। मैं आपको नाम बताऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आप से बात क्यों करूं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप इस मंच का उपयोग अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें क्या राजनीति है ? (व्यवधान)

मंत्री जी परेशान हैं, इससे लगता है कि मैं ठीक था… (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : और संकीर्ण विचार वाले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर अकार्यकुशलता, अक्षमता का आरोप लगाता हूं कि उनकी इस देश की विखण्डनकारी ताकतों के साथ साठ-गांठ है अगर वह कहते हैं कि मैं संकीर्ण विचारों वाला हूं तो मैं कहूंगा कि यह मंत्री इस पद पर आधे मिनट रहने के लिए भी योग्य नहीं है… (व्यवधान) अगर यह सरकार यह स्पष्टीकरण देती है कि मेरे कुछ लोग… (व्यवधान)

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सदन के किसी सदस्य से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है कि अमुक मन्त्री लायक है या नहीं। इसलिए इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। ये मन्त्री की प्रतिष्ठा के लिए निन्दाजनक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहा है मैं संकीर्ण विचारों वाला हूं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह केवल आपकी पार्टी है जो यह सब कर रही है और जो निन्दनीय है।

श्री रामसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह असंसदीय या आपत्तिजनक है तो मैं देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फरवरी में तीस हजारी कोर्ट में क्या हुआ था ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपके राज्य में न्यायाधीशों को न्यायालयों में पीटा गया था। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी :…**…

श्री एच० आर० भारद्वाज :…**…

श्री सोमनाथ चटर्जी :…**…

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। वह नहीं जानते किस तरह व्यवहार करना है। मैं इस संसद में उनसे ज्यादा समय से हूं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझ पर मत चिल्लाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने आप पर नहीं चिल्लाया। आप इतने अदने हैं कि मैं आपको क्या कहूं… (व्यवधान) मैं भारत की संसद को सम्बोधित कर रहा हूं। मैं लोक सभा को सम्बोधित कर रहा हूं। मैं किसी साधारण राज्य मन्त्री को सम्बोधित नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आपस में कुछ बातें न कीजिए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) :···**···कहना असंसदीय है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। किसी सदस्य के ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह असंसदीय है इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। चार्ल्स जी आप अपनी सीट पर बैठिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह वाद-विवाद के नियम का अनुसरण क्यों नहीं करते ? ये प्रत्येक एक मिनट बाद मेरी बात में व्यवधान क्यों करते हैं ? वह उत्तर क्यों नहीं देते ?··· **(व्यवधान)** उन्होंने आपसे अनुमति नहीं ली है। उन्हें वाद-विवाद के नियमों का पता होना चाहिए। वे इस तरह लगातार मेरी बात में व्यवधान नहीं कर सकते। जब विधि मन्त्री ठीक तरह व्यवहार नहीं कर सकते तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे देश में अव्यवस्था फैली हुई है हमारे यहां इस तरह के मन्त्री हैं।

मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार स्थिति को संभालने में पूर्णतया असफल हो गई है जिससे इस देश की राजधानी में काफी लोग प्रभावित हुए हैं **(व्यवधान)** क्या बोलने की बारी मेरी है या उनकी ? मैं नहीं जानता। क्या आपने उनसे बोलने की अनुमति ली है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल आपको अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब वह लगातार व्यवधान क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह शर्म की बात है निस्सन्देह इस सरकार को शर्म भी नहीं है। महीनों और सप्ताहों से न्यायालयों में कार्य नहीं हो रहा है। अगर मेरी पार्टी से कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि मन्त्री ने आरोप लगाये हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही करिए। अगर कोई व्यक्ति गुण्डागर्दी में शामिल है तो यह सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती। लेकिन 17 फरवरी को तीस हजारी न्यायालय में क्या हुआ ? लोगों के झुंड वहां गए और वहां वकीलों को पीटा।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस (आई) के व्यक्तियों ने।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उससे किसी ने इन्कार नहीं किया। समाचारों में भी आया कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां था और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी **(व्यवधान)** क्या हुआ। वकीलों को न्यायालय के भवन में और तीस हजारी कैम्पस कार्यालय में पीटा गया। वकीलों को उच्चतम न्यायालय के गलियारे में पीटा गया और सरकार वहां देखती रही। **(व्यवधान)**

महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मामला बहुत गम्भीर है और मैं सोचता हूं केबिनट मंत्री को उपस्थित होना चाहिए। उन्हें वहां आना चाहिए जब इस देश में न्याय प्रणाली कार्य नहीं कर रही है यह सब मंत्रालय के गलत कार्यकरण के फलस्वरूप और उन मंत्री जी के कारण है जिन्होंने पदोन्नति या पदावनति प्राप्त की हैं। मैं नहीं जानता, उनकी अनुपस्थिति से यह सुस्पष्ट है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये, कृपया तंग न कीजिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पर्याप्त विरोध के बाद सरकार ने कार्यवाही की है। जैसा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कहा है उप-राज्यपाल सोचते हैं वह भारत के राष्ट्रपति हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। इस मामले की जांच करने के लिए दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तब दो वकीलों ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन पत्र दिया था और उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि यह जांच आयोग अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए। सरकार को इसमें कितना समय लगेगा। कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी ? वकीलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया था ? मैं जानना चाहूंगा इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? अगर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं हमें न्यायाधीशों के लिए बड़ी चिन्ता है। (व्यवधान) हमने कांग्रेस राजनीतिज्ञों को आपस में लड़ते देखा है। शायद यह संक्रामक रोग बनता जा रहा है।

अब मैं न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति पर टिप्पणी करना चाहूंगा। कुछ न्यायाधीशों को राज्य से बाहर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मैं जानना चाहूंगा क्या इससे उच्च न्यायालय के कार्यकरण को अच्छा बनाने में सहायता मिली है। बाहर से मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना देश की अखंडता की दृष्टि के सिद्धांत से तो ठीक है लेकिन इस प्रयोग के अनुभव की दृष्टि से यह कार्य राष्ट्रीय अखंडता यह में स्वयं न्यायपालिका के विखण्डन का कारण रहा है। यही कारण है कि एक, माननीय न्यायाधीश जिन्हें जिस दिन एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बिना किसी पूर्व जानकारी अथवा सरकार के इस आशय के संकेत के बिना स्थानान्तरित कर दिया गया कि उन्हें अगले दिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। अब उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर किया जा रहा है जबकि अभी उनका कार्यकाल समाप्त होने में 4 वर्ष बाकी है क्योंकि उनके लिए वहां बने रहना मुश्किल है। उनकी समस्याएं हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्यों ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपा कर आप मंत्री से पूछिये।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप सुनना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपना उत्तर समय पर दीजिये।

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्योंकि आपकी सरकार को उनकी परवाह नहीं है। उन्हें वहां कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छे। (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० भारद्वाज : उन्होने लिखित में दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे रिकार्ड में लाइए। आप पहले ही इस बात को कह चुके हैं। आप देखेंगे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने इसे रखा है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए महोदय, न सिर्फ इतना ही, मुख्य न्यायाधीश चन्द्राकर ने भी यह कहा है। आपकी तमिलनाडु सरकार (एम० जी० आर०) ने उन्हें सभी सुविधाएं दे दी हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा है ? सभी न्यायाधीश क्या कह रहे हैं ? प्रश्न यह है कि यह न्यायाधीशों पर थोपने वाली बात हो गई है। यह न्यायाधीशों पर थोपे जाने वाली बात है। इसीलिए अनिच्छुक व्यक्तियों को भेजा जा रहा है। वे अपने आपको वहां समायोजित करने में असमर्थ हैं। कुछ को तो सेवानिवृत्त होने में सिर्फ

15 महीने, 14 महीने, 13 महीने का ही समय रह गया है उन्हें उखाड़ा जा रहा है। वे आपको एकदम ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें अपने आपको समायोजित करने में महीनों-सालों लग जाते हैं। वह अदालत में जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम वकीलों को वे नहीं जानते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण है जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नये न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है। जब तक कि मुख्य न्यायाधीश वकीलों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है अर्थात् जो उनके समक्ष पेश होते हैं या उसे अन्य प्रकार से जानकारी मिलती है, तो वह किस तरह से नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं। उनके यहां आने के तुरन्त बाद उसे शायद ही कोई अवसर मिलता है उन वकीलों के कार्य को देखने या उनका मूल्यांकन करने का जिनकी वह न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है।

तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा ? बिना जाने उन्हें नियुक्ति के लिए सिफारिशें करनी हैं। फिर उसे बाह्य स्त्रोतों से पूछना पड़ता है, इस व्यक्ति को पूछिये उसको पूछिये आदि-आदि कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। फिर सभी तरह के फार्मूलों का अनुसरण किया जा रहा है। अतः समय आ गया है। आप मुझे अपशब्द कह सकते हैं। ये तो आपकी आदत है। आपके अपशब्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं क्योंकि आपके द्वारा अपशब्द या तारीफ कर देने पर निर्भर नहीं करता कि लोग मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। आप मुझे या मेरे दल को अपशब्द कहते रहिये। लेकिन प्रश्न यह है कि न्यायाधीशों का स्वयं का अपमान क्यों हो रहा है ? स्वयं न्यायाधीशों की ओर से ही आपत्ति क्यों उठाई गई है ? क्या आप उन्हें सी० पी० आई० (एम०) के लोगों के रूप में दोष दे रहे हैं ? इसलिए, क्या इसकी उपेक्षा करनी चाहिए ? सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह की आपत्ति की जा रही है। उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या इसका सही तरह से क्रियान्वयन हो सकता है यदि नीति अच्छी हो। न्यायाधीशों से पूछिये।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उनसे नहीं पूछा जाता ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, रंगा जी, उन्होंने यह खुले तौर पर कहा है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति को लिखा है मैंने यह उनके त्यागपत्र या किसी और स्रोत से लिया है। क्या यह ऐसा करने का तरीका है ? आप न्यायाधीशों को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ऐसी जगह बैठे हैं जहां वे आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। क्या अदालत के स्थान का कोई महत्व है अथवा नहीं ?

महोदय, मैं सदन में इसका सबसे जबरदस्त समर्थक रहा हूं। मैंने न्यायाधीशों के तबादले के सिद्धान्त, बाहर से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सिद्धान्त का समर्थन किया है। मुझे उनमें से कुछ को मिलने का अवसर मिला। मैंने पाया कि हमारे यहां कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे जहां मुझे अपनी प्रेक्टिस के दौरान आमतौर पर उनके साथ रहने का अवसर मिला। जब हमें मुख्य न्यायाधीशों के बारे में निश्चय करना है, उन्हें कौन सी दिक्कते हैं ? यह न सिर्फ भौतिक सुख या भौतिक सुविधाओं की ही बात है। यह तो एक स्थिति, वातावरण, माहौल में रहने का प्रश्न है। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रखें तो उसे कोई सरोकार नहीं होगा, न ही अपने काम में उसे कोई दिलचस्पी होगी जैसा कि हमें कलकत्ता में अनुभव हो रहा है। और कोई भी सज्जन व्यक्ति जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यह नामुमकिन है। मेरा परिवार इस वातावरण में नहीं रह सकता। उनके अपने व्यक्तिगत गम थे। उनका कहना है कि उनकी पत्नी वहां ठीक से नहीं र

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सकतीं। बहुत सी समस्याएं हैं और वे कहते हैं कि समय आ गया है जब बाहर से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सरकार की नीति पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि मैंने स्वयं ने कहा है, मैंने इसकी जबरदस्त वकालत एवं समर्थन किया है परन्तु किस तरह से इस प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है उससे लोगों को संदेह पैदा हो रहा है। दो मुख्य न्यायाधीश सेवा निवृत्त हो रहे हैं। वे तबादले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। अतः एक ऐसी नीति लागू की जानी चाहिए जिसमें न्यायाधीश स्वयं ही आराम से अपनी स्वीकृति दे दें और उससे न्यायपालिका को सही कार्य करने में मदद मिलेगी। यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संतुष्ट नहीं है यदि उसके अपने कार्य करने में भारी प्रतिबन्ध हैं तो उससे उच्च न्यायालय के कार्य पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषय को दल के साथ न जोड़ें और न ही यह दल सम्बन्धी प्रश्न है। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें राजनीति मत लाइये। मेरा कहना है कि सिद्धांत रूप में तो आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको इसे सावधानी से, सम्बन्धित न्यायाधीशों के बारे में विचार करके, मामले के बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय कर सकते हैं। केवल तभी यह स्वीकार्य होगा और तभी अभीष्ट परिणाम सामने आयेंगे। सरकार ने यह महसूस किया है कि कुछ धन सम्बन्धी फायदों के मामले में रियायत देने मात्रा से ही न्यायपालिका को संतुष्ट किया जा सकता है। यदि इस मामले पर सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, काफी काम लंबित पड़ा हो। गुवाहाटी सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा हाल ही में दिये गये एक न्यायाधीश के भाषण को कृपया आप पढ़िये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने यह नहीं कहा है। यदि आपको मुझसे एलर्जी होती है जो कि आपको है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भाषणों को पढ़िए। न्यायाधीशों द्वारा लगाये आरोपों तथा की गई शिकायतों के बारे में सरकार का क्या जवाब है? सिर्फ इसलिए कि उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश के विचार को आप पसन्द नहीं करते, आप किसी व्यक्ति से उनकी आलोचना करने को कहते हैं लेकिन इससे आपकी समस्या हल नहीं हो सकती। इस गम्भीर समस्या पर विचार करने का समय आ गया है। विधि मंत्रालय को मात्र एक सजावट की वस्तु मत रहने दीजिये इससे कार्य करवाइये। मेरी यही मांग है।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के भत्तों तथा सुविधाओं में वृद्धि प्रदान की गई है। प्रख्यात नामी वकील नियुक्त किये जाने से इन्कार कर रहे हैं तथा पारिश्रमिक एवं अतिरिक्त सुविधाओं के अभाव में बैंच में ही बने रहते हैं। हमारे देश में कानूनी वकालत करने वालों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। फिर भी मुकदमें कुछ ही वकीलों के पास हैं और इसी कारण प्रमुख वकील आगे नहीं आ रहे हैं। मेरे विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि खाली पदों को भरा जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। परन्तु मेरा विचार है कि सिर्फ इसी से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे को आज ही समाप्त कर देंगे और यदि जरूरत हुई तो थोड़ा देर तक भी बैठ जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : छह बजे के बाद नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में इस पर पहले ही सहमति हो गई है कि यदि आवश्यकता हुई तो सदन 7 बजे तक बैठेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह सिर्फ बजट के लिए है इस तरह के विधेयक के बारे में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय दिया गया है। मैं इसे इसी समय में खत्म करना चाहता हूं। कृपया जारी रखिये।

श्री सोमनाथ रथ : सिर्फ रिक्तियों को ही भरने की आवश्यकता नहीं है परन्तु अच्छे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है न कि इनकी अधिक संख्या। 31-12-1987 को उच्चतम न्यायालय में 1,75,748 मामले तथा उच्च न्यायालयों में 14,39,491 मामले लम्बित थे। इसकी अच्छी तरह कल्पना की जा सकती है कि इन लम्बित मामलों को निपटाने में कितने वर्ष लगेंगे।

न्यायाधिक प्रक्रियाओं में सुधार तथा कानूनी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। ताकि इसे ज्यादा व्यवहारिक बनाया जा सके। बिना जरूरत के लम्बे तर्कों (वाद-विवाद) तथा लम्बे समय के लिए मामलों को स्थगित करने से ही इनमें विलम्ब होता है। बेंच तथा बार में आपसी सहयोग की आवश्यकता है। याचिकाएं जल्दी ही स्वीकार कर ली जाती हैं तथा आसानी से अन्तरिम स्थगन दे दिये जाते हैं। मामलों के लम्बित होने के कारणों में से कुछ कारण ये भी हैं। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि इस समस्या का हल प्रगतिशील तरीके से कैसे किया जा सकता है। सरकार को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और मुंसिफ के न्यायालय से लेकर उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों तक के विषय में सोचना चाहिए क्योंकि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों तथा मुंसिफों के फैसले भी उच्चतम न्यायालय तक आते है। इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी एक मामले का उल्लेख किया है तथा कहा है कि हम लोग जो सत्ताधारी दल में हैं केवल उन्हीं न्यायाधीशों की प्रशंसा करते हैं जिनके फैसले हमारे पक्ष में होते हैं तथा उन न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं जिनके फैसले हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन, मेरा निवेदन है कि सच इसके विपरीत है। उदाहरण के लिए फेयरफैक्स के मामले तथा मिश्रा आयोग के मामले में दो उच्चतम न्यायालयों की टिप्पणियों को ले लें। इनके निष्कर्षों की आलोचना कौन कर रहे थे? विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा था। कुछ उच्च न्यायालयों ने कुछ मुख्य मंत्रियों के खिलाफ निर्णय दिये। क्या यह मुख्य मंत्री पद मुक्त हो गए हैं? नहीं। कौन न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान नहीं कर रहा है? विपक्ष। वे उन जांचों की प्रशंसा करते हैं जो उनके राजनीतिक प्रयोजनों को पूरा करते हैं। जो उनके खिलाफ होती हैं उनकी वे भर्त्सना करते हैं। उन्हें शीशे के घरों में रह कर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

जब हम इन सुविधाओं पर विचार करते हैं, राज्य सरकारों को भी बढ़-चढ़कर सामने आना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां न्यायाधीशों के आवास के लिए मकान की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए इसका प्रावधान होना चाहिए। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह देखना चाहिए कि कुछ मकान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए, केवल उन्हीं के लिए अलग से रखे जाएं। मैं कह रहा हूं कि कुछ अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए केवल पैसे नहीं बढ़ाने चाहिए। क्यों न उन्हें एक कार नि:शुल्क प्रदान की जाए तथा इसके लिए पैट्रोल/ईंधन की तथा कुछ अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि न्यायाधीश गौरवशाली और सम्मानित ढंग से कार्य कर सकें? चूंकि सरकार की नीति है कि न्याय निर्धन तथा आम आदमी को सरलता से उपलब्ध कराया जाए, इस स्थिति में मेरा निवेदन है कि माननीय कानून मंत्री इसके लिए कदम उठाएं। उड़ीसा सरकार को इसके लिए राजी करें कि इस समय उड़ीसा में बहरामपुर में उच्च न्यायालय का एक क्षेत्रीय न्यायालय (सर्किट कोर्ट) बनाए तथा बाद में उसे स्थायी कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं अभी हमारे मित्र चटर्जी का भाषण सुन रहा था। मन्त्री जी और उनके बीच जो गड़बड़ चल रही थी, वह भी मैं देख रहा था।··· **(व्यवधान)**···गड़बड़ मैं क्या चालू करूं। कानून के दलदल में आप फंसाते हैं, हमें मजबूर कर देते हैं, हमारे जो दूसरे लायर्स थे, जिनको बंगला एलॉट किया था, हमारे लायर्स थे उनको एलॉट किया था लेकिन वह प्रेजैण्ट नहीं हैं इसलिए मैंने जो देखा है मन्त्री जी और उनके बीच में उसको देखकर मुझे भी थोड़ा सा लगा कि दो बातें मैं भी बोलूं।

जजेज के लिए आप जो फैसिलिटीज दे रहे हैं यह ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वह ठीक हैं, देनी चाहिए लेकिन जैसा आपने यहां सुप्रीम कोर्ट में दिया तो स्टेट्स में हाई कोर्ट में स्टेट को देना पड़ेगा, यह आपने यहां तो कर दिया लेकिन स्टेट, स्टेट में देगी तो खर्चा तो फिर स्टेट पर पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए लेकिन इस ढंग से सभी को आपको सोचना चाहिए, छोटे-छोटे जजेज के लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं। यहां अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किस ढंग से जजेज को, चीफ जजेज को नियुक्त किया जाता है, उसमें मैं नहीं मानता कि पक्षपात नहीं होता है, इसमें जरूर पक्षपात होता है, पक्षपात हमने यह देखा है, एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी हमारे आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वहां थे, जो सीनियर थे उनको नहीं बनाकर जूनियर कहीं दिल्ली से आये हुए को वहां का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। क्या यह अन्याय नहीं, मन्त्री जी। न्यायालय में न्याय मिलना चाहिए, वहां न्याय होना चाहिए, उस जगह पर यह अन्याय हो रहा है। वह क्यों हो रहा है, यह आपकी वजह से हो रहा है, आप यहां से बैठे-बैठे यह सब गड़बड़ करते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक ढंग से आपके सामने सारी चीजें रखीं। आप नाराज हो रहे थे. गुस्सा हो रहे थे, यह कोई पर्सनल तो नहीं है, आप की और चटर्जी जी की बात नहीं है, यह आपकी पॉलिसी की बात है। आप की सरकार जो पॉलिसी बना रही है, सरकार जो पक्षपात करती है, आप लोगों की पार्टी और सरकार यहां बैठे-बैठे जो न्याय को अन्याय के रास्ते पर ले जाते हैं, उसकी बात वह कह रहे थे वरना आपके लिए नहीं, आप कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आपकी सरकार में बैठे हुए आपके सारे लोग, जो मशीनरी आपको फीड कर रही थी, उस मशीनरी में हम तो चाहते हैं कि अच्छे-अच्छे पुर्जे आप उसमें रखें, अच्छा मशीन को फिट करें अच्छी मशीन चलायें। आपकी सरकार अच्छी चले, अपोजीशन भी चाहता है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं यह कहता हूं कि सरकार की तरफ से अगर कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की अखण्डता के लिए, देश की जनता की सहायता के लिए जो भी काम आप करेंगे, उसमें हम अपोजीशन वाले आपके साथ हैं। हम कभी आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ हैं। क्यों आप ऐसा समझते हैं ? लेकिन जब आप रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से अलग हो जाते हैं, ठीक से रास्ते पर नहीं चलते हैं तभी हम अपोजीशन वाले आप से कहते हैं कि आप ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। आपको अच्छी तरह सोच समझ कर सुधार करना चाहिए। आपकी भलाई के लिए ही आपसे कहा गया कि आपको ठीक रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप रास्ते पर चलेंगे तो आपकी सरकार भी ठीक रहेगी और आप भी ठीक रहेंगे। जैसे कि आपको हमारे मित्र ने शुभकामना दी और कहा कि आप फिर से मन्त्री बनें। आगे भी आप मन्त्री बन सकते हैं लेकिन आप सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि झगड़ने की कोशिश करते हैं। इससे हम नहीं बिगड़ेंगे, आप और आपकी सरकार बिगड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता कि आपको ठीक ढंग से चलना चाहिए। यही कहते हुए मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : वर्तमान स्थिति में हमारी न्याय प्रणाली के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार इस देश की न्यायपालिका के सभी पहलुओं का ध्यान रखने में असफल रही है। वह किसी भी प्रस्ताव यहां तक की इसके सुधार के लिए भी आगे नहीं आयी है हाल ही में जो वकीलों की हड़ताल हुई। इस विषय पर जो सरकार का रवैया रहा तथा अन्य जो कुछ भी पूरे न्यायपालिका में हो रहा है उससे यह पता चलता है कि सरकार को न्याय प्रणाली के विषय में जो कि हमारे लोकतन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, कोई चिन्ता नहीं है हमारी न्यायिक पद्धति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा न्यायपालिका को जो कि विधानपालिका तो कार्यपालिका के बराबर के दर्जे की है, सरकार ने बहुत कम सम्मान दिया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार उचित कदम उठाए तथा देखे कि हमारी न्याय प्रणाली में सुधार हो। जब हम इस विधेयक को देखते हैं, हम सब प्रकार से यह महसूस करते हैं कि वास्तव में सरकार ने न्यायपालिका के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है।

अब, इस विधेयक में न्यायाधीशों को कुछ उपलब्ध कराया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं सहमत हूं कि न्यायाधीशों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके सम्मान की उचित रूप से रक्षा की जानी चाहिए जब एक न्यायाधीश सेवा निवृत होता है तो उसे एक लाख रुपया दिया जा सकता है जैसे कि एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी इसका हकदार है। लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? यदि एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तथा उसे पेंशन मिलती है, क्या ऐसा कोई नियम है जिससे वह जितना कि पहले कमा रहा था उससे अधिक कमा सके ? यहां तक कि यदि वह सेवा निवृत्त होने के बाद भी कोई नौकरी करता है तो उसका वेतन उतना ही होना चाहिए जितना कि वह पहले प्राप्त कर रहा था। अतएव, मेरा कहना है कि न्यायाधीशों के मामले में भी यही नियम लागू किया जाना चाहिए।

दूसरे, आप सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों के मामलों में क्या कर रहे हैं ? आप उन्हें जांचों के लिए नियुक्त करते हैं। क्या सरकार ऐसा रवैया अपनाएगी कि किसी भी जांच के लिए किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति न की जाए ?

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग इस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं वे सरकार के इशारे पर चलते हैं तथा वे अपनी रिपोर्ट इस प्रकार से देते हैं जो सरकार के अनुरूप हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : (गुंटूर) : आप लांछन लगा रहे हैं।

श्री तम्पन थामस : नहीं श्रीमन्, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल उन्हीं आम चीजों का जिक्र कर रहा हूं जो आजकल देखी जा सकती हैं। यही कारण है मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। अब जबकि यह विधेयक सामने लाया जा रहा है तो क्या सरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि किसी भी न्यायाधीश को उससे अधिक धन जितना कि वह सेवा के दौरान प्राप्त कर रहा था, प्राप्त करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी, जैसाकि नियम प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होता है।
(व्यवधान)

मैं यह सब यह बताने के लिए कह रहा हूं कि आपका इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है। आप ऐसा करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वे लोग आपके इशारे पर चलें।

[श्री तम्पन थामस]

दूसरे, आप सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें क्या है ? जितना वे वेतन प्राप्त करते हैं उससे दो या तीन गुना वे उच्चतम न्यायालय में पाते हैं।

श्री तम्पन थामस : यही कारण है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस निषिद्ध होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने मुझे यह बताया। यह सब न्याय प्रणाली का उपहास करने के समान है। मेरा कहना है कि न्यायपालिका को वह सम्मान दिया जाना चाहिये जिसके कि वे हकदार हैं। आप जो एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस की अनुमति देते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि न्याय-प्रणाली का उपहास ही है।

उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते समय ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वे उन अपीलों को वकालत के लिए लें जिन पर उन्होंने स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्णय दिया था। केरल उच्च-न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने मुझे बताया कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के बाद परामर्श देने के लिए बम्बई में कार्यालय खोल लिया, वहां मुवक्किल आने लगे और उसने उन मामलों पर चर्चा की जिन पर उसने अपने कार्यकाल के दौरान निर्णय दिए थे। क्या इससे न्याय प्रणाली का उपहास नहीं हो रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और न्यायाधीशों द्वारा वकालत करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए मार्ग-निर्देश जारी करेगी ?

मैं न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि से सहमत हूं। लेकिन न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाने के बाद उनके वेतन में वृद्धि की जाए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वकालत करने की अनुमति न दी जाए। उन्हें जीने का एक उचित तरीका दिया जाए। उन्हें कुछ बातों से ऊपर रखा जाए। उन्हें प्रभाव से ऊपर रखा जाए। उन्हें देश के इस उच्च व्यवसाय की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वे वकीलों के साथ मिलकर उन मामलों को न लें जिन पर उन्होंने निर्णय दिए थे।

आप उनकी आमदनी देखिए। वे 5000 रुपए या 10000 रुपये प्रति घण्टा ले रहे हैं। व्यवसायिक होकर ही वे इतनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्पूर्ण स्थिति के बारे में समाज का क्या विचार है ? अब उनके वेतन में वृद्धि करने का तथा कुछ वस्तुओं को आय कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या यह सरकार देश के अन्य अधिकारियों के लिए ऐसे ही नियम निर्धारित करेगी ?

मुझे इसी संसद में कार्यरत एक उप सचिव ने बताया कि वेतन आयोग से हमें कुछ लाभ मिला है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या हुआ ? आयकर में कोई संशोधन नहीं हुआ ? आयकर में कोई संशोधन नहीं हुआ है। आयकर की सीमा वही 18,000 रुपये बनी हुई है। इसलिए उसने कहा कि सरकार ने मुझे 6000 रुपये दिए लेकिन 7000 रुपये आयकर के रूप में ले लिये। यह बात मुझे उस व्यक्ति ने बताई जो इसी सचिवालय में कार्य कर रहा है। जितना उसे दिया गया था उससे अधिक उससे वसूल किया जा रहा है। आप न्यायाधीशों को कुछ करों से मुक्त लाभ देंगे इसके लिए मैं सहमत हूं। न्यायाधीशों को आयकर राहत दी जाए। मेरा सिर्फ यही तर्क है कि सभी

श्रमिकों पर यही कानून लागू किया जाए। यह जीवन यापन सूचकांक के आधार पर होना चाहिए। मंहगाई भत्ते के रूप में आप जो कुछ दे रहे हैं उसे कर से छूट दी जाए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां राजनीतिक हो गई हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जिनका राजनीतिक प्रभाव है वे इन सब बातों का निर्णय लेते हैं। क्या सरकार न्यायिक सेवा शुरू करने पर विचार करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई व्यवस्था बनाई जाये। और न्याय करने के लिए देश के उच्चतम पद पर ऐसे लोग आसीन हों जो योग्य और सर्व स्वीकार्य हों।

न्यायिक सेवा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। इसकी जांच की गई। अनेक बार माननीय मन्त्री ने जवाब दिया कि यह विचाराधीन है। लेकिन फिर भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां उसी प्रकार हो रही हैं। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायिक व्यवस्था के हित में नहीं है।

सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों का पुनरीक्षण किया जाए। सरकार इसकी जांच करे और न्यायिक सेवा के सुधार के लिए आगे आये।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार और प्रभाव न्यायपालिका के काम-काज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह उच्च पदों पर भी हो रहा है। यह सब देश के लिए बड़ा घातक है। मुख्यत: सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि न्यायपालिका पूर्णत: स्वतन्त्र होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्तियों स्थानान्तरणों और पदोन्नतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पिछले पांच वर्षों से यह देख रहा हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण किस प्रकार किये जा रहे हैं। बम्वई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चंदूरकर को वहां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया है जो कि तमिल भाषा की बुनियादी बातों को भी नहीं जानते हैं। भाषा बुनियादी तौर पर भिन्न है। राज्य सरकार की यह नीति है कि वहां ब्राह्मण जाति का मुख्य न्यायाधीश न नियुक्त किया जाए। इस नीति की वजह से वहां विवाद चल रहा है। आप मुझे बताइये कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा?

पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित किया गया है। न्यायाधीशों पर दबाव डालने के लिए सरकार द्वारा यह जान बूझकर किया जा रहा है। यदि आप इसी प्रकार सलूक करते रहे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हो जाएगा। यदि यह अभिप्राय है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब हो रहा है। सरकार की ये सब कार्यवाहियां न्यायपालिका के बुनियादी सिद्धान्तों में बाधा पैदा कर रही हैं। इसलिए मैं सरकार की ऐसे हस्तक्षेपों के लिए भर्त्सना करता हूं, उदाहरण के लिए फेयरफेक्स के मामले में इस विधेयक पर आते हुए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप न्यायाधीशों को धन तथा सुविधाएं दे रहे हैं। वे उच्च किस्म का कार्य कर रहे हैं और वे योग्य हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आप उन लोगों को पेंशन तथा लाभ देंगे जो 1-11-86 को सेवानिवृत्त हुए हैं, आप इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी न्यायाधीशों को यह लाभ देंगे। आप इन लोगों को विशेष सुविधायें क्यों दे रहे हैं? कोई 10 या 15 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो सकता है। आप कौन सी तारीख निर्धारित करेंगे? आप भेदभाव कर रहे हैं। किसी भी कर्मचारी का हिसाब उसके उस वेतन से किया जाता है जिसे वह सेवानिवृत्ति के समय ले रहा है। माना कोई कर्मचारी 1970 या 1975 में सेवानिवृत्त हो रहा है तो हम यह पता लगाते

[डा० दत्ता सामन्त]

हैं कि उस समय उसका वेतन कितना है और उसी के आधार पर उसे पेंशन दी जाती है।

मुझे कानून का पता नहीं है और न ही मैं कानून का स्नातक हूं। परन्तु ये सभी प्रश्न उस समय पैदा होंगे जब आप इन लोगों को पेंशन देंगे। इसलिए इस बात पर विचार किया जाए।

श्रमिकों के मामले में यह हो रहा है कि उन्हें जो यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते मिलते हैं उन पर कर लगाया जाता है। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को भूल जाइये। यदि श्रमिकों की मासिक परिलब्धियां 1500/- रुपयों से अधिक है जिसमें मूल वेतन और भत्ते शामिल हैं, तो उस पर भी कर लगाया जाता है। इस देश में जिनकी आय प्रतिवर्ष 18000/- रुपये से अधिक है उस पर कर लगाया जा रहा है। बम्बई में मेरे सभी श्रमिक 3,000/- रुपये से अधिक ले रहे हैं। आप उन पर कर लगा रहे हैं। भत्तों में जो कुछ बढ़ोतरी होती है अर्थात् आवास भाड़ा, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता या चिकित्सा भत्ता, आप उसी धनराशि को वापस ले लेते हैं। आप इस देश में वेतन-भोगी लोगों से 500 करोड़ रुपये कर के रूप में एकत्रित कर रहे हैं। अब आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि आप लोगों से इन बातों की व्याख्या कैसे करेंगे। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में भूल जाइये। इस विधेयक में जो लोग आते हैं, आप उनको जो भत्ते देंगे और आप उन्हें आयकर से मुक्त रखेंगे।

आप उन्हें अधिक वेतन और अन्य रियायतें दे सकते हैं। सिद्धांत के रूप में मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन मुझे आशंका है कि आप जिन उपबन्धों की घोषणा कर रहे हैं, वे उचित नहीं हैं।

विगत तीन वर्षों से बजट प्राक्कलनों के दौरान केवल मैं ही नहीं बल्कि आप के पक्षके सदस्य भी आयकर की सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग करते आ रहे हैं। मेरे विचार से उस मांग का सब लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन आपने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है। अब ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध भेदभाव कर रहे हैं। इस बात पर विचार किया जाए।

आप उपदान की धनराशि और सेवानिवृत्ति लाभों को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर रहे हैं। यह सब बिना किसी उद्देश्य के कर रहे हैं इसके परिणामों पर विचार नहीं कर रहे हैं। श्रमिकों को 30 वर्ष काम करने के बाद उपदान और भविष्य निधि की राशि मिलती है। उनके लिए ऐसी धनराशि पर कर लगा हुआ है। उनको सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में 1 लाख रुपये देने के बाद भी आप उनसे 20,000 रुपये या 30,000 रुपये एकत्रित कर रहे हैं। इस विधेयक के अंतर्गत अब आप एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यदि आप उन्हें अधिक धन देना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करता।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन सभी राजनैतिक हस्तक्षेपों को रोकें, न्यायाधीशों के स्थान्तरणों को रोके, न्यायाधीशों की पदोन्नति को रोके और ऐसी ही अन्य बातों को रोके। हमें विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों पर ध्यान देना चाहिए। यदि भविष्य में कोई विवाद पैदा होता है तो आप इधर-उधर कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। आप उनका एक तरह से पक्ष लेते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, और दूसरी तरफ उन पर दबाव डालते हैं और न्यायपालिका को सरकार के अधीन में लाते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक बात है।

लेकिन, फिर भी मैं उन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं जिनमें न्यायाधीशों को लाभ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जो इस विधेयक पर बोले, विशेषतः मेरे साथी··· (व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, सभा में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। कोरम की घंटी बजाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोरम पूरा है। मंत्री महोदय वाद-विवाद के लिए अपने जवाब को जारी रख सकते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो इस सीमित उपाय पर बोले हैं, जिसमें न्यायाधीशों को कर-मुक्त परिवहन सुविधा और 1 लाख रुपये तक उपदान सुविधा देने की व्यवस्था है। यह एक बहुत ही सीमित उपाय था लेकिन प्रसंग से हटकर एक माननीय सदस्य ने वकीलों की हड़ताल पर कुछ टिप्पणियां की थी। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि देश में वकील समुदाय देश के सबसे महत्वपूर्ण समुदायों में से एक है और कानूनी व्यवसाय के प्रति हम अत्यधिक सम्मान रखते हैं। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि कुछ विपक्षी दल विशेषकर, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य पार्टियां वकीलों की हड़ताल के मामले में राजनैतिक अखाड़े में उतर रही हैं और इस फोर्स का राजनैतिक हितों के लिए उपयोग करना उनके लिए बड़े शर्म की बात है। हम सबको मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह निंदनीय झूठ है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत की थी तब उसमें मैं सिवाय उनके बाकी हर सदस्य के नाम बता सकता हूं—वह समस्या के समाधान के प्रति कभी गम्भीर नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने कभी मुझे बुलाया ? मैं कोई नियमित वकील नहीं हूं। वह मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी हां। आप इस समस्या के प्रति कभी भी गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या है कि मैं कभी भी गम्भीर नहीं रहता हूं ? मुझे इस पर घोर आपत्ति है। वह मेरे विरुद्ध गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का एक नियमित वकील नहीं हूं। मुझे कभी नहीं बुलाया। (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : आपने बहुत सारी बातें कही थीं। अब आपको मुझे अवश्य ही सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मंत्री महोदय कैसा बर्ताव करते हैं ? वह मुझ पर आरोप कैसे लगा सकते हैं ? (**व्यवधान**) वह मुझ पर व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा सकते हैं ? क्या उन्होंने मुझे कभी भी बुलाया था ? मैं एक नियमित वकील नहीं हूं। वह मुझे व्यक्तिगत रूप में कैसे आरोप लगा सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुख्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बगैर किसी भी मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण/तबादला नहीं किया जाता है। किसी का भी इस प्रकार स्थानांतरण नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परखी गई यह एक मान्य नीति है और इस नीति को देश में स्वीकारा गया है और इस नीति से देश के हितों और लोगों को लाभ पहुंचा है और यदि आप यह चाहते हैं कि यह नीति जारी नहीं रहे तो हम इस नीति से पीछे नहीं हटेंगे।

दूसरे, जब भी न्यायाधीशों को कोई कठिनाई होती है, यह हमेशा कलकत्ता में ही होती है और जहां तक कलकत्ता के उन न्यायाधीश का प्रश्न है तो उन्हें इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि वह वरिष्ठतम अवर न्यायाधीश थे यद्यपि उसी उच्च न्यायालय से एक और न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० सी० जैन कर्नाटक में पहले ही नियुक्त थे। वरिष्ठता को देखते हुए और वह सबसे वरिष्ठ अवर न्यायाधीश थे इस बात पर विचार करके ही उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था अन्यथा उनकी मुख्य न्यायाधीश के रूप में बारी अभी नहीं आई थी।

6.00 म० प०

अन्य बातों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थक हैं और अनेकों बार हमने दिखाया है कि इस देश में न्यायपालिका की स्वाधीनता में न सिर्फ सरकार का बल्कि विपक्ष का भी हस्तक्षेप नहीं है; न्यायपालिका स्वतंत्र रही है और स्वतंत्र ही रहेगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अन्य वातों के बारे में मैं हैदराबाद के अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हैदराबाद जो मुख्य न्यायाधीश भेजे गये हैं वह उस उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रघुवीर से वरिष्ठ हैं और उन्हें भी एक और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भेजा जा रहा है क्योंकि उनकी वरीयता 1975 से है जबकि न्यायाधीश महोदय को वहां भेजा गया है। उनकी वरीयता 1974 से है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आप हैदराबाद से न्यायमूर्ति श्री रघुवीर को अन्य स्थान पर क्यों भेज रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० भारद्वाज : कृपया सुनिये। कोई भेदभाव नहीं है। यह सिर्फ आपकी कल्पना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समय समाप्त हो चुका है। सभा की सम्मति के बगैर आप समय नहीं बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया का केवल भाग मात्र है। कई मामलों में हमने ऐसा किया है। मैं नहीं जानता कि आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : हमने कई मुद्दे उठाये हैं। आप इन विधेयकों को पक्ष में पारित कर दे। हमने कई मुद्दे उठाये हैं। उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम खंडवार विचार करेंगे।

श्री तम्पन थामस : यह सही तरीका नहीं है। हम सभा से उठकर चले जाएंगे।

6.03 म० प०

इस समय श्री तम्पन थामस और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से उठकर चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा को यह स्वीकार होगा कि हमें पांच मिनट और बैठकर यह विधेयक पूर्ण कर लेना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4, इस पर श्री सोमनाथ रथ के संशोधन प्रस्ताव हैं।

श्री सोमनाथ रथ : मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7, श्री सोमनाथ रथ का एक संशोधन प्रस्ताव है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 मार्च 1988/2 चैत्र, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53